जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण

परियोजना प्रस्तावक **मैसर्स जेके. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड,** की प्रस्तावित चूना पत्थर ब्लॉक–4जी–एक–ए (नीलामी ब्लॉक) (क्षेत्रफल– 610.863574 हेक्टेयर) चूना पत्थर उत्पादन क्षमता– 5.0 मिलियन टन प्रति वर्ष, के साथ 1000 टन प्रति घण्टा के क्रैशर की स्थापना ग्राम– ताड़ावास, बैरावास और खींवसर, तहसीलः– खींवसर, जिलाः– नागौर (राज.) में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर, जिला नागौर (राजस्थान) की अध्यक्षता में दिनांक 27.08.2024 को प्रातः 10:30 बजे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ताड़ावास का परिसर, तहसील–खींवसर एवं जिला –नागौर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही (Minutes) का विवरणः–

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर, नागौर के पत्र क्रमांक 4648 दिनांक 11.07.2024 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर के पत्र क्रंमाक RPCB/RO/NGR/PUB-26/1424 दिनांक 15.07.2024 के अनुपालना में **मैसर्स जेके. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड** की प्रस्तावित चूना पत्थर ब्लॉक–4जी–एक–ए (नीलामी ब्लॉक) (क्षेत्रफल– 610.863574 हेक्टेयर) चूना पत्थर उत्पादन क्षमता– 5.0 मिलियन टन प्रति वर्ष, के साथ 1000 टन प्रति घण्टा के क्रैशर की स्थापना ग्राम– ताड़ावास, बैरावास और खींवसर, तहसीलः– खींवसर, जिलाः– नागौर (राज.) में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर, जिला नागौर (राजस्थान) की अध्यक्षता में दिनांक 27.08.2024 को प्रातः 10:30 बजे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ताड़ावास का परिसर, तहसील–खींवसर एवं जिला –नागौर (राजस्थान) में जन सुनवाई आयोजित की गई। जन सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है। जनसुनवाई की आम सूचना दो स्थानीय समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इडिया समाचार पत्र में दिनांक 19 जुलाई, 2024 (शुक्रवार) एवं दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2024 (शनिवार) को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति परिशिष्ट संख्या 02 पर सलंग्न है।

जन सुनवाई के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्री सचिन कुमार ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर की अनुमति से जनसुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नागौर आपसे बात करेंगे और पूरा आपको समझायेंगे कि यह जन सुनवाई किस प्रयोजन के लिये है, आप बात सुनो, कम्प्यूटर पर आपको सारी बात समझायेंगे। आप बात सुनो, आप हमारी बात सुनिये, हम आपकी बात सुनेंगे। ठीक है, तो एक बार इनकी बात सुन लेते है, फिर आपकी बात सुनेगें। बात मानना, नहीं मानना आपकी इच्छा है। जबरदस्ती कोई किसी की बात नहीं मनवा सकता, यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र अपनी बात रखने का, सुनने का और कहने का सबको अधिकार है, और यह लोकतंत्र लोगों से है, आप के लिए है। यह जनसुनवाई आपके लिए है, कोई भी संस्था, कोई भी सरकार, कोई भी डिपार्टमेंट अगर किसी जगह पर उद्योग लगाता है तो सीधी परमीशन नहीं देता है। ना दी है, और ना ही देगा। अब यह जो, यहां पर कोई फैक्ट्री लगेगी, माईनिंग होगी, होगी के नहीं होगी, फैक्ट्री लगेगी की नहीं लगेगी, यह जो डिसिजन है, आप लोगों को करना है, आप लोग जो अपनी बात रखेंगे, कागज के माध्यम से, विरोध के माध्यम से, अपनी सहमति के माध्यम से, जो भी आप बात करेंगे, इसमें रिर्कोडिग होगी। और आज जो कागज देंगे, वो सब साथ लगाकर के इसकी कॉपी भेजेंगे। और डिसिजन जो है, राज्य सरकार को लेना है, कि यहां पर माईनिंग होनी है, कि नहीं होनी है, फैक्ट्री लगनी है कि नहीं लगनी है, और आज बस आपकी सुनवाई करने के लिए आये है। आज आपने नोट किया होगा कि जिस कम्पनी के लिए यह फैक्ट्री लगेगी, या जो लगायेगी कम्पनी, जो माईनिंग करेगी, वो भी यहां पर है। वो भी अपनी बात कहेगी, जो पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, आप लोगों की बात सुनकर यहां पर जो है, फैक्ट्री लगने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का प्रबंधन, उसके लिए, उसको बहतर करने के लिए कम्पनी के पास क्या आईडिया है, क्या सुझाव है, क्या रूल्स है, क्या नियम है, वो नियम आपको बतायेंगे। और उस पर जो है आपकी आपति, आपकी अनापति, आपकी हां, आपकी ना, आपका रोष, आपका आक्रोश आपकी सहमति, आपकी असहमति, जो भी आपका मत है, वो जो है, वो इसमें दर्ज

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

कराकर भेजेंगे। और उसके बाद में तय होगा कि यहां पर यह चीज होनी है कि नहीं होनी। तो यह आपकी सुनवाई के लिए है। यही कारण है कि यहां पर सिर्फ कम्पनी के लोग नहीं है, यहां पर जो है केवल पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड नहीं है, यहां जो है जिला प्रशासन की तरफ से मैं ए.डी.एम. हूँ, आप एस.डी.एम. साहब है, आपके तहसीलदार साहब है। हम सभी लोग आये हैं, आपकी बात को सुनेंगे। अब अगर आप अपनी बात हमें सुनाओगे तो मैं वहीं बात लिखुंगा, वहीं बात बताऊंगा, जो आपने एक–एक चीज यहां पर कहोंगे। एक भी चीज, जो है मैं, हम लोग नहीं छुपायेंगे, नहीं छुपने देंगे। जो आपकी बात है, आपकी हाँ, आपकी ना, आपकी येस, आपकी नो, आपकी सहमति, आपका सुझाव, आपकी असहमति, आपका विरोध, आपका आक्रोश, आपकी शंका, हर चीज जो है, आपकी सुनेंगे। और उस पर जो है प्रश्न प्रति प्रश्न जो है, कम्पनी से भी करेंगे, विभाग से भी करेंगे और आपके जितने भी कागज पत्र आये, आप हमें देना, हम आपको रिसिव देंगे इसको। और जो भी इसकी प्रोससिंग होगी, उसकी कॉपी भी देंगे आपको। ठी है! अब अब जो है पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड आपको सारी बात है जो इस पर समझायेंगे, कि यह कम्पनी कहां लगेगी, कैसे लगेगी, आप इस कम्प्यूटर पर देखेंगे, एक बार समझते है, क्या जो है इसकी कार्ययोजना है।

श्री ओमप्रकाश ताड़ाः– राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर इनके पास हम गांव के 25–30 आदमी गये थे, उनको हमने लिखित में ज्ञापन दिया, ज्ञापन यह दिया कि 27 अगस्त को हमारे गांव में सीमेंट कम्पनी चूना पत्थर ब्लॉक 4जी–1–अ खनन के लिये पर्यावरण स्वीकृति देने बाबत् जन सुनवाई हो रही है, हमें पता चला है, हमारे गांव की स्कूल में इस मामले में लोक जनसुनवाई होनी है, लेकिन गांव के लोगों को यह जानकारी नहीं दी गई है, कि इस सुनवाई में मुद्दे क्या होंगे? हमें सरल हिन्दी भाषा में एक प्रपत्र संग्लित करके इस बारें में हमें पहले शिक्षित करिऐं, ताकि हम सुनवाई मे अपनी बात रख सकें, यह प्रपत्र हमारे गांव के हर तक, सुनवाई के कम से कम तीन दिन पहले पहुंचे, स्वच्छ लोकतंत्र में यही होना चाहिए। आप आकर अचानक हमारे से पूछेंगे, हम उसकी क्या आपति दर्ज करायेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, खनन एवं पर्यावरण विभाग की तकनीकी भाषा को हम नहीं समझ पा रहे है। इसलिए हम प्रश्न उतर के फॉर्मेट में यह बताया जाये, हमारे स्वास्थ्य पर इस होने वाले खनन का क्या प्रभाव रहेगा, हवा में डस्ट में प्रदूषण से किन–किन बिमारियों के फैलने की आशंका है। किन–किन पेड़ों को काटा जायेगा, हमारी नाड़ियों में, नाड़ियों में खानों से बहकर कैसा पानी आयेगा। हमारी खेतों की मिट्टी पर इस खनन से उड़ने वाली डस्ट को क्या प्रभाव होगा, हम अपने पालतू पशुओं को कहां ले जाकर चरायेंगे। तेज धमाकों से बुजुर्ग, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, पालतु पशुओं पर क्या असर होगा, इस तरह के प्रश्न उतर के आप जानकारी देंगे तो हम अपने परिवार को समझा पायेंगे, और उनका भविष्य कैसा होगा, तभी लोक जनसुनवाई सार्थक होगी। हमने यह पहले जाकर दर्ज करवाया था। एस.डी.एम. साहब को भी लिखकर दिया था, हमने बोला था कम्पनी वालों को बुलाओं, जो उन्होंने मेनिफेस्टों बनाया, इंग्लिस में बनाया है, स्कूल में दिया है, गांव के किसी बंदे को नहीं दिया है, नहीं भी गांव के मोहल्ले के साथ मिटींग की, कि हमारी कम्पनी है, हम ऐसा कर रहे है, हम वैसा कर रहे है। यह तो लालच दे रहे है ऑनली फॉर, जमीन दिला दो, 2500 तुम्हारे। 3 प्रशेंट कमीशन दे रहा है, 24000 आपके। 10–15 आदमियों को ठेका दे रखा है, आप जायो, काम करा दो, उन–उन को पैसा दे रहे है, गांव वालों से इन्होंने कभी बात नहीं की, इन्होनें पहले बोला था, सरकार ने इसको जारी की, एलओआई। हमें पता नहीं था। हमें कोई सूचना नहीं दी गई, कि आपके यहां खनन दे रहे है। मिटिंग नहीं ली, नहीं हमारे को पूछा, 142 करोड़। 142 करोड़ मे तो पूल बनता है, गांव वाले 242 करोड़ देने को तैयार है, ऐसा करों गांव वालों को दे दों। यह कम्पनी अपनी मनमर्जी कर रही है, हम भारत के नागरिक नहीं हैं, हमें जिने का अधिकार नहीं है क्या? हमारे परिवार पालने का, हमें जिवित रहने का हमें अधिकार है ना? जनसुनवाई किस बात की हो रही है हमें तो बताया ही नहीं गया। आपको सूचित कर दिया आप बहुत बड़े अधिकारी हो। हमें तो बताया ही नहीं। हमारी जमीन ले रहे, हमारा पूरा गांव जा रहा है, हमें तो बताया ही नहीं। हमने ज्ञापन दिया था, ठीक है, आपको रिसिवड दे देंगे। मैनें कहा, तो बोला हम वाहं से यहीं आयेंगे। हमारी सुनाई नहीं की, बोलो साब, आपको दिया या नहीं दिया।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– आप बात तो सुनिये एक बार...

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– अब आपने सवाल जो है कर लिया अब इनको जवाब देने दो, ठीक है ना! आप अगर एक शब्द बोले, आपने इतनी बात रखी अपनी, लगभग 4–5 मिनट की बात रखी, एक भी शब्द बोला इन्होनें तो सुनो ठीक है ना! आपके अलावा और कोई बोलेंगे?

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– नमस्कार! यह जो आपने सवाल हमारे सामने पूछे है, इसमें जो अब प्रश्न उठाये आप ठीक कह रहे है, आपने हमारे कार्यालय में ज्ञापन दिया, और जो–जो प्रश्न आपने पूछे है, यह जन सुनवाई उसी के लिए रखी गई है, जो–जो आपके प्रश्न है कम्पनी उनका आपको जवाब देगी और जो भी आपकी बातें रही, जो भी आपति रहेगी।

श्री ओमप्रकाश ताड़ाः– तो कम्पनी को ही भेज देते आप क्यों आये सर! हम क्यों आपके पास आये। प्रशासन किस बात का...।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– आप बात सुनिये।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– आपका नाम क्या है? शुभ नाम

श्री ओमप्रकाश ताड़ाः– ओमप्रकाश ताड़ा

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– देखों, ओमप्रकाश जी, आप अगर आपका पूरा सवाल जो है सुना, अब उतर नहीं सुनोगे, तो फिर क्या मतलब है। अगर क्रॉस क्यूशच्न जो लगातार चलते रहेंगे, तो बात ही खत्म नहीं होगी।

श्री ओमप्रकाश ताड़ा,:– सर ये दूसरे में जोड़ देंगे। हम किसके पास गये थे, कम्पनी के पास तो गये ही नहीं। हमने रिक्वेस्ट की थी, एस.डी.एम. साहब से रिक्वेस्ट की थी, हम किसान है, दलित है, वंचित है, बेरोजगार है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें इसका जवाब दो।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– यह आपको जवाब दे रहे है ना। बात तो सुनो! बात तो सुनो! अच्छा आपके पड़ोस में कोई बोलना चाहते है उनको देना।

श्री अणदाराम रलियाः– बात सुनो सर हम तो सरकार से और आप अधिकारियों से बात करेंगे। कम्पनी वालों से कोई बात नहीं करेंगे। इनसे क्या बात करनी है। यहाँ कम से कम 2000 इकाई लगी है, भट्टे की, चूना पत्थर की। ये चूना पत्थर है यहाँ के, ठीक है और यह सीमेंट में चेंज करके बड़े–बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हो लेकिन आम पब्लिक की कौन सुन रहा है? आप ही सुनोंगे, की कोई दूसरा आकर सुनेगा। यह तो अपना लोभ करेंगी कम्पनी तो। किसी को दलाल करेंगे, किसी को सिलाई, किसी को झूठा प्रपच देंगे। लेकिन आप तो नहीं दोंगे ना। क्या आप भी ऐसे ही हो, तो बता दो, हम चले जायेंगे। यह जमीन छोड़ कर चले जायेंगे। वहीं तो है आपका प्रश्न क्यों प्रश्न उठाते हो और हमें क्यों मजबूर करते हो आप। नहीं बताओं हमारे को। यह सीमेंट नहीं है,यह लाईमस्टोन है, लाईमस्टोन 2000 इकाई है, 2000 इकाई के लोन माफ कर दो आप। उठा लेंगे अपना भट्टा। आप कह रहे हो जनसुनवाई, जन–सुनवाई, हमारी कौन जनसुनवाई सुन रहा है।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– आपका शुभ नाम क्या है?

श्री अणदाराम रलिया :– अणदाराम रणिया, पूर्व सरपंच

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– अणदाराम जी की, और उसके पहले ताड़ा साहब आपका शुभ नाम क्या था? ओमप्रकाश जी! ओमप्रकाशजी और पूर्व सरपंच साहब की दो बातें है जो मेरे को इस जनसुनवाई में अब तक निकल कर आई है।

1. आपने एक चीज बताई है कि जब भी जो है इस प्रकार की जनसुनवाई रखी जाये, आयोजित की जाये तो उसका जो है वो आसान है, जो वहां की लॉकल जो है भाषा समझे, जैसे अपने यहाँ पर हिन्दी जो है, वो सबको, सब

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

समझते है, तो उसको जो कम्पेडियम है, जो भी जो उसका सार है, वो हिन्दी में बनकर अलग–अलग जगह पर रखना चाहिए। ठीक है, यह बात बिल्कुल सही है, कि हमारे यहां पर यह जो 7–8 कॉपिया इसकी रखी जाती है, पर वो अंग्रेजी में होती है, आई थिंक, मुझे लगता है कि आपका डिपार्टमेंट का ऐसा रूल्स है।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– हिन्दी में भी है सर, जो नियम के अनुसार होता है, उसमें हिन्दी, अंग्रेजी दोनों के अन्दर समरी और पूरी डिटेल रिकॉर्ड रखी जाती है।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– यह, एक चीज बता दूं मैं आपको। आप बता रहे है कि हिन्दी और अंग्रजी दोनों ही जो है भाषाओं में इसकी एक कॉपी रखी गई थी, जैसेः– सबसे पहले जिला कलेक्टर कार्यालय, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय, जिला परिषद सीओ साहब, पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, उपखण्ड अधिकारी खींवसर, तहसीलदार खींवसर, क्षेत्रीय प्रबंधक रिको, जिला उद्योग केन्द्र नागौर, ग्राम पंचायत ताड़ावास, ग्राम पंचायत बैरावास, ग्राम पंचायत खींवसर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ताड़ावास और बीडीओ खींवसर इसके वहां पर रखी थी। यह बात अलग है कि आप तक, आप लोगों को भी देनी चाहिये थी। मेरा इसमें एक सुझाव है, कि इसमें जो है, अपनी उसमें लिखेंगें कि अगर इसका कोई 10–15 पेज का आसान भाषा में एक हिन्दी जो है अनुवाद, अगर हम लोग उन गांवों में जितने भी वार्डपंच साहबान है या मौजूदा लोग है या सिंपल पेंपलेट के रूप में, अपने जो गांव के लोग है, गांव के वो लोग जो जिनका इसमें आना अपेक्षित है, या प्रत्येक गांववासी तक जो है एक कार्ड जो है पहुंचाना चाहिए। ताड़ा साहब बिल्कुल सही है, यही कह रहा हूं। तो हम लोग इस चीज में लिख रहे है, कि भविष्य में कभी भी, कहीं भी जनसुनवाई हो, उस समय जो लेटर रखे जो आसान भाषा में एक ओर जो है वो हो। एक तो ये चीज।

दूसरी बात जो है यहां पर पूर्व सरपंच साहब ने एक चीज ओर रखी है कि यहां पर, इस जमीन पर, ये सीमेंट कम्पनी की माईनिंग होगी। वो लाईमस्टोन का बेल्ट है, लाइमस्टोन है जो अच्छी क्वालिटी का लाइमस्टोन है और इस पर जो है आपके भट्टे लगे हुवे है, संख्या आपने 2000 के आस–पास बताई है। आप बिल्कुल जो यहीं के है तो मुझे लगता नहीं कि आपकी संख्या में जो है किन्तु परन्तु होगा, तो उनके रोजगार का या फिर जो है, उन भट्टों का क्या भविष्य होगा, क्योंकि जो वो भट्टें है, कहीं ना कहीं जो, सब इतने सम्पन नहीं हैं, तो सब लोगों ने लोन लेकर वो भट्टे डेवलप किये है, और अगर वो भट्टों का भविष्य ठीक नहीं होगा तो उस लोन का क्या होगा? यह जो है आपका प्रश्न है, ठीक है। मैं दो प्रश्न है जो समझ पाया हूं आपकी भाषा में। तो इन जो प्रश्नों का उतर जो है, इनके प्रदर्शन में ढूंढेगे। इक बार जो है तीन मिनट का इनका प्रदर्शन है, एक बार अपन लोग इसको देख लेते है। फिर आपके जो है सारे प्रश्नों का उतर जो है वो इनको देने के लिए कहेंगे। एक बार इसको आप चालू करे भाई!

ये जो, मेरी बात सुनो। अगर ये आपके दोनों प्रश्नों का उतर इसमें नहीं होगा ना, इसमें नहीं होगा ना। मैंने नहीं देखा यह। ये जो आपके दो सवाल है, ठीक है, इन दो सवालों में आपकी चार–पांच चीजें ओर थी ज्ञापन में, एक तो नाडियों का क्या होगा, आपके जो है खेतों पर डस्ट उड़ेगी उसका क्या होगा, यह कुछ सवाल थे। तो इन सब सवालों का उतर अगर नहीं आयेगा, तो अपन लोग ये जब तक रखेंगे जब तक आपके सवालों का जवाब नहीं रखेंगा। ये मेरा वादा है, मैं इसीलिए आया हूं।

श्री अणदाराम रलिया :– सर हम सब की यही रिक्वेस्ट है, तो आप कम्पनी की तरफ से क्यों कर रहे हो?

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– मैं कम्पनी की तरफ से नही कर रहा हूं। मैं आप लोगों की तरफ से हूं।

श्री अणदाराम रलिया :– सर रिक्वेस्ट आपसे, अपने मूण्डवा में बड़ी कम्पनी लगी है, लगी है कि नहीं लगी। उसमें भी वो था प्रदूषण का, अभी प्रदूषण हो रहा है, उसमें ये क्या है कि बड़ा फिल्टर लगाते थे, वो रोज चेंज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते कम्पनी वाला, रोज की मगजमारी है। हम तो यही रिक्वेस्ट करते है, आपसे सरकार के

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

भेजिये, प्रस्ताव बना के कि हमें कोई कम्पनी की जरूरत नही, किसान को माइन्स दे, ये भट्टा भी बच जायेगा और किसान भी बच जायेगा। हम उसमे एक सहमत है, बाकि हमें कोई प्रदूषण की जरूरत नहीं है।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– अब आप सुनों सरपंच साहब। पूर्व सरपंच साहब ने यह मांग की है कि यहां पर जो है भट्टे के लिए आवंटन होना चाहिए, भट्टे लगने चाहिए, कम्पनी नहीं लगनी चाहिए। यही आपकी मांग है ना। एक भी शब्द इसमें चेंज नहीं करूंगा ऐसे के ऐसे लिख कर भेजुंगा। और इसकी आपको कॉपी देंगे।

श्री अणदाराम रलिया :– भाई हमें तो कम्पनी ही नहीं लानी है। हम माईन्स बनाने के लिए तैयार है।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– आपको, आपने जो मांग रखी है ना, वो एक–एक मांग इसमें रखेंगे हम।

श्री अणदाराम रलिया :– सर एक रिक्वेस्ट। हमारा गांव जोरावरपुरा है, यहां पास में ही है, और पंचायत हमारी बैरावास है, ताड़ावास, बैरावास और जोरावरपुरा। हमारे सरकार ने 51 ब्लॉक बनाये है, एक तरफ सरकार कहती है, हम छोटी माईन्स नहीं दे सकते लेकिन 4 हेक्ट्रयर से 7 हेक्ट्रयर तक, ठीक है। और एक बना दी उसमें 112 हेक्ट्रयर की, 700 बीघे की। वो बोली छोड रहे है बड़े–बड़े उद्योगपति, तो वहीं 4 हेक्ट्रयर, 5 हेक्ट्रयर, 6 हेक्ट्रयर, 4 हेक्ट्रयर, 3 हेक्ट्रयर हमें दो ना किसान को, हम आपको डबल आय देंगे, डबल। और हम रोजगार करेंगे, और हम हमारी पीढ़ी तक यहां कमा कर खायेंगे। ये भट्टे भी जीवित रह जायेंगे लेकिन राज कोष क्या है। ये हजारों करोड़ दे देते है, लेकिन हमारे पास तो है नहीं, किसानों के पास। आप हर कोई जाते हो कम्पनी के पास सीधा चले जाते हो, किसान के पास तो कोई आने वाला है नहीं। किसान भोला भाला है, यह अपनी औरतें आ जाती है, छः हजार सिलाई के लिये, क्या करें बताओं, हम परिवार की मजबूरी है, मजबूरी है सर! आप भी औहदें पर आये हो आपके माता–पिता बूढें थे, आप अच्छे बन गये, तो उनका जीवन यापन अच्छा हो रहा कि नहीं। हम भी सोच रहे है हमारा बच्चा कोई सीधी शिक्षित में जाये।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– सरपंच साहब आप निश्चित रहें, यह जो आप बोल रहे हो ना, एक–एक चीज पूरा जो है, अक्षरक्षः इसकी पूरी प्रोसिडिंग जो आप बोलेंगे, जो आप लिखित देंगे, और ये सब रिकॉर्डिंग जायेगी। डिसीजन जो है, ऊपर के लेवल पर होगा। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि राज्य सरकार लोगों की भावना के अनुरूप काम करती है, उनके खिलाफ कोई काम नहीं करती।

श्री अणदाराम रलिया :–मेरा एक निवेदन है। ये 32, भारत में 32 खनन है, 32 खनन में एक सीमेंट है, चूना को कोई अलग नहीं है, तो उसमें क्या हुआ, केन्द्र सरकार ने यह चूना पत्थर का है जो उसमें सीमेंट में ले लिया। ठीक है, यह 32 खनन है, 32 खनन है टोटल, तांबा, स्टील जैसे जो भी और कोयला है। इसमें 32 है, पूरा भारत में, आप कानून उठा कर देख लेना। 32 में से इसको अब चूना पत्थर को निकालेगा तो इसमें क्या हैं रेवेन्यु जबकि इसमें ज्यादा है, चूना पत्थर मे। लेकिन अधिकारी उनको कहने वाला नहीं है यहां। आप जैसे अधिकारी आये हो, अगर हमारी बात सुनके आगे भेजोगे, तो हम आपको पूरा आशीर्वाद और हम तो कमाकर खायेंगे और पूरा जीवन अपना सुखी रहे। जय हिन्द! जय भारत!

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– सरपंच साहब मैं आपकी एक–एक मांग अक्षरक्षः ये की ये लिखकर भेजुंगा। मेरा काम है जो आपकी बात ऊपर पहुंचाने का है, और मैं डाकिये के रूप में काम कर रहा हूं, अपनी हर चीज जो है मैं ऊपर अक्षरक्षः भेजुंगां। यह मेरा वादा है।

श्री अणदाराम रलिया :–यह होगा तो हम भी सारा जीवन अच्छे से बितायेंगे सर।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– इसमें एक भी परिवर्तन, जो आपने शब्द कहे है वो यूं के यूं सरकार तक पहुंचायेंगे। एक लाईन भी यहां की वहां नहीं होगी।

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

श्री अणदाराम रलिया :–मेरी बात सुनो आप सरकार तक पहुंचाओ और हमारी पेरवी करो आप और हम है ना बाद में, सरकार मानती है तो हमें प्रदूषण की जरूरत ही नही होगी ना। ना कम्पनी की जरूरत, ना प्रदूषण की जरूरत।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– जो आपने बात कही है, वो यूं की यूं सरकार तक जायेगी। आप निश्चित रहे इस चीज से।

श्री अणदाराम रलिया :–बाकि है ना सर प्रदूषण हमने देखा है, चैन्नाई तक जाकर देखा है। चैन्नई में लौह की फैक्ट्री है, उसमें भी वो होता है, ठीक है। सरकार ने क्या किया चैन्नाई में। अन्दर से 17 किलोमीटर बाहर उसको लगा दी फैक्ट्री को, वो भी एक लगाते है फिल्टर। वहीं सिस्टम है, चेंज करो इस फिल्टर को रोज और फिल्टर चेंज होते नहीं है। वो प्रदूषण वहीं होता है। रोज का रोज।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– ठीक है सरपंच साबह आपकी बात जो है, वो यूं की यूं सरकार तक जायेगी, आप निश्चित रहे, यह हमारा आपसे पूर्ण वादा है कि यह चली जायेगी आपकी बात।

श्री अणदाराम रलिया :–हमारे अभिनव पार्टी के है, वैसे सर आप, आप जो है नये अधिकारी हो या जानकारी नहीं होगी, हमारे यहां पूर्व एमएलए इस पर डिसीजन वहां देना चाहिए आपको नारायण जी बेनिवाल, हमारा प्रतिनिधि है यहां के। पूर्व होने से क्या आगे चुनाव है, मुण्डाक, नजदीक और वो पूरे हो जायेंगे। लेकिन उनकी कुर्सी वहां होनी थी। बात वो नहीं है, अपने तो वहीं है ना।

डॉ. अशोक चौधरीः– आदरणीय ए.डी.एम. साहब, मैं डॉ. अशोक चौधरी हूं, और यहां पर इसलिए बोल रहा हूं कि मैनें पिछला चुनाव लड़ा था और कुछ लोंगो ने मुझे वोट भी किया है, उनके हितों के लिए मैं आपके सामने बोल रहा हूं। अभी आप कह रहे थे कि '' आप जो भी बातें कहेंगे उनको हम लोग ऊपर तक पहुंचायेंगे, लिखित में रिकॉर्ड करेंगे।'' मैं जो बात कह रहा हूं उसको आपको कहीं आगे पहुंचाने की जरूरत नहीं है। आप सक्षम अधिकारी है, आपका पूरा अनुभव है, आप अच्छे से जानते है, आप कोर्ट भी चलाते है, जब आपके कोर्ट में दो पक्ष आते है तो उसमें आप दोनों से पूछते है कि आप क्या कहना चाहते है, और दोनों पक्षों के वकीलों के पास, लोगों के पास पूरी जानकारी होती है। जब जानकारी होती है, तो बहस कर पाते है, यहां पर एक पक्ष है, जिसके पास में जानकारी है, एक पक्ष है जिसके पास जानकारी लिखी हुई है। एक दूसरा पक्ष है, जिसके पास किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है। किसी भी सुनवाई में जब दोनों पक्ष सामने आते है, उसका बेसिक नियम है कि उनके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, अब आपको यहीं ये फैसला करना है, आपके इधर एस.डी.एम. साहब बैठे है, आपके इधर क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी बैठे है, इन दोनों को हमने 7 दिन पहले कागज दिया था, कि आप सुनवाई करने आ रहे हो तो उससे पहले गांव–गांव का 10 किलोमीटर का एरिया है, उसमें शुद्ध हिन्दी भाषा में प्रश्न उतर की तरह से, आपको लिख के कागज बांटने है, ताकि यह लोग सुनवाई में भाग ले सके। कि इस बात पर हम तैयार है, तैयार नहीं है। जब आपने यह काम ही बेसिक नहीं किया तो आप सुनवाई कैसे कर सकते है। और ये दोनों अधिकारियों पास वो कागज पड़े है। इन्होंने जवाब देना तक उचित नहीं समझा। कि गांव के लोग आये तो उनको समझायें। आप एसडीएम साहब आपके सामने बैठे है, पूछो उनको 7 दिन पहले कागज दिया था कि साहब सुनवाई कर रहे तो सुनवाई मे हम तो अनपढ़ लोग है, बहुत सारे लोग अनपढ़ है, कुछ भी नहीं जानते इसके बारें में, तो आप करना क्या चाहते हो इसके साथ में। इसको कुछ भी नहीं पता। अंग्रेजी में जो कागज आपने स्कूलमें दिया है, वो 300 पेज का है, इसको अच्छा भला मास्टर भी नहीं पढ़ सकता, मैंने उसको पढ़ा अच्छी तरह से समझा है, और उसके बाद मैंने कुछ–कुछ बातें गांव के लोगों को बताई है। तो सबसे पहले जो बात यह है कि क्या यह सुनवाई इस तरह हो सकती है या नहीं हो सकती। जब एक पक्ष को कुछ भी जानकारी नहीं है। कोई पेंम्पलेट गांव में नहीं बांटा, कुछ भी नहीं बताया गया इनको। कि जो हम खनन परियोजना लेकर आ रहे है इसमें क्या–क्या लिख हुआ है, इससे आपके भविष्य को क्या–क्या नुकसान हो सकता है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और गुपचुप तरीके से सारी कार्यवाही चल रही है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जमीन की रेट तय करने से पहले ''वि विल डिस्कस्ट क्यूनिटी मेनी टाइम्स'' सारे लोगों से खुले गांव में चर्चा कर करके और जमीन की रेंटे तय करेंगे और यहां जमीन चुपचाप ली जा रही है, किसी को बताया ही नहीं जा रहा

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

है, अब मजबूरी में लोग अपनी जमीनें दे रहे है। ऐसी–ऐसी बातें उसमें लिखी है, पेड़ों का कोई जिक्र नहीं है, कौन–कौन से पेड़ यहां पर है, भ्रमित किया गया है, यहां पर नाड़ियां नहीं है, यह नाड़ी आपके आस–पास में, दो–तीन नाड़ियां पड़ी है। जानवरों के बारें में कोई चर्चा नहीं है। गाय–भैंसों की कोई चर्चा नहीं यहां तक किसी जानवर की चर्चा नहीं, मोर की यहां चर्चा नहीं, इस पर्यावरण से जुड़े हुए सारे मामलों की कोई चर्चा नहीं। गोल–गोल बातें आपने प्रोजेक्ट किसी से लिखवा लिया इंग्लिश में और उसमें लिख है कि यहां पर शोर होगा, धमाकें होंगे, तो सामान्य व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहां सारें व्यक्ति सामान्य नहीं होते, यहां बुजुर्ग रहते है, गर्भवती महिलाऐं भी है, गर्भवती पशु भी है, नवजात बच्चे भी है, गंभीर बीमार भी है, उन पर क्या असर होने वाला है, उसका आपने इसमें कुछ नहीं लिखा है। मैंने आपकी रिपोर्ट का एक–एक शब्द पढ़ा है, और मैंने यह समझ लिया है कि अंग्रेज किस तरह से भारत को लुटते थे, और अब नये तरीके से आप लोग किस तरीके से इन लोंगों को भ्रमित करते हो। तो मेरा आपसे निवेदन है मैं सुनवाई के खिलाफ नहीं हूं, मैं चाहता हूं हम लोग शांति पूर्वक सुनवाई करेंगे। आप कहोंगे तो पांच घण्टे करेंगे, आप कहोंगे तो 10 घण्टे करेंगे। लेकिन सुनवाई को स्थगित किया जाये और अगली सुनवाई से पहले दस किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोगों के घर–घर पर शुद्ध हिन्दी भाषा में पर्चा पहुंचना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट के अन्दर क्या–क्या चीजें शामिल है, कौन–कौन से पेड़ हम काटेंगे, आपको क्या–क्या नुकसान होगा, आपको क्या–क्या गंभीर बिमारियां हो सकती है, आपका परिवार कैसे उजड़ेगा, आप रोजगार के लिए कहां जायेंगे, आप अपने पशुओं को लेकर कहां जायेंगे, यह सारी बातें उसके अन्दर लिखी होनी चाहिए, शुद्ध हिन्दी भाषा में। उसके बाद इस सुनवाई का मतलब है, और आप क्योंकि कोर्ट अधिकारी है, ए.डी.एम. है, मैं जानता हूं आपकी जुडिशीयल पावर्स है, आप यहीं पर दोनों अधिकारियों से बात करके फैसला करिये, कि क्या इन लोगों ने आपको लिखित में कागज दिया के, नहीं दिया। आप इनसे पूछिये कि आपके पास लिखित में, आप आगे किसी को रिपोर्ट मत भेजिये। आप इनसे पूछिये लिखित में 7 दिन पहले गांव के सभी सम्माननीय लोग लिखित देकर आये है कि साहब सुनवाई करने से पहले कोई पर्चा तो बताओं, हम सुनवाई में भाग क्या लेंगे। अब आप यूं समझिये कि एक बच्चे को परीक्षा देने के लिए बुलाया गया कि परीक्षा दे, और उसको आज तक कोई किताब ही नहीं दी, कि गणित के सवाल हल कर, कोई अंग्रेजी के सवाल हल कर, करू कहा से मैंने तो कोई किताब ही नहीं पढ़ी है। तो आपने इनके साथ यह कर दिया है, और यह जो फॉर्मल्टी कर रहे हो, बड़ी खतरनाक फॉर्मल्टी है। मैं परियोजना के खिलाफ नहीं हूं, ना किसी भी अमीर–गरीब के खिलाफ हूं, मैं तो सबके साथ हूं। लेकिन अंधकार में रखकर लोंगों के साथ इस तरह की ठगाई करना ठीक नहीं है। इसलिए मैं यहां पर उपस्थित हुआ और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आप ए.डी.एम. साहब अभी फैसला करेंगे, आप दोंनो से पूछिये हमारा कागज इनके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– अशोक जी आपका धन्यवाद। यहां आते ही जो है, पूछा था मैंनें और बिल्कुल जो है ग्रामीण जनों ने आरओ साहब और एसडीएम साहब को, दोनों को जनसुनवाई के संबंध में आपके जो प्रश्न है, आपका जो मांग पत्र है, जो अभी ताड़ा साहब ने पढ़कर सुनाया था, और वा मांग पत्र जो है हमारे पास पुरा पड़ा है। मैं 2 चीजें इसमें कहना चाहूंगा कि पर्यावरण स्वीकृति के लिए एक सरकार का एक सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम ये बना हुआ है कि जब भी भी कोई कम्पनी ऐसे प्रोजेक्ट लायेगी तो वो अप्लाई करेगी, संबंधित विभाग में, संबंधित विभाग, कलक्टर को और पर्यावरण विभाग को सूचित करेगी, सबसे पहले किसी प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण के लिए पर्यावरण की स्वीकृति अनिवार्य है। अगर स्वीकृति मिलती है तो उसके बाद में दूसरी चीजें है। पर्यावरण की स्वीकृति मिलने से पहले एक पब्लिक हियरिंग का कंसेप्ट है, पब्लिक हियरिंग होगी, पब्लिक हियरिंग होगी तो इसके लिए है, ऐसे 15–20 ऑफिसस है, वहां पर जो है वो वहाँ पर पब्लिक हियरिंग का एक मेमोरेण्डम भेजा जायेगा। यह बात बिल्कुल सही है कि वो एक आसान हिन्दी भाषा में होना चाहिए। और वो जो मेमोरेण्डम की बड़ी कॉपी के अलावा एक सार के रूप में भी लोगों तक पहुँचना चाहिए। यह कहीं ना कहीं पर सिस्टम में नहीं था, तो मैं आपके पूर्व वक्ता थे ताड़ा जी उनको भी मैनें वादा किया है कि यह एक्जेटली जो है वो ऐसी कोई जनसुनवाई होगी तो बड़े मेमोरेण्डम के अलावा 1 या 2 पेज में सार रूप में पब्लिक हियरिंग का जो कंसेप्ट है, जो पब्लिक हियरिंग क्यों हो रही है, वहाँ पर इसका क्या प्रभाव पडेगा, उस एरिया में कौनसा उद्योग आ रहा है। उस उद्योग में जो है, उस एरिया में सीएसआर एक्टीवीटी क्या करेंगे, वो पूरी चीजें होनी चाहिए। जिससे लोग जो है समझ सक,

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

पढ़ सके और अगर उसको कोई आक्षेप/आपत्ति और अगर कोई चीज हो तो वह अपनी बात रख सके। यह एक आसान भाषा में फॉर्मेट होना चाहिए। यह जो है हम इसमें लिख रहे है। दूसरा पब्लिक हियरिंग जब होगी तब पब्लिक हियरिंग में लोग क्या आपति, अनापति, आश्रेप, आरोप, प्रत्यारोप, स्वीकृति जो भी, जो है देते है, सहमति देते है, उसको वीडियो की फॉर्म में वीरीडी फॉर्भ में स्टेट लेवल की एक ऑथोरिटी है, जिसको जो है स्टेट लेवल की.....

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– इस सीआ की जो है, वो कमेटी है वहां पर वो है इसको भेजते है, और वहां पर पूरा एक पेनल बना हुआ है, जिसमें माननीय पर्यावरण मंत्री जो है, स्टेट के होते है, इनकी अध्यक्षता में फिर ये कमेटी बनती है। तो आपने किसको अपॉइट किया है, वहां पर कम्पनी ने अपनी क्या बात रखी है, वहां पर जो है, पर्यावरण जो प्रभाव पड़ेगा वो पूरा लोगों को बताया है या नहीं बताया है।

डॉ. अशोक चौधरीः– बात आगे जा रही है, मैं वहां नहीं जा रहा हूं, इसी सभागार तक हूं, आपका क्या फैसला है, कि एक पक्ष जिसको बिलकुल भी जानकारी नहीं है, वो क्या सुनवाई में भाग ले सकता है।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– मैं आपको यह कह रहा हूं, आपके ये जो चीज है, जो आपकी आपति है वो मैं इसमें डाल रहा हूं, प्रोसिजर तो यही है।

डॉ. अशोक चौधरीः– फिर सुनवाई करें किस बात की जानकारी ही नहीं है।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :–चुंकि पर्यावरण की स्वीकृति की कार्यवाही अकसर जो है, करते है, ये आरओ साहब, ये आरओ साहब आपसे तीन बात कह रहे है, तो आप आरओ साहब को सुने।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं जो–जो आपका सवाल उठे है, जो आप कह रहे, हमें जानकारी नहीं है, पहले सुन लिजिए आप। जो–जो आपने सवाल उठाये है कि जानकारी नहीं है, यहां प्रोजेक्टर के ऊपर जो प्रजेंटेशन होगी, उसमें पूर्ण उसकी जानकारी दी जायेगी।

डॉ. अशोक चौधरीः– अच्छा सुनो आप, मेरा एग्जाम है, आज की तारीख में, और आज मेरे को प्रोजेक्ट पर बताओंगे और मैं पेपर दे लूंगा, मेरे परिवार से पूछूंगा।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– अशोकजी तीन बात कह रहे है ये, एक तो हो गई, दो तो सुनो।

डॉ. अशोक चौधरीः– मैं एक जिम्मेदार अधिकारी के तौर पर बोल रहा हूं आपसे, यह मेरा अनुभव है। मैं यह जानता हूं कि दुनिया के किसी भी स्तर पर जाओं इन्टरनेशनल लेवल पर चले जाओं, कि वहां भारत और पाकिस्तान की सुनवाई होनी है तो दोनों के पास कागज होते है, मुद्दा क्या है? मैंने एडीएम साहब से क्यों कहा कि यू आर सिंटीग एज ए कोर्ट, यहां पर आप इनको कोर्ट की तरह बैठे है, मैं इनको कह रहा हूँ कि आपको 7 दिन पहले एक कागज दिया था, आपको दिया था कि नहीं दिया था, ईमानदारी से बताओ दिया था कि नहीं दिया था।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– यह जो आप कह रहे हो ना, इसमें, इसमें लगभग 15 से 20 पेज का हिन्दी अनुवाद भी है।

डॉ. अशोक चौधरीः– नहीं सर, उसमें नहीं है, मैंने देखा है, नहीं है उसमें वो केवल 8 पेज का है और यह तकनीकी भाषा में बेकार, इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और यह भी गांव में नहीं बांटा है, गांव में बांटा नहीं है, स्कूल में देकर चले गये।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– मैं यही कह रहा हूं नियम यही है कि सरकारी ऑफिसों में ही दिये जाते है।, स्कूल में दिया, पंचायत में दिया। अब पंचायत का था कि वो जो है आपको बांटे।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– यह जनसुनवाई भी किसी नियम.., उस नियम में ही...., आप बात सुनिये, आप पहले सुनिये बात, आप सिर्फ सवाल कर रहे है, जवाब तो सुन ही नहीं रहे है, यह जनसुनवाई जो

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

है, किसी नियम के आधार पर हो रही है, जो सरकार ने नियमावली बना कर दी है, जिन–जिन कार्यालयों के अन्दर ये हमें प्रतिलिपि देनी थी, वहां–वहां प्रतिलिपि पहुंच चुकी है। अब आपने एक नया पॉइन्ट उठाया है कि हमें हर घर के अन्दर वो चीज चाहिए।

डॉ. अशोक चौधरी:– बेसिक पॉइन्ट उठाया, कोई नया नहीं उठाया।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौर:– ये चीज सरकार, हम लोग भी अपनी मर्जी से नहीं देते है, सरकार ने जो ईआईए रूल 2006, लिखा है, उसके अन्दर जो–जो ऑफिस बताये गये है, उनके अन्दर यह पहुंचाया गया है। अभी आप ये जो चीज कह रहे है, नियमानुसार हम वो ऑलरेडी पहुंचा चुके है, उसमें...

डॉ. अशोक चौधरी:– आपने घर–घर पहुंचा दिया?

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौर:– घर–घर के अन्दर पहुंचाने का नियम नहीं है, आप बात सुनिये, हर घर पहुंचाने का नहीं है, यह जनसुनवाई इसी परपज़ के लिए हो रही है। कोई रह गया है, जिसको घर पर ना गई हो बात, तो यहां आकर अपनी बात कह सकता है। कम्पनी पूरी प्रजेन्टेशन देगी। आप उनसे सवाल पूछ सकते है। कम्पनी प्रजेन्टेशन देगी, आप सवाल पूछिये ना..।

डॉ. अशोक चौधरी:– मैं सवाल कब पूछूंगा, जब मुझे कुछ जानकारी होगी।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौर:– यह जानकारी भी देंगे।

डॉ. अशोक चौधरी:– अभी जानकारी दोगे अभी सवाल पूछें?

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौर:– यह जानकारी हो तो रही है, आप दो बार कहोगे, तो यह दो बार बतायेंगे, आप तीन बार कहेंगे, आपको तीन बार कहेंगे।

डॉ. अशोक चौधरी:– आप समझे नहीं मेरी बात, एडीएम साहब समझ गये मेरी बात को, कोई भी सुनवाई से पहले दोनों पक्षों को पूरी जानकारी होना चाहिये, ये पूरी दुनिया का साश्वत नियम है, न्याय व्यवस्था का नियम है, हमारे पास जानकारी नही हम सुनवाई में भाग कैसे लेगें, मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूं, आप फिर आना सुनवाई करने के लिए, और घर–घर कागज पहुंचा देना, इसके परिवार के लोग पढ़ लेगें, महिलाऐं पढ़ लेगी, इनके रिश्तेदार पढ़ लेंगे, जिन्होंने अपनी बेटियां यहां पर दे रखी है, वो भी पढ़ लेंगे।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– अशोकजी आप सवाल पूछ रहे है ना मुझे उत्तर देने का कहोगे तब उत्तर दूंगा। आपको जो है सिर्फ उत्तर दे रहा हूं कि सिंपल सी बात है कि यहां पर एक रूल बना हुआ है, एक नियम है, उस नियम के अनुसार वो जो है आप हम सब बंधें हुऐ है, ठीक है ना। नियम है कि इन 15 सरकारी ऑफिसस में आप मेमोरेण्डम दोगे, ठीक है ना। घर–घर पहुंचाने का कोई नियम नहीं था, आपकी यह मांग आई है, इस जनसुनवाई में हम इस मांग को अक्षरक्षः से भेजेंगे।

डॉ. अशोक चौधरी:– फिर कब सुनवाई होगी सर।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– नियम नहीं है ना उसका, हम जो है एक नियम से बंधे है, सरकार की नौकरी करते है, हम किसी प्राइवेट आदमी की नौकरी नहीं करते।

डॉ. अशोक चौधरी:–एडीएम साहब, आप एडीएम के तौर पर बताईये कि मैंने जो बात कही वो उचित है के नहीं,

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– आपकी बात वाजिब है, पर नियम में नहीं है, तो इस नियम है जो नियम में एमेंड करने के लिए मैं लिखुंगा।

डॉ. अशोक चौधरी:– फिर इन किताबों में जो लिखा हुआ है, इसको यह कब पढ़ेगें और कब इसका ये जवाब देंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– देखों एक सिंपल सी बात है, अशोकजी मैं सिंपल सी बात बताउ, सरकारी ऑफिस में रखने का औचित्य क्या है, लोकतंत्र में एक नियम है, कुछ लोग पढ़े लिखें है, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं है, कुछ लोगों को जानकारी है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं हैं, तो ये जो सरकारी ऑफिस में रखने का औचित्य यहीं है कि जो सक्रिय, एक्टिव है, जो पंचायत में आते है, स्कूल में आते है, वो पढ़े देखें, और वो लोगों को बताये और दूसरा जो लोग जो नहीं समझते है, या अपनी बात नहीं रख सकते है, उनको जो है अपनी बात समझाने के लिए यह एक आज आफिसियल पब्लिक हियरिंग है।

डॉ. अशोक चौधरीः– चलो! मैं कह रहा हूं आज इनको समझा दो, फिर सुनवाई करते है, समझने के बाद देखेंगे।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– आप बिल्कुल, मैं तो आपको यह कहा रहा हूं, इस बात को सुन लेते है, आपके प्रश्न और प्रतिप्रश्न जो है, हम लोग कर लेंगे। अगर आपकी मांग यह है कि इसका नेक्स्ट, एक जनसुनवाई ओर रखों तो यह भी बात हम उसमें लिखेंगे।

डॉ. अशोक चौधरीः– वहीं, वहीं लिखो सर आप।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– यह भी बात हम लिखेंगे।

डॉ. अशोक चौधरीः– जनसुनवाई वापस होनी चाहिए, उससे पहले सबको जानकारी दे दी जानी चाहिए।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– हम लोग यह भी लिखेंगे, इसमें।

डॉ. अशोक चौधरीः– अब अगर आप एडमेंट है कि हम तो लोगों को बिना बताऐं सुनवाई करके फॉर्मेल्टी कर लेंगे।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– अशोकजी ये एडामेन्सी नहीं है, ये नियम के अनुसार हे, एडीएम साहब एडामेन्सी नहीं कर रहे है, एडीएम साहब आपको नियम अनुसार कह रहे है, एडीएम साहब नियम के हिसाब से बता रहे है आपको।

डॉ. अशोक चौधरीः– सुनिये, एडीएम साहब जनता की तरफ से बैठे है यहां पर।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– बिल्कुल ठीक बात है।

डॉ. अशोक चौधरीः– आप मानते है ना बात को। कम्पनी अपने स्वार्थ के कारण बैठी है। लेकिन एडीएम साहब जनता का रिप्रेजेंटेटिव कर रहे है यहां पर, हमने इन पर विश्वास किया कि हमारी बात को समझेंगे।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– जैसा आपको एडीएम साहब ने कहा है कि जो सरकारी नियम है वहीं तो आपको बतायें जायेंगे, अब आप कहों इस नियम के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन चाहा है तो उसमें परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते ना, वो सरकार को भेजेंगे ना इस चीज को।

डॉ. अशोक चौधरीः– अधिकारी महोदय, मुझे आपका नाम पता नहीं है, आप भी कम्पनी की तरफ से नहीं है, आप भी हमारी तरफ से है।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– बिल्कुल! बिल्कुल!

डॉ. अशोक चौधरीः– आप हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए यहां बैठे है, कम्पनी की वकालत मत करो अगर मेरी बात सही है, तो वाकिय में जानकारी सबको देनी चाहिए।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– मैंने कम्पनी के विषय में कोई जिक्र ही नहीं किया है, मैंने तो एक शब्द नहीं बोला है। हम तो यह कह रहे है कि जो ये बात कहना चाह रहा है आप बात सुन लिजिए, फिर आपके जवाब दे दिजिए। आपको दुबारा जनसुनवाई करनी है वो हम आपको एज इट एज, आपको पहले भी यह कहां था, सरपंच साहब ने, एक सरपंच साहब थे, और आपका शुभ नाम जो भी है, आपने यही कहा था कि दुबारा

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

जनसुनवाई। हम लिख देंगे, इस चीज को, अभी कोई फैसला थोड़ी हो रहा है, यह जनसुनवाई ही है। इसमें कोई निर्णय नही हो रहा है।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– अशोकजी! सुनो डिसीजन देखो, ना तो आप कर सकते है, ना हम कर सकते हैं ठीक है। इस डेमोक्रेसी में हर की, हर आदमी की अपनी–अपनी पावर है, मेरी पावर यह है कि पब्लिक हियरिंग करानी है, और लोगों की एक–एक बात जो है वो जैसा लोग कहे वो बात सरकार तक पहुंचानी है। तो आप जो हो, आप का और मेरा दोनों की ड्यूटी आज इसको पूरा करने के लिए आश्वस्त होकर...।

डॉ. अशोक चौधरीः– आप शाम तक सुनवाई करो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैनें तो बात। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं 7 दिन पहले आप दोनों को हमने कागज भिजवाये, अगर ये गांव में पेम्पलेट बन्टवा देते तो हम कुछ भी नहीं कहते।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– अशोकजी नियम नहीं है। 15 ऑफिस के अन्दर सूचना देने का था वो दिया।

डॉ. अशोक चौधरीः– जमीन 15 ऑफिस की नहीं जा रही है, जमीन इनकी जा रही है, बच्चे इनके बर्बाद होंगे, उनको क्या मतलब है।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– एक मिनट सुनना, जब चुनाव होते है, ठीक है ना। चुनाव होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया एक दिन घोषणा करता है कि इस–इस दिन चुनाव होगा, बात समझ गये, इलेक्शन घर–घर पर्चा नहीं बंटवाता।

डॉ. अशोक चौधरीः– आपको मालूम होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन आजकल घर–घर जाकर कहता है, आपको वोट देना है, इस बात पर वोट नहीं देना चाहिए, घर–घर जाकर बोलता है, वोट दो।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– मेरी बात सुनो। यह जो है ना मैं चुनाव की घोषणा की बात कर रहा हूं, वोट की बात अलग है। उसके बाद में कौन व्यक्ति पर्चा भरेगा, कब भरेगा, पर्चा वापस कब लेगा, ऑफिस के ऊपर नोटिस लगता है ऑनली।

डॉ. अशोक चौधरीः– आप इसको डाल दो वेबसाइट के ऊपर हिन्दी के अन्दर हम पढ़ लेंगे चलो।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– अरे यार ऑफिस के अन्दर रखा है वो तो पढ़ नहीं पाये आप। आप सुनों वेबसाइट...

डॉ. अशोक चौधरीः– मैं आपको गारण्टी दे रहा हूं पण्डाल में बैठा एक भी आदमी 300 पेज का इंग्लिस में टेक्नीकल वर्डस लिखे हुए है, उनका अनुवाद करके बता दों।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– अशोक जी इसके साथ हिन्दी में भी दे रखा है। हिन्दी के अन्दर भी लिखा हुआ है।

डॉ. अशोक चौधरीः– 8 पेज का है, उसमें कुछ नहीं लिखा।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– अभी तो आप 2 पेज का मांग रहे थे, उसमें तो 8 पेज का लिखा है, उसका जो सार है, वो पूरा का पूरा उसके अन्दर लिखा गया है।

डॉ. अशोक चौधरीः– मैंने पढ़ लिया है, मैंने पूरा रट लिया है उसको, उसमें यहां की कोई बात नहीं लिखी, सब गोलगोल बाते लिखी उसमें।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– अगर आपको कोई डाउट है तो ये यही लोग तो कहना चाह रहे है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

डॉ. अशोक चौधरीः— मेरी बात पूरी हुई, मैं व्यवधान नहीं डालने आया हूं यहां।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः— इस प्रजेन्टशन के अन्दर वो यही तो कहना चाह रहे है।

डॉ. अशोक चौधरीः— मैं बात कहने आया हूं, और डेमोक्रेसिक तरीके से

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :— धन्यवाद आपका। आपकी बात मैंने सुन ली और यह जो अक्षरक्षः आपकी हर बात पहुंचाउंगा मैं।

डॉ. अशोक चौधरीः— और यह सुनवाई अवैध है, इललीगल है, दुनिया के किसी भी मार्क से देख लो, इललीगल और अवैध है, ऐसे कभी सुनवाई होती नहीं है। एक पक्ष अंधेरें में रहे और दूसरा पक्ष अपनी बातें थोपे।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :— एमएलए साहब रिक्वेस्ट है मेरी, आप अपनी बात है जो कहे ताकि मैं जो ये सब लोगों को दिखा लूं, अब आपकी एक—एक बात हम लोग सुनेंगे।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायकः— देखिये अभी अशोक जी ने सारी बाते आप लोगों को बताई, मैं तो इतना ही निवेदन कर रहा हूँ आपसे, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूँ, तस्वीर बदलनी चाहिए। मैंने हमेशा जन सुनवाई देखी, सुनी। अशोक जी भी 1—2 जन सुनवाई में मेरे साथ दिखे मुझे, लेकिन हमारा नैतिक दायित्व है, हम जन—प्रतिनिध है कि आप सब लोगों को सही दिशा के अंदर आगे ले जायें। अभी मुझे पता है आप लोग हल्ला करोगे, चले जाओगे। बैरावास के अंदर में जन सुनवाई हुई, आप वहीं थे, नहीं! नहीं, थे, कचरो जी थे बठे ही हा ना बैरास वाली में काई भट्टीयों बताओं, बींया के बीयां आज थे हाका कर रीया हो पाछा सुनो एक मिनट पहले बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो भाईयों। तुम जिनसे लड़ने आये हो ना, वो तुमसे एक हजार गुणा ज्यादा ताकतवर है। ऐसे जोश में हम इक्ट्ठे हो जाये, 4 नारे लगाये और गाली निकालने से इस समस्या का हल नहीं होगा। आप लोगों को सोचना है, अभी आप मुझे बताओ, चिलम पिवन किता जनप्रतिनिधि सुबह हूं शाम घूमे, अठे आया तो कोनी, कोई है तो कोनी, भताओ मने एक बार, अठे 10 किलोमीटर में किती ग्राम पंचायता है, भाई बठू सरपंच आयोड़ा हाथ उबो करजो, तो फिर आप हल्ला करके और अपने मकसद से भटक रहे हो, इससे मुझे तो नहीं लगता आपका कोई भला होने वाला है। बैरावास की जो जन सुनवाई हुई, उसके अन्दर हो गया ना उनको क्लीन चिट मिल गई, हंसदीप ट्रेडिंग लिमिटेड जो थी। शायद आपको तो पता होगा, भाई के ये जो प्रजन्टेशन दे रहे है, ये सही बात है। अशोक जी ने यह कहा कि घर—घर हमें पन्ना पहुँचाना चाहिए, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कहा कि ''खेती—पापी विनती और मोर लोए खुजाल, जो सुख चाहे जीव को आपों—आप सम्भाल'' अब वो जमानों कोनी की। थाने घर—घर कागज देईने और पछे थे अठे हाको करो। अपने को भी कहीं—न—कहीं जागरूक होने की जरूरत है, उसके लिए भी कहीं—न—कहीं जन सुनवाई हम लोग करें। अभी ये लोग अपना डाटा यहां फिड करेंगे, आप जो पढ़े—लिखे नौजवान, वो अनर्गल या अपन कोई बात करेंगे, तो उससे मुझे नहीं लगता की आपको कोई फायदा होगा। वो फायदा केवल इस पक्ष को ही होना है, आप टू दा पॉइन्ट, क्योंकि जो अधिकारी लोग बैठे है, ये भी कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवश के लोग है। आप लोंगों की बात को सिस्टम तक पहुंचाने के लिए ही यह आये है, और मुझे अच्छी तरह पता है, और अशोक जी को तो पूरा पता होना चाहिए, आप प्रशासनिक सेवाओं में बड़े पदों पर रहे है, के भई यह न तो मुझे लगता कि कोई चीज यह यश करने के, इनको अधिकार, मुझे नहीं लगता। मैंने भी अध्ययन किया है। यह जो...। मैं निवेदन ये कर रहा हूं, मेरी एक बार बात पूरी हो जाये, मैं यह कह रहा हूं, एक—एक, आप ये क्यों सोच रहे हो जल्दी आप आराम से बैठों आप जो युवा साथी खड़े हो, इससे जनसुनवाई नहीं होगी आपकी। आप यह सोचो कि आपको 12 घण्टे तक ये जनसुनवाई करनी है। ये सोच कर यदि आप यहां आवोगे तो कहीं—ना—कहीं आप लोगों की बातें जो है सिस्टम तक पहुंचेगी। एक बार मेरा निवेदन यह रहेगा सब से आप लोग प्रेम से बैठे, अनर्गल कोई नहीं बोले, जिसको ज्ञान है, जिसको इस सिस्टम के बारें में थोड़ा बहुत आईडिया है, आगे में आपको छोटी सी बात बताऊं, यह रामचन्द्र जी रहे, आप लोग माननीय उच्च न्यायालय के अन्दर, दरवाजा आपने खटखटाया, न्यायालय ने क्या लिखा, आपने बताया इनको कि समय पर आपने इसकी पैरवी नहीं की और 25000 रूपये आपको जुर्माना लगाया, क्या मैं गलत कह रहा हूं। तो अभी समय है, अभी कुछ समय है, ये तो एक ब्लॉक की बात है, यहां कितने

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

सारे ब्लॉक आयेंगे आस–पास के गांवों में। आप मुझे बताओं इस समय में कोन व्यक्ति जो है, वो सही दिशा के अन्दर आपको बात बता सकता है। कौन व्यक्ति है, कौनसा उचित मंच है, जिसके ऊपर हम जाके और कहीं–ना–कहीं इसको पूरा व्यवस्थित तरीके से, कानून बनाने वाली संस्थाऐ हो, चाहे हमारी सुनने वाली संस्थाऐं हो, इन तक अपनी बात को कैसे ठोस तरीके से पहुंचा सके, ये मैं निवेदन करूंगा, यूं नहीं कि हंगामा खड़ा कर दें, और यहां से बिखर कर चले जाये, पिछे यह लिख देंगे "जनसुनवाई है जो सफल हो गई।"

तो हमें इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है, हमारे शायद पॉल्यूशन बोर्ड से आप आये है और तहसीलदार जी यहां इनका सबसे बड़ा मुदृदा जो है, ग्रामीण जनों का एक तो जो गौचर भूमि का है, मामला है, इन्होंनें जो..., या पहले आप प्रजन्टेशन देंगे उसके बाद बताये, बताओं आप। अशोकजी, एक बार ये पहले प्रजन्टेशन अपना दे दे। उसके बाद जिस बिन्दु पर हमें आपति होगी, आपने अध्ययन किया या नहीं किया, मैंने ईमानदारी से उन 300 पेज पूरे अध्ययन किये है, मैं आपको बता देता हूं, सुनो मेरी बात, अशोकजी...। वो तो सारी बात मैं तो समझ रहा हूं ना, आप मुझे और 300 पेज मैंने ईमानदारी से पढ़े है। मैंने 2–3 रात काली करके भी एक–एक शब्द पढ़ने का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। मैं न इनकी तरफ से हूं, मैं तो आपकी तरफ से हूं, लेकिन मेरा ये भी दायित्व है कि मैं आपको अंधेरें के अंदर नहीं धकेलू, झूठी हां–हां करके, ताली बजाने से कुछ हासिल नहीं होना है आप लोगों को, ताली तो बजा ली ना 75 वर्ष, क्या हो गया, बताओं आप मुझें। हमें ईमानदारी से जो सही दिशा के अन्दर और, आप लोग देखों जिनको इसके बारें में ज्ञान हो, और सही बात जो हो वो बात अपन एक–एक व्यक्ति बड़े तरीके से अपन पहुंचायें, आज देखों यहां, लाईम मैन्यूफेक्चर एसोशियशन भी बनी हुई है, आज कोई दिखे आपको जनप्रतिनिधि, उसके प्रतिनिधि कहां है भाई, आप बताओ, अध्यक्ष भी होगें उसके, लेकिन क्या होता है के वो अपने, उनका जो पावर होता है, उसका उपयोग कर लेता है, हमें पता ही नहीं लगता, आज आप देखों माईनिंग ऑफिसर भी आयें होंग, माईनिंग से..।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– नहीं सर माईनिंग से नहीं है।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायकः– माईनिंग के जब ब्लॉक बने तब जो लाइन मैन्यूफैक्चर एसोसियशन जो आपके अध्यक्ष है, समिति का नाम तो मुझे पता नहीं, उनकी भी 150 बीघा जमीन थी यहां बैरावास में, मुझे अच्छी तरह पता है लेकिन वो ब्लॉक से बाहर हो गई, क्यों हो गई बाहर? क्योंकि आप लोग समझदार नहीं हो, उन्होंने अपनी 150 बीघा जमीन को रिजर्व से बाहर करा लिया और मजे ले रहे आदमी, आज यहां है कि नहीं है, बताओं आप। लेकिन हम लोग हल्ला करके यहां से चले जायेंगे और आप भी कह रहे है, यदि यहां से हम हल्ला करके जायेंगे तो हम अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की बात नहीं सोच रहे है। हमें ये बात है कि हमें सरकार तक सारी सही बात पहुंचाये कि क्या इसके अन्दर कमी है, इसके अंदर क्या और बहतर हो सकता है, जिससे हमारा जीवन स्तर सुधरें, आज आप देखों, ये लग रही है ना, अंबुजा के लिए हमने संघर्ष बहुत किया और अब तो अंबुजा के अन्दर अशोकजी यह हालात है, मैंने खजवाना का मामला था, क्लिंकर जो है, खुला ट्रेन के अन्दर भरते थे वो, और उससे उतना क्लिंकर और रेत उढ़ता था कि आस–पास के सारे लोगों का जीवन दुर्भर हो गया। उन लोगों ने मुझे बुलाया, मैं भी गया हूं, मैं पूरा फुड टेस्ट किया, लेकिन बड़ी ही मुझे पीड़ा की बात है, क वहां कोई जनप्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। वो ट्रेन खाली गई, आपको ध्यान हो तो अखबारों के अन्दर भी आया था। 70 लाख रूपये का बहुत बड़ा फाईन जो है वो अम्बुजा सीमेंट पर लगा, ये बात सही है आप लोगों को प्रोजेस्ट करना है, हम तो भाषण देकर चलें जायेंगे लेकिन अपको सोचना ईमानदारी से कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल कैसें हो, उद्योग भी सरकार लगायेगी, सरकार तो कहती है, मोदीजी 'मन की बात' में कहते है, आप लोग विरोध करते तो नहीं, वो कह रहे इण्डट्री लगा के और मैं देश को आगे ले आऊंगा, उस टाइम तो हम नहीं कहते, इण्डट्री भी लगेगी, लेकिन यह है कि हमें हमारे हित क्या है, हमें क्या समय पर मिले, क्या हमारे बच्चों का भविष्य कैसें उज्ज्वल हो, कैसे हम ये सारें जो सोर्स ऑफ इकोनॉमिक और पर्यावरण से संबंधित जो भी बातें है, क्या–क्या बातें हमारे फायदें की है, क्या–क्या बातें हमें नुकसान की है। पूरी चर्चा करके, हम ऐसा नहीं कि दस मिनट के अंदर हल्ला किया और हम यहां से चल दिये, हम तो कह रहे कि रात को 12 बजे तक जनसुनवाई करो। एडीएम साहब बैठे आज का जो दिन है, वो पूरा इसके निमत

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

ये लोग आए हुए हैं, तो आप ईमानदारी से एक–एक बात को, लेकिन मुझे जो जहां तक लग रहा है, एक बार यदि यह अपना प्रेजेंटेशन दे तो कम से कम कोई चीज हमें भी समझ आए और नहीं आए तो हो सकता है उन 300 पेज में कोई चीज समझ नहीं आई और इस बोर्ड पर आ जाए तो उसकी भी हम कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं, हम ईमानदारी से भगवान को ऊपर रखके आज यह संकल्प लेकर आए हैं कि हम आपके हितों में कभी कुठाराघात नहीं होने देंगे, इतना आप लोग हम पर भरोसा रखें, धन्यवाद!

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– नमस्कार! यह जनसुनवाई मैसर्स जेके. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, प्रस्तावित चूना पत्थर ब्लॉक–4जी–एक–ए (नीलामी ब्लॉक) (क्षेत्रफल– 610.863574 हेक्टेयर) चूना पत्थर उत्पादन क्षमता– 5.0 मिलियन टन प्रति वर्ष, के साथ 1000 टन प्रति घण्टा के क्रैशर की स्थापना हेतु ग्राम– ताड़ावास, बैरावास और खींवसर, तहसीलः– खींवसर, जिलाः– नागौर के संबंध में की जा रही है। इसके संबंध में कंपनी की तरफ से उनके पर्यावरण सलाहकार आपको प्रेजेंटेशन देंगे, प्रोजेक्ट की पूरी की पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे, आपको उस प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद, कोई आपत्ति, कोई भी आक्षेप, कोई भी आरोप, प्रत्यारोप, प्रश्न, जो भी हो, आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके साथ ही आपको ज्ञापन देना है, कोई शिकायत दर्ज करानी है, तो शिकायत आप इस मंच को दे सकते हैं। कंपनी की तरफ से आप स्टार्ट कीजिए।

श्री आर. आर. गुप्ताः– मैं आर. आर. गुप्ता मैसर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड की और से यहां उपस्थित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय, क्षेत्रिय अधिकारी महोदय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर एवं सभी जनप्रतिनिधियों एवं सभी उपस्थित सज्जनों का पर्यावरण लोक सुनवाई में तहदिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। परियोजना की विस्तृत जानकारी हमारे पर्यावरण के सलाहकार हैं उनके द्वारा दी जाएगी आपसे निवेदन है कि आप उसे ध्यान से पूर्वक सुन देखें और आपको जो भी सुझाव होंगे वह यहां नोट किए जाएंगे और हम उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं कि वह नियम कानून के तहत उनके पालन की जाएगी। धन्यवाद!

श्री रमेश कुमार नेहराः– मैं रमेश कुमार नेहरा मैसेज जे.के. लक्ष्मी लिमिटेड की ओर से पर्यावरण सलाहकार। यहां उपस्थित सभी जनप्रतिभागी, जनता एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय, क्षेत्रीय कार्यालय से उपस्थित आरओ महोदय का इस जनसुनवाई में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि यह जो जनसुनवाई, यह जो लोकसुनवाई की जा रही है, यह प्रस्तावित चूनापत्थर ब्लॉक–4G-I-A (ऑक्शन ब्लॉक), क्षेत्रफल जिसका है 610.863574 हैक्टेयर, चूनापत्थर उत्पादन क्षमता जिसकी 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष होगी, और 1000 टन प्रतिघंटा के क्रैशर की स्थापना की जायेगी, जो कि गाँव–ताडावास, बैरावास, खींवसर, तहसील – खींवसर, जिला –नागौर, राज्य–राजस्थान में है। यह जो है, पर्यावरण प्रभाव आकलन सूचना 2006 और अब तक के संशोधनों के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई है। मैसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड है, जे.के. समूह की एक प्रमुख कंपनी है, मैसर्स जो है, जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, भारत में जो है सीमेंट उद्योग में एक मानक स्थापित किए गए हैं, जे.के. ग्रुप के प्रोडक्ट क्षेत्र लाभ कमाने एवं लाभार्थ देने वाली एक्सेस कंपनी है। राजस्थान जो है, सरकार के द्वारा आयोजित ई–नीलामी प्रक्रिया, जो ऑक्शन प्रक्रिया होती है, जिसके तहत मैसेर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड को परफेक्ट बिडेड, पसंदीदा बोलीदाता घोषित किया गया है। जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड के जो है, जो इस खदान से चूना पत्थर उत्पादित होगा, उसको आसपास की जो है चूना पत्थर की जो भट्टियां है या एफएमसीजी इंडस्ट्रीज है, रासायनिक उद्योग है इत्यादि के अंदर दिया जाएगा। यह जो परियोजना है, जो श्रेणी 'ए' के अंतर्गत आती है, तथा इसके अंदर जो है 610.863574 हेक्टर भूमि में से 105.149 हेक्टेयर जो भूमि है, वन भूमि है, जिसके लिए वन–विभाग के अंतर्गत अप्लीकेशन जमा कर दी गई है, जिसकी अप्रूवल प्रक्रियाधीन है और इसके अंदर जो अंगौर भूमि है, नाड़ी, तालाबों में, उसमें किसी तरह का खनन प्रस्तावित नहीं है, यह क्लियर कर देते हैं आपको। और जो चारागाह भूमि है 123.03305 हेक्टर भूमि है, उसके अगेंस्ट 124 हेक्टेयर भूमि जो है, अगेंस्ट कंपलसरी मैन इसी तहसील के एरिया में दी जाएगी जिसको ग्रासलैड़ के रूप में डेवलप किया जाएगा वह भी सर आपको पूरा बता दिया जाएगा एक बार आप सुन लीजिए कहां–कहां है कितनी भूमि है वह पूरी बात पूरी बता दी जाएगी आपको ऐसा नहीं है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

इस परियोजना के लिए जो है टर्म्स आफ रेफरेंस आवेदन पत्र जो है जो परिवेश पोर्टल है पर्यावरण मंत्रालय का उसके ऊपर है। 15.11.2023 को जमा किया गया था जिसके तहत जो है टर्म्स आफ रेफरेंस पत्र जो है 19 फरवरी 2024 को जारी किया गया है, जिसके लिए है, बेसलाइन पश्च मानसून ऋतु अक्टूबर से दिसंबर 2022 के मध्य किया गया था, जिसके लोकसुनवाई की विज्ञापन जो है टाइम्स आफ इंडिया के अंतर्गत 19.07.2024 को विज्ञप्ति दी गई थी, दैनिक भास्कर के अंतर्गत की बात करू तो 20.07.2024 को दी गई थी इसकी विज्ञप्ति। यह जो लोकसुनवाई के विज्ञापन की प्रति है, मैं आपके सामने..। प्रस्तावित जो खदान स्थित है उसकी तस्वीर आपके सामने दिखाते हैं। यह जो अध्ययन क्षेत्र है जो 10 किलोमीटर होता है, वो इसी परियोजना से, इसके अंदर जो है एक गांव आता है ब्लॉक के अंदर ताड़ावास आता है, इसका जो निकटतम रेलवे स्टेशन है मैं बात करूं तो मुंडवा रेलवे स्टेशन और नागौर रेलवे स्टेशन जो दोनों ही 38 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आते हैं। सर बिल्कुल है, हम मना नहीं कर..., हमारी रिपोर्ट में खेजड़ी, जितने भी वृक्ष है नोट ऑनली,। सर ये तस्वीरें एक स्लाइड के अंदर आपको दिख रहे हैं, जो यह वन, इसके अंतर्गत जो अध्ययन क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरा है, उसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, बायोस्फियर रिजर्व और वन्यजीव कॉरिडोर, बाघ आदि जो है, आरक्षित वन, संरक्षित वन, किसी प्रकार का नहीं है। तथा यह जो परियोजना है वह भूकंपीय जॉन क्षेत्र जॉन 2 में आती है। अध्ययन क्षेत्र के पर्यावरण स्थिति को दर्शाता मानचित्र आपके सामने है। परियोजना की जैसे आधारभूत आवश्यकताऐं होती है किसी भी परियोजना की कोई, उनकी अगर में बात करूं तो पानी की जो इस परियोजना की के अंदर 335 किलोलीटर प्रतिदिन आवश्यकता होगी, जिसकी जो है पूर्ति जो भूजल व खदान सम्प में एकत्रित रेनवॉटर, वर्षा जल संग्रहण है, उससे की जाएगी और जो भूजल है, उसकी निकासी की एनओसी ले ली गई है संबंधित जो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण जो समिति है उससे। बिजली जो है 5 मेगावाट ली जाएगी जो स्टेट पावर ग्रिड से ली जाएगी। जो रोजगार की मैं बात करूं तो स्थानीय लोगों को योग्यता उनकी और कंपनी की आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी तथा इससे अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार सृजित होंगे इस एरिया के अंतर्गत आपके। तथा इस परियोजना की जो लागत है 300 करोड रुपए हैं, जिसमें से 8.18 करोड रुपए जो है, आपकी पर्यावरण प्रबंधन परियोजना के तहत पूंजीगत लागत रहेगी। आवर्ती जो लागत रहेगी 40.5 लाख रुपए रहेगी। सर रोजगार की हम बात कर रहे हैं, स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार, कंपनी की आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी यह हम क्लियर कह रहे हैं आपको...।

खनन विमंद की में बात करूं तो खनन किया जाएगा, यंत्रीकरण ओपनकास्ट विधि किया जाएगा, जो खदान है अभी तक जितना एक्सप्लोरेशन हुआ है बेस्ड़ ऑन प्रेजेंट एंड एक्सप्लोजन, जिसकी आयु 15 साल है, फर्दर एक्सप्लोरेशन के बयां पर यह बढ़ सकती है। कार्य दिवस की अगर मैं बात करूं तो 300 दिन जो है साल में काम किया जाएगा दो शिफ्टों के अन्तर्गत। स्थानीय मौसम की अगर मैं बात करूं तो यहां जो यह है औसत वर्षा जल है वो पिछले 10 वर्षों का मैं औसत बात करूं 497.35 मिलीलीटर है, जो इसके अंदर पाया गया है। जो इस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया गया है वायु, ध्वनि, भूजल, सतही जल, मृदा के जो नमूने हैं उनका आपके सामने दर्शाता हुआ मानचित्र है। जो व्यापक वायु गुणवत्ता, ध्वनि के साथ जल की जो सैंपलिंग ली गई है, मृदा की जो सेंपलिंग की गई है उसके जो नमूने एकत्रित किए गए हैं उनके सभी पैरामीटर्स जो है, एम.ए.क्यू.एस. जो सीपीसीबी की द्वारा निर्धारित मानक है, उनकी जो निर्धारित लिमिट्स है उनके भीतर पाए गए हैं, जो आपके सामने हैं। देखिए सबको पता है व्यापक मीईनिंग होगी तो उससे जो हम प्रबंधन क्या करेंगे, हवा के लिए, जो है धूल को हवा में फैलने से रोकने के लिए जो है ड्रिल मशीन जो हम यूज लेंगे, उसको वेट ड्रिल मशीन लेंगे, उसके साथ में जो धूल संग्रहण प्रणाली होती है, वह हम लगाएंगे। जो ब्लास्टिंग की जाएगी 100 प्रतिशत, जो की जाएगी नोडल शॉप ट्यूब तथा विस्फोटक के साथ की जाएगी। भारी अर्थ मूविंग मशीनरीज जो रहेगी, परिवहन वाहन रहेंगे, उनका उचित रखरखाव किया जाएगा। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरितपट्टी का विकास किया जाएगा, ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट, वृक्षारोपण किया जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के दिशा निर्देशों के अनुसार नियमित वायु गुणवत्ता की जांच की जाएगी। ध्वनि प्रदूषण के लिए मैं बात करूं तो शार्प ड्रिल बिट्स की मदद से जो है यह करने का प्रस्ताव है, जो ध्वनि को कम करने में मदद करता है। जो यह किया जाएगा एमएमआर एक्ट 1961 के निर्दिष्ट दिशा निर्देशों के अनुसार, ब्लास्टिंग सख्ती से की जाएगी। डीजीएमएस के दिशा निर्देशों के अनुसार ब्लास्टिंग कार्य केवल दिन के समय किया जाएगा। खनन जो

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

गतिविधि है वह अन्य क्षेत्रों के आसपास हरितपट्टीका, वृक्षारोपण का विकास किया जाएगा, ध्वनिक कंपन की रोज जांच की जाएगी, निगरानी की जाएगी। जल प्रबंधन की अगर मैं बात करूं तो कार्यशाला से उत्पन्न जल होगा 18 किलोलीटर प्रतिदिन जो होगा जनहित होगा। जिसका हम वापस रिट्रीट करके वापस उपयोग करेंगे, डस्ट सप्रेशन के लिए। कार्यालय से जो जल उत्पन्न होगा, उसको निपटान सेफ्टीक टैंक के माध्यम से सेफ्टीक पिट में किया जाएगा और मुख्य जो होम्स रोड होगी, उनके ऊपर निरन्तर पानी का छिड़काव किया जाएगा। जिससे की धूल नहीं उड़ेगी और खनन के जो पिट का वर्षा जल संग्रहित होता उसका उपयोग जो है वृक्षारोपण और डस्ट सप्रेशन में किया जाएगा तथा जल गुणवत्ता की नियमित रूप से जांच की जाएगी। हरितपट्टीका, और वृक्षारोपण की में बात करूं तो जो खदान सीमा रहेगी, उसकी जो लीज बाउंड्री, जो बड़ी–बड़ी होती है चारों ओर, उसका जो 5–7 मीटर का जो है, जिसके अंतर्गत 10.20 हेक्टर के अंदर पौधारोपण किया जाएगा, जो वर्जित भूमि होगी उसके तहत 32.633 हेक्टर पर पौधारोपण किया जाएगा, 58.91 हेक्टर भूमि जो की खदान के पश्चात बैकफील्ड कर दी जाएगी, उसके ऊपर पौधारोपण किया जाएगा। इसमें जो पौधे लगाए जाएंगे लगभग 1,72,800 पेड़ लगाए जाएंगे। अगर ऊपरी मर्दा और अपशिष्ट उत्पादन और प्रबंधन की मैं बात करूं तो योजना अवधि के दौरान जो रहेगा 0.057 मिलियन टन ऊपरी मृदा उत्पन्न होगी जिसका उपयोग हरितपट्टिका में किया जाएगा। कांसेप्चुअल स्तर के दौरान 3.44 मिलियन टन मृदा उत्पन्न होगी, जिसकी पुनरावृत्ति क्षेत्र रहेगा फैलाकर प्लांटेशन किया जाएगा। योजना अवधि के दौरान 0.357 मिलियन टन ओवर वेस्ट जनरेट होगा, जिसका उपयोग सड़क बनाने, रैम्प बनाने, समतलीकरण कर जो बैकफील्ड माईन आउट एरिया है, उसको फील्ड करने में किया जाएगा। कांसेप्चुअल स्तर पर 45.94 मिलियन टन अपशिष्ट उत्पन्न होगा, जिसको बैकफील्ड में यूज लिया जाएगा, यह जो कांसेप्चुअल स्तर पर जो योजना है यह परियोजना उसकी स्थिति को दिखाता है चित्र में है। खनन परियोजना के पश्चात जो कोर क्षेत्र रहेगा, उसका जो उपयोग इस तरीके से रहेगा, जो टोटल है 610.86 हेक्टेयर में से 115.20 हेक्टेयर वृक्षारोपण भूमि रहेगी।

श्री ओमप्रकाश ताड़ाः– हैल्लो! कंपनी वालों से निवेदन है, तुम्हारा मुद्दा पुरा...। आप लॉलीपॉप दे रहे हो, हमने सुन लिया है, पहले हमारी आपत्तियां दर्ज करो। यह सब झूठ मत बोलो, झूठ का पुलिंदा है, आप तो कंपनी ला रहे हो, वोट लेने वाले भी झूठ बोलते हैं। आपको क्या मतलब है, 2 मिनट का बोला था, 40 मिनट हो गए हैं। हमारी बात तो सुन नहीं रहा। पहले तो सुनो...। पहले मेरी बात सुनो। हंसदीप कंपनी का पॉल्यूशन मिल गया क्या? यह बताओ हमें। आप लोगों को आंखें बांध के झूठ है, पहले यह बताओ, हंसदीप कंपनी का, बैरावास में हुआ था, हमने वहां प्रदर्शन किया था, खिलाफत की गई थी, सब चीजें लिखकर दी, उसका क्या हुआ? ये हमें बताओ। उसका पहले बताओ, बैरावास में जो आई थी उसका बताओ हमें क्या किया आपने? एडीएम साहब आपने बोला था 3 मिनट दे दो, हमने 30 मिनट दे दिए। ये बोल लिये, हंसदीप कंपनी को दिया, कि नहीं दिया? हमारी मीटिंग हो गई थी। हमारी मीटिंग हो गई थी, वहां दिया के नहीं दिया? यह टाइम्स आफ इंडिया में दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? राजस्थान पत्रिका छपता है, दैनिक भास्कर छपता है...।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– सुनो, दैनिक भास्कर में भी है। दैनिक भास्कर में भी है।

श्री ओमप्रकाश ताड़ाः– कब दिया सर। अपने आप देते हैं, एक पन्ना छपाते हैं....

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– अरे वह तो सिर्फ सूचना देते हैं कि इस दिन जनसुनवाई होगी उसमें सिर्फ प्रोग्राम होता है...

श्री ओमप्रकाश ताड़ाः– उसको पॉल्यूशन दी कि नहीं दी, हंसदीप को.....

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– हंसदीप का अभी पेंडिंग है, अभी तक हंसदीप का पता नहीं किसी को....

श्री ओमप्रकाश ताड़ाः–यह खुद बोल रहे हैं हंसदीप को दे दी...

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– कौन? किसने कहा? कब कहां?

श्री ओमप्रकाश ताड़ाः– अभी बोला...

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– अरे यह तो हंसदीप कह रहे हैं तो यह तो जे.कें का आदमी है...

श्री ओमप्रकाश ताड़ाः– जे.के. का है, पर बोल रहा है हंसदीप को दे दी...

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :–यहां हंसदीप का कोई आदमी ही नहीं है...

श्री ओमप्रकाश ताड़ाः– यह हंसदीप है क्या है? दो भाई है, एक बड़ा चोर है, एक छोटा चोर है, यह बोल रहे हैं एक ही है। यह एक सांप के दो पिल्ले हैं, हंसदीप और एक ही है जे.के.। जे.के. लक्ष्मी और हंसदीप एक ही है...।

श्री रेवंत राम डांगा :– एडीएम साहब ने कांई निवेदन, निवेदन है अठा की जनता है, किसान, आप सब संगठन हो। मूंडवा में सीमेंट फैक्ट्री लागी, 10 साल तक संघर्ष करियो, 15 साल तक संघर्ष कियो। केसमेंट एरिया, अंगौर की जमीं, और बिने नक्शा बणा, सीमेंट में ले ली। विरोध करता गिया, कुछ लोग मजबूत हा, कुछ जमीन छुटी, और प्लांट लाग गो। अब सारी बातां मनें केदे झूठी, केसमेंट एरियो, अंगौर, पाईथाण उसको सम्मिलित करके और कांग्रेस सरकार ने गलत तरीके से जो ये ब्लॉक आवंटन किया है, यह रद्द होना चाहिए। हम सीएम साहब से मिलेंगे और इन, जो भी है इनको रद्द करवाएंगे, यहां के किसान संतुष्ट होगा, तभी आगे होगा, कोई इंडस्ट्री नहीं है। अगली बार कई लोग हैं कह सके, चिलमा पियां, अरे भई! चिलमा पियां मिनका ने टाइम दी, मिनका भिचें गिया, जना ही तो था अठे पुगिया हो, चिलम्मा भी पीनी पड़े, चिलमा की जगा, चिलमा में भी जाणों पड़ो और मिनका में भी जाणों पड़े, ठीक है। थाणा जिव दौहरी राजनीति मां कोनी करी। अबे कंपनी, एडीएम साहब, एसडीएम साहब सब कान खोल सुन लो, अठे पोपा बाई को राज कोनी चले। अबें थांकि मन गड़त कहाणी, समझौ थे, जमीन ली जमीन अठा की अंगौर, अठा रा पशु, और बठै भोजास चरणजी बताओ, तांतवास भोजासचरणजी, अठा रा पशु और तांतवास। कुछ नहीं, जो भी है डाटा पूरा बताओ, आज जनमानस है ना, कोई एनओसी नहीं है, कोई तरीके की एनओसी नहीं है। राम पुगेलो, कोई इस फैक्ट्री की दलाली करी तो, राम पुगेलो, कमिणाई करी तो राम पुगेलो, आगे कुत्ता पणों करलियों, अबे कुत्ता पणो कोई मत करेजो, राम पुगेलो थाने। मा तो सीधा आदमी हां ठीक है ना। मा तो सीधा आदमी हां मा तो किसाना रे हाते हां और किसाना रे हातें ही रेवां, बेईमाणी करनी, केवे की, काम करावे कीं, बैने भगवान पूगी। जनता बगसे कोनी।

श्री ओमप्रकाश ताड़ाः– सर पहले सुनो। यह बोल रहे है, वन–विभाग ले रहे भोजास 40 किलोमीटर बसे लगाये क्या?

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– हन्सदीप को नहीं मिली है।

श्री ओमप्रकाश ताड़ाः– किसने कहा? सर लिख कर दो। इनको कहो लिख कर दो, जे.के. लक्ष्मी...

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– आरओ, क्षेत्रीय प्रबन्धक, अभी क्षेत्रीय प्रबंधक अपने जो है रिको वाले, पॉल्यूशन कन्ट्रोल वाले इनकी बात सुन लो।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– हन्सदीप को नहीं मिली है, वो विचाराधीन है, वो नहीं मिली है...।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायकः–एडीएम सर। एडीएम साहब 1 मिनट, ऐसा दिशा निर्देश आप जारी करें, यहां अनर्गल बात की है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सभी को, समझ रहे हो ना। अभी कोई अनर्गल बात यदि करेगा ना, तो इलाज कर देंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। कोई तरह की अनर्गल बात नहीं होगी यहां। यहां सिर्फ हमारी बात, जेके लक्ष्मी सीमेंट और काश्तकार के बीच जो चल रहा है, उसी को लेके। और कोई दूजी आंट हेवे, तो बारे काढ लिजो, मा तो तैयार हां, आंट काड़नें, आंट काड़नें तैयार हां और ऐ जका जोर ऊं भाषण देवे ना..।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

आप सुनो मेरी बात एडीएम साहब, मैं कह रहा हूं, के जांच कराईलो अंबुजा में डंपर, सीमेंट की एजेंसियां ने बठे कुणा के लियोड़ी, जांच कराईलो, जको ठा पड़ जी। पोलोग्राफी जांच करावा अबार, लाईव डिटेक्टर हूं। किती–किती जेसीबीयां लगाईयोड़ी है प्रधान जी की, अठे लोगा ने गेला भनाओ थे, पागल भनाओं। अठे अंबुजा रे मईने कुण–कुण लोग गड़बड़ करी है, भगवान पूगी बैणें, धीरे–धीरे, पूग गो नी बैणें, और भले पूग जाई बैणे। माने भगवान माथे भरोसो हैं। अठे वा ही बात करो, जकी लक्ष्मी सीमेंट और कारतकारां री बात है। बीती री बात रेवे तो बढ़िया रेई।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– आप लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना लगाये, जो भी बात करनी है, हम प्रशासन से कहें। जो भी बात करनी है कंपनी से बात कहें, जो भी बात करनी है। तो बैठिये आराम से, शांति बनाए रखें, एक बार बैठे। एक बार मंच की तरफ देखें, एक बार मंच के सामने देख सभी। आप लोग कुर्सी पर बैठे तो मैं बात चालू करूं मैं।

सभी लोग मंच की तरफ देखें। आप लोग बैठेंगे, तो बात चालू करेंगे, सब लोग बैठेंगे तो बात चालू करेंगे। सभी से अनुरोध है कि बैठे एक बार।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– आप बैठे, शांति बनाये, आपकी सबकी बात सुनेंगे, लेकिन शांति होगी, तभी सुनेंगे, शोर शराबे में तो कोई बात सुन नहीं पाएंगे, ना आप कह पाएंगे अपनी बात।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :– माईक आपके कुर्सी तक भेजुंगा।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– अपनी–अपनी जगह पर बैठेंगे तो बात सुन पायेंगे आपकी।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :–एक बार आपके बीच में वापस माईक दे रहा हूं, आप बैठोंगे तो बात आपकी सुनुंगा।

श्री भागीरथ डूडीः– सभी भाई बंधुओ से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम शांति बना कर रखें और इस तरीके से यदि हम लोग एक–दूसरे पर छिंटाकासी करें, तो अपने को कोई न्याय मिलने वाला नहीं है। और आज जो अपने सामने अधिकारी लोग जो बैठे हैं, इन्हें सरकार ने अपने पास में भेजा है, क्यों भेजा है, क्योंकि जनता की आम बात सुने, उसके बाद में आगे कोई निर्णय होगा यदि हमारे हित की बात नहीं होगी, तो कोई भी बात आगे नहीं जाएगी। सबसे पहले हमारे जनता की बात सुनी जाएगी, उसके बाद में होगा। क्योंकि अब जो है गुमराह करने वाला टाइम गया और यदि हम लोग यहां पर कोई एक पार्टी का मंच नहीं है आज, कोई भी पार्टी की बात, कोई नेतागिरी की बात मत कीजिए, कोई भी हीरा बनने की कोशिश मत कीजिए और अब हमारा एक ही फर्ज है कि जनता और किसानों के लिए हमें लड़ना है, उनके लिए हम 36 कोम के लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े रहेंगे, किसान के साथ अन्याय होगा, मजदूर के साथ अन्याय होगा, वो हमें कभी भी मंजूर नहीं है। हमें सबसे पहले यहां पर एक ही कसम खानी है, हमें यहां पार्टी का काम, बातें नहीं करनी है। और जो भी, जो भी अपने वार्ड में अपने को जितना नॉलेज है, वह अपनी शांति से बात रखिएं यदि हम लोग इस तरीके से आपस में खिंचातान में रह गए तो अपने को न्याय नहीं मिलेगा। कभी भी नहीं मिलेगा। ''फूट डालो राज करो'' ये जो है राजनैतिक अपने अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की भावना होती है, हमें एक साथ रहना है, वो भी इस तरीके से रहना है, एक आदमी जायज बात करें उसके पीछे हजारों की तादाद में खड़े हो जाओ। अपने जो प्रदूषण, हमें सबसे ज्यादा जो बात करनी है प्रदूषण पर करनी है, किस के हक की बात करनी है, और जो अपने यहां पे जो जमीनें दे रहे हैं, भोजासर कहां दे रहे हैं? वो वहां पर, देखो सरकार ऐसा कोई काम नहीं करें। सरकार कोई ऐसा काम नहीं करवाये, फैक्ट्री वालों से कि हम आपस में लड़ जाये, आप लोगों के साथ में कोई अन्याय की बात हो, ऐसी बात हम नहीं चाहते, जायज बात होनी चाहिए और जायज बात करने में हमें कहां तकलीफ है, इसलिए हमें एक तो सबसे पहले शांति यह बना कर रखना कोई भी आदमी मंच पर राजनीति की बात बिल्कुल नहीं करें। क्योंकि राजनीति अलग–अलग होती है, फिर हम आपस में लड़ मरंगे, यह काम नहीं करना हैं, अपने को शांति से बात बना कर रखती है और प्रदूषण के लिए अपने को जो....।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

श्री जयपाल, ताडावासः– श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदुषण नियन्त्रण मण्डल,

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः– आपका नाम बता दो, ताकि आपके नाम से आपति दर्ज करवा दूं।

श्री जयपाल, ताडावासः– जयपाल नाम है, ताड़ावास...

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौर :–जयपाल जी, गांव ताड़ावास की आपति सुनिये, उनको पढ़ने दो, प्लीज...

श्री जयपाल, ताडावासः– विषय– 27 अगस्त को ताडावास गांव में सीमेंट कम्पनी जेके लक्ष्मी, ये सीमेन्ट को चुना पत्थर के लिए ब्लॉक फॉर जी ए वन से खनन के लिए पर्यावरण परमिशन देने के लिए बाबत, लोक सुनाई ए वन, मैं जयपाल निवासी ताडावास, मेरे पास भेड़, बकरी, गाय, जिससे मे मेरे परिवार की आय के यह मुख्य स्त्रोत है। जिससे मेरे और मेरे परिवार का जीवन यापन होता है, हम यह गांव ताडावास की अंगोर, गोचर मे चारा चरा कर अपना जीवन यापन करते है, यह सुबह ले जाते है, ये शाम को वापस आते है। दो दिन या, नहीं दो नाडी, यह दिन मे दो बार पानी पिला कर, भेड़, बकरी और यह गांव वाले हम पीते है साथ में। यह खेजड़ी, यह तुलछी का हरा पोधा खीलाते है, जिसका खाद होता है और यह जमीन उपजाऊ बनाते है और खेती करते है। 2. हमने सुना है कि यह कम्पनी हमारे गोचर को 41 किलोमीटर दूर आवंटन करने के लिए बोल रही है, भेड़, बकरी, गाय को चराने के लिए हम यह केसे जायेगे उधर। ये भारत में संविधान के अनुछेद 21 के तहत सम्मान जनक जीवन जीने का और अपने परिवार को पालने के लिए अति जिवीका का मूल अधिकार है। अगर यह जमीन यह कम्पनी वाले ले लेगे, तो हम कहां जायेगे और यह पर्यावरण, ये प्रदुषण, ये नाडी, तालाब, यह खतम हो जायेगें। जमीन बंजर हो जायेगी, यह हमारे पास जीवन यापन मुश्किल है, हां...।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः– इनका जो ज्ञापन है, वो एक बार दे दिजिए, इनके कागज ले लो एक बार।

श्री जयपाल, ताडावासः– हैलो सर, हैलो, हैलो सर हमारे गांव में यह भेड़, बकरी पांच हजार के लगभग, पांच हजार के लगभग है भेड़, बकरी।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः–एक बार कागज जमा करवा दों।

श्री राजेन्द्र जांगीड़ः– सर नमस्कार! एसडीएम साहब में विरोध दर्ज कराने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय....

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः– हेंगाऊ पेला तो आपरो नाम, आपरे गांव रो नाम, पछे आपरी बात कहो, नाम और गांव के नाम के साथ आपकी आपत्ति लिखी।

श्री राजेन्द्र जांगीड़ः– साहब नाम राजेन्द्र जांगीड़ है, प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, गांव ताडावास....,

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः– निवेदन है कि अपन लोग, जिस जो पार्टी से है, अपने को वो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मंच जो है, पब्लिक के और डिपार्टमेंट के बीच में है। मेरा अनुरोध है, आप माने तो अच्छी बात है, गांव का नाम और अपना नाम।

श्री राजेन्द्र जांगीड़ः– सर! सबसे पहले यह जो चुना ब्लॉक को जिस कैटेगरी के अन्दर लेकर के सीमेन्ट कम्पनी को दिया गया है, वो एक सरासर यह सबसे बड़ी भुल है, और सोची समझी राजनिति थी, यह केमीकल ग्रेड का एशिया महादीप का सबसे बड़ा लाइम स्टोन को, यदि सीमेन्ट ग्रेड के अन्दर देकर करके, यदि सीमेन्ट बनायेगें, तो इस भारत के अन्दर जो लाइम स्टोन से चलने वाली इंन्ड्रस्टीज है, जो भी रिफायनरी है, जो कल–कारखाने चलते है, वो केसे चलेगे? हमारी छोटी–छोटी इकाइयां जो यहां पर करीबन दो हजार की सख्या में उपस्थित है, उनको हम रॉ–मटेरियल कहां से देगे। इस लिए सबसे पहले जो इसकी कैटेगरी की गई है, वो ही गलत है। अभी हमारे अध्यक्ष

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

साहब दिल्ली गये थे, इसका रफीकेशन फाईनेल किया है, चुना ग्रेड को और सीमेन्ट ग्रेड को अलग करने की बात चल रही है और ये चुना ग्रेड केमीकल ग्रेड का पत्थर है। तो सबसे पहले सीमेन्ट के लिए पत्थर ही नहीं है। दुसरे के अन्दर अब आपका, तालाब की बात आती है, यह नाडी की बात आती है, इन्होने अंगोर शायद, मेरे ख्याल से इस सड़क तक माना है। हमारा तालाब के अन्दर पानी बैरास के टीपू तक का पानी इस नाडी के अन्दर आता है। वो हो सकता है कागजो में आपका गैर–मुमकिन मगंरा होगा, लेकिन हमारे गांव का अंगोर है। फोरेस्ट के अन्दर आप पक्की जमीन को फोरेस्ट मानते हो, जब कि ऊपर का कम से कम, ऊपर बैरास तक की कांकड़ तक का पानी ताडास के तालाब तक आएगा। यदि वहां पर माइनिंग होगी तो हमारे आने वाले भविष्य का क्या होगा, हमारे पीने के पानी की क्या व्यवस्था होगी। पीने के पानी के लिए आप ने देखा होगा, पिछली बार हजारो करोड़ रूपये दिये गये आज भी पानी नहीं आ रहा है, सेन्टल गर्वमेन्ट ने। वो ही स्थिति वापस हो जायेगी। पानी कहां से लायेगे हम? जिस समय यह अंग्रेजो के साथ मे मिल कर के चाय कॉफी कर रहे थे इनके बड़े–बड़े सेठ, उस समय हमारे पुर्वज यहां तालाब के खोदने का काम, सर के ऊपर कुदाली रखकर कर रहे थे। साहब आपको निवेदन करते है, जो यह आवंटन हुआ है, यह सरासर गलत हुआ है। इसके अन्दर बहुत बड़ी धान्धली हुई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम दूध का दूध और पानी का पानी करेगे। इसकी वापस जांच करायेगें। हम सीएम साहब से निवेदन करेगें गांववालो के साथ जायेगें, धरना देगें यह चुप होने वाली बात नहीं है। चाहे हमारे को कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, हमारी राजनैतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हमे इस जगह रहना है, हमारे पशु कहां जायेगे? हम पानी के लिए कहां जायेगें? कल पोल्युशन होगा, हमारे गांव के बुजुर्गो का क्या होगा? हमारे बच्चो का क्या होगा? बुढी माताओं का क्या होगा? आप रोजगार सर्जन करने के लिए इक्यासी लोगो की या यहां पर बोल रहे है हम करोड़ो के रोजगार देगें, हजारो की भर्ती करेगें। आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अन्दर इक्यासी जनों का रोजगार लिखा है आपने। हम उसका विरोध करते है और इसको आप पब्लिक की तरफ से है, जैसा विरोध दर्ज हो रहा है, आपसे निवेदन है कि वैसा की वैसा उधर जाना चाहिए। हम इसको अन्तिम तक लेकर जाएगें। जो घोटाला पिछले सरकार में हुआ है। कौन–कौन मिला हुआ था, वो भी हमें पता है, हम उसकी जांच करायेगे और वापस इसकी समीक्षा कराऐगें। इतना ही कहना चाहता हूँ, हम इसका विरोध करते है और पूरा गांववाला इसका विरोध करते है। और पिछले, आप हिज थे, बैरावास मे जनसुनवाई थी, सैम कम्पनी, इसकी सीडिकेट कम्पनी है, हंशदीप ट्रेडींग कम्पनी उधर भी विरोध किया था, उसका क्या हुआ? एनवारमेन्ट क्लीयरेंस मिल गया क्या?

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः– अभी हंशदीप के बारे में पता किया है, वो पेन्डिग है, अभी जारी नही हुई है। वो पेन्डिग है, जारी नहीं हुई है।

श्री राजेन्द्र जांगीड़ः– तो हम इसका विरोध करते है और हम बगैर राजनिति हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इसको हम कोई भी हालत में स्वीकार नहीं होने देगें। सबसे पहले आप हमारी गोचर भूमि भोजास के अन्दर ले रहे हो। गांव कि गाये वहां जायेगी क्या? आप भी किसान परिवार से आते हो, ग्रामीण परिवेश में जीये हो, तो आप बताइयें, यहां से पच्चास किलोमीटर दूर हमारे गांव के चरवाहा भेड़, बकरी चराने वाला क्या भोजास जायेगा। अभी यह बच्चा खड़ा बता रहा था, कम–से–कम सौ भेड़ बकरियां है। यहां आप जाकर देखिये, दिनभर वो चराता रहता है, क्या वो भेड़, बकरी लेकर भोजास जायेगा।

डांगाः– इन्होनें बताया ना कि बैरास की एनओसी मिल गई, कैसे मिल गई यह बैरास के लोग खड़े है। किलयर खुलासा करो मिल गई, आपस में किसानो को लड़ाने का काम कर रहे हो, बैरास की एनओसी मिल गई, ताडास की नहीं मिली आप दे दो, बोलो या आप लड़ाने का काम करो बताओ ना बैरास की एनओसी मिल गई तो खुलासा करो।

श्री राजेन्द्र जांगीड़ः– सर! सर इस जनसुनवाई को रद्ध करें।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः– एक जो अभी बात हुई थी, सुनो! सुनो, मेरी बात सुनो, यह रद्ध करने का पावर मेरे पास नहीं है, आपने जो मांग की आपके एक–एक शब्द लिखे जायेगे।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

श्री रेवंतराम डंगाः— एसडीएम साहब, आप प्रशासक मजिस्ट्रेड का पावर लेकर अधिकृत हो, फिर भी किसानो की तरफ से जनसुनवाई करने, पता किया आपने, आप यह बताओं पिछली जनसुनवाई थी, बैरास, किती तारीख को हुई, तीन महीने पहले अभी यह बोला कि बैरास की एनओसी तो मिल गई बतओ आप खुलासा करो।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः— नहीं मिली है पेन्डिग है।

श्री रेवंतराम डंगाः— नहीं मिली ना हां, यह बात है आपस में किसानो को लड़ाने का काम करते हो, ऐसा नहीं होगा।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः— आपने जिस प्रकार से अपनी बात रखी है, आप अपनी बात रखे, जिस प्रकार बैरावास में आपकी बात....। आज भी आपकी बात...।

श्री रेवंतराम डंगाः— जैसे जो यहां पायतान जमीन है, तालाब के अंगोर की जमीन है, कैचमेन्ट एरिया है, उसकी अेवज में सरकार ने यहां से सीतर किलोमीटर दूर जमीन चारागाह के लिए अधिकृत करके और मैनेजींग करके आप उसके ऊपर आप प्रशासनीक अधिकारी मोहर लगाऐगे, तभी हुई ना या किसानो ने किया है।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः— मै इसका जवाब देता हू, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। इसका आप सवाल पूछोगे और जवाब भी देगें। यह जो भोजावास की जमीन का है, इसके बारे में आप कुछ बोलेगें, एक बार को जो मै समझ पा रहा है ना गुप्ता जी एक बार थोड़ा जो है, माईक दे दो।

श्री राजेन्द्र जांगीड़ः— सर चरागाह के बारे में गांव वालो को अवगत कराऐ चारागाह कि...

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः— मै नियम समत जो भी चीजें है, वो आपको बता रहा हूं।

श्री रेवंतराम डंगाः— सौ बातां की एक बात है, मै तो गांववालों, तीनो गांववाला, आसपास के क्षेत्र के लोगा सु निवेदन है मारो, मैं बठे भोलो हो मुण्डवा के माईनें, सारा डाटा झुठा बताना, करना और राज गडबड़ हो और किसानो के साथ अनियाई हुयो, बो प्लान्ट चालू है, एक ही किसानो को बेटो बठे कोई रोजगार नहीं है। कोई किसानो की सुनवाई नहीं ही। बठे बे खेण का लोग कलडा मजबूत हा जणा बा कैचमेन्ट एरियो, सिर्फ नाम मात्र सित्तर–असी बीघा जमीन छुडाई। कम से कम बिरे खातिर तीन महीना मै खुद हो, कमेटी मुन्डाके धरना पर बेठा, ऐ सारा डाटा झुटा। पहले तो प्रशासक महोदय सीधा जहां सुनवाई हो, जनसुनवाई हो पूर्ण रूप से सही आपका नक्शा और यह हमारा डाटा है, ये हमारा नक्शा है, यह अधिकृत जमीने हमने कर रखी है, झुठ बात इती भी नहीं चलेगी, अब यह बात किसानो को गुमराह करके किसानो की जमीन किसानो का क्या हाल होगा, किसान यहां के कहां जायेगें? प्रदूषण होगा, यहां के पशु कहां जाऐगे? कहां चराने के लिए वहां भोजास जाऐगे? आप से सित्तर किलोमीटर जमीन दूर अधिकृत कर दी, क्या हमने उसकी पूर्ति कर दी, पूर्ति कैसे हुई? यहां की भैड़ वहां जायेगी, यहां की गाय वहां जायेगी, यहां के पशु वहां जायेगे, कैसे जायेगे? तो उसको करने के लिए आप भी अधिकृत हो तो आप भी तो कोई साइन किया तबी तो होगा होगया ना। आप नहीं होगा आपसे आगे वाले अधिकारी होगें, तो आपसे भी मैरा निवेदन है, आप भी किसान वर्ग से आए होगें, इस कम्पनी को ध्यान में इकतरफा मत रखो, किसानो का ध्यान रखो किसानो के प्रति आपका रूझान रहना चाहिए, किसानो के साथ गलत नहीं होना चाहिए, भिराजो एसडीएम साहब।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः— गुप्ता जी, एक बार भोजास का लोजिक क्या है आप जरा सा समझा दो।

श्री आर. आर. गुप्ताः— मै आपसे निवेदन करता हूं प्रार्थना करता हूं, कि आप शान्ति पूर्वक बात सुने और बातो का समाधान जो भी समस्याऐं है, उनका समाधान आपसी बातचीत से ही निकलता है। आपस मे लड़ाई झगड़ा करेगें यां अपन बोलेगे इन्ड्रस्टीज नहीं आनी चाहिए, यहां का विकास नहीं होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको उस पर पुनः विचार करना चाहिए। अब बात आती है जो आप भोजास वगैरहा की गोचर की बोल रहे हो, यहां गौचर की जो

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

जमीन है उसके लिए हम लास्ट दो डाई साल से प्रयास करते रहे है, कि हमे जमीन मिल जाऐ। हमने गांववालो के साथ दो–तीन मिटींग भी की है और उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि हमे आप सूची दो, आप सुन लो पहले।

श्री रेवंतराम डांगाः– अरे साहब चुनिन्दा लोगो से मिटिंग की तीनो गांवो के आम लोग होने चाहिए मिटिंग में चुनिन्दा लोगो से मिटिंग करते हो।

ग्रामीणः– आप हमारे गांव वालो के साथ कभी भी मिटिंग नहीं की है।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः– मैरी बात तो सुनो। पहले बात तो सुनो उनकी, पहले पुरी बात तो सुनने दो उनकी।

ग्रामीणः– आप गुप्ता जी को एक ही पॉइन्ट बताओ मेन गौचर का क्या किया?

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः– पुरी बात तो सुनो उनकी।

ग्रामीणः– एक माईक और सामने रखे तो सारी पब्लिक सुन सके, यहां पता नहीं पड़ता किसी को एक माईक सामने रखे।

श्री आर. आर. गुप्ताः– पहले मेरी बात सुने, मूझे बोलने दिजिये, मुझे फिर आप जो है, आप अपनी तरफ से बात रखिए आपकी बात सुनी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, रामचन्द्रजी, रामचन्द्रजी यहां गवाह है, एक मिनट...

ग्रामीणः– ठहरो, गुप्ता जी थें पहली मारे गांव में आया।

श्री आर. आर. गुप्ताः–एक मिनट आप सुन लो मेरी बात।

ग्रामीणः– था सुणलो मारी, पहल परत आप मारे गांव में आया खातिया रे उठे मैं कियो गुप्ता जी इे गौचर रो काई करो थे? कियों मेरी मर्जी आए जैसे करेगें।

श्री आर. आर. गुप्ताः– हमने यह कहां ही नहीं मर्जी आये जैसे।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः– आप चाहते हो कि यह जवाब देवे, आप चाहते हो यह जवाब देवे, आप चाहते हो जवाब देवे,

आपके सामने ही तो है यह, दूर है क्या?

श्री आर. आर. गुप्ताः– भाईयो, भाईयो थोड़ा शान्ति से बात सुने।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः– गुप्ता जी ऊपर आ जाओ, ऊपर बुला, ऊपर बुला, गुप्ताजी ऊपर आजाईये, आप अगर कोई सवाल करेगें, तो उतर भी सुने भाई।

श्री आर. आर. गुप्ताः– भाईयों मेरा एक आपसे करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि, आप शान्ति से बात सुने, मैं भी और कम्पनी भी राजस्थान से ही बिलोंग करती है। और हम भी इसी धरती से पले बड़े है, और इसी धरती में काम कर रहे है, आज भी सिरोही में, हमारा संस्थान है, 40–45 साल से, उदयपुर में भी संस्थान है, जब भी बात हो रही थी, गांव वालो से मैने निवेदन किया, कि आप हमारे साथ चलो, हमारे कैसे प्रबन्धन है। कैसे हम एक्टिविटीज करते है और कैसे पर्यावरण का ध्यान रखते है? कैसे गांव वालो के विकास का ध्यान रखते है? तो आप सब हमारे साथ चले। यहां से करीब पन्द्रह बीस लोगो की टीम बना कर के, और वो भी हमारे यहां कहीं जाके आइये प्रक्षिशण पूर्वक स्थिति में। अब जहां तक आप गौचर की बात कर रहे है। मै आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ कि यहां तीन मिटिंगे मैं खुद कर चुका हूँ, और निवेदन किया कि आप मुझे लिस्ट दे दे, कि कहां–कहां गौचर भुमि अवेलेब्ल है? और उसमे जो लिमिटेशन है वो यह हे कि कम से कम टेन हैक्टयर भूमि चाहिए, कटाण होना चाहिए, तब तो गोरमेन्ट लेगी। तब तो गोरमेन्ट लेगी, अदरवाईज गोरमेन्ट जो हे जमीन नहीं लेगी।

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः—एक बार इनकी बात खतम होने दो, फिर आपकी साईड देगें माईक।

श्री रेवंतराम डंगाः— तहसीलदार जी आप गांववालो को नहीं दबावोगे।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः— तहसीलदार जी ने क्या कहां, तहसीलदार जी ने यही कहां जो भी बात कहनी है माईक पर कहें।

श्री आर. आर. गुप्ताः— आपकी बात सुनने के लिए ही हम यहां आए है, सब तो इसलिए आप अपनी बात कह रहे है इसका जवाब देना भी हमारी जिम्मेवारी बन जाती है।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः— अरे आपने सवाल किया है ना?

श्री आर. आर. गुप्ताः— मै यह निवेदन कर रहा हू आपसे, कि जब हमने आपसे निवेदन किया कि आप मुझे लिस्ट दिजिए कि कहां कहां अवलेब्ल है। उस हिंसाब से हम उस पर विचार करेगें। आज तक, आज तक कोई लिस्ट नहीं आई है हमारे पास। आप लिस्ट दिजिए, आप लिस्ट दिजिए, हम उस पर जरूर विचार करेगें। क्यों कि आपके साथ ही रहेगें हम लोग।

श्री राजेन्द्र जांगिड़ः— हल्लो सर! मैने आपको फोटू पर कम—से—कम दस खसरे की लिस्ट दी थी, आप गौचर पच्चास हजार में उधर ढूंढ़ रहे हो और तीसरे गांव का आदमी को बुलाकर के दलाली के मार्फत यदि जमीन लेना चाहते हो तो गौचर की तो गांववाले नहीं देगें। नहीं देगें। आप गांव के लोगो से बात करिये।

श्री ओमप्रकाश ताड़ाः— एक प्रश्न पुछा था ऐडीएम साहब ने क्या भोजास की जमीन का क्या मामला है, वो तो बताते नहीं है।

श्री राजेन्द्र जांगिड़ः— सर भोजास में जो गौचर ली गई है उसका रस्ता नहीं है। उसका रस्ता भी नहीं है।

श्री आर. आर. गुप्ताः— हां उसका रस्ता नहीं है, वो मुझे पता है उसका रस्ता नहीं है अभी तक।

ग्रामीणः— अरे सर रस्ता नहीं है तो वहां थोड़ी जायेगें सर।

श्री आर. आर. गुप्ताः— अरे तो रस्ते की प्रक्रिया आगे प्रोसेस में है ।

श्री ओमप्रकाश ताड़ाः— अरे रस्ता नहीं, हल्लो सर हमे तो दूर नहीं जाना है।

ग्रामीणः— इे रस्तेऊ बन्टे काई, काई करो इे रस्ताऊ ?

श्री ओमप्रकाश ताड़ाः— मेरी बात सुनो अरे रूको थे हल्लो मत करो हल्लो देखो सर मैरी बात सुनो।

श्री महेन्द्र सिंह मुवाल, तहसीलदारः— रस्ते वाली जो आपत्ति है सरकार को भेज दी गई है यहां रास्ता नहीं है।

श्री ओमप्रकाश ताड़ाः— मैरी बात सुनो, अरे एक मिनट, एक मिनट पहले सुनो मैरी बात सुनो। ऐडीएम साहब आप ने पुछा था, गुप्ता जी से एक बात पूछी थी कि भौजास की जमीन का क्या मामला है ? तो गुप्ता जी ने एक जबाब नहीं दिया। बात को गोल—मटोल, गोल—मटोल, गोल—मटोल नहीं ऐसा बोलना चाहिए हमने इतनी जमीन ली इस भाव में ली और गौचर भूमि के लिए आवेदन किया, यह बोलना चाहिए यह बोलते नहीं है। यह बात को घुमाते रहते है।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः— मै आपकी बात समझ गया अगर मै आपकी बात समझा हूँ तो बताना आप चाहते है कि गौचर की जमीन जो है दूर न हो पास हो। आही बात है। यही बात है।

श्री ओमप्रकाश ताड़ाः— नहीं, हमे तो गौचर वही रहनी चाहिए। मैरी बात सुनो सर पहले बात सुनो सर

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः— ठीक है आपने यह कहां है कि गौचर जमीन

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

श्री ओमप्रकाश ताड़ाः— हमारे पुर्वज 32 साल पहले यहां बसे थे, उन्होने यह जमीन देखी है नही तो वो कभी निकाल कर अपने नाम करवा लेते और कम्पनी वाले बाहर से आए और ले ली। इनको क्यो दे रहे हो हमे दो, देनी है तो हमें दो इनको मत दो, हमारी गौचर है।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः— ठीक है आपने यह चीज, यह भी मांग की है हम इसमे लिखते है।

श्री रेंवतराम डांगाः— जमीन आप न, किसानो से लो, अगर किसान संतुष्ट है तो आप जमीन लो किसानो से, जो कैचमेट एरिया है, जो तालाब है, हमारे पीने का स्त्रोत वही है और उसको नष्ट कर रहे हो, ये कभी नहीं होगा। इस बार तालाब को हम नष्ट नहीं करने देगे। अगर हां गौचर गौचर वहीं रहने चाहिए, बस आ बात है। जो रेट तय नहीं वो किसान रेट तय करेगें। किसान अपनी जमीन का रेट तय करेगे किसानो के साथ बेठकर आप बात करो, किसान संतुष्ट है और देना चाहता है तो आप जमीन लो नही तो कोई नहीं होगा। ऐसे आप बरगलाकर करोगे तों नहीं होगा।

ग्रामीणः— ऐ, गुप्ता जी केवे नी मै पुछ पुछ करयो, मारा गांव में आया अबार माने बीस आदमिया ने भेले राखया जणे चोड़े हियो गुप्ता जी।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः— अब बाकी के जो लोग है उन्हे बालने दो, यह माता जी आए है इनको बोलने दो।

श्रीमती रामा बाईः— सर एक बात मै पुछना चाहती हू कै सर भोजास मे जो गौचर की जमीन ली है वहां पर तो वहां पर रेत खायगी गांय और बकरिया, रेत का क्या मतलब है, चारा कहां है वहां पर। धोरा है धोरा कोरो वो बोलते है ना इसको टीले है और पुरा थार है वहां पर, कहां पानी का स्त्रोत है वहां पर ?

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः— बिलकुल सही कहां माता जी आपने,

श्रीमती रामा बाईः— क्या मतलब है वहां ले जाने का।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः—बहन आपने सही कहां है। आपने यह कहां है।

श्रीमती रामा बाईः— गांव की गांव मे ही रहनी चाहिए यह हमारी मांग है।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः—ठीक है। आपकी जां मांग है हमने इस कागज पर लिखके सक्षम स्तर पर भिजवा रहे है।

यह बाकी जो चार पांच लाईन बच्ची है एक बार और इनमे से कोई सवाल हो तो वो भी ले लेवे।

श्रीमती रामा बाईः— नहीं—नहीं...

ग्रामीणः— सर गुप्ता जी क्या बोल रहे है पर मंथ मिटिंग की लेकिन एक भी मिटिंग नहीं की गुप्ता जी ने।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः—कोई बात नहीं गुप्ता जी को

श्रीमती रामा बाईः— सर झुट बहुत बोलते है कोई मिटिंग नहीं हुई है गांव के अन्दर, सब सब धोखेबाज है सब...

ग्रामीणः— गुप्ता जी सोचते है कि गांव वाले...

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः—अच्छा अब एक बात बताओ ताडावास गांव के किते लोग है यहां पर? समझ गया। अब आप एक चीज बताओ ताडावास के गांव के लोगो के लिए कम्पनी क्या—क्या करेगी, यह बात सुनते है।

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

ग्रामीणः– नहीं मै तो की कोनी सुणा, नहीं चाहिए, हमारा गौचर का मामला क्लियर हो हमारा तालाबो और नाडियो का मामला क्लियर हो बाद में कम्पनी से सुनेगें पहले वो क्लियर हो।

ग्रामीणः– हमारा मामला जो रखा है गौचर का और पानी का वो मामला क्लियर होने के बादमे ही आगे की सुनवाई करेगें। हम इस सुनवाई के लिए सहमत नहीं है।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– इनको जवाब तो देने दिजिए जो बात आपने कही है, आपके सारे सवाल ठीक है। इनको जवाब तो देने दिजिए।

ग्रामीणः– पहले तालाब और गौचर का जवाब दो। सिर्फ दो क्यूश्चन का जवाब दो।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– आप जवाब देने देगे तो ही ना आप बीच में रोक देगे, कार्यवाही को चलने दिजिए।

ग्रामीणः– गोल मोल जवाब दिया, गौचर का...

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– कार्यवाही को आगे चलने तो दिजिए बार बार रोकेगे तो चलेगी केसे? इनको जवाब देने तो दिजिए।

ग्रामीणः– आप वापिस जवाब दिलाईए, गौचर का और तालाब का वापिस दिलाइए इनसे।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– यहां पर इस टाइम न तो कोई निर्णय हो रहा जो आप बात कह रहे उसी जो आपके आक्षेप है, वही सेम टू सेम आपको सरकार में देने है।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः–माईक पर अगर, माईक पर अगर चार लोग रूकेगे, अधिकतम चार लोग रूकेगे तो मैं जवाब के लिए बुलवाता हूं। ठीक है माईक पर चार लोग रूकेगे तो मै बुलाता हूँ नही तो।

पप्पुराम ताड़ा, ताड़ावासः– हैलो! हैलो, हमे यहां पर कम्पनी चाहिए ही नहीं, हैलो यहां पर कम्पनी चाहिए ही नहीं। क्या गौचर से करेगें क्या...

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– आपका नाम बताए, आपका नाम और कोनसा गांव है वो बताए, ताकि आपके नाम से आपति दी जावेगी।

पप्पुराम ताड़ा, ताड़ावासः– पप्पुराम ताडा गांव ताडावास हमे यहां पर कम्पनी चाहिए ही नहीं, हमारे को जैसा हे वेसे ही रहने दो पहले से।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– ठीक है आपकी बात पहुंचा दी जायेगी।

महेन्द्र ताड़ा, ताड़ावासः– मैरा नाम महेन्द्र ताडा है, मै यहां का ही मूल निवासी हूं, ताडावास का ही। जो मै आपत्ति दर्ज करवा रहा हूँ, श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, विषय 27 अगस्त को गांव ताडावास के ताडावास में एक सीमेन्ट कम्पनी जेके लक्ष्मी....

खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है, इसको लेकर के कम्पनी का कोई खुलासा नहीं है, यह सब हटायेगें तो पर्यावरण को नुकसान होगा। हमारे यहां पीपल, बरगद, नीम टाली, केर इसके कम से कम दस हजार इनके वृक्ष है। नीम हमारी आर्युवेदिक औषधी के, केर आर्युवेदिक औषधी है। खेती हमारी आर्युवेदिक औषधी है, खेजडी से सांगरी होती है। सांगरी होती है जो दो हजार रूपये केजी बिकती है। सर दो हजार दो हजार पर दो हजार पर केजी बीकते है। नीम में आर्युवेदिक ऐंटीबायोटिक है इस किसानो की आय होती है। साल में इनकी फसल दो बार आती है। कम्पनी खनन करेगी इसको हटायेगी इससे पर्यावरण दूषित हो जायेगा। जिनको हटाने से किसानो की आय बन्द हो जायेगी। जिससे किसान अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। दो नम्बर पोइन्ट है अबदुल रहमान प्रकरण के जो

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

हाईकोर्ट का जजमेन्ट है संवत् दो हजार छः व दो हजार बीस में जो जमीन जिस किस्म में थी अंगोर गौचर व यातायात, गयादान, केचमेन्ट एरिया, नदी नाले इनको कोई भी चैंज नहीं कर सकता लेकिन आप कम्पनी को दे रहें हो तो जिससे लोगो की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कम्पनी ने इनका निराकरण कुछ नहीं बताया है। हमारे गांव को बसे हुए ग्यार सौ छबीस साल हुए है। जिसे हमारे पूर्वजो ने महनत करके तालाब, नाडी, आबादी भुमि देव स्थान पशुपालन के लिए गौचर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जमीन के उपचार अंगोर चोड़े। यह हमारे आजिविका के मुख्य स्त्रोत है। जिससे हम हमारे परिवार को पालन व हम जीने का अधिकार है जो हम से कम्पनी छीन रही है। हमारे गांव में पांच हजार पशुधन है जैसे भैड़, बक्करी, गाय, भैस इसके अल्लावा पांच हजार वन्य जींव है। नीलगाय, हरिण, मौर, ऊंट, लोमड़ी। इसके अलावा पक्षी जैसे तोता, कबूतर, गोड़ावण, अन्य इनका कोई अनुमान नहीं है। अगर ये जमीन कम्पनी को देंगे तो कम्पनी खनन करेगी, जिससे इनका जीवन खत्म हो जायेगा और पर्यावरण प्रदूषण होगा। एक हमारी और भी मांग है जो गांव की गौचर है, उसको दूसरी जगह रख रहे है, जैसे पानी का है हमारे गांव के अन्दर नाड़ी है, वो ये बोल रहे है कम्पनी वाले की यह नाड़ी यहां पर है ही नहीं, आपको 10–15 किलोमीटर दूर है, क्यों हम वहां जायेंगे पानी पीने के लिए, दूसरे गांव बता रहे है। जो यहां पांच–छह हजार पशु है, उनको लेकर के जमीन दूसरी जगह दे रहे है, वो वहां जायेंगे हमें लेके, कैसे लेके जायेंगे। हम इसके अन्दर सहमत नहीं है। और जो वहां जमीन दे रहे है, वो जमीन हमारे को लेनी नहीं है। हमारे को जो पहले जमीन है गौचर की और पानी के अंगोर की नाड़ी, हमारे को यही चाहिए। हमारे को गौचर यहीं चाहिए पूरा। दूसरी जगह हमारें को नहीं चाहिए हमारे को जवाब मिलना चाहिए।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– ठीक है, ठीक है, आपने आपकी बात रख दी, आपको ज्ञापन देना है तो दे सकते है।

श्री पुनाराम, ताड़ावास :– एवड़ जोड़ते रहे आज हम 25–30 साल से, यहां से गायें कहां जाएगी, यहां 10–15 हजार गायें हैं। सबसे बड़ो दया धर्म को मूल होया करें, दया धर्म को मूल होया करें, दया नहीं करोनी, तो हम... जीना हराम है अलो। सबाउ मोटी गाय री सेवा हुणी चहीजे। गाया है 15 20 हजार, अबार हाल बताही दूं अबार नजदीक ही। 'भई' गाया कहां जायेगी,वहां की बहुत जरूरी सुविधा है हम तो हमझते हैं आज यह है आयेगे कर लेंगे, पण गायां कहां जाएगी वो होचो मादुवा जकी। भेड़ बकरी भी भई हमारा पेट भरते हैं, कोई के पास जमीन भी नहीं है, वह भेड़ बकरी जाड़ आपरी सेवा करता हैं, जमीन है जिका तो आपरी सेवा करलेवे, कोई रे पास जमीन आंगल ही नहीं है बे कहा जाय भताओं अब, छोड़ अटे।आज 1000 1100 पशु अटे गांव रचियों है, वारो अटे सेवा है करा आपां, पण बे कोई जमीन नहीं हैं कटे जाय बे समझ में आणी जरूरी है। जको आ कंपनी हेनी, करे तो ही आपरे होच हमझ काम करो।हें गाया, नी हत्या लागेली गायांणी, सब,मरनो मोटो धरनो है, आ होचलिजो थाणी।

श्री उगराराम नायक :– साब मेरा नाम उगराराम नायक है गांव तड़ावास है मारो। मैं आपुहीनिवेदन करना चाहता हूं कि आप हम लोग, हमारे गांव की तहसील,तड़ावास गांव की साढ़ी यानी 11–1200 की जनसंख्या है जिसमें हमारे करीबन लगभग 500 बच्चे हैं जो पढ़े लिखा है। आप कह रहे हो हम 85 बंद लेंगे क्यों? बाकी के कहां जाएंगे। आप कह रहे हो हम इंजीनियर बाहर से लाएंगे? क्यों लावोगे बाहर से। आप बोल रहे हो हमारा कम्प्यूटर का काम करेंगें वो, बाहर से लायेंगे, क्यों लावोगे। हमारे को नम्बर वन कम्पनी चाहिए ही नहीं। दूसरी बात है हमारे को अगर आपको कम्पनीयां बनानी है, तो या हमारे को आई.टी.आई. का केन्द्र खोला जाये और हमारे गांव के जितने भी बच्चें है। उनकों हमारे आई.टी.आई. में डालिये। आपको पांच साल लगेगा अभी तक फैक्ट्री लगानें में, जब तक हमारा बच्चा सक्षम हो जायेगा। इसलिए में आपसे निवेदन करता हूँ कि यादि अगर यहां का, बाहर का कोई भी आया। कोई भी बंदा बाहर का आयो तो हम उसको सहन नहीं करेंगें। हम को चाहे मरना......, मर जायेंगे, हमारी जमीन भी नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे इधर। हमारे को तो, हमारे को तो मरना है। हमारे को कुछ नहीं करना, अगर तुम जबरदस्ती 8 लाख में जमीन खरीदते हो, क्या देते हो। 8 लाख में 1 भैंस नहीं आती, आपको पता है एक आदमी के पास, एक आदमी के पास 10 बीघा जमीन होती है, 80 लाख रूपये देते हो। 80 लाख में क्या होता है आपतो करोड़ों रूपये यहां लगाते हो। आपका संविधान है वैसा ही हमारा संविधान है। एक वोट आपका लगता है एक वोट हमारा लगता है

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

और आप जमीन, 10। एक घर में पांच बंदे होते हैं और उसके 10 बीघा जमीन है उसके 16–16 लाख रुपए आते हैं। क्या होता है 16 लाख में। एक, एक हरियाणा के अंदर पाड़ा बिका था 21 करोड़ रुपए का आपको पता है। अब एक हमारी जमीन का यह रेट दे रहे हो, समझा आपको। तो आप समझो हम ऐसे किसान वर्ग के बच्चे हैं,ऐसे हम पीछे हटने वाले नहीं है। हां, जरूर है हम, गांव के हैं और इज्जत से रहते हैं, इज्जत से कमाते हैं इज्जत से खाते हैं। हमारे पास इतना ही है कि हमारे यहां इतना एजुकेशन नहीं है क्योंकि, एजुकेशन थी नहीं पुराने टाइम में, और आप आके यहां हमारे पास डायरेक्ट जमा लिया। इसलिए आप आपका वापस यहां से संवट लीजिए और वापस चले जाइए। हमें फैक्ट्री नहीं चाहिए इधर 'थैंक्यू'।

श्री महेन्द्र सिंह मुवाल, तहसीलदारः– गुप्ता जी, बड़ी पोजीटिव बात कही है इन्होने यह आई.टी.आई. इन्टीट्यूड वाली, अगर कोई सहमति होती है आगे तो आप इसको ध्यान में रखना।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः– अभी नये लोग आये है, आपने बोल दिया ताडासाब।

श्री महेन्द्र सिंह मुवाल, तहसीलदारः– ऐसे एक–एक करके माइक से बोलिए।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः– बाकी लोगों को भी बोलने का मौका दीजिए।

श्री ओमप्रकाश ताडा :– हां, मैं सबको दूंगा। सबसे पहले तो हम तहसीलदार जी से निवेदन करते हैं, वो हमारे होके इनको कहे रहे है। गुप्ता जी को सलाह दे रहे हैं। गुप्ता जी तो राजस्थान में सबसे झूठे है।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः– अरे क्या सलाह दी। सलाह तो यही दी की आपकी बात सही है।

श्री ओमप्रकाश ताडा :– तहसील में सबसे झूठे गुप्ता जी है।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– आपने सलाह तो सुनी।

श्री ओमप्रकाश ताडा :– मेरी बात सुनो....., मेरी बात सुनो। तहसीलदार जी जनता की पैरवी करने आये है न की कम्पनी की पैरवी करने।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– आपके फायदे की तो बात करी, आई.टी.आई. खोलने का ही तो कहा इन्होनें।

श्री ओमप्रकाश ताडा :– नहीं, नहीं ये फायदा नहीं है, इनकों तो इनाम दो, सबसे झूठा का प्रणाम पत्र दो। 26 जनवरी को मैं लाके दे दुंगा। इते झूठ बोलते है।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः– अब आपकी, अब आपकी बात रखो।

श्री ओमप्रकाश ताडा :– हमोर मेन–मेन 21 पोइंट है, जो कम्पनी ने अपने मेनस्टो बनाया है, उस मेनस्टो में लिखा है कि यह, यह चीजें हम आपके करेंगे। उसके बारे में हम पूछ रहे हैं, के भाई आप कैसे करोगे, क्या करोगे यह चीजे।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः– आपका नाम और गांव का नाम बताइए।

श्री ओमप्रकाश ताडा :– ओमप्रकाश ताडा, सरपंच प्रतिनिधी, पूर्व बैरावा, ताडावास। इस लोक सुनवाई से पहले सरल हिंदी भाषा में इस परियोजना को 10 कि.मी. के दायरे में आने वाले ग्रामीणों को मूल जानकारी नहीं दी गई। यह जानकारी लिखित में घर–घर नहीं पहुंचाई गई ताकि सभी परिवार अपने भविष्य के उचित फैसला ले सके। उसके पास जानकारी ही नहीं हैं तो इस सुनवाई में अपना पक्ष कैसे रखेंगे, उन्होंने इस बारे में आपको एक सप्ताह पहले पत्र भी लिख दिया था। भाई वीडियोग्राफी बने करलोनी, पया वे देयी पचे बेणी करलेनी, माणी मत कर भलई। हां, उधर करलो, उधर। अरे जीनावर लोक सुनवाई माणी है, उने काई करे। हां इधर कर। हां, हां। हमारे संविधान में भारत के

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

सभी नागरिकों को अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान जनक एवं स्वस्थ जीवन जीने का, अपने परिवार का पालन, हां, आयोजित का मूल अधिकार हैं। इस साफ रिपोर्ट में स्थानीय लोगों से उनकी जमीन लेने के बाद उनके जीवन और परिवार के आजीविका के विकल्प अविश्वसनीय और अस्पष्ट है। केवल 81 लोगों को रोजगार की बात कम्पनी ने कही हैं। यह सभी सत प्रतिशत स्थानीय होगा यह नहीं कहा गया है। उच्च न्यायालय, नया व्यवसाय शुरू, जीवन शुरू करने के लिए मुआवजा पर्याप्त नहीं है। इसके लिए जमीन परिक्षेश अनआवश्यक,हां बाजार की जानकारी आदि जरूरी है। तो लोग पीढ़ियो में खेती, पशुपालन करते हैं और नये व्यवसायी में अचानक कैसे ढल पायेगे। इस तरह से संविधान के भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्वों के कई प्रावधानों को भी इस परियोजना का उल्लेखन किया है। जमीन में कीमत के बारे में नियमानुसार स्थानीय समुदाय के पर्याप्त सलाह नहीं ली गई, जबकि ड्राफ्ट रिपोर्ट में लिखा है कि भूमि के मालिकों को समय–समय पर कीमत के बारे में चर्चा की जाएगी।ड्राफ्ट रिपोर्ट पेज संख्या 163 पर लिखा है। लेकिन यहां तो सब गुपचुप तरीके से चल रहा है, ग्रामीणों की मजबूरी का फायदा उठाकर मामूली दरों पर जमीन खरीदना शुरू भी कर दिया है। रिपोर्ट में लिखे अनुसार नियम के सभी गांव के लोगों को इकट्ठा बिठाकर कोई बात नहीं की गई, साथ ही एल.डी.सी., डी.एल.सी. दरों का फोर्मूला तो किसी रेल या रोड़ की सरकारी जमीनों पर चल सकता है लेकिन यहां तो पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से व्यवसाय का मामला है। सामान्यतः जमीन खरीदने वाले को रजिस्ट्री का खर्चा देना होता है। ऐसे में जमीन के भीतर मोजूदा संसाधन के अनुसार बाजार मूल्य से तय होना चाहिए। भूमि अधिग्रण अधिनियम 2013 में उनकी मूल भावना से पालन किया जाना चाहिए। इस ड्राप्ट रिपोर्ट में किसान, सरकार और कंपनी को इस परियोजना में कितना लाभ होगा यह स्पष्ट नहीं है। किसान को क्या कीमत मिलेगी, सरकार कितना कमायेगी, कंपनी कितना मुनाफा ले जाएगी यह स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे में आस–पास के 10 कि.मी. क्षेत्र में स्थानीय निवासी अपने देश और परिवार के हित में तुलनात्मक ढंग से नहीं सोच पा रहे हैं, देश में व्यापक हित में कोई परिवार बड़े से बड़ा बलिदान भी कर देता है, पर उसे के लिए हित स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। ड्राफ्ट रिपोर्ट में जिस 610 हेक्टेयर जमीन का जिक्र है उसे पर किसी समय तक कंपनी का मालिकाना हक होगा। यह, क्या यह, जमीन वापीस मूल मलिकों को दी जाएगी, इस पर भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे सोलर, सोलर कंपनियां किसानों से जमीन लीज पर लेती हैं। वैसे भी यह प्रावधान है या उससे अलग है यह भी स्पष्ट नहीं है। क्या पीड़ित चूना पत्थर के लिए इतनी अधिक जमीन लेने की आवश्यकता है। एक हेक्टेयर में कितना चूना पत्थर निकलने का अनुमान है यह भी नहीं बताया गया। ड्राफ्ट रिपोर्ट में आस–पास में 10 किमी क्षेत्र में लोगों का जीवन हर तरह से बदल जाए उनके उसी हो जाने का भरोसा दिया गया है। स्थानीय निवासी यह भरोसा तभी कर पाएंगे जब उनके आस–पास के क्षेत्र में पूर्व में स्थापित परियोजना का अवकोलन कराया जाता। जैसे मुंडवा, गोटन, खारिया आदि आप उन क्षेत्रों का ले जाकर रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा के फायदे गिनवाते तो तसल्ली मिल जाती रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस व्यापक खनन एवं क्रेशर में धूल भरी भारी मात्रा में उड़ेगी वह जहरीली गैसों का वातावरण में फैलाव करेगी, लेकिन उनके कारण कौन–कौन सी बीमारियां आसपास के 10 कि.मी. के क्षेत्र में संभवत है, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। यह कहा गया है कि स्वास्थ्य की जांच और इलाज में सहयोग करेंगे पर नए और भारी प्रदूषण से कौन सी बीमारी होगी यह नहीं बताया गया है केवल इस क्षेत्र के अभी होने वाली बीमारियों के नाम लिखे हैं वो भी 'जुकाम', जुकाम होता है। इस रिपोर्ट में जीव जंतुओं का जिक्र किया है जो प्रभावित होंगे, लेकिन इनमें पालतू पशुओं, पानी, गोचर, नहीं गोवंश भैंस बकरी भेड़ों का जिक्र नहीं है। पशुपालन यहां से आसपास के 10 किमी क्षेत्र में निवासियों को निवासियों का एक प्रमुख आजीविका का आधार है। ऐसे में इस पर मौन से संदेश होता है। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय पक्षी मोर का भी जिक्र नहीं है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस क्षेत्र में बहुतायत में इनका जीवन इस परियोजना में खतरे में पड़ेगा। राज्य पशु चिंकारा, हिरण का जिक्र इस रिपोर्ट में है। आपको मालूम हो कि यह इतना स्वदेशील प्राणी है कि हल्की सी आहट से भी भाग जाता है, ऐसे में परियोजना के धमाकों से इस पर क्या असर होगा यह नहीं बताया गया। परियोजना का के एक और क्षेत्र में अभी लगभग 123 हेक्टर गोचर भूमि का जिक्र है यहां पर हमारा पशुधन अभी चरता है। लोग हम पशुओं को कहां चराएंगे, इसका अभी तक अभी पता नहीं है खासकर भेड़ और बाकरी पालन करने वाले गरीब परिवारों के लिए विकट समस्या होने वाली है। अगर यह गोचर भूमि यहां से बहुत दूर उपलब्ध कराई जाती है, तो हम पालतू पशुओं को चराने कब जाएंगे। क्या कंपनी वाले बस से सुविधा करेंगे या कोई ट्रक लगाएंगे पशुपालक के लिए। कब वापस घर आएंगे या वापस कब आएंगे। 40 कि.मी.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

• रिपोर्ट में परियोजना का कौर और बफर जॉन के पेड़ों के प्रजातियां की संख्या बचाई गई है लेकिन उनके नाम अंग्रेजी या हिंदी भाषा में नही लिखे गए हैं। यहां बहुतायत में खेतों के बाहर राज्य वृक्ष खेजड़ी पाई जाती है जिससे भारत और राजस्थान की संस्कृति में अत्यंत पवित्र पौधा माना जाता है, जैसे खेजड़ली में शहीद हुए थे, मतलब खेजड़ी के लिए और जो ग्रामीण जीवन के लिए कई तरह से उपयोगी है जानवरों के लिए चारे के रूप में। इसमें सांगरी नाम का बहुत महंगा फल मिलता है जो पौष्टिक सब्जी के काम आता है, रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है। इस परियोजना में खेजड़ी के कितने पेड़ काटे जाएंगे साथ ही क्षेत्र में कैर, बैर, नीम, पीपल, बरगद जैसे पेड़ की भारी संख्या है। इनकी संख्या का जिक्र भी इस रिपोर्ट में नहीं है। वन विभाग की लगभग 105 हेक्टेयर जमीन को भी परियोजना के लिए बलिदान किया जा रहा हैं। इन वनों को सरकार के साथ समाज ने सदियों से संजोया हैं। समाज चाहती तो यह सरकार वृक्ष लगा ही नहीं पाती और कब्जा कर लेती, लेकिन हमने सोचा हमारे बच्चे सही रहेंगे, पर्यावरण सही रहेगा, लेकिन यह कम्पनी वालों को दे रहे है। इसके बारे में क्या व्यवस्था होगी यह भी स्पष्ट इन्होनें कर दिया। अभी कर दिया, लेकिन नहीं किया पहले, किताब मे नहीं किया। वन विभाग बढ़ाने के बजाय घटानें का आत्मघाती काम क्यों किया जा रहा हैं। रिपोर्ट में क्षेत्र में राज्यों के बारे में एक दम गलत और भ्रमिक जानकारी दी गई हैं। कहा गया है कि कुछ तालाब 10 कि.मी. क्षेत्र में पर हैं। इस परियोजना में कई कि.मी. दूर है। यह बताया गया है कि परियोजना संदर्भ में मोजूद नाडियां किसी काम की नहीं हैं। अधिकतम सूखी पड़ी रहती है। गुप्ता जी आप जावो आप डुबजावोगे हमारे बिना, पानी रहेगा मेरी गारंटी है, नही तो मै मेरी जमीन फ्री दे दूंगा। लोग है, तालाब है, नाडी है, आप किस 12 महीने में किसी भी टाईम आ जाना आप पानी में भड़ जाना, आप नहीं डुबो तो मेरी जमीन फ्री है इता पानी रहता है। आपने बताया नहीं पुरा, हमारा पानी पीने का श्रोत ही नाडी, तालाब ही है 'सर'। टयूबेल का तो खारा पानी हैं, पीने लायक नहीं है यह स्थिती है। इता झूठ बोल रहे है। हां, सूखी पड़ी है, जबकि सैंकड़ों सालों से ग्रामीण और जानवर इन्हीं नाडियों से पानी पीते है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि क्षेत्र में लगभग 50 से.मी. मासिक बारिश होती है। हमारे तो खेल बन गया है 200 एम.ई. वाला। लगातार 200 एम.ई. 20 साल से। यह गुप्ता जी 6 महीने हुवे आये, पता चल गया 50 से.मी. हुवे। या तो 200 एम.ई होती है, सबसे ज्यादा ताडावास में बारिश हुई है अबकी बार। हमारे खेत भर गये जोके मुआवजा करलो। सम्मूच्छ राजस्थान में यहीं औसत है, पूरे राजस्थान में, बाड़मेंर की, जैसलमेर की, नागौर की एक ही, हागे ही बात हैं। राजस्थान के सभी तालाब भरे रहते हैं तो यह नाडियां सुखी क्यों रहती है। वैसी भी जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले दो–तीन दशक से राजस्थान में इस भाग में बारिश ज्यादा होने लगी है। 3 दशक 30 साल मेरी उम्र से समझे और यह क्रमआगे भी जारी रहेगा। अभी वर्तमान में यह नाडियां छलकी हुई हैं, इसमें पानी की उपस्थिति परियोजना क्षेत्र में से होती हैं। इस परियोजना स्थापित होगी तो यह नाडिया स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। मनुष्य के लिए साथ जीव, जन्तुओं के पीने का पानी आधार छीन जायेगा। रिपोर्ट नं. 3 पोईट में यह नहीं बताया गया है कि परियोजना क्षेत्र में पानी का बहाव किस तरफ होगा। क्या यह पानी आस–पास के क्षेत्र में शायद आयेगा या परियोजना क्षेत्र के भीतर ही होगा। इस परियोजना में क्षेत्र में पानी के आस–पास खेतों में बहाव में उनकी मिट्टी खराब नहीं होगी। क्या नाडियों में पीने का पानी खराब नहीं होगा। रिपोर्ट कहती है कि आस–पास के लोग ट्यूबवेल से पानी पीते है। क्या हर, हर परिवार के पास आपना खुद का ट्यूबेल है। साथ ही पीने के पानी, पालतु, बेसहारा, जंगली जीव जन्तुओं, जानवरों के पीने का पानी का जिक्र नहीं है। क्या यह जानकारी मार्मिक नहीं है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि खनन परियोजना से उड़ती धुल व आस–पास के कई गांवों की उपजाऊ मिट्टी बर्बाद होना तय हैं। ए खुद भतावे रिपोर्ट में। रिपोर्ट यह भी कहती है कि इस क्षेत्र की जमीन बहुत उपजाऊ है, लेकिन इस धूल कणों का उस मिट्टी पर जमा होने से यह मिट्टी बंजर होना शुरू हो जायेगी। जमीन बंजर हुजाय, ए खुद, खुद केवे रिपोर्ट में। क्या उन गांवों के किसानों को यह बात पता हैं। रिपोर्ट कहती है कि हम बर्बाद मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने कि लिए उपाय कर लेंगे। भाटा काडियां पचे थे काई उपाय करो, थे तो जाता रेवो गांव थाणे, वाह फ्री। पानी मिट्टी को पहले बर्बाद करेंगे, फिर उसे ठीक करेंगे। ''एक जणा ने मारा, पछे जीवतो करा'', मशीन आयगी। क्या इस तरह का खेल खेलना किसी भी रूप से न्यायचित हैं। यह इनकी मेनेस्टो में लिखा है 'सर'। इनकी खुद की मेनेस्टों, जो इंग्लिश में लिखी हे ना, उसमें लिखा है कि यह करेंगें। पूरी दुनियां में। रिपोर्ट में ध्वनि प्रदूषण की बात को गोल–मटोल घुमाया गया। यह माना गया है कि प्लास्टर, बिल्डिंग, क्रेसर, परिवहन आदि से ऊंचे स्वर में ध्वनि प्रदूषण तो होगा, यह भी कहा गया है कि सब यह दिन

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

में होगा और अभी इन्होंने बोला कि कंपनी 24 घण्टें काम करेंगी, रात और दिन। रिपोर्ट में लिख रहें है दिन-दिन होगा 'हां' हां 365 दिन। चुतराई से यह भी लिखा है कि यह प्रदूषण सामान्य व्यक्ति भी सहन कर सकता है। आधा जणा तो बिमार है, नशा करे हघलाई। कोई डोडा खावे, कोई दारू पीवे , कोई एम.डी. खावे, तो हघलाई बिमार है। बे तो मरजई सहन नहीं करने की क्षमता नहीं होगी। लेकिन नवजात बच्चों, बुजुर्गो, बीमार, गर्भवती महिलाओं, गर्भवती पशु-पक्षी, इनका क्या असर होगा। इस रिपोर्ट में मौन हैं। आरा-पारा की स्कूल में पढ़ाई, इससे क्या फर्क दुविधान होगा। इस पर भी रिपोर्ट मौन है। 'छल्ला दे देवा स्कला में सबा ने, टाबरा ने'। पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन जैव विविधता का नष्ट होने का हल्ला है। ऐसे में राजस्थान के अधिकतर भागों में बड़ी खनिज परियोजनाएं जीवन की कीमत पर संचालित होने लगी है। जलवायु का क्या होगा, राजस्थान में हर जगह कुछ ना कुछ खनिज है, ऐसे में क्या यहां के मानव, जन्तुओं और पेड़ों को हमेशा के लिए बेदखल कर दिया जायेगा, क्या यह आत्मगती लालच का खेल नहीं हैं। हमारी एक मूल आपति यह है कि देश में दो कानून क्यों। एक किसान के लिए, दूसरा पूंजीपतियों के लिए। हमे अपने खेत से चूने पत्थर नहीं निकाल सकते। इसकी इजाजत नहीं मिलती है औ अगर हम ऐसा करते है, तो यह काम कानून के खिलाफ यानि अवैध माना जाता हैं। लेकिन यही खेत किसी पूजीपतियों के खरीद लिए,तो यह आराम से इनमें से चूना, पत्थर निकाल सकता है। यह कब तक चलेगा। हमारा क्षेत्र प्रारम्भिक रूप से चूने के भट्टों के लिए जाना जाता है। देश-विदेश से हमारे चूने और कली का नाम मशहूर है। लम्बे समय से छोटे उद्योगों का यह कारोबार चलता है। इसे स्थानीय लोगों की पूरी भागीदारी रहती है। सरकार अगर एक बड़ी कम्पनी को अगर चुना पत्थर निकालनें का अवसर देती है, तो ऐसा चुना भट्टों के लिए किया जा सकता था। रिपोर्ट में कम्पनी की तरफ से बताया गया कि इस पत्थर से चूना, भट्टों को भी सप्लाई किया जायेगा। 2500 रूपये प्रति टन, 3 गुना भाव से। तो फिर यह काम खुद भट्टा संचालक ही कर लेंगे, कोई माध्यम क्यों चाहिए। 800 के 2500 रूपये, 1700 रूपये यह मुनाफा खायेंगे। साथ ही क्षेत्र के बेरोजगार युवा को सरकारी योजना में से ज्यादा से ज्यादा, भट्टा बनाकर खुद का कारोबार शुरू कर सकते है। लेकिन इस विकास में हजारों परिवारों शामिल न कर केवल एक परिवार को फायदा पहुंचा रहे है, 'जे.के. सिंगानिया'' को। संविधान के अनुच्छेद 39 का उल्लेख है कि इस अनुच्छेद में लिखा है कि देश के संसाधनों को कुछ हाथों में इकट्ठा होने से रोका जाये। लेकिन नियम कोई नहीं मानता। हमारे एक आपत्ति यह भी है कि क्षेत्र में कैमिकल और चूने का ग्रेड पत्थर को सीमेंट बनाने के काम में क्यों लिया जा रहा हैं। यह सर्वजित है कि पूरे भारत में नागौर, जोधपुर का चूना, पत्थर के चूने और व कली और कई कैमीकल बनाने में श्रेष्ठ हैं। ऐसे में इस धरोहर को नष्ट करके भविष्य में विदेशों से आयात करने का रास्ता क्यों अपनाया जा रहा हैं। सरकार ने गत समय में छोटे उद्योगों के रास्ते बन्द कर दिए, लेकिन कमाल यह है कि कम्पनी की रिपोर्ट इस पत्थर को चूना भट्टों, रासायनिक क्षेत्रों को सप्लाई करने की बात की गई हैं। सरकार भी इस पत्थर को चूना पत्थर की जगह सीमेंट पत्थर के रूप में क्यों परिभाषित नहीं कर देती और यह हमारी इस आपत्तियों को देखते हुए इस क्षेत्र में स्थापित होने वाले 'जे.के. लक्ष्मी सीमेन्ट'' की परियोजना को रोका जाए। हमें आगे की कानूनी कारवाही से पहले इ समंच का विधित उपयोग कर रहे हैं। 'समस्त ग्रामवासी ताडावास।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः- इसकी रिसिव ले लेना आप। वह व्यक्ति बोले जिसको अभी तक बोलने का अवसर नहीं मिला।

<u>श्री रामचन्द ताडा :-</u> 'सर' मेरा नाम रामचन्द्र ताडा है। पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष 'यूजी' महाविद्यालय खींवसर। पहले सर यह मै तो कहुंगा, मै युवा हुं, तो पहले मै अपनी जनरेशन की बात करूंगा। यह सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण की बात करके इनके मेनेस्टों में यह लिखा है कि यह पेड़-पौधे लगायेंगे। इन्होंने शुरूआत हैं, कम्पनी की अभी तक हालत यह है इन्होंने पेड़-पौधे लगाये ही नहीं। लगाने का मतलब है नहीं है कि वहां खड़ा ही कर दिया और बाद में उनका काम ही नहीं हैं। सब चीजों में और बाद में यह कह रहे है यह मशीन ऐसी लगा देंगे यह लगा देंगे। इनका बस प्रचय है यह ऐसी मशीनें लगायेंगे, यह बोल रहे हेना आवाज कम दें। यह ऐसी लगायेंगे, यह सारे भग जाये, यहां से ज्यादा आवाज वाली लगायेंगे, ठीक है, और दूसरी यह पेड़-पौधो की अभी हालत देखों इनको न तालाब में लगाया, आप मेरे साथ चलों सर में बताता अभी पेड़-पौधों की क्या हालत हैं। अभी एक बारी डालने का काम भी होता है और बड़ा तो होता है न सर। खड़ा करके भग जाए उनका काम यह ऐसे थोड़ी चलेगा और बाकि यह मशीनों की

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

बात करते है। इनके पर्चो में जो मांगे है न कि यह, यह लगा देंगे यह–यह लगा देंगे। हकीकत बात यह है, जो पर्चो में है उस क्वालिटी की चीज मिलती है क्या? आप भी जानते हो 'सर' किस क्वालिटी की क्या चीज देते है। अब रही बेरोजगारी की बात। युवा है तो मै बाकी सब चीजे तो ज्यादातर बता दी, यही बताऊंगा बगेर रोजगार के। मुण्डवा में कितने स्थानीय लोगों को रोजगार मिला वहां, जब वहां फेक्ट्री बनी। इनके भी अभी भी, अभी भी इनके यहीं हाल है कि कोई रोजगार नगर नहीं हैं। तो पहले मैं यह बतादूं, क्या करेंगे यह?

श्री बाबुलालः– मेरा नाम बाबुलाल है। इयूं है गुप्ताजी ने हमारी जमीन छाने रजिस्ट्री कराई है। कि पहले मेटिंग क्यों नहीं ली थी। पहले मेटिंग लेकर के प्रेरते करनी चहिजी थी। हमें समझाया नहीं गया। आपके वो कर देंगे, वो कर देंगे और छाने 8 लाख रूपये दे दियासा, काहीं मतलब हुयो इरो। मैं गुप्ता जी से स्पष्ट कहना चाहता हुं, खेत के अन्दर नहीं भड़े, जब तक फैसला न हो खेत के अन्दर नहीं भड़े 'हां'।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः– आपका नाम और गांव का नाम। अरे जिन्होने अपनी बात कह दी वो प्लीज बैठे, हेना। जिन्होने अपनी बात कह दी, वो बैठे आराम से।

श्री गजेन्द्र नारदनियां, ताड़ावास :– मेरा नाम गजेन्द्र है नारदनियां ग्राम ताडावास निवासी हूं। एक युवा हूं तो मुझे पूरी चीजों का समझ है सर कि हमारे इस जमीन में ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसके कारण हम इस जमीन को बेचे और हम जब से मैं यहां समझने लगा हूं, मेरे पूर्वज हजारों सालों से इस जमीन को खुद प्रयोग कर रहे है, तो आज मैं ऐसी कोई समस्या नहीं है कि इस जमीन को बेचे और एक फैक्ट्री को लायें और हमारे खेत में अनाज भी खूब होता है। हमारे गांव में जितनी हमे चाहिए उतनी इन्डस्ट्री है। जितना हमारा गांव का नाम होना चाहिए, देश विदेश में नाम भी है, वो सिर्फ हमारे बलबूते पर हैं, कोई किसी सरकार की कोई भी सहयोग नहीं रहा हैं। हम अपने खेत में अगर पत्थर निकालें, अपने खुद के खेत में अगर पत्थर निकाल कर उसे अपना आजीवन चलाये, तो हम दो नंबरी हो गये, खनन माफिया हो गये। और वहीं खेत हम बेचकर, किसी कम्पनी को बेचते है और उस खेत में से कम्पनी पत्थर निकालती है, तो लिगल कैसे हो जायेगा 'सर'। मेरे तो दिमाग से बहुत परे हैं, क्योंकि हम, हम भी एक वोट देते हैं और कम्पनी वाले ऑनर भी एक वोट देते हैं। जितनी सरकार में हमारी भागीदारी है, उतनी ही कम्पनी की भागीदारी हैं, तो सरकार को हमारा पूरण रूप से दोनों का पक्ष को ध्यान में रखना चाहिए और यह सरकार को सुझाव देना चाहिए कि जितने भी खेत है और जितनी भी जमीन है। पहले किसानों को दी जाये, हमारी जमीन को हमें, हमें लीज के रूप में दी जाये, हम भी टेक्स भर देंगे। जितनी कम्पनी टेक्स भरेगी यहां से, उतना टैक्स हम भरेंगे। जहां पर मेरा खेत है, मुझे लीज दे दो। अगर आपको चाहिए उसके बाद जो पटर, तो मै दुंगा आपकों अपनी लीज से आपको पत्थर, लो आप और जिधर फैक्ट्री है, इधर काफी दूर है फैक्ट्री उधर लेके जावो आप ट्रांस्पोर्ट से। उधर बना लो अपना सीमेंट, इधर डालने की क्या जरूरत है। मेरे खेत में से सिर्फ में ही पत्थर निकालू और किसी को नहीं दूंगा और यह जितना भी अंगोर, गौचर भूमि है, इनपे हमारे दादा, परदादा ने और हमारी कई पीढ़ीयों ने यहां पर अपना जमीन, पूरी जिन्दगी यहां पर मेहनत की है, तब जाकर इतना साफ–सुथरा रहा है। किसी को हम सुसु तक नहीं करने देंगे, इधर पूरे अंगोर में सुसु तक नहीं करने देते हैं, क्योंकि हम इस पानी को हम पीते हैं और आप चाहते है यहां पर हम बड़े–बड़े गड्ढे करेंगे और हम आपको परमिशन दे देंगे। कभी नहीं देंगे 'सर'। यह जीने मरने की बात हैं। आज कितना भी व्यक्ति सक्षम क्यों न हों, बाहर रहता हुआ हमेशा सुकून की नींद गांव में लेता है और आप गांव में बड़े–बड़े ब्लास्ट करोगे, हम कहां से नींद ले पायेंगे। हमें किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। हम संपूर्ण रूप से सक्षम है। हमें कोई भी कम्पनी की एक भी सुविधा नहीं चाहिए। हमारी पूरी सुविधा है। हमारे गांव में एक तीनकला भी आपकों कुछ भी नसीब नहीं होने देंगे। ध्यान रखे, आप सोच रहे है, जमीन ले ली उसको हम प्रयोग करेंगे। हमारे बगेर आप उसका भी प्रयोग नहीं कर पायेंगे एक आंगल भी। "धन्यवाद सर"।

श्री भागीरथ डुडी :– आज जो प्रदूषण और खनन के बारे में जो बात हो रही हैं। अपने को जब सरकार हमारे से जमीन लेकर के फेक्ट्रीयों और पूंजीपतियों को देकर के यदि वो कहते है कि साहब प्रदूषण भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। यह कौनसी बात है। मेरे हिसाब से आम आदमी की जिसकी जमीन है, उसको लीज होनी चाहिए उसके नाम से। वहीं माल बेचे। यह तो वो बात हो गई अंग्रजों वाली। उसमें और हमारे में क्या फर्क है, प्रदूषण तो वही है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

प्रदूषण में क्या फर्क हो गया। सरकार हमारे अर्चन लगा देती है कि साहब तू प्रदूषण करते हो। किसान कोई पत्थर निकालता है, उसको 2 मिनट में लेजाकर बन्द कर देते हैं और फैक्ट्री वाले तुम लोग जब अपना परमिशन लेकर के अपनी सब कुछ बाते करके और कहते हो कि हम तो जायज बात करते हैं। यह जायज बात नहीं है। सब ग्रामवासी मेरी जो सोच है सब ग्रामवासी एक साथ बैठकर के अपने को निर्णय लेना चाहिए, बिना किसी निर्णय किसी फैक्ट्री वालों के साथ या कभी कोई पूंजिपतियों के साथ हमें बात करने की जरूरत नहीं है। यदि हमारा सहयोग नहीं है या हमारे हित की बात नहीं हैं, आप कैसे कह सकते हो कि साहब प्रदूषण नहीं होगा। प्रदूषण चाहे जो इफेक्ट होता है। कभी आप लोगों ने नहीं सोचा होगा इसके बारे में। प्रदूषण से होने वाला सबसे बड़ा जो इफेक्ट है, महिला के पेट में जब बच्चा पलता हैं, जब यह धमाके होते है तो उसके बारे में कभी किसी ने सोचा हैं कि इस बच्चे पर क्या इफेक्ट होगा और यह जो हमारे ऊपर जो ऑजोन मण्डल है, उस ओजोन मण्डल में अन्दर जब छेद होगा, तो उसे हमें किता दुष्प्रभाव होगा। हमारी यह जिन्दगी नर्क में हो जायेगी। हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी और यह जो आजका गर्मी जो, तेज जो धुप पड़ती है, वो भी एक सबसे बड़ा कारण है, हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। और जब इंसान का स्वास्थ्य ही नहीं है तो वा जिन्दगी किस काम की, वो जिन्दगी हमारी नर्क में हैं। इसके बारे में सरकार ने कभी कोई बात नहीं सोची। सरकारे आती जाती है, बाते करती है। कभी कोई कांग्रेस का बोलेगा, बीजेपी का बोलेगा, थर्ड पाटी का बोलेगा। हम कोई भी सरकार हो हमारे लिए सबसे पहेली सोच है कि हमारे को जनता के बारें में सोचिए, जनता के स्वास्थ्य के बारे में सोचिए और जो जनता का स्वास्थ्य और उसके बाद में इनकी ऊपज, इनका विकास, यदि इनका विकास नहीं है, इनका विकास हम साईड में कर दें और हमारा विकास चाहते है, तो ऐसा संभव कभी नहीं होगा। वो जमाने गये, जो एक बोल देता कॉलेजों, फैक्ट्री वाले बड़े–बड़े उद्योग पतियों ने जो लगा दिया वो लगा दिया, ऐ नहीं चलेगा। वहां बैठे–बैठे, बाहर बैठे–बैठे दूर बैठे–बैठे आप कानून बना देते हैं, कि किसान से ऐसे जमीन एलोट करा लो। आपने कह दिया 8 लाख रूपये। अरे किसान 8 लाख रूपये में बेच कर के उसके पास 5 या 10 बीघा जो जमीन है, यह किसान तो 6 महीने या 12 महीनें में ही खत्म करके बैठ जायेगा, फिर क्या होगा, फिर किसान कहां जायेगा। हमारी जमीन है, जब तक आप लोग जो है, किसान का बेटा यदि हां नहीं करता है, सबसे पहले में तो एक ही बात बोलूंगा। कि किसान के बेटे को अपनी जमीन का हक मिलना चाहिए। इनका नाम बजरी हो चाहे खनन में कोई भी हो, इसके नाम, खुद के नाम लीज होनी चाहिए और यह फायदा किसान को मिलना चाहिए, मजदूर को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उद्योगपतियों के लिए सब कुछ अपना कानून बना रहे हो। ऐसी कभी नहीं होगा और जब भी किसान के लिए कोई बात होगी, अपन सब लोग जो हैं कन्धे से कन्धा मिलाकर एक साथ खड़े रहेंगे। ''जय हिन्द''।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– आपका नाम और बता दीजिए, आपका नाम।

श्री भागीरथ डूडी :– भागीरथ डुडी।

राजेन्द्र जांगीड़ः– सर हम ये सात पंचायतों का लिखित में विरोध सरपंच साहब की तरफ से आपको देना चाहते हैं। जिसमें पचायत बैरावास है, शिव महादेव गौशाला सेवा समिति है, लालाप पंचायत है, भवन्डा पंचायत है, डेरू है, खींवसर है, लालावास है, माणकपुर है।

श्री महेन्द्र नारदणियां :– सर मेरा नाम महेन्द्र नारदणियां है।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– आपका नाम और गांव का नाम बता दीजिए, उसके बाद आपकी बात।

श्री महेन्द्र नारदणियां :– मेरा नाम महेन्द्र नारदणियां, गांव ताडावास। सर मै आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आपने युवाओं के लिए क्या किया।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः–ठीक है, अब और कौन बोलना चाहता है, आगे वो लोग बोले जिनको मौका नहीं मिला है।

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

श्री मनीष, ताड़ावास :– सर मेरा नाम मनीष है, मै ताडावास का निवासी हुं। मै बस कम्पनी से एक ही बात पुछना चाह रहा हुं। पहली बात तो अगर गांव वाले अनुमति दे तो ही लगेगी यह तो पता ही है सबको। पर, अगर लग रही है, तो हम युवाओं को भी रोजगार की गारंटी मिले। हमें पहले उस योग्य बनाया जाये जिसे आपकी कम्पनी में हम काम कर सकें। जैसे आपके जैसे, आपके जैसे आई.टी.आई. सेक्टर वगरह है, तो उसके लिए पहले हमे उस योग्य बनाओं आप, ताकि हम उस कम्पनी में काम कर सकें। क्योंकि गांव में लगभग 90 प्रतिशत युवा अभी बेरोजगार ही हैं, 10 प्रतिशत युवा है जो।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः–आपका नाम गांव का नाम बताइए।

श्री मनीष, ताड़ावास :– मनीष नाम है, ताडावास गांव है। गांव में लगभग 90 प्रतिशत युवा अभी बेरोजगार ही है जो खेती पर आशरित है। जब खेती ही नहीं रहेगी तो सभी युवा कहां जायेंगे, क्या करेंगे सर। इस पर भी थोड़ा ध्यान हो और सभी युवाओं को उस योग्य बनाकर कम्पनी में नौकरी की गारंटी मिले। आशवासन नहीं चाहिए गारंटी मिले। ''धन्यवाद सा''।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः–आपने बोल दिया ना। आपका, आप शायद बोले थे ना।

श्री महेन्द्र नारदणियां :– बीच में सर, फोटो वाला मामला हो गया।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट, जिला नागौरः–अच्छा, खत्म करों मामला।

श्री महेन्द्र नारदणियां :– सर, वो जो रोजगार की गारंटी चाहिए वो लिखित के रूप में चाहिए हमें, ठीक हैं। मेरा नाम महेन्द्र नरादणियां, ठीक है सर। मेरा निवेदन यहीं है कि हमारे यहां एक गौशाला हैं जो केशर कंवर जी नाम से रजिस्ट्रेड हैं। इसके अन्दर 2000 गायें और 500 सांड हैं, जिनके लिए हमारे गांव की गौचर भूमि हमें यहीं रखनी हैं। जो भूमि गौचर के रूप में वर्णित है, वो भूमि कम्पनी हमें दे रही हैं, वो हमारे गांव से चालीस किलोमीटर दूर हैं। वहां पशु चराने नहीं जा सकते, इसीलिए यह गोचर भूमि हमें यही रखनी हैं।

श्री हनुमान खोजा :– मेरा नाम हनुमान खोजा है। मै मुण्डियाड़ से हूं। सर मेरी आपति यह है कि सबसे यहां पर जो प्रदूषण होगा, वो आस–पास के गांवों तक पहुंचेगा। हमारी मिट्टी जो उपजाऊ है, वो बंजड़ हो जायेगी, वो इस रिपोर्ट में हैं। दूसरी बात यह कह रहे है, स्वास्थ्य के लिए हम कुछ करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हुं कि अगर, अगर मनुष्य में पहेले खुन चुंस लिया जाता है, उसके बाद कम्पनी वाले बोल रहे है कि हम हिमोग्लोबिन की टेबलेट दे देंगे। अगर आप खुन ही चुस लोगे तो हिमोग्लोबिन क्या काम आयेगी और यह जो सुविधा दोगे। अब इंसानियत और प्रकृति बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए विश्व एक तरफ संघर्ष कर रहा हैं। दूसरी तरफ प्रशासन और फैक्ट्री दोनों मिलके षड्यंत्र करके, पर्यावरण को दूषित करके यहां के आस–पास के लोगों को बिमार करने के बाद आप इन जो सुविधा लम्बी चौड़ी दे रखी है। पहले आप उनकों बीमार करोगे, फिर आप उनकों दवाईयां दोगे। हमें न तो बिमार होना है, न हमें आपकी दवाईयां लेनी हैं। हमें तो केवल और केवल यह साफ–सुथरा पर्यावरण चाहिए। आस–पास का क्षेत्र साफ–सुथरा रहेगा, तो आप सर्वे निकाल कर देख लिजिए। सबसे ज्यादा अगर, अगर हमारे सेना में कोई भर्ती है, तो नागौर और यह अपने झुन्झुनू के हैं। तो यहां पर यही कारण है कि हमारे युवा साथी स्वस्थ सांस ले रहे हैं, इसलिए वो सेना में हैं और इसके बाद फैक्ट्री लगने के बाद, यहा यह जो चूना–पत्थर निकालेंगे, उसमें सांस, फेफड़े. खराब हो जायेंगे और हम सेना के लिए भी नहीं जा पायेंगे। ऐसी सुविधा हमें नहीं चाहिए। हमारा पूर्ण से आस–पास के गांवों को भी इस पर आपत्ति है। ''बहुत बहुत धन्यवाद''।

आप मानवता के लिए आप, आप पढ़े लिखे व्यक्ति है सर। आप बहुत ही विद्वान लोग है। अगर हमारा शरीर ही नहीं रहेगा। 'पहला सुख निरोगी काया' वही नहीं रहेगी तो बिजनेस उद्योग हमारे लिए कोई काम के नहीं हैं। 'बहुत बहुत धन्यवाद''।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिला नागौरः– यह अब और कोई अगर नहीं बोलना चाहे तो। ''हां प्लीज''।

श्री नरेश नायक, बैरावास :– सबसे पहले तो मान्यवर नोट कर लेना, मेर नाम नरेश नायक, सरपंच प्रतिनिधि, बैरावास और मै तमाम किसान भाया ने ओ निवेदन करू के आज आपारी आ जकी पूर्वजा री जमीन है और आपां पूर्वजा रे जको आपांरो जल, जमीन जंगल बचावने रे खातीर ई रक्षा रे खातीर आपां आया हां, तो क्योंना शांतिव बैठ हुणां। भाने सबा ने भी मै धन्यवाद देणी चाहु, तमाम किसान कमेरा ने के आज की आपाणी जल, जमीन, जंगल है, इने आपां आज बचावणे रो प्रयास करीयां हां, बचाने रो, बचावने रे खातीर एक जगह एकत्रित हुया हां और ए जकी बड़ी–बड़ी कम्पनीयां है, औधोगिक, जो औधोगिक फैक्ट्रीया लगाणी चावे। आ थाने सबा ने ध्यान है कि आज आपाणे ई क्षेत्र में बड़ी–बड़ी फेक्ट्रीयां, कम्पनीयां, औधोधिक क्षेत्र लागगा तो इरांव प्रदूषण फैलेला। आ जकि आपाणी जमीन है, बा भी एक फैक्ट्री हैं, इमें बदिया फसल हुवे, कपास हुवे, बीघा रा 6–7 क्वींटल कपास हुवे, जिकारे जीरो है विके बीघा रा ढाई क्वींटल हुवे है। तो मै आज मै थाने ओ निवेदन करनी चांव कि अगर सबा री सहमति हुवे तो निर्णय लिजो, बाकि, बाकि एक तरफ जको आपां आपणी मा ने बेचनी चावा तो आपांव बड़ो कोई दोषी कोने हुवेला और जे आज आपा सब निर्णय लेर सबाकी सहमतिव निर्णय लेर, तो जको जानजोनी हुवे और सबारी सहमति हुए बो निर्णय ले। आज थे काचर बोरा री अटे जो जमीन दी तो दूजा खेत जावेला पण थाने काचर भर हाथ कोनी आवेली, आ भी ध्यान राखजो और दूसरी बात आ है कि जकि गवचर है बा आपां बात करां की भई अन्य पंचायतों में दूजी जगह लेंवा, तो सब थाने ओ निवेदन करूं हूं कि अटे जका माण पशु है, तो बाने लेजाणे रे खातिर कोई कोई ट्रेन की व्यवस्था हुवे, काहीं किकर लेजांवा भतावो, है, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर किकर लेजांवा भतावो। फैक्टींव तो बड़ों ज्यादा नुकसान हैं। आज भी ऐड़ों नियम है हर पंचायत में। अबकी बार देखो पुरा देश में किती गर्मी पड़ी है, 47, 48, 50 डिग्री तक, तो हर पंचायत में मेल और सब अपनी स्वेच्छा अनुसार केई हजारों पौधा लगाया हैं। छाया खातीर हाची वायु प्रदूषण खातीर और फैक्ट्रीयां लागगी जना। और आवनाली पीढ़ी रो काहीं हाल हुई भतावों। आपाणी जकी औलाद है, गेली–गुन्धी पैदा वेही, कुछ असर हुई प्रदूषण। सिलिकोष लेही। तो सब बाता को ध्यान राखते हुवे आपाणे आपाणी आवनाली पीढ़ी को बचाव करता हुवे, पछे आपाने हगलारी सहमतीव निर्णय लेणों है। इती मारी बात केव और में गांव रे हाथे हां। जिवार अगर आपाणे खींवसर रा पूर्व विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब ने बात बतायी। मै आणे अनुयायी हां, ऐ केदी जकी बात जकी फाइन्ल है और में गांव रा हाथे हां। 6–7 महीना तक माणों कार्यकाली हेना। भई कम्पनी कदे अटे काम चलू करिया करे। पंचायत एन.ओ.सी. जारी करे जणा करेना। तो मै जतो जी 6–7 महीना ताही तो जल, जमीन, धरती रे खातीर अपमान कोनी करां। ''धन्यवाद''।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायकः– एक बार थे बेठ जाओ ना आप लोग, सब लोग बेठ जाओ। एक बार बेठ जाओ। अब लगभग सारे वक्ताओ ने बात कह दी। और मै भी इस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त करूगां कि मैं ईमानदारी से कोई राजनैतिक बात न कभी की और नही करेगें। यदि किसी को गलतफेमी है और हमारे से कोई तकलीफ हो तो यहां से बाहर निपटे, हम तो उसके लिए भी तैयार है, कोई दिकत नहीं है। हम यहां ताडावास और बैरावास जो दस किलोमिटर का जो इलाका है। यहां के किसानो को न्याय दिलाने के लिए हम यहां आए है। मोटा–मोटी सारी बात हो गई तहसीलदारजी बेठे है, ऐडीएम साहब बेठे है, सबसे पहले तो जो इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया और जो परिचय इन्होने दिया, लगभग सारे वक्ताओं ने यह बात कह दी थी के ऑपन कास्ट यंत्रिक्रत खनन पद्धति को अपनाया जायेगा, ड्रिलीग, ब्लास्टींग, सोडिंग, क्रेसिंग लगभग सारी बाते हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ऐडीएम साहब यह है के जब यहां माईनिंग के लिए भट्टे लगाए गये चून्ना पत्थर ही कहलाया जा रहा है। यह कोई सीमेन्ट ग्रेड का पत्थर नहीं है, यह चून्ना पत्थर है। इसमे एक तरफ जिसने चून्ना पत्थर का भट्टा लगा लिया वो यदि अपने लिए लीज की मांग करता है तो सरकार उसको लीज नहीं दे रही है कह रही है हमने रिर्जव करली सीमेन्ट ग्रेड के लिए। लेकिन इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट जो सौंपी है उसके अन्दर बिल्कुल पुरा इनहोने लिखा है के परियोजना की आवश्यकता क्यो रहीं के सीमेन्ट प्लान्ट किलंकर 1.0 मिलियन टन प्रति वर्ष, सीमेन्ट 50 मिलियन टन प्रति वर्ष, केल्साईड क्ले 1.5 मिलियन प्रति वर्ष, केपटिव पॉवर प्लान्ट 50 मैगावाट, डब्ल्यू.एच.आर.एस. 40 मैगावाट डीजी सेट र्थी मैगावाट रेल्वे साइडीग एएफआर प्री प्रोसेसिंग व सह–प्रोसेसिंग सुविधा के साथ स्थापित करने का

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

प्रस्ताव है। लेकिन आगे लिखा है। इस खदान से उत्पादित चुना पत्थर उपयुक्त सीमेन्ट प्लान्ट की जरूरतो को पुरा करेगा। प्रस्तावित एकिकृत सीमेन्ट प्लान्ट के चालू होने तक इस खदान से उत्पादित 2.0 मिलियन टन प्रति वर्ष चून्ना पत्थर जो परिवहन सड़क मार्ग से किया जायेगा और इसे अन्य सीमेन्ट सयन्त्रो, अन्तिम उपभोग वाले उद्योगो जैसे एफएमसीजी चून्ना भटिया, रासायनिक उद्योग, फार्मा कागज आदि को बेचा जायेगा। इसका मतलब इन्होने क्लियर यह कह दिया के जब तक दो तीन साल तक हम प्लान्ट नहीं लगायेगें तब तक इस चून्ना पत्थर को हम कही दूसरे भट्टे वालो को भी बैचेगे। तब आप सीमेन्ट के लिए लीज दे रहे हो और भट्टे वालो को आप बेचोगे तो भट्टे वाले खुद भी खरीद सके। आज कम्पनी ने यह प्रोजेक्ट बनाया है इन्होने पन्द्रहा साल को पुरा अपना यह लिखा है के कम से कम पन्द्रहा साल इसकी वाईब्लेटी होनी चाहिए और सही बात है जो बड़ा उद्योग लगाता है और चाहे छोटा उद्योग लगाता है। हम उसे पन्द्रहा साल की गारन्टी तो देगें। यहां एक हजार चिमनिया आगे मै बताउगा के इन्होने इस रिपोर्ट के अन्दर यह लिखा है के सिर्फ इस हमारे क्षेत्र में एक सीमेन्ट की एक चुना की है जो क्लिन लगी है। जबकी इसके अन्दर पूरा आप सब लोग बेठ कर सुनेगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप लोग बेठ जाओ एक बार।

इसके अन्दर पुरी मै लिस्ट लेकर आया हूँ, के इनका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अन्दर 55 चुने की भटिया अभी लगी हुई है। इसके अन्दर एक नही तो गुप्ता जी और जो यह रिपोर्ट तैयार की है उसके अन्दर आपने जीरो लिखा है इनके जो चून्ने की भटिया है उनको शिफ्टिंग कहां करेगें। एक नहीं 55 भटिया तो अभी काम कर रही है। और मुझे लगता है आपको अनुशंषा मिलेगी और आप जब सयंत्र स्थापित करोगे, और जब तक आप जमीने लोगो से नहीं ले लोगे तो कन्वर्जन तो तहसीलदार जी वो करवा पायेगा के नहीं करवा पायेगा यदि किसी ने जमीन नहीं बैची उद्योग को ये अपने भेड़ चराने वाले पुनाराम जी है हालाकि मैरा ज्यादा उनसे परिचय नहीं है उन्होने अपनी मायड़ भाषा के अन्दर जो बात कही उनके मन के जो उद्‌गार थे एक हमारे रामी बाईजी, महेन्द्र नराधणिया, गजेन्द्र वगरहा बच्चो ने जो बाते कही यह कही–न–कही बाते आप सब लोगो को खाली यह नहीं के यह बात कह कर चले गये आप नोट करो आदि बाते ऊपर पहुचे न पहुचे। मै प्रदूषण बोर्ड के आरओ भी बेठे है और मै किसी अधिक बात को कहुगां फिर आप पॉलिटिक्स तक ले जाओगे। अभी किसी ने कहां पोपा बाई का राज नहीं है। पोपा बाई का राज अभी है पिछले आठ महिनो में आप सामने बेठे हो आप बताओ कितने चुन्ने भट्टे वालो को और क्रैशर वालो को आपने नोटिस दिए। बतादो मुझे। और आप नहीं बताओगे मै बताउगा आपको। और उन लोगो के साथ आपने क्या किया यह भी मै बता दुगां उसकी चर्चा मैं यहां नहीं करूगां। सक्षम स्तर पर मुख्य मंत्री जी और दुसरे कार्य के लिए जो अधिकारी है उनतक भी मैं आप लोगो की शिकायत करूगां। आप लोगो ने क्या पोपा बाई का राज कैसे आप लोगो ने ला रखा है पिछले आठ महिने में। उसका भी हम इलाज करेगें। अभी सिर्फ हम इस उद्योग की चर्चा करेगें। इसके आगे पूरा बताया है कि हम किस तरहे उत्पादन क्षमता के अलावा, जो हमारी जो मुख्य चीजे जो इन लोगो ने छुपाई है एक तो जो चिमनीया लगी हुई है चुन्ने भट्टे की उसके अन्दर उसके अलावा तहसीलदार जी एडीएम साहब एसडीएम साहब आप रेवन्यू के अधिकारी है आप सारा सब कुछ जानते है। एक तो यह जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 है, की यदि हम चर्चा करे हम यहां तो यदि कही आप गौचर भूमि को कोई व्यक्ति यदि उसको लेना चाहता है। या उद्योग मे लेओ चाहे आप कई बार किसी सरकारी संस्थान बनाते हो तो उसके लिए भी आप एलोट करते हो। उसमे स्पष्ट नियम है के संभवतया उसी गांव के अन्दर गौचर भुमि दी जाये यदि उस गांव में नहीं है तो उस पंचायत में दी जाये और उस पंचायत मे भी नहीं है तो पड़ोस की पंचायत मे दी जाये। क्लियर इसके अन्दर यह जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसके अन्दर 968 जो पेज नम्बर मैं आपको सारा बता देता हूँ थोड़ा पढने की हिमायत भी करिया करे। कभी कभी कोशिश भी किया करो आप लोग क्यो कि अधिकारी बने के बाद क्या होता है कहने को तो आप किसान के बेटे है लेकिन उस कुर्सी पर जाकर आप लोग भूल जाते हो, कि वास्तव में किसान की बात कहां होनी चाहिए। जब बाते सारी हो गई तो फिर भोजास वो राना बाईजी ने जो कहां बडा अच्छा लगा। वहां भैड़ बकरिया क्या रेत खायेगी सही बात है भौजास आपने देखा है मरूस्थल के अन्दर यहां की गौचर को आपने वहां सिफ्ट कर दिया और अब क्या कह रहे है उस से फायदा किसको हुआ। तो शायद मुझे पता लगा आपको है या नहीं किसी को पता ही नहीं है फायदा हुआ कम्पनी को एक सौ पच्चीस करोड़ रूपयो का एक दो रूपये का नहीं एक सौ पच्चीस करोड़ का फायदा कम्पनी को हुआ वो कैसे हुआ मै अभी बताउ लेकिन आप सुनो इस बात को क्यो कि जन

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

सुनवाईया चलती रहेगी यह तो हो सकता है दुसरी जन सुनवाई हो लेकिन बहुत सारी ब्लॉक यहां सरकार यहां आवंटन करने की तैयारी मे है। तो आप लोग मजबूती से टेकनिक्ल पॉईन्ट हम तो कल यहां रहे ना रहे आप बताओ मुझे कोई जरूरी है क्या आदमी सौ साल दो सौ साल जीता है आप लोग ज्ञान लेने का प्रयास तो करो। खाली हल्ला कर के चल दो यह सही बात है। हमारे कोई भी आन्दोलन होता है उसका नेतृत्व योग्य व्यक्ति करता है जिसको ज्ञान होता है। वो नेतृत्व करता है उसके अन्दर सफलता मिलती है। आप नुई नुई बस लियाओ अगर ड्राइवर बावलो बिठादेव तो वो क्या करेगा वो ताडावास खींवसर थोडी ले जायेगा वो नाडे में लेजाकर डालदेगा मारदेगा सबको। नेतृत्व जो है समझदार चाहे गांव का सरपंच हो पंच हो विधायक हो प्रधान हो आपका पढा लिखा व्यक्ति हो जो कानून और नियमो के बारे मे जानता है। ऐसे नहीं आप हल्ला कर दो उस से कुछ नहीं होने वाला उससे कुछ नहीं होगा उसे आप लोगो को नुकसान है। इनको फायदा है ऐ तो अगरबती इे चीज की कर आया के फट्टा फट हल्लो हुवे और मे माके घरे जावा लेकिन अपने को ईमानदारी से पुरी बात एक एक व्यक्ति की सुननी है और हो सकता है कोई भी व्यकित सम्पूर्ण ज्ञानी नहीं है। मै भी इस बात को मानता हूँ मुझे कोई पूर्ण ज्ञान नहीं है। यहां पर छोटी छोटी बाते व्यक्ति बता रहा है उसको भी मै नोट कर रहा हूँ कै वास्तव में इसने बड़ा अच्छी बात बताई है। और हम तो ईमानदारी से हम दोनो भाईयो ने हमेशा ही प्रयास किया कि किसान परिवार के लोग जो है आगे आए आप लोगो की आजिविका सुधरेगी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग अभी तय ही नहीं कर पाये आधो से ज्यादा लोगो ने तो रटाया रटाया कोई एक छप्पा हुआ था काफी लम्बा कोर बन्डल पता नहीं कैसे कैसे शब्द जो खुद को ही पता नहीं अपने को रट्टी रटाई बात नहीं करनी है अपन अपना क्या चाहते है आधे लोग चाहते है फैक्ट्री नहीं लगे, आधे लोग चाहते है कि गांव वालो को साथ लेकर आपने जमीन अधिग्रहण नहीं किया आप चाहते क्या हो ? गुप्ता जी बेठे है और आप लोग भी बेठे है आप लोग मध्यस्था करें।

अधिकारी जो है आप लोगो की मूल भावना ये होनी चाहिए कि किसानो को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हम कैसे दे सके। इसके लिए आप ऐसा कोई एक मंच तैयार करो गांव के दस बीस मौजिज लोग एक दो को मत करो आप हो सकता है किसी से कोई तकलीफ हो उसमे में हमे भी मत रखो हम से भी किसी को तकलीफ है हमे पता है भाई हम राजनीति करने वाले लोग है और अलग अलग विचारधारा से इस लोकतान्त्रिक देश के अन्दर कोई किसी को मानता है कोई किसी को मानता है जो न्यूटल लोग हो ईमानदारी से और जो अपनी बात को कह सके। अब कोई ले जे बढाउ ही कोनी बात ही नहीं कह जाणे सीट खराब करण सू काई फाइदो ऐडो आदमी लेओ, जिको बात करे मै आपने बताउ अठे यदि कोई ढंग की पीआईएल लगावदो मै फिर दावे के साथ कह सकता हूँ आप लोग इकट्ठा होकर पांच दस जणा भट्टो वाले मैरे पास आ जाना और भरोसा कर के मै आपको केन्द्रीय हाइकोर्ट सुर्पीमकोर्ट में एक रीबीट आपके जरूर दिला दुगां आप भट्टो के पन्द्रहा साल की वाईब्लेटी की बात क्यो नहीं करते कै साहब हमने भट्टा लगा लिया आप कम से कम एक दो बडा ब्लॉक हमारे लिए रिर्जव करो आज पचपन जो चिमनिया है इनके अन्दर छियासठ हजार टन छियासठ हजार टन इनको भट्टो के लिए चाहिए अब छियासठ हजार टन को गुणा करो जब तक इनका संयत्र यहां लगेगा कम से कम मुझे पता है पांच साल लगेगे संयत्र के अन्दर यह दो तीन साल का तो कह रहे है। लेकिन हमने देखा है अम्बुजा जब शुरू हुई, तो सबसे पहले 1986 के अन्दर केईसी इन्टरनेशनल के नाम से आई थी। उसके बाद इन्डोलिपोन बन गई, उसके बाद ओर कुछ बन गई फिर अम्बुजा फिर रेकसीन पता नहीं कितने कितने लोग एक दूसरे शेयर का चयन करके बहुत बडा खेल है आप लोग नहीं समझ पाओगे इसको तो हो सकता है यह लगाये ही नहीं यहां फैक्ट्री को कोई और ही लगाये. कोई बडी बात नहीं है क्यो कि व्यापारी हमेशा व्यापारी जो है दिमाग से चलता है दिल से नहीं चलता हम लोग दिल से चलते है। इस लिए एक दूसरे से उलझ जाते है बिना बातो के जहां नहीं उलझना चाहिए हमे और हम मूल बात को कह नहीं पाते है। तो मै आपसे विशेष निवेदन रहेगा एक सौ पच्चीस करोड़ रूपयो की जो हम बात कर रहा हूँ। मै ही एक सौ पच्चीस करोड़ की बात कर रहा हूँ। के इन्होने बिलकुल उत्पादन क्षमता पांच करोड़ टन प्रति वर्ष और शुरूवाती वर्षो में दो मेट्रिक टन ट्रको से हम बाहर ले जायेगें। और उसके बाद हजार टन प्रति घंटा का जो क्रेसर है जो हम स्थापित करेगें। तो उसके नियम कायदे जो भी है। आप लोग बेठे है क्रैशरो के बारे में कई शिकायते आपके पास आई है और कईयो को आपने नोटिस दिये है। और फिर गोल–मोल हो गये आप, यह सही है विकास आपने आखीर काफी किया है वेट के अन्दर।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

लेकिन अब ऐसे काम नहीं चलेगा इस बात को आप ध्यान रखना मैं आपको व्यक्तित्व फिर कह रहा हूँ। मैरा इसको आग्रह मानना आप अभी क्यो कि मैरी पहली मुलाकात आपसे इस तरह गुन्डागर्दी आप लोगो की, चाहे रेवन्यू के अफसर हो, चाहे प्रदूषण बोर्ड के अफसर हो, आपकी गुन्डागर्दी नहीं चलेगी इलाके के अन्दर आप लोग कई बार हो सकता है मानव प्रवृत्ति है उन्नीस बीस चलता है कोई बात नहीं हम भी इस चीज के लिए ठीक है मानते है। लेकिन इस तरह थोडी है आपको हम तलवार दे देगे के आप किसी को मारो काटो ओर यह कतई बरदास्त नहीं होगा इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना। मै इनके कारखाने के उम्र पन्द्रह वर्ष बताई है कुल रोजगार इक्यासी बताई है। अभी कई लोगो ने कहां के आप हमे यह लिख कर दो कि इक्यासी लोग जो है वो हमारे गांव के होगे क्या किसी ने रिपोर्ट पढी उसके अन्दर बडे माइनिंग इंजिनियर, फोरमेन, ब्लास्टर, अपने गांव के अन्दर कोई है ही नही तो लगेगे कहां से बताओ आप अरे गांव में कोई आठवी पास से ज्यादा पढा लिखा नहीं हो और आईएएस के उसमे हम मांग करेगे कि आईएएस वाले मे हमे लिख कर दो हमे उसमे बेठने दो कैसे बेठने देगे अपने को तो इसके लिए एक बच्चे ने जो मांग की थी के आईटीआई जो खोडवा का जो नायक लड़का था बडे अच्छी बात कही आईटीआई कॉलेज यदि यहां खुले क्यो की देश भी आज स्किल डवलपमेन्ट की बात करता है। उन सबका नैतिक कृतव्य है, ऐसी संस्था यदि यहां खुले तो जब तक फैक्ट्री चालू होगी तब तक हमे कई आई टी आई के अन्दर कई अलग अलग ट्रेड के अन्दर हमे बच्चे मिलेगे तैयार। और उनको हम जरूर कई न कई कम्पनी के अन्दर रोजगार देने के लिए बात करेगें। मैं ज्यादा इसमे नहीं कह कर के अब आपको बताऊ में के कम्पनी ने 112 करोड़ यानी 1600 बीघा जमीन जो गौचर के लिए खरीदी आपने भाई कम्पनी...। आप थोड़े से हट जाओ कम्पनी के कोई व्यक्ति यदि मेरे कोई आकड़ो में गड़ बड हो तो आप बता सकते है। 1600 बीघा जमीन जो आपने गौचर जो है वो आप लोगो ने खरीदी इसके अन्दर लगभग 300 बीघा ताडावास में खरीदी और 1300 बीघा जमीन जो है वो आपने भौजास तातवास पता नहीं कहां कहां खरीदी है और वो खरीदने के लिए आपने साठ हजार से लेकर डेढ़ लाख तक और यहां की जमीन खरीदी है वो आठ लाख अब मुझे बताओ यदि आपके पास कैलकुलेटर है तो मैरे पास हिसाब नहीं आप बाद में गीन लेना यह किता पैसा कमा गये क्या सोचा इस बात को लेकिन इसके लिए अभी भी समय है हमारे पास और भी कई उद्योग आयेगे इनसे भी हम एक बार वापिस अधिकारियो के साथ मिलके बेठ कर बात करेगें। इसके अन्दर क्यो कि पशुओ की गणना की हम बात करे कि ताडावास के अन्दर 283 पशु 2007 के अन्दर उसके बाद गणना जो तहसीलदार जी सार्वजनीक नहीं हुई है। पशुधन की गणना है उसके बाद पशुधन की गणना सार्वजनीक नहीं हुई तो 2010 – 2011 के अन्दर जो इनका संसेक्स सर्वे हुआ पशुओ का ताडावास के अन्दर 283 और बैरावास के अन्दर 390 उसके बाद लगातार पशु बडे गऊशालाऐं बडी और यह नियम भी है के प्रत्येक एक पशु के लिए बडे पशु के लिए आधा बीघा जमीन आप रिजर्व रखोगे गौचर के लिए तो आप यह सारे नियम कायदे जो है हम इतने ही चाहते है कि नियम कायदो से देश चले हम यह भी नहीं चाहते कि बिना नियमो का आपको बात कहे वो आप करो वो भी नहीं है। लेकिन नियम कायदे जो है और दुसरा जो गौचर आप लोगो ने ली वो मैने देखा है मैने नक्शा भी मैरे पास देखा है उसके अन्दर रेड मार्कींग जो आपने कर रखी है यहां रास्ता दिखा दिया यहां आपने दस बीघा पच्चीस बीघा जमीन दिखा दी इसके जीरो पॉइन्ट में फिर बीस पच्चास बीघा और दिखा दी जब कि नियम यह कहता है। टीएनसी एक्ट की जो हम बाते के अन्दर गहराई तक जायेगे उसमे क्लियरली लिखा है कि दस हैक्टयर से कम जमीन और यदि उसमे रास्ता नहीं लगे तो हम कतई गौचर के लिए समर्पित नहीं कर सकते उसमे रास्ता तो लग ही नहीं रहा है जीरो पॉइन्ट अब यदि इधर वाले ने इधर वाले ने तारबन्दी कर दी तो पशु कैसे जायेगा वहां लेकिन बडा खेल इसके अन्दर यह हुआ के अभी जैसे भौजास तातवास वालो की जमीने खरीद ली उन काश्तकारो को लोगो ने इतना ही कहां आप तो जमीन हमे बैच दो पैसा ले लो और फिर आपकी ही रहेगी यह जमीन ताडावास की गाये वहा चरने थोड़ी आयेगी सही बात है इस लिए आप लोगो को यह चीज विशेष ध्यान करा दू क्यों कि उनका म्युटेशन होकर समर्पण होना बाकी है। इस समर्पण से पहले मिनटस कोन लिख रहा है आपके आपके मिनटस कोन लिख रहा है। क्या बताओ क्या लिखा है ? जो बोला वो लिखी आपने रिकार्ड नहीं लिखो आप रिकार्ड

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौरः– आप निश्चिंत रहे, सर एक एक बात हम लोग...

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायकः— निश्चिंत तो ऐसा है सुनो मेरी बात हम तो अनुभवी बात कर रहे है ना यह सारी बाते आप भी यहां नहीं रहोगे सुबह सरकार का आदेश हो गया आप को डुंगरपुर लगा दिया फिर आप और मेरे रिस्ते खराब हो जायेगे मै तो कहुगा एडीएम साहब ने नहीं किया। किसी पर भरोसा मत करो आप तो कलम और कागज पर इसपर भरोसा करना है। आपको जो कह रहा हूँ इस चीज को लिखते जाओ आप यह प्रस्ताव ऐडीएम साहब जरूर भेजे के जब तक उस गौचर भूमि में क्लियरली रस्ता नहीं जा रहा हो तब तक उस जमीन में समर्पण इसके बदले उसका नहीं किया जावे यह सबसे बड़ा हमारा पॉइन्ट है। और दूसरा यह भी कई लोगो ने जैसा कहां कि मुआवजा कम है तो यदि आप जमीन देना चाहते हो तो गांव के पाच सात लोग बेठ कर इधर बेठजाए और आप भी मध्यस्ता करके वास्तव में आठ लाख की जमीन यदि आप आठ लाख बीघा की आप बात कर रहे हो तो बिलकुल बईमानी है यह बात यह इसका अपराध आपको और हमे लगेगा। हमे इस लिए लगेगा हम यहां के जनप्रतिनिधि है और आपको इस लिए के अभी आप लोग प्रशासनिक सेवा के मुख्या बने हो तो कई न कई मतलब एक सरकार के सिस्टम के अलावा भी कभी आदमी दिल से भी सोचना चाहिए की कही न कही सहानुभुति की बात रखे और पोजिटिव जो बात है वो इनके पक्ष में आप लोग रखे इनको अच्छा पैसा दिलाये क्यो कि मै आपको बताउ के जब आठ लाख की जमीन इन होने लेना सुरू किया तब मै मैरे गांव की बता देता हू यहां से पच्चास किलोमिटर दूर है उस गांव में जमीने डेढ़ लाख रूपये दो लाख रूपये बीघा की होती थी। आज मैरे गांव मे जमीन चार लाख की हो गई उनको पता है सीमेन्ट कम्पनी जो पुर्नवास वाले लोग वो आयेगे उन्हे डबल पैसा देगें तो वो बैचारे दोनो तरफ से परेशान होगें। न तो उनको पैसा मिला और न ही जमीना का सही रेट पर अधिग्रहण हुआ। तो मै आपसे मेरा विशेष इसके बारे में आप लिखे के जो पुर्नवास की सारी बाते आपने बहुत लम्बी कर दी और मै सारी बाते यदि कहू अभी कई पूर्व वक्ताओं ने कहां था। कि आपने यह नहीं बताया कि यहां कितना सारा कुछ बताया है देखो पढने की आवश्यक्ता है। और जनप्रतीनिधि बिना पढे यदि आता है तो मै तो कहता हू बहुत बडा अपराध है। इस बात को आप सोचे अन्यथा नहीं ले क्यो कि महात्मा गांधी ने स्पष्ट कहां है कि किसी सभा के अन्दर यदि प्रवेश किया जाये तो झूठ बोलना और न बोलना दोनो ही पाप के भागी बनते है। झूठ बोलते है कि आपने इसमे लिखा ही नहीं जबकी साफ सारी बाते इन्होने अपनी रिपोर्ट के अन्दर लिखा है। माईनिंग डिटेलस के अन्दर टोटल ज्योलोजिकल रिर्सोसेज 217.2 मिलियन टन के भंडार है। इसमे से मिनरेबल विजन 56.6 मिलियन रिर्सोस जो लाइम स्टोन का है। इसका मतलब पन्द्रहा साल तक इन लोगो को यहां प्रचुर मात्रा में यहां मिलेगा। अब दुसरी बात यह आ गई नाडी तलाब की बात नाडी तलाब का भी इन्होने लिखा है यदि कोई यह कहे की लिखा ही नहीं आपने तो उसका मतलब उसने पढा नहीं सारी बाते लिखा है। लेकिन हमारा प्रयास यह है कि 2004 की जो अबदुल रहमान प्रकरण माननीय उच्च्व न्यायालय ने उसके अन्दर सटीक और सीधा लिखा है और यदि मै फिर कह रहा हूँ आपको उसका उल्लंघन आपने और कम्पनी ने किया तो हम चुप नहीं बेठेगे। हम आप सब लोगे के खिलाफ जो अवमानना का नोटिस हम दिलायेगे। उसमे स्पष्ट लिखा है के नाडी के अन्दर जहां तक का पानी आ रहा है उसको उन्होने केचमेन्ट ऐरिया माना आप देख लो ताडावास की जो नाडी है इसका क्षेत्रफल हो सकता है दो चार हैक्टयर ही हो लेकिन पानी बहुत दुर तक का आता है मगरे का और गौचर का तो उसको केचमेन्ट ऐरिया जो है वो आपको उसको तैय करना है तहसीलदारजी आप भी टीम बना के क्यो कि आप रेवेन्यु के एसडीएम साहब भी बेठे है। आपकी यह जिम्मेदारी है नेतिक जिम्मेदारी भी है सरकारी जिम्मेदारी के साथ साथ आपकी नितिक नैतिक जिम्मेदारी भी है। कि मैं हमेशा अधिकारो की बात करते है। क्या हमारा कर्त्तव्य है ही नहीं इस देश में मैं जनप्रतीनिधि हो तो क्या मेरे कर्त्तव्य से भी बन्दा हुआ हूँ मै तो सही टेम पर चलना लोगो को सिखाया है क्यो कि मै बहुत बार कहता हूँ नेतृत्व अच्छे व्यक्ति के हाथ में दे और बेठ कर सब की बात सुने आप लोग कही बार ऐसा होता है कुछ लोग एक अलग दी दिमाक सेट कर देते है और वो पुरवादेस से गृसित हो जाते है। अरे नहीं सा बठे इयां हुई भई ये जमीन अपनी जब तक आप अभी बाबुलाल जी कहां गये मैने आपको किता कहां जमीन मत बेचना आप कहां की नहीं कहां आप बता दो आपने दूसरे दिन आकर चुपके से बैच दी एमएलए क्या करेगा भाई साईन तो आप लोगो के होंगे ना साइन किसके होगे, भई सारे अधिकार दिए हुए हैं हमें, हमें टीएनसी एक्ट, काश्तकारी अधिनियम, इनके अंदर सारा कुछ है के खातेदार के क्या अधिकार हैं, क्या–क्या वो कर सकता है, अब जबरदस्ती तो आप चुपके–चुपके जाके, अभी मैंनें कल परसों किसी से सुना था, के साब 5–7 रजिस्टरियां छाने–छाने कराओड़ी पड़ी है, अरे कम–ऊ –कम ताड़ास रा किताक लोग हो थें, थें तो एको कर लो

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

कमुकम, के भाई ईमानदारी से, हम उद्योग लगाने के खिलाफ हम नहीं है, लेकिन हमें इस जमीन के बदले अच्छा पैसा मिले, और आर्थिक योग्य भाइयों, कोई यूं कहता है ना, कि नहीं–नहीं हमें पैसों का कुछ नहीं करना, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, सबको करना है पैसों से, पैसों से हमें भी करना है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी करनी है, उनको, हम यह सोचते हैं हमारा बच्चा भी आई ए एस बने, कोई बड़ा मेडल लेकर आए, हम सब की इच्छा होती कि नहीं होती। तो वों पैसों से क्यों नहीं संभव हो, हमारा स्टार कैसे ऊंचा हों। यह सही बात है, आपने देखा होगा, भड़ाणा के अंदर जो जे.एस.डब्ल्यू. आई, फिर उनका सौभाग्य यह रहा कि वहां जहां फैक्ट्री लगी वहां सिर्फ 54 ही कास्तकार थे, क्यों वहां जौ थोड़ी बड़ी थी, यहां जौ थोड़ी छोटी है। 54 कास्तकारो को उन्होंने बुलाके, यह कह दिया रेट क्या रहेगी? अब किसी से, आप मुझे बताओ बंजर जमीन का कोई कह दे। अभी आप में से, मेरे में से किसी ने कह दिया कि बताओ किता रिपया देणा है, तो गणा मांगीजे ही कोणी आपाणु, आपा ई केवा थोड़ाक ठीक–ठाक हिसाब हूं दे दो। उन्होंने बहुत खुले मन से यह कहा, आप बताओ तो गांव वालों ने कहा किसी ने कहा 8 लाख, किसी ने कहा 10 लाख, उन्होंने कहा भाईयों एक काम करो, हम आपको 11 लाख देंगे। और आप एक सहमति से बैठके और तय करलो रेट, आपको हम..। और देखो बिना कोई झंझट के वो फैक्ट्री भी खड़ी होने लग गई, देख रहे हो ना आप। अब आप हम किसी के काम को अटका देंगे, मैं कतई आप यह मत सोचना कि मैं फैक्ट्री वालों के पक्ष में हूं, मैं आपके पक्ष में हूं लेकिन मेरा ये दायित्व है कि मैं आपको गलत ट्रैक पर नहीं ले जाऊं। माऊ ऐड़ा कौनी हेवे ला, अबार तो फैक्ट्री आला रे खिलाफ बोल दूं, रात ने पचे होले–होले गुप्ता जी ने मिस कॉल देऊ, रात में मारू बात करें, वो काम भी कोनी। अंबुजा के अंदर हमने देखा मैं किसी पर लांछन नहीं लगाऊंगा, लेकिन सुनने का मादा भी पैदा करें, मैं गीता पे हाथ रखके कहदूं कि हम दोनों भाइयां का आज तक किसी भी सीमेंट फैक्ट्री के अंदर, हमने चाय भी नहीं पी इनकी, आप तो बहुत बड़ी बात करते हो, लेकिन ये जो बड़े–बड़े भाषण दे रहे हैं, किसी ने वहां ट्रांसपोर्ट का काम ले रखा है, किसी ने दो जेसीबिया लगा रखी है, किसी ने डंपर लगा रखे हैं, यही तो कारण होता है, कि जनप्रतिनिधि यहां खुल के नहीं बोल सकता हमारी तरह, कोई बोले के, आप बताओ मनें, तो मैं इता निवेदन आप सबसे करूंगा, क्योंकि टाइम भी काफी हो गया रे, सब लोगों ने अपनी–अपनी आपत्तियां भी दर्ज कर दी। मेरी जो आपत्तियां है, एक तो आपके गोचर भूमि पे और दूसरा नाड़ी के जो कैचमेंट एरिया है, किसी की गोचर हो या मंगरा हो या कुछ भी हो, उस कैचमेंट एरिया को हमें जिंदा रखना है, वरना आप हाईकोर्ट के उमाना के देखो, कल को आप भी भागीदार बनोगे और दूसरा जब भी आप हाईकोर्ट जायें, रामचंद्र जी वगैरा, अभी मुझे दिखे नहीं वापस। रामचंद्र जी बैठे हैं, आप लोग पहले पीआईएल लगाई बैरावास वालों ने, लेकिन उसके अंदर हाईकोर्ट ने कहा कि आप समय पर नहीं आए, बिल्कुल ठीक बात है। भई! न्याय भी समय पर मांगा जाए व समय पर मिले, तभी उस न्याय की महता है, अब यहां सुनवाईयां शुरू हो गई और आज मैं हाईकोर्ट में जाऊं, नहीं साब मुझे सुनवाई चाहिए, नहीं। हम और भी ब्लॉक हैं, जो अभी हमारे भाई जोरावरपुरा के सरपंच साहब थे पहले अणदाराम जी, उन्होंने भी अच्छी बात कही, कि हमारी जो ये जो ब्लॉक है किसानों को दिए जाएं, सबसे प्रबल बात तो यह है के आप कहीं ना कहीं छोटे ब्लॉक बना के और किसानों को भी देवो, ताकि वो भट्टों के लिए या अपना खुद का रोजगार पैदा कर सके, वो सीमेंट कंपनी को भी तो दे सकते हैं, आज मुझे एक बात बताओ, अंबानी, अडानी ने बिस्कुट की न बड़ी फैक्ट्रियां लगा रखी है, गेहूं व बाजरा हमसे ही तो ले रहे हैं ना किसानों से, खुद तो यह नहीं कहते कि हमें ये फैक्ट्री लगा ली है तो अन्न भी हम पैदा करेंगे। वो तो नहीं कह रहे, वो तो अपने भले की बात करें, तो हम भी अपने भले की बात करनी है। हम भी किसान लोग हैं, हमें यदि ये बेंच दोगे तो सीमेंट, तो हो सकता है हम भी उसका जो माल, जो उसको चाहिए उसकी पूर्ति कर सकें। दूसरा जो है इसके अंदर सारी चीज लिखी हुई है, पर्यावरण का विवरण अभी जो है, कई लोगों ने दिया था और पर्यावरण का तो आप भी ध्यान रखना। पर्यावरण यदि नहीं बचेगा तो आप और हम किसके फैक्ट्रियां काम आएगी, ये चीजों को तो आपको ध्यान में रखना है और मोटा–मोटी शिक्षा का, इस इलाके के अंदर शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े और शिक्षा का स्तर अच्छा बढ़ जाएगा ना। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि भई आपने देखा कि लोकतांत्रिक, इसमें चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे प्रधान हो, सरपंच हो, हर व्यक्ति ये कहता है ना कि आपको वो चीज मुफ्त में देंगे, इस बार ये बैग थैला मुफ्त देंगे, किसी ने कहा शिक्षा मुक्त में देंगे आपको। किसी ने नहीं कहा, उनको पता ये यदि कोई व्यक्ति शिक्षित हो गया जिस दिन, यह बात बाबा साहब अंबेडकर जी ने कही थी कि 'शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।' आज भी कहने वाला

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

व्यक्ति नहीं है इस लोकतांत्रिक देश के अंदर, आपको थैले बाटने है, अपने फोटो के, यदि शिक्षा मूलभूत हमारा अधिकार हैं तो हम शिक्षा की बात क्यों नहीं करें, लेकिन नेताओं को पता है जिस दिन आप लोग शिक्षित हो गए, उस दिन उनसे लेखाजोखा पूछोगे कि आपने 5 साल में काम क्या किया इसलिए इससे वह भी बचना चाहते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में हम सब लोगों का एक दायित्व है कि हम अच्छा कुछ इस इलाके के अंदर कुछ करें और इसके अंदर कहने को तो लंबी चौड़ी बातें बहुत है और आप लोग कभी बैठके और इस गांव के लोगों का भी में खुलेमन से, आज मैं आपको कह के जा रहा हूं कि हम लोग इमानदारी से, सारी विचारधाराओं को भूल के, यहां एक–दो दूसरे पार्टी के लोगों ने भी अच्छी बात कही, के हम सारे एक, चाहे विचारधारा हमारी अलग–अलग हो, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य यहां के लोगों को न्याय मिलना और उसके लिए यदि हम सभी एक इकट्ठे रहेंगे, आप ले चलो मुख्यमंत्री जी के पास, वो हमारे भी मुख्यमंत्री है, पार्टी भले हमारी अलग है, हम ईमानदारी से आपके साथ चलेंगे, हम कब मना कर रहे हैं। और अभी यह जो आक्षेप का जो है पैरा, इसके अंदर लिखा है 'द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट दीज टू एक्सप्लोरर मे बी प्रोबिलिटी सिंटींग द सीमेंट केयरिंग लोकेटेड वीथ इन द माईन लीज एरिया' इसके अंदर पूरा, गुप्ता जी आपने ही बना कर भेजा है, इसके अंदर लिखा है और आगे आपने लिख दिया कि 'ओनली वन सीमेंट कलिंन ऑपरेटिंग विद इन द एमएल एरिया' इज पर द अप्रूवल माइन प्लान प्रपज सेफ्टी एरिया प्रपोजड द अराउड द सीमेंट इन फ्यूचर कम्प्लीट प्लोर द पोसिबिलिटी सीफ्टींग द सीमेंट ऑटस एमएल एरिया एंड काउंसलेट द किल ऑर्डर' मतलब इतना बड़ा झूठ आपको शोभा नहीं देता बड़े व्यक्ति को, इसके लिए मैं, आप भलही बुरा मानो लेकिन मैं बिलकुल इसमें निंदा करता हूं आपकी, जिसने भी रिपोर्ट बनाई और सही बात है रिपोर्ट ऐसे ही बनती है तो जैसे पेपर आउट होकर अफसर बने, वैसे ही रिपोर्ट बनती हैं पता है इस देश के अंदर। मैं एक जानकारी लेकर आया हूं कि आपकी जो लीज हैं, इस माईनिंग प्लीज का इसके अंदर विकास लाइम, डी.के. लाइम, लड्ढा लाइम, महादेव मिनरल, बालाजी मिनरल, स्काई मिनरल, अरिहंत मिनरल, सुंदर लाइम, राणा केमिकल, कैल्शियम और आशा मिनरल, राणा इंटरप्राइज, गोल्ड मिनरल, श्रीराम मिनरल, एस.एस. इंडस्ट्री और शारदा लाइम। इस तरह 16 जो है ना, 16 उद्योग आपके लेंगे हैं, जिसमें 55 भट्टियां जो काम कर रही है और उसके अलावा हो सकता है कि फटाफट जो है एक्सपेंशन दे दे, और आपने यह है चीज लिखी है कि हम उनके साथ बैठ के और तालमेल से और अभी तो आपने लिख दिया इसके अंदर। तो कि हम जो है इसके सेफ्टी बैरियर के, आप गूगल का मैप निकाल लाये हो, यदि आप ईमानदारी से सेफ्टी बैरियर सब जगह लगाओगे, तो यह रास्तों को, यह रेवेन्यू के बड़े अधिकारी भी बैठे हैं, आज आप और हम झूठ बोल सकते हैं लेकिन गूगल तो झूठ नहीं बोलेगा, वह 20 साल पहले की तस्वीर आपके सामने रख देगा, आप कहो तो मैं रख दूंगा अलग से यहां बैठ के हम आप बात कर लेंगे इसके बारे में, पूरा मंगरे के अंदर न केवल आपके कटाणी रास्ते, बाकी उसमें 12 मासी रास्ते भी है, उनको भी आप किसी को भी आवंटन नहीं कर सकते, नियम यही कहता है कि यदि बारहमासी कोई रास्ते हैं और बारहमासी रास्ते में बहुत सारे हैं उसके अंदर आप लोग देखो। तो यदि सब जगह–जगह सेफ्टी बैरियर लगा देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप काम कर पाओगे क्योंकि नाड़ियों में भी बैरियर लगाओगे, दो–दो एनडीआर सड़के निकल रही है, स्टेट हाईवे निकल रहा है, ग्रामीण सड़क निकल रही है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, गाऊ शाला है, तो सब पर बैरियर लगा दोगे तो आप लोग क्या करोगे बताओ। तो अपनी भावना जो भी है, ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से, हम यह है नहीं कहते कि आप इसके अंदर कम से कम झूठ नहीं लिखे यह हमारा आपसे विशेष आग्रह है क्योंकि आप बड़े व्यक्ति हैं और यहां आए हैं तो कम से कम, ऐसा भी लोगों को नहीं लगे, कि भाई जनप्रतिनिधि आपके खिलाफ बोले, यह झूठ का पुलिंदा जो आपने बनाया है, निश्चित रूप से मैं इसकी निंदा करता हूं और इसके अलावा जो आपने यह सारी बातें इसके अंदर अपनी रिपोर्ट में लिखी है, 'द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट नीड्स यू कैरी आउट द पब्लिक हियरिंग इज द प्रोविजन ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006, पी पी सुड आलसो सबमिट द टाइम बाउंड, एक्शन प्लान, ऑन कम्शन ऑफ द पब्लिक थ्रू ए सेपरेट बजट विद कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइम ऑफ 3 ईयर्स' इसके अंदर क्लियर प्रोविजन है कि आप ऐसे नहीं, आपको पूरा बताना पड़ेगा, आप क्या–क्या इसके अंदर, हम जो भी अभी यह बातें आप लोगों को कहीं, उसके अंदर क्या–क्या करोगे और कब तक, पूरा टाइम बांउडेड आप, उसकी बात भी बात आप हम लोग से करोगे। इस टाइम ये करेंगे, इस टाइम हम यह करेंगे, सारा इसके अंदर दिया हुआ है, क्योंकि नियम में आप भी बन्धे हुए हों आप, हम भी नियम जानते हैं। कोई नियमों के अलावा कोई बात भी नहीं करेंगे। अब इसके अलावा जो आर एंड आर प्लान जो है, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

चीज जो है वो यह है कि हमारे पुनर्वास की व्यवस्था जो है, उसको लेकर आपने इसके अंदर कहां है इसमें सारा बता दिया स्कोंट बोर्ड ऑफ स्टडी, इंक्लूडेशन, इसके अंदर कितना क्या आ रहा है और ताड़ावास की, लैंप ब्रेकअप ऑफ माइंस लीज एरिया ताड़ावास, बैरावास, खींवसर का जो टोटल आपने दिया है, इसके अंदर आपने यह लिखा है कि "ऑन 81 फैमिलीज" इसका सर्वे आप वापस करें, के कहीं–न–कहीं इसके अंदर, केई लोग छूट गये, हम सिर्फ उनका जमीन का ही उनका पैसा दे रहे हैं, उन्होंने मकान बना रखे हैं, छोटे अपने जो है कैटल शेडस जो बना रखे हैं, पानी के टांके बने हैं, अब ईमानदारी से पूरा गणना करके अगर गांव वालों का मन है तो जबरदस्ती आप भी करोगे नहीं मुझे पता है और करोगे भी तो लोग यदि रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे तो आप क्या करोगे तो गांव वालों के साथ...। आज जो पूरा मामला निकलकर आया है वह इतना है कि आपके और इनके बीच में कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हुआ है। बाकि कोई ऐसा बड़ा इश्यू नहीं था, वही ऐसा तो पूरे गांव वालों ने कहा ही नहीं कि आपको यहां आना ही नहीं था, ताड़ावास में, आप आओ। भाई! मुझे पता है क्योंकि आपने सारी बातें इसके अंदर लिखी है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी रे, मुख्यमंत्री जी रे सारे एक ही तो बात कह रहे हैं कि ट्रीलियन डॉलर की हम इकोनामी बनाएंगे, हम उद्योगों में ये करेंगे सारी बातें तो, हम उनसे बड़े थोड़ी हैं, हम भी नहीं कर सकते और यदि कोई ऐसी बात कहता है अंबुजा सीमेंट के लिए भी यदि समय पर कम्युनिकेशन होता तो मुझे लगता है उसे इलाके को बहुत कुछ मिलता, आज आप देख रहे हो वो इतने सालों बाद भी सैकड़ो की तादाद में गांव के किसान आज भी तंबू लगाए बैठे हैं और हम जैसे जनप्रतिनिधि भाषण तो खूब दे देते हैं, लेकिन उनकी सुध नहीं ली जाती, आज तक। के भाई आपकी मंशा क्या है, आप क्या चाहते तो हम आपकी मदद क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, और सही बात है बड़े लोगों से लड़ना, हर किसी में मादा भी नहीं है, ये भी हम जानते हैं, यहां भाषण देने से क्या हो जाएगा, अभी रात को थानेदारजी फोन करेंगे तो सुबह केई नहीं सा मैं तो इयां ही बोल गो रे, मां तो थांके हाथे ही हां। यह भी मैं जानता हूं अच्छी तरह से, इसलिए मैं उस बातों पर नहीं जाकर और हमें तो मोटा–मोटी जो है, इसके अन्दर एक ही चीज है, के वन–भूमि का जो मामला है और ग्रेजिंग लैंड का जो मामला है तो यह जो अपने विस्तार से नहीं बताई, जियोलॉजिकल प्लान और सेक्शन जो आपने लिखे हैं, इसके अंदर इतने छोटे लिख दिये, हालांकि मैं चश्मा नहीं लगता लेकिन रात को मैंने किसी दूसरे का चश्मा लगाकर पढ़ने का प्रयास किया फिर भी नहीं पढ़ पाया। तो बातें जो भी क्लियर हो यूं वो बीमा वाले करते हैं ना, वो टी एंड सी लिखके बिल्कुल छोटा–छोटा लिखते हैं, कि बीमा ये रहेगा आपका, लेकिन उसमें शर्तें इतनी होती है कि उसमें आदमी को कुछ मिलता ही नहीं। तो आपने जो यह छोटी–छोटी चीज लिखी है ना इसके बारे में एक बार गांव वालों से खुले मन से आप लोग चर्चा करें। और यह सरफेस प्लान जो बनाया है आपने, बनाने को तो बड़ा सुंदर बनाया है लेकिन अब इसके अंदर भी देखो आप यदि जाओगे तो ये ढ़ाणियां जो आपने दिखाई है, तो उसमें 81 कैसे आई है फिर, अब इसके अंदर भी यदि गिनती करोगे ना आप, तो भी ज्यादा आ जाएगी, तो 81 का आंकड़ा कहां से ले आये आप, या तो 81 शुभ होता है इसलिए लाये होंगे, मारे हिसाब सू, के 51, 71, 61। तो इसका अपन पूरा एनालिसिस करके और हमारा ईमानदारी से यह प्रयास है और मैं तो ताड़ावास गांव के युवाओं से निवेदन करूंगा विशेष रूप से, देखो आप को अपनी लड़ाई आप ही लड़ सकते हैं हम तो आपको बता सकते हैं कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी भी लगेगी मुझे पता है। क्योंकि यह देश लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है, यहां आप कितना ही कुछ कह दो "के एक बार एक बनियों कने गुड लावण गियो और 25 पैईसा रो गुड लियो, तो वो गुड़ भी ले लियो और बे 25 पैईसा बिणे चिपोड़ा रेगा, तोई घरें आइन कियो बाणियों की गड़बड़ी तो करी है, थारे 25 पैईसा भी पाचा आईगा और गुड़ भी लियाओ, भलई गड़बड़ करदी बो।" तो पूर्वागृह से ग्रसित है हम कुछ तो, के यार नहीं–नहीं ये अपने भले की बात करें, हमारा कोई भला नहीं, कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं, न हम यह गुप्ता जी ने, ना इनकी इकाई बैठी है, मैं तो आज ही आप ने राम–राम किया, तो चलो एक परिचय की बात है और हमारे कोई ये दुश्मन नहीं, इनके आप दुश्मन नहीं, ये भी किसी बड़े लोगों के नौकर हैं, यही समझ लो आप, जैसे ये आपके जनता के नौकर हैं, वैसे ये भी किसी बड़े समुदाय के लिए काम कर रहे हैं लेकिन इतना मैं निवेदन आप सबसे करूंगा, विशेषकर ताड़ावास के युवाओं से, भई ताडास, बैरावास हित तो आपके ही जा रहे हैं, हमारे हित तो कोई नहीं है, हम एक मानवता के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, हमारे अधिकारों के साथ–साथ हमने जो संविधान के अंदर जो कर्तव्यों का बोध है वो हमने पढ़ा है, इसलिए हमने ड्यूटी समझी और फटाफट आप लोगों के लिए हाज़िर हो गए, तो आप लोगों से ताड़ावास और बैरावास के लोगों से मैं निवेदन करूंगा

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

5–7 समझदार आदमी, कई बार क्या होता है अपन अनर्गल बात बहुत कह देते हैं लेकिन काम की बात हम कह नहीं पाते, सबसे बड़ी यह है, अब ईती लंबी चौड़ी बातें अपन ने की लेकिन काम की बातें हमारे मोटा–मोटी ये है कि हम एक तो बड़ा मुआवजा मिले, यदि गांव वाले सहमत हो कंपनी आ, फैक्ट्री यहां लगनी चाहिए, तो बड़ा मुआवजा मिले नंबर एक। हमारी नाड़ी–तालाब जो है उसका कैचमेंट एरिया सुरक्षित रहे, गांव के जो गोचर भूमि जो है, वो अधिकतर गोचर भूमि गांव में, गांव में नहीं तो कम–से–कम पंचायत में, उसके लिए कोई विशेष वो करें आप लोग। अभी आपने जैसे खींवसर की ये जो ताड़ावास के इलाके में जो गोचर ली, उसका भी मैंने नक्शा देखा उसमें भी वो जिग–जैग ही है, उसमें भी सब में रस्ते नहीं लग रहे हैं खसरे के अंदर, तो तहसीलदार जी आप और एसडीओ साहब बैठे हैं, आप लोग इसके अंदर ही तय करें के भाई गोचर भूमि के रस्ता जरूर लगे, वरना कोई पशु चराने कौन ले जाये, ले जाने देगा बताओ आप मुझे। तो मोटा–मोटी तो इसके अलावा अपने रोजगार की बात है, पुनर्वास की बात है, ये सारी बातें जो है, मैं ताड़ावास के लोगों से निवेदन करूंगा 5–7 समझदार आदमी और उन पर आप भरोसा करो, कई बार होता क्या है कि आप चार आदमी चुन देते हो और फिर बाहर गवाड़ में बैठकें बात करते हो, ''यार ओ तो गुप्ता जी ऊं सेट हुईगो, इने नारायण जी फोन कर दियो हुला'' अपने को पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है, जमीन आपकी है, जब तक रजिस्ट्री पर किसान के सिग्नेचर नहीं होंगे, कोई कुछ कर ले आपकी जमीन कोई नहीं ले सकता, लेकिन इतना मैं निवेदन करूंगा कि यदि आपका मन है कि यहां फैक्ट्री लगे, तो आप इनके साथ बैठके बात कर लो, एक अच्छे वातावरण के अंदर कोई समझदार आदमी जो कई लोग भाषण दे रहे थे, तो उनको भी आप साथ रखो मैं यह कह रहा हूं कुछ जनप्रतिनिधि हो, कुछ समझदार व्यक्ति हो, लेकिन हो इसी गांव के, यही आसपास के लोग, ताकि सही स्थिति आप लोगों की क्या है, उसके बारे में बता के और आपको अधिक से अधिक लाभ कैसे मिले, और आप ये चाहते हो कि फैक्ट्री लगे ही नहीं तो फिर आप जमीनें मत बेचो, दोनों तय। ताकि गुप्ता जी भी कहीं दूसरी जगह काम तो लगे, इनको आपने फंसा दिया, कई लोगों ने जमीनें इनको बेच दी, तो इनको यह भी लालच है कि भई बाकी भी देंगे, धीरे–धीरे देंगे। और यह मनुष्य प्रवृत्ति है जब एक आदमी, एक आदमी मैं थोड़ोक हेवेन खेती कर दे नी तो दुजोड़ा हगला ही ढुका ट्रैक्टर लेने खेती करदा आपा। आ आपा की नेचर आपा की, तो भई आपा आ चावा की फैक्ट्री अटे लागे तो थे ताड़ावास का लोग तय करलो, के भई बढ़िया मुआवजों मिले और यदि आ चावों न नहीं लागणी, तो पचे आज हूं ई कसम खाई, संकल्प लेई, जाईजो अटे के मैं जमीन कोनीं देवा, चाहे की, चाहे किता ही माने रिपया देवे और यदि रिपया वास्ते ही आपा बैठा हां तो आपा ईमानदारी ऊं सब लोग, ऐ भई जो अधिकारी बैठे हैं ये भी गांव के ही लोग हैं, समझते हैं सारी बातों को, ये एक, आप इनको एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराओ, वार्ता का, इनकी कम्युनिकेशन हो बढ़िया ताकि मिल बैठ के और हो सकता है कि कई इंडस्ट्री आए और अच्छी भावना से यदि इंडस्ट्री आए और हमारा इनको सहयोग हो, इनका हमारे हो तो कहीं–न–कहीं इस इलाके को भी कुछ ना कुछ फायदा दे, अभी जैसे भट्टे लगे हैं, भट्टो से फायदा सिर्फ इतना हुआ की कुछ लोकल नौजवान जो है, उन्होंने उनकी देखादेखी में भट्टे लगा लिए, इतना ही फायदा हुआ बाकी कोई लंबा चौड़ा फायदा नहीं हुआ है, बाकि तो पॉल्यूशन वाले इन्होंने इतना कर दिया है के इनके सिर्फ यह जो आरओ साहब बैठे हैं इनका ही मोटापा बढ़ा है, ये ही स्वस्थ हुए हैं, बाकी सब बीमार हो गए, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, के हमें सही दिशा में हम आगे बढ़े, ईमानदारी से हमारा प्रयास यह है और हमारा यह प्रयास है कि हमारी, मैं नैतिक जिम्मेदारी मानता हूं, एक जनप्रतिनिधि, क्योंकि आपने मुझे चुना था और मैं पूर्व विधायक हूं तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं बिना कोई भेदभाव के और ईमानदारी से आपको जो बात है और विधि समद बात है, हम शपथ लेते हैं जब विधानसभा में जाते हैं, आप लोग देखते हो हम शपथ लेते हैं, हम विधि के द्वारा स्थापित इसको हम अक्षुण रखेंगे, अक्षुण कहां रखें, हम तो झूठ बोल जाते हैं कई बार, लेकिन झूठ पब्लिक को पता लग जाता है भई, झूठ बोलोगे तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज मैं जो यहां बोल रहा हूं यह 20 साल बाद भी दौड़ेगा ये वीडियो, के साहब, एमएलए साहब आप उस दिन तो यह कह रहे थे और आज आप ऐसे बोल रहे हो, तो मैं संतुलित बात ही करके जाना चाहता हूं यहां, यदि गांव के लोगों की मशां है, के इनको हम जमीन दे, तो प्रशासनिक अधिकारी आप बैठे कें, चाहे कम्युनिकेशन का प्लेटफार्म बना के आपसी सहमति से, यदि इनको अच्छा मुआवजा, पैसा मिले तो बढ़िया और यदि आप लेना–देना नहीं चाहते जमीन, तो उसकी आपत्तियां तो दर्ज कराई और मेरी भी जो आपत्तियां हैं आप लोग लिखे और इन गांव वालों की जो आपत्तियां है, वो सारी की सारी आपत्तियों में मैं मेरा इनको समर्थन करता हूं और मैं यह चाहता हूं कि

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

- एक बार यदि ये आपकी जो आज आपने जनसुनवाई जो कार्यक्रम रखा, इसके अंदर थोड़ा सा लोचा यह रहा कि यह सही बात है, थोड़ा सा आप यहां इसका प्रचार प्रसार कर देते तो कुछ लोगों का गुस्सा कम होता, यह सही बात है बिल्कुल। यदि हम कुछ करना भी चाहते हैं, एक तो, एक बार क्या हुआ के नियत ही अपनी खराब हो तो अलग बात है "कोई खेती कर रहा था और कोई समझदार आदमी गया तो बोले क्या बो रहा है भई, के कोनी भताऊं, तो कियों ऊगी जणा देख लेऊ, वो लाई समझदार हो, वो कियों ऊगी जणा देख लेऊ, कियो राम जी उगीजो ही मती" तो कई ऐडा लोग भी हुवे अपनी नियत बिल्कुल साफ होनी चाहिए, और हो सके तो आप भी सरकार से बात करें और इस जनसुनवाई को कहीं–न–कहीं आप बहुत बड़े वृद्ध स्तर पर नहीं तो, कम–से–कम ताड़ास, बैरावास के लोगों के साथ एक बार पुनः ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है, इस पर चर्चा करके और लोगों को आप न्याय दिलाऐ क्योंकि बड़े पदों पर आप बैठे हैं और सारे रेवेन्यू के अधिकारी जो हैं इसके अंदर गोचर भूमि, कैचमेंट और ये सारी बातें जो है, इसके अंदर आपका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए मैं आपसे फिर ये गुजारिश भी करूंगा, के सब लोग आप इसके अंदर एक पॉजिटिव तरीके से इन लोगों को हम न्याय कैसे दिला पाये, इसके लिए आपको कार्य करना है। धन्यवाद! जय हिंद! राम–राम!

श्री रेंवतराम डांगाः– मिनखा, मारो तो ओ ही थाने हाथ जोड़ केणो है, थांको थेंही हमालो ला जणा काम पार पड़ेलो, ध्यान राखजो, कई नेता बे हा, अम्बुजा को हटायेंगे, भेनचोद इसको हटायेंगे, और एक तरफ उनका हो रहा था, दस साल से, 15 साल से, जो भी जनप्रतिनिधि है, कोई भी हो, चाहे मैं भी हो, आप पूरा उसपे विचार करें, मन्थन करें, के दोगली बात, एगली बात, कैसी होती है और क्या होती है। हम कहते थे, ये अम्बुजा वाले हमारे बच्चे नहीं लगाते, अरे इसको हटायेंगे, कल हटायेंगे और वो चल रही है, एक भी बन्दा क्षेत्र का नहीं है, वहां के किसान परेशान है, तो यह बात आपको सोचने की है, ताड़ास, बैरास, खोड़वा आसपास के क्षेत्र के लोग आपको यह तय करनी है, आपकी मजबूती के साथ आपका काम आप खुद संभालोगे, हम आपके बीच मिलेंगे, आप मजबूती के साथ रहोगे, तो हम मजबूत रहेंगे, नही तो, आप सब जाणो ही हो, कांई बोले, करनी और कथनी में कितो अन्तर हुवे, कांई–कांई हुवे। जमीं अधिकृत हुई, यहां के नेता कौन थे, भोजास में जमीन ली, यहां के अधिकारी के थे, अधिकारी को मेन्टेन कौन करते थे। कौनसी सरकार थी, और यहां के क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, और कौन यहां के जनप्रतिनिधि थे। आप सब को पता है, मेरा हाथ जोड़ यही है, सच्ची बात पढ़ा लिखा नहीं, सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, स्वर्गीय रामदेव जी विधायक बने थे, मेरे पिताजी सरपंच थे, तीस साल सरपंच थे, उनके साथ थे, मैं उनके साथ था, वो बिल्कुल पढ़ा–लिखा नहीं था। भाईयों पढ़े–लिखें की बात, इंसान होना चाहिए, उनके अन्दर गुण होना चाहिए, पढ़ने से, सफाईती देने से बात नहीं होती, मंच से सफाईती...।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौरः– सुनो एमएलए साहब, रेवन्त जी अपण अपणे कम्पनी री बात...।

श्री रेंवतराम डांगाः– मेरे ऊपर क्यों किया भाई, मैं मारी भात करूं ना, हां मैं मारी भात करू ना... भाई इन्होंने बोला, एमएलए साहब ने बोला, एमएलए साहब ने बोला तो मैं भी बोलुंगा..., ये पढ़ा–लिखा नहीं है, भाईयां आदमी के अन्दर गुण होना चाहिए, खाली आपणा गुणगान करने से नहीं होता, परिपाठी पढ़ने से नहीं होती, सच्चा इन्सान होना चाहिए, और सच्चा इन्सान.... चलो था मैं गांव के हाथे, मैं तो गांव के हाथे, आपणे हाथ जोड़ ओही केणो है।

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौरः– आप तो गांव की बात करों, गांव की। आप तो गांव की बात करो, ताड़ावास, बैरावास की... माईक चालू कर दो, एक बार...।

श्री रेंवतराम डांगाः– देखो अपण तो सब गांव के साथ हैं, हमारा किसानों का भला होना चाहिए, अब के रास्ता वहां भोजन के अंदर, तहसीलदार जी ने रास्ता दे दिया है, उस रास्ते से हम क्या करेंगे, बताओ भाइयां करेंगे क्या, के वहां रास्ता होना चाहिए, उस रास्ते से क्या करेंगे। बैठ के बात करोगे, क्या करेंगे हमारी जमीन, कैचमेंट एरिया वो सारा अधिकृत कर दिया, तो भाइयों मेरा तो एक ही निवेदन है, आपका काम आप खुद को संभालना होगा, तभी हम मजबूत

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

रहेंगे, हां बस यही बात है, आप मजबूत होंगे, तो हम मजबूत होंगे। आप जानते हो, दोहरी राजनीति कैसी है, सर गुप्ता जी, सर वो.....। हमें तो यह आता नहीं है, हमें सफाईती आती नहीं है, हम आप जैसे हैं, हम सच्चे सिपाही हैं। आपके बीच मिलेंगे, ईमानदारी से मिलेंगे। जो भी आप किसान.....

श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौरः– भाई माईक ले लो... एक बार, सभी 2 मिनट बैठे तो मैं इसको खत्म करूं, प्लीज! आप लागे बैठे एक बार। कृपया सभी लोग बैठे, हो गई, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एक जो है, यह चलती रहेगी, आप अपने बात रखो, खत्म करों

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., नागौरः– आप सब ने आपकी बातें रख दी है, इसके लिए धन्यवाद, और आपकी सारी की सारी जो बातें है, जो भी आक्षेप आपने कहें है, जो भी आप की डिमांडस है, वो सारी की सारी यूं की यूं सरकार तक पहुंच जायेगी। इसी के साथ इस जनसुनवाई कार्यवाही को हम समाप्त करते है, धन्यवाद!

जनसुनवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात उक्त खनन परियोजना से संबंधित जो भी सुझाव/अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र लिखित रूप में प्राप्त हुए है, संलग्न है।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, नागौर द्वारा जनसुनवाई के दौरान ग्रामवासियो/व्यक्तियो का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद के साथ श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिला नागौर की अनुमति से पर्यावरणीय जनसुनवाई की समाप्ति की घोषणा के साथ जन–सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

श्री सचिन कुमार,
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., नागौर

श्री चम्पालाल जीनगर,
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला नागौर

क्षेत्रीय कार्यालय,

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नागौर,(राजस्थान)

मैसर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड की प्रस्तावित चूनापत्थर ब्लॉक–**4G-I-A** (ऑक्सन ब्लॉक) (क्षेत्रफलः 610.863574 हैक्टेयर) चूनापत्थर उत्पादन क्षमता 5.00 मिलियन टन प्रतिवर्ष, 1000 टन प्रतिघंटा के क्रशर की स्थापना के साथ निकट गाँव–ताडावास, बैरावास, और खींमसर, तहसील –खींमसर, जिला –नागौर, राज्य–राजस्थान लोकसुनवाई हेतु उपस्थित पत्रकः– दिनांकः 27.08.2024, समयः प्रातः10:30 बजे, स्थानः सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय, ताडावास, तहसील–खींवसर, जिला–नागौर।

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
01	चम्पालाल जीनगर	Adm Nagaur	[signature]
02	हरसिंह झेरावत	SDM Khinwsar	[signature]
03	सचिन कुमार	R.O, RPCB, Nagaur	[signature]
04.	Mahendra Singh Muwal	TDR Khinwsar	[signature]
05.	Narendra Kumar	ASP, Nagaur	[signature]
6	Hitesh Sukhwal	JKLC Khimsar	[signature]
7	Jayanta Kundu	—"—	[signature]
8	D. Pandey	—"—	[signature]
9	HO. साहिल		[signature]
10	Chetan Rawal	—"—	[signature]
11	Jugal Kishor	Khimsar	[signature]
12	Ram Ratan Gupta	JKLC	[signature]
13	P. Chatterjee	JKLC	[signature]
14	Sanjeev Kumar [illegible]	JKLC	[signature]
15	Ramesh Nehra	JMEPL	[signature]
16	[illegible] (struck through)		
17	Deepak Vyas	R.K studio, Nagaur	[signature]
18	[illegible]	Khinwsar	[signature]
19	Lakhit	Khinwsar	[signature]
20	Sampat	Khinwsar	[signature]

क्षेत्रीय कार्यालय,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नागौर,(राजस्थान)

मैसर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड की प्रस्तावित चूनापत्थर ब्लॉक–**4G-I-A** (ऑक्सन ब्लॉक) (क्षेत्रफलः 610.863574 हैक्टेयर) चूनापत्थर उत्पादन क्षमता 5.00 मिलियन टन प्रतिवर्ष, 1000 टन प्रतिघंटा के क्रशर की स्थापना के साथ निकट गाँव–ताडावास, बैरावास, और खींमसर, तहसील – खींमसर, जिला –नागौर, राज्य–राजस्थान लोकसुनवाई हेतु उपस्थित पत्रकः– दिनांकः 27.08.2024, समयः प्रातः10:30 बजे, स्थानः सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय, ताडावास, तहसील–खींवसर, जिला–नागौर।

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
21	Malvika Tak	Khimsar	Malvika
22	स्वरूप कंवर	खींवसर	स्वरूप कंवर
23	Mohit	खींवसर	[illegible]
24	Surender	खींवसर	[illegible]
25	पुखाराम	बैरावास	पुखा
26	सन्तोष	कुड़ची	[illegible]
27	बुधाराम	मेड़ता	[illegible]
28	ओमप्रकाश		ओमप्रकाश
29	राकेश	मालगांव	[illegible]
30	जेठाराम	नागौर	[illegible]
31	लाखाराम	नागौर	[illegible]
32	कमल	खींवसर	[illegible]
33	श्रवण	ताडावास	[illegible]
34	श्रवण	खींवसर	श्रवण
35	वीरेन्द्र	मुण्डियाड़	विरेन्द्र
36	सुरेन्द्र		सुरेन्द्र
37	राधेश्याम	पुलिस लाइन	राधेश्याम
38	रामस्वरूप	उम्मेदसागर	[illegible]
39	आशा 1698	— do —	आशा
40	ललिता 54	— do —	ललिता
41	सुमित्रा 1318	— do —	सुमित्रा
42	मंजू 1523	— do —	मंजू

क्षेत्रीय कार्यालय,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नागौर,(राजस्थान)

मैसर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड की प्रस्तावित चूनापत्थर ब्लॉक–**4G-I-A** (ऑक्सन ब्लॉक) (क्षेत्रफलः 610.863574 हैक्टेयर) चूनापत्थर उत्पादन क्षमता 5.00 मिलियन टन प्रतिवर्ष, 1000 टन प्रतिघंटा के क्रशर की स्थापना के साथ निकट गाँव–ताडावास, बैरावास, और खींमसर, तहसील – खींमसर, जिला –नागौर, राज्य–राजस्थान लोकसुनवाई हेतु उपस्थित पत्रकः– दिनांकः 27.08.2024, समयः प्रातः10:30 बजे, स्थानः सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय, ताडावास, तहसील–खींवसर, जिला–नागौर।

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
43	ललिता कंवर MFC 1221	RPL नागौर	ललिता कंवर
44	अनिता MFC 1835	— do —	अनिता
45	सुशिला MFC 1875	— do —	सुशिला
46	पुष्पा MFC 1368	— do —	पुष्पा
47	जसवंतसिंह		जसवंतसिंह
48	दिनेश		दिनेश
49	धनराजसिंह		धनराजसिंह
50	सुरेश		सुरेश
51	बालमुकन्द चांद [illegible]		[illegible]
52	मोमाराम	खींवसर	[illegible]
53	श्रीराम	खींवसर	श्रीराम
54	मांगीलाल	खींवसर	मांगीलाल राम
55	पदमाराम	खींवसर	पदमाराम
56	लक्ष्मण	खींवसर	[illegible]
57	भंवराराम	खींवसर	श्याम [illegible]
58	श्यामलाल		श्यामलाल
59	चोथाराम	खींवसर	चोथाराम
60	विकास	खींवसर	विकास
61	हरदीन	बैरावास	हरदीनराम
62	पदमाराम	खींवसर	पदमाराम
63	सन्तोष	खींवसर	
64	पवन	खींवसर	

क्षेत्रीय कार्यालय,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नागौर,(राजस्थान)

मैसर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड की प्रस्तावित चूनापत्थर ब्लॉक–**4G-I-A** (ऑक्सन ब्लॉक) (क्षेत्रफल: 610.863574 हैक्टेयर) चूनापत्थर उत्पादन क्षमता 5.00 मिलियन टन प्रतिवर्ष, 1000 टन प्रतिघंटा के क्रशर की स्थापना के साथ निकट गाँव–ताडावास, बैरावास, और खींमसर, तहसील – खींमसर, जिला –नागौर, राज्य–राजस्थान लोकसुनवाई हेतु उपस्थित पत्रकः– दिनांकः 27.08.2024, समयः प्रातः10:30 बजे, स्थानः सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय, ताडावास, तहसील–खींवसर, जिला–नागौर।

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
65	गणपत राम	ताडावास	गणपतराम
66	प्रतापराम	ताडावास	
67	प्रमोद	खींवसर	प्रमोद
68	पवन	खींवसर	पवन
69	राहुल	खींवसर	राहुल
70	श्यामलाल	सोयला	श्याम लाल गोद
71	सन्तोष	खींवसर	सन्तोष
72	K.S. Yadav	Advocate J.M. Environment Jodhpur	[signature]
73	ज्योति कुमारी	JMEPL	[signature]
74	बजरंगाराम	ताडावास	बजरंगा
75	नेमीचन्द	ताडावास	नेमीचन्द
76	महिपाल	ताडावास	महिपाल
77	ओमप्रकाश	ताडावास	ओमप्रकाश
78	सुलोचना ANM	ताडावास	सुलोचना
79	[illegible] NO	खींवसर	[signature]
80	Dr. Arun Sharma	खींवसर	[signature]
81	प्रदीप कुमार उपाध्याय	WB CHC खींवसर	प्रदीप कुमार
82	श्रवणराम FC 1540	PS खींवसर	1540
83	पुखराज शर्मा	पटवारी ताडावास	[signature]
84	कुमेरदान	RI लालावास	[signature]
85	गजेन्द्र	ताडावास	Gajju

क्षेत्रीय कार्यालय,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नागौर,(राजस्थान)

मैसर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड की प्रस्तावित चूनापत्थर ब्लॉक–**4G-I-A** (ऑक्सन ब्लॉक) (क्षेत्रफलः 610.863574 हैक्टेयर) चूनापत्थर उत्पादन क्षमता 5.00 मिलियन टन प्रतिवर्ष, 1000 टन प्रतिघंटा के क्रशर की स्थापना के साथ निकट गाँव–ताडावास, बैरावास, और खींमसर, तहसील –खींमसर, जिला –नागौर, राज्य–राजस्थान लोकसुनवाई हेतु उपस्थित पत्रकः– दिनांकः 27.08.2024, समयः प्रातः10:30 बजे, स्थानः सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय, ताडावास, तहसील–खींवसर, जिला–नागौर।

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
४६	मोनिका	ताडावास	मोनिका
४७	कमला	ताडावास	कमला
४८	अंकित	ताडावास	अंकित

(1)

श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी,

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल,

नागौर

विषय – 27 अगस्त को हमारे गांव में एक सीमेंट कंपनी को चूना पत्थर ब्लाक 4G-I-A से खनन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति देने बाबत लोक सुनवाई.

हमें पता चला है कि हमारे गांव की स्कूल में इस मामले में लोक सुनवाई होनी है, लेकिन गांव के लोगों को यह जानकारी नहीं है कि इस सुनवाई में मुद्दे क्या हैं. हमें सरल हिंदी भाषा में एक पत्रक (पम्फलेट) बांटकर इस बारे में पहले शिक्षित करिए, ताकि हम सुनवाई में अपनी बात रख सकें. यह पत्रक गांव के हर घर तक सुनवाई से कम से कम तीन दिन पहले पहुंचे. स्वस्थ लोकतंत्र में यही होना चाहिए. आप अचानक हमसे पूछेंगे कि हमको क्या आपत्ति है तो हम कैसे बता पायेंगे ? खनन और पर्यावरण विभाग की तकनीकी भाषा को हम नहीं समझ पायेंगे.

इसलिए हमें प्रशन उत्तर के फॉर्मेट में यह बताया जाए कि

1. हमारे स्वास्थ्य पर इस खनन से होने वाले प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ेगा ?
2. हवा में डस्ट के प्रदूषण से किन किन बीमारियों के फैलने की आशंका है ?
3. किन किन पेड़ों को इस खनन के लिए काटा जाएगा ?
4. हमारी नाडियों में खानों से बहकर कैसा पानी आएगा ?
5. हमारे खेतों की मिट्टी पर इस खनन से उड़ने वाली डस्ट का क्या असर होगा ?
6. हम अपने पालतू पशुओं को कहाँ ले जाकर चरायेंगे ?
7. तेज धमाकों से बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, पालतू पशुओं पर क्या असर होगा ?

21/08/24
AEE

इस तरह के प्रश्न उत्तर में आप जानकारी देंगे तो हम अपने परिवारों को समझा पाएंगे कि उनका भविष्य कैसा होगा. तभी यह लोकसुनवाई सार्थक हो पाएगी.

पूरी उम्मीद है कि हमारे भविष्य की चिंता को ध्यान में रखते हुए आप यह जानकारी समय रहते उपलब्ध करवाएंगे.

Rajasthan Pollution Control Board * Nagaur *
Receipt No.
Date 20/08/2024

दिनांक – 20 अगस्त 2024

प्रतिलिपि जिला कलेक्टर महोदय नागौर

सादर,

समस्त ग्रामवासी – ताडावास बेरावास

यशपाल
रामनिवास
महादेव
सुरेन्द्र
ओमप्रकाश
जयराम
अजीत
महादेव
रामविलास
सुनील
प्रेमसुख
अजयपाल
राजेन्द्र
गजेन्द्र
तुलसीराम
Ashutosh Kumar
रामपाल

सेवा में

श्रीमान कलेक्टर महोदय
जिला राजस्थान

विषय = CSR के तहत हो रहे कार्य को और बढ़ने के क्रम में।

महोदय जी → उपयोगत आपसे निवेदन है कि ग्राम बैरावास में जे के लक्ष्मी सीमेंट संस्था द्वारा समाज उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम ~~कार्य~~ चलाये जा रहे हैं उसी क्रम में पशु समर्थन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है उसी कार्य को थोड़ा और बढ़ाकर सभी तरह के मौसमी बिमारियों के टिकाकरण को समय पर करवायें जिसे मौसमी बिमारियों से मरने वाले पशुधन की संख्या कम ~~होगी~~ होगी ~~(गई है)~~)

भुटाराम
रामनारायण
शोभाराम
लादुराम
बाबुलाल
महेन्द्र
कोजाराम
चेनाराम

सेवा में,   ③

श्रीमान कलेक्टर महोदय
जिला नागौर (राज.)

विषय- CSR के तहत हो रहे कार्यों को और बढ़ाने के क्रम में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में आपसे निवेदन है कि ग्राम कैरवास मे जे.के. लक्ष्मी सीमेन्ट संस्था द्वारा समाज कल्याण के लिये विभिन्न कार्यक्रम (जैसे- चिकित्सा, पशुसंबंधित कार्यक्रम शिक्षा, ग्रामीण विकास) चलाये जा रहे है जो सराहनीय है आपसे निवेदन है कि ग्राम पंचायत कैरवास मे भेड़ पालको के लिये भेड़ो मे नस्ल सुधार के लिये अच्छी नस्ल के नर भेड़, भेड़ पालको को दिलाये जिससे अच्छी नस्ल कि भेड़ होगी तो आमदनी भेड़ पालको कि बढ़ेगी और मौसमी बीमारी के टीकाकरण प्रोग्राम चलाये जिससे भेड़ो मे होने वाली बीमारी से निजात मिल सके

पुसाराम Mb. 7954957229 5   धन्यवाद

गरीब आदमी की मदद करो

रामचन्द्र
श्यामलाल पुसा राम
ओमप्रकाश गोदारा धर्मेराम
महेन्द्र

दिनेश सुथार
चेनाराम

9

AILMA

F-414, Marudhara Industrial Area, Phase-II, Basni, Jodhpur - 342 005 (INDIA)
Email : info@ailimeassociation.com, ailimeasso@gmail.com
CIN : U91900RJ2019NPL063735

MEGH RAJ LOHIYA
PRESIDENT
+91 98290 21825

MAHENDRA PITTI
GENERAL SECRETARY
+91 98290 27207

दिनांक – 27 अगस्त 2024

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर, राजस्थान

विषय :– 27 अगस्त को ताडावास गांव में एक सीमेन्ट कम्पनी, जे.के. लक्ष्मी सीमेन्ट लिमिटेड को चुना पत्थर ब्लॉक 4G-I-A से खनन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति देने बाबत लोक सुनवाई।

महोदयजी,

इस क्षेत्र में जहां सीमेन्ट उद्योग लगने की स्वीकृति दी जा रही है, वह क्षेत्र पुरा कृषि क्षेत्र है, किसान खेती करते है एवं भारी मात्रा में पशुपालन किया जाता है, इतना बड़ा प्लांट आने से कृषि एवं पशुपालन को नुकसान होगा।

इस क्षेत्र में केमिकल ग्रेड का लाइमस्टोन (हाई प्योरिटी) उपलब्ध है जो बहुत मुल्यवान खनिज है, भारत अभी भारी मात्रा में केमिकल ग्रेड का लाइमस्टोन आयात कर रहा है, इस मुल्यवान खनिज को सीमेन्ट उद्योग को देकर देश को आयात पर निर्भर करना पड़ रहा हैं, भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है, सीमेन्ट के लिए लॉ ग्रेड का लाइमस्टोन कई जगह पर उपलब्ध है जिससे सीमेन्ट आराम से बनाई जा सकती है।

अतः केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन को सीमेन्ट इण्डस्ट्रीज को नहीं दिया जाना चाहिए इसे देश के केमिकल उद्योगो के लिए रिर्जव रखना चाहिए जिससें हमें आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ें। इस क्षेत्र में छोटे–छोटे लाइम उद्योग लगे हुए है उनको भी केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन की आवश्यकता होती है।

अतः केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन को लाइम उद्योग के लिए रिर्जव रखना न्यायोचित होगा, हमारा आपसे निवेदन है कि पर्यावरण एवं खनिज की महत्वता को देखते हुए यहां सीमेन्ट उद्योग लगाना एवं खनन की अनुमति देना न्यायोचित नहीं होगा।

धन्यवाद

ललित सोलंकी
कार्यालय प्रभारी
ऑल इंडिया लाइम मैन्युँफैक्चर्स एसोसिएशन

(5)

कार्यलय - ग्राम पंचायत भावंडा

प.स.- खींवसर जिला - नागौर (राज.)

श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल,
नागौर

विषय – 27 अगस्त को टाडावास गांव में एक सीमेंट कंपनी, जे के लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड को चूना पत्थर ब्लाक **4G-I-A** से खनन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति देने बाबत लोक सुनवाई.

महोदय,
इस खनन परियोजना को लेकर हमारी ये आपत्तियां हैं, जिनके पर्याप्त निराकरण के बिना पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दिए जाने का निवेदन है.....

1. इस लोक सुनवाई से पहले सरल हिंदी भाषा में इस परियोजना के दस किमी के दायरे में आने वाले ग्रामीणों को मूल जानकारी नहीं दी गई. यह जानकारी लिखित में घर घर पहुंचाई जानी चाहिए थी ताकि सभी परिवार अपने भविष्य का उचित फैसला कर सकें. जब उनके पास जानकारी ही नहीं है, तो वे इस सुनवाई में अपना पक्ष कैसे रख पाएंगे ? हमने इस बारे में आपको एक हफ्ते पहले पत्र भी दिया था पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की. (पत्र संलग्न). खनन और पर्यावरण विषयों की तकनीकी भाषा और अंग्रेजी को हम गांव के लोग नहीं समझ पाते हैं. यह इस सुनवाई व्यवस्था की पहली और घोर त्रुटि है. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है, जिसमें बोलने की आजादी के लिए सम्बंधित पक्षों को पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करवाने का उल्लेख है. किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था में किसी सुनवाई से पहले विभिन्न पक्षों को समुचित जानकारी देना एक शाश्वत नियम है.

2. हमारे संविधान में भारत के सभी नागरिकों को अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक और स्वस्थ जीवन जीने का और अपने परिवार को पालने के लिए आजीविका का मूल अधिकार है. इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में स्थानीय लोगों से उनकी जमीन लेने के बाद उनके जीवन और परिवारों के लिए आजीविका के विकल्प अविश्वसनीय और असपष्ट हैं. केवल 81 लोगों को रोजगार देने की बात कंपनी ने कही है. ये भी शत प्रतिशत स्थानीय होंगे, यह नहीं कहा गया है. ऐसे में प्रत्यक्ष या सीधा रोजगार लगभग नगण्य होगा. बाकी के हजारों लोग और खासकर युवा कहाँ जायेंगे, क्या करेंगे ? नया व्यवसायिक जीवन शुरू करने के लिए केवल मुआवजा पर्याप्त नहीं है. इसके लिए जमीन, प्रशिक्षण, बाजार की जानकारी आदि ज़रूरी हैं. जो लोग पीढ़ियों से खेती और पशुपालन

कमली
सरपंच
ग्राम पंचायत,भावंडा
पंचायत समिति खींवसर

ते हैं, वे नए व्यवसाय में अचानक कैसे ढल पायेंगे ? एक तरह से संविधान के भाग 4 यानी नीति निदेशक तत्वों के कई प्रावधानों का भी इस परियोजना से उल्लंघन होगा.

3. जमीन की कीमत के बारे में नियमानुसार स्थानीय समुदाय से पर्याप्त सलाह नहीं ली गई है. जबकि ड्राफ्ट रिपोर्ट में यह लिखा था कि भूमि के मालिकों से समय समय पर कीमत के बारे में चर्चा की जायेगी. ड्राफ्ट रिपोर्ट के पेज 163 पर लिखा है....**discussions with the landowners from time to time to offer the applicable rates........**लेकिन यहाँ तो सब गुपचुप तरीके से चल रहा है. ग्रामीणों की मजबूरियों का फायदा उठाकर मामूली दरों पर जमीन खरीदना भी शुरू कर दिया गया है. रिपोर्ट में लिखे अनुसार नियम से कभी गॉव के लोगों को इकठ्ठा बिठाकर कोई बात ही नहीं हुई. साथ ही **DLC** दरों का फार्मूला तो किसी रेल या रोड की सरकारी परियोजना में चल सकता है. लेकिन यहाँ तो पूर्ण रूप से और शुद्ध रूप से व्यवसाय का मामला है. सामान्यतया जमीन खरीदने वाले को रजिस्ट्री का खर्च देना होता है. ऐसे में जमीन के भीतर मौजूद संसाधन के अनुसार बाजार मूल्य तय होना चाहिए. भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का उसकी मूल भावना से पालन किया जाना चाहिए.

4. इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में किसान, सरकार और कंपनी को इस परियोजना से कितना लाभ होगा, यह स्पष्ट नहीं है. किसान को क्या कीमत मिलेगी, सरकार कितना कमाएगी और कंपनी कितना मुनाफ़ा ले जायेगी, यह स्पष्ट होना चाहिए. ऐसे में आसपास के दस किमी क्षेत्र के स्थानीय निवासी अपने देश और परिवार के हित में तुलनात्मक ढंग से नहीं सोच पा रहे हैं. देश के व्यापक हित में कोई परिवार बड़े से बड़ा बलिदान भी कर देता है पर उसे वह हित स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए.

5. ड्राफ्ट रिपोर्ट में जिस 610 हेक्टेयर जमीन का जिक्र है, उस पर कितने समय तक कंपनी का मालिकाना हक़ होगा और क्या यह ज़मीन वापिस मूल मालिकों को दी जायेगी, इस पर भी स्पष्टता नहीं है. जैसे सोलर कंपनियां किसानों से जमीन लीज पर लेती हैं, वैसे ही यह प्रावधान है या उससे अलग है ? यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या वांछित चूना पत्थर के लिए इतनी अधिक जमीन लेने की आवश्यकता है. एक हेक्टेयर में कितन चूना पत्थर निकलने का अनुमान है, यह भी नहीं बताया गया है.

6. ड्राफ्ट रिपोर्ट में आसपास के दस किमी क्षेत्र के लोगों का जीवन हर तरह से बदल जाने और उनके सुखी हो जाने का भरोसा दिया गया है. स्थानीय निवासी यह भरोसा तभी कर पाएंगे जब उनको आसपास के क्षेत्र में पूर्व में स्थापित परियोजनाओं का अवलोकन करवाया जाता. जैसे मूंडवा, गोटन, खारिया आदि. आप उनको उन क्षेत्रों में ले जाकर रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा के फायदे दिखाते तो तसल्ली हो जाती.

7. रिपोर्ट में यह तो कहा गया है कि इस व्यापक खनन और क्रेशर से धूल भारी मात्रा में उड़ेगी और जहरीली गैसें भी वातावरण में फैलाव करेंगी. लेकिन उनके कारण कौन कौनसी बीमारियां आसपास के दस किमी क्षेत्र में संभावित हैं, इनकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है. यह कहा गया है कि स्वास्थ्य की जांच और ईलाज में सहयोग करेंगे पर नए और भारी प्रदूषण से कौनसी नई बीमारियां होंगी, यह नहीं बताया जा रहा. केवल इस क्षेत्र में अभी होने वाली बीमारियों के नाम लिखे हैं.

इस रिपोर्ट में जीव जंतुओं (fauna) का जिक्र किया है, जो प्रभावित होंगे. लेकिन इनमें पालतू पशुओं यानी गौवंश, भैंस, बकरी या भेड़ों का जिक्र नहीं है. पशुपालन यहाँ के आसपास के दस किमी क्षेत्र के निवासियों का एक प्रमुख आजीविका आधार है. ऐसे में इन पर मौन से संदेह होता है. इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय पक्षी मोर का भी जिक्र नहीं है, जो इस क्षेत्र में बहुतायत में हैं और जिसका जीवन इस परियोजना से खतरे में पड़ना ही है. राज्य पशु चिंकारा (हिरण) का जिक्र जरूर इस रिपोर्ट में है. आपको मालूम हो कि यह इतना संवेदनशील प्राणी है कि हलकी सी आहट से भी भाग जाता है. ऐसे में परियोजना के धमाकों से इस पर क्या असर होगा, यह नहीं बताया गया.

9. परियोजना के कोर क्षेत्र में अभी लगभग 123 हेक्टेयर गोचर भूमि का जिक्र है. यहाँ पर हमारा पशुधन अभी चरता है. आगे हम पशुओं को कहाँ चरायेंगे, इसका अभी पता नहीं है. खासकर भेड़ और बकरी पालन करने वाले गरीब परिवारों के लिए विकट समस्या होने वाली है. अगर यह गोचर यहाँ से बहुत दूर उपलब्ध करवाई जाती है तो हम पालतू पशुओं को चराने कब जायेंगे और कब वापिस घर आयेंगे.

10. रिपोर्ट में परियोजना के कोर और बफर जोन में पेड़ों (flora) की प्रजातियों की संख्या बताई गई है, लेकिन उनके नाम अंग्रेजी या हिंदी भाषा में नहीं लिखे गए हैं. यहाँ बहुतायत में खेतों में और बाहर राज्य वृक्ष खेजड़ी पाई जाती है. इसे भारत और राजस्थान की संस्कृति में अत्यंत पवित्र पौधा माना जाता है और जो ग्रामीण जीवन के लिए कई तरह से उपयोगी है. जानवरों के लिए चारे के साथ इससे सांगरी नाम का बहुत महंगा फल मिलता है, जो पौष्टिक सब्जी में काम आता है. रिपोर्ट में नहीं बताया गया है कि इस परियोजना के लिए खेजड़ी के कितने पेड़ काटे जायेंगे. साथ ही क्षेत्र में केर, बेर, नीम, पीपल और बरगद जैसे पेड़ भी भारी संख्या में हैं. इनकी संख्या का जिक्र भी इस रिपोर्ट में नहीं है.

11. वन विभाग की लगभग 105 हेक्टेयर जमीन को भी परियोजना के लिए बलिदान किया जा रहा है. इन वनों को सरकार के साथ समाज ने सदियों से संजोया है. इसके बारे में क्या व्यवस्था होगी, यह भी स्पष्ट नहीं है. वन भूमि बढाने की बजाय घटाने का आत्मघाती काम क्यों किया जा रहा है ?

12. रिपोर्ट में क्षेत्र की नाडियों के बारे में एकदम गलत और भ्रामक जानकारी दी गई है. कहा गया है कि कुछ तालाब दस किमी के क्षेत्र में हैं पर वे इस परियोजना से कई किमी दूर हैं. यह बताया गया है कि परियोजना क्षेत्र में मौजूद नाडियाँ किसी काम की नहीं हैं और अधिकतर सूखी पड़ी रहती है. जबकि सैकड़ों सालों से हम ग्रामीण और जानवर इन्हीं नाडियों का पानी पीते आए हैं. रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस क्षेत्र में लगभग 50 सेमी वार्षिक बारिश होती है. समूचे राजस्थान का यही औसत है और ऐसे में जब राजस्थान के सभी तालाब भरे रहते हैं तो ये नाडियाँ ही सूखी क्यों रहती हैं. वैसे भी जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले दो तीन दशक से राजस्थान के इस भाग में बारिश ज्यादा होने लगी है और यह क्रम आगे भी जारी रहेगा. अभी वर्तमान में भी ये नाडियाँ छलकी हुई हैं. इनमें पानी की आवक प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र से ही होती है. जब

जना स्थापित होगी तो ये नाडियाँ भी स्वतः समाप्त हो जायेंगी. मनुष्यों के साथ जीव जंतुओं के पानी ने का आधार छिन जाएगा.

13. रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि परियोजना क्षेत्र से से पानी का बहाव किस तरफ होगा. क्या यह पानी आसपास के क्षेत्र में आएगा या परियोजना क्षेत्र के भीतर ही होगा ? क्या परियोजना क्षेत्र के पानी के आसपास के खेतों में बहाव से उनकी मिट्टी खराब नहीं होगी ? क्या नाडियों में पीने का पानी खराब नहीं होगा ?

14. रिपोर्ट कहती है कि आसपास के लोग ट्यूबवेल से पानी पीते हैं. क्या हर परिवार के पास अपना खुद का ट्यूबवेल है ? साथ ही पीने के पानी में पालतू, बेसहारा और जंगली जीव जंतुओं जानवरों के पीने के पानी का जिक्र नहीं है. क्या यह जानकारी भ्रामक नहीं है ?

15. रिपोर्ट में यह माना गया है कि खनन परियोजना से उड़ती धूल से आसपास के कई गाँवों की उपजाऊ मिट्टी की बर्बादी होना तय है. रिपोर्ट यह भी कहती है कि इस क्षेत्र की जमीन बहुत उपजाऊ है. लेकिन इन धूल कणों के उस मिट्टी पर जमा होने से वह मिट्टी बंजर होना शुरू हो जाएगी. क्या उन गाँवों के किसानों को यह बात पता है ? रिपोर्ट कहती है कि हम बर्बाद मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने के उपाय कर देंगे ! यानी मिट्टी को पहले बर्बाद करेंगे और फिर उसे ठीक करेंगे. क्या इस तरह का खेल खेलना किसी भी रूप में न्यायोचित है ?

16. रिपोर्ट में ध्वनि प्रदूषण की बात को गोल गोल घुमाया गया है. यह माना गया है कि ब्लास्ट, ड्रिलिंग, क्रेशर, परिवहन आदि से उपजे शोर से ध्वनि प्रदूषण तो होगा. यह भी कहा गया है कि यह सब दिन में होगा. चतुराई से यह भी लिखा है कि यह प्रदूषण 'सामान्य व्यक्ति' की सहन करने की क्षमता तक ही होगा. लेकिन नवजात बच्चों, बुजुर्गों, गंभीर बीमारों, गर्भवती महिलाओं, गर्भवती पालतू पशुओं पर इसका क्या असर होगा, इस पर रिपोर्ट में मौन है. आसपास की स्कूलों में पढ़ाई में इससे क्या व्यवधान होगा, इस पर भी रिपोर्ट मौन है.

17. पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नष्ट होने का हल्ला है. ऐसे में राजस्थान के अधिकतर भागों में बड़ी खनिज परियोजनाएं जीवन की कीमत पर संचालित होने लगीं तो जलवायु का क्या होगा ? राजस्थान की धरती के नीचे और खासकर पश्चिमी राजस्थान तो हर जगह कुछ न कुछ खनिज है. ऐसे में क्या यहाँ के मानव, जंतुओं और पेड़ों को हमेशा के लिए बेदखल कर दिया जाएगा ? क्या यह आत्मघाती लालच का खेल नहीं है ?

18. हमारी एक मूल आपत्ति यह भी है कि एक देश में दो क़ानून क्यों हैं. एक किसान के लिए और दूसरा पूंजीपतियों के लिए. हम अपने खेत से चूना पत्थर नहीं निकाल सकते, इसकी इजाजत नहीं मिलती है और अगर हम ऐसा करते हैं तो यह काम कानून के खिलाफ यानी अवैध माना जाता है. लेकिन यही खेत किसी पूंजीपति ने खरीद लिए तो वह आराम से इसमें से चूना पत्थर निकाल सकता है. यह कब तक चलेगा ?

हमारा यह क्षेत्र पारंपरिक रूप से चूने के भट्टों के लिए जाना जाता है. देश विदेश में हमारे चूने और कली का नाम मशहूर है. लम्बे समय से छोटे उद्योग का यह कारोबार चलता है और इसमें स्थानीय लोगों की पूरी भागीदारी रहती है. सरकार एक बड़ी कंपनी को अगर चूना पत्थर निकालने का अवसर देती है तो ऐसा चूना भट्टों के लिए भी किया जा सकता था. रिपोर्ट में कंपनी की तरफ से बताया गया है कि इस पत्थर को चूना भट्टों को भी सप्लाई किया जाएगा. तो फिर यह काम खुद भट्टा संचालक ही कर लेंगे, कोई मध्यस्थ क्यों चाहिए ? साथ ही क्षेत्र के बेरोजगार युवा भी सरकारी योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा भट्टे बनाकर खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं. लेकिन इस विकास में हजारों परिवारों को शामिल न कर केवल एक परिवार को फायदा पहुंचाना भी संविधान के अनुच्छेद 39 का उल्लंघन है. इस अनुच्छेद में लिखा है कि देश के संसाधनों को कुछ हाथों में इकठ्ठा होने से रोका जाएगा.

20. हमारी एक आपति यह भी है कि इस क्षेत्र के केमिकल और चूने के ग्रेड के पत्थर को सीमेंट बनाने के काम में क्यों लिया जा रहा है. यह सर्वविदित है कि पूरे भारत में नागौर-जोधपुर का चूना पत्थर ही चूने, कली और कई केमिकल बनाने में श्रेष्ठ है. ऐसे में इस धरोहर को नष्ट करके भविष्य में विदेशों से आयात करने का रास्ता क्यों आपनाया जा रहा है ? सरकार ने गत समय में इस क्षेत्र में केवल सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर घोषित करके भी छोटे उद्योगों के रास्ते बंद कर दिए है. लेकिन कमाल यह कि कंपनी की रिपोर्ट में इस पत्थर को चूना भट्टों और रसायन क्षेत्र को सप्लाई करने की बात कही गई है. सरकार फिर इस पत्थर को 'चूना पत्थर' की जगह 'सीमेंट पत्थर' के रूप में क्यों परिभाषित नहीं कर देती ?

महोदय, हमारी इन आपत्तियों को देखते हुए इस क्षेत्र में स्थापित होने वाले जे के लक्ष्मी सीमेंट की परियोजना को रोका जाये. हम आगे की कानूनी कार्रवाई से पहले इस मंच का विधिवत उपयोग कर रहे हैं. **Exhausting the all available pre legal opportunities** के सूत्र के तहत.

दिनांक – 27 अगस्त 2024

सादर,

सरपंच
ग्राम पंचायत, भावण्डा
पंचायत समिति, खींवसर

सभी ग्राम वासी

6

कार्यलय - पंचायत समिति

प.स.- खींवसर जिला - नागौर (राज.)

प.स. सदस्य
सुरेश तंवर (9571491341)
वार्ड न. 18

श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल,
नागौर

विषय – 27 अगस्त को टाडावास गांव में एक सीमेंट कंपनी, जे के लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड को चूना पत्थर ब्लाक 4G-I-A से खनन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति देने बाबत लोक सुनवाई.

महोदय,
इस खनन परियोजना को लेकर हमारी ये आपत्तियां हैं, जिनके पर्याप्त निराकरण के बिना पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दिए जाने का निवेदन है.....

1. इस लोक सुनवाई से पहले सरल हिंदी भाषा में इस परियोजना के दस किमी के दायरे में आने वाले ग्रामीणों को मूल जानकारी नहीं दी गई. यह जानकारी लिखित में घर घर पहुंचाई जानी चाहिए थी ताकि सभी परिवार अपने भविष्य का उचित फैसला कर सकें. जब उनके पास जानकारी ही नहीं हैं, तो वे इस सुनवाई में अपना पक्ष कैसे रख पाएंगे ? हमने इस बारे में आपको एक हफ्ते पहले पत्र भी दिया था पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की. (पत्र संलग्न). खनन और पर्यावरण विषयों की तकनीकी भाषा और अंग्रेजी को हम गांव के लोग नहीं समझ पाते हैं. यह इस सुनवाई व्यवस्था की पहली और घोर त्रुटि है. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है, जिसमें बोलने की आजादी के लिए सम्बंधित पक्षों को पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करवाने का उल्लेख है. किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था में किसी सुनवाई से पहले विभिन्न पक्षों को समुचित जानकारी देना एक शाश्वत नियम है.

2. हमारे संविधान में भारत के सभी नागरिकों को अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक और स्वस्थ जीवन जीने का और अपने परिवार को पालने के लिए आजीविका का मूल अधिकार है. इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में स्थानीय लोगों से उनकी जमीन लेने के बाद उनके जीवन और परिवारों के लिए आजीविका के विकल्प अविश्वसनीय और असपष्ट हैं. केवल 81 लोगों को रोजगार देने की बात कंपनी ने कही है. ये भी शत प्रतिशत स्थानीय होंगे, यह नहीं कहा गया है. ऐसे में प्रत्यक्ष या सीधा रोजगार लगभग नगण्य होगा. बाकी के हजारों लोग और खासकर युवा कहाँ जायेंगे, क्या करेंगे ? नया व्यवसायिक जीवन शुरू करने के लिए केवल मुआवजा पर्याप्त नहीं है. इसके लिए जमीन, प्रशिक्षण, बाजार की जानकारी आदि जरूरी हैं. जो लोग पीढ़ियों से खेती और पशुपालन करते हैं, वे नए व्यवसाय में अचानक कैसे ढल पायेंगे ? एक तरह से संविधान के भाग 4 यानी नीति निदेशक तत्वों के कई प्रावधानों का भी इस परियोजना से उल्लंघन होगा.

3. जमीन की कीमत के बारे में नियमानुसार स्थानीय समुदाय से पर्याप्त सलाह नहीं ली गई है. जबकि ड्राफ़्ट रिपोर्ट में यह लिखा था कि भूमि के मालिकों से समय समय पर कीमत के बारे में चर्चा की जायेगी. ड्राफ्ट रिपोर्ट के पेज 163 पर लिखा है....**discussions with the landowners from time to time to offer the applicable rates........**लेकिन यहाँ तो सब गुपचुप तरीके से चल रहा है. ग्रामीणों की मजबूरियों का फायदा उठाकर मामूली दरों पर जमीन खरीदना भी शुरू कर दिया गया है. रिपोर्ट में लिखे अनुसार नियम से कभी गाँव के लोगों को इकठ्ठा बिठाकर कोई बात ही नहीं हुई. साथ ही **DLC** दरों का फार्मूला तो किसी रेल या रोड की सरकारी परियोजना में चल सकता है. लेकिन यहाँ तो पूर्ण रूप से और शुद्ध रूप से व्यवसाय का मामला है. सामान्यतया जमीन खरीदने वाले को रजिस्ट्री का खर्च देना होता है. ऐसे में जमीन के भीतर मौजूद संसाधन के अनुसार बाजार मूल्य तय होना चाहिए. भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का उसकी मूल भावना से पालन किया जाना चाहिए.

4. इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में किसान, सरकार और कंपनी को इस परियोजना से कितना लाभ होगा, यह स्पष्ट नहीं है. किसान को क्या कीमत मिलेगी, सरकार कितना कमाएगी और कंपनी कितना मुनाफ़ा ले जायेगी, यह स्पष्ट होना चाहिए. ऐसे में आसपास के दस किमी क्षेत्र के स्थानीय निवासी अपने देश और परिवार के हित में तुलनात्मक ढंग से नहीं सोच पा रहे हैं. देश के व्यापक हित में कोई परिवार बड़े से बड़ा बलिदान भी कर देता है पर उसे वह हित स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए.

5. ड्राफ्ट रिपोर्ट में जिस 610 हेक्टेयर जमीन का जिक्र है, उस पर कितने समय तक कंपनी का मालिकाना हक़ होगा और क्या यह जमीन वापिस मूल मालिकों को दी जायेगी, इस पर भी

स्पष्टता नहीं है. जैसे सोलर कंपनियां किसानों से जमीन लीज पर लेती हैं, वैसे ही यह प्रावधान है या उससे अलग है ? यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या वांछित चूना पत्थर के लिए इतनी अधिक जमीन लेने की आवश्यकता है. एक हेक्टेयर में कितन चूना पत्थर निकलने का अनुमान है, यह भी नहीं बताया गया है.

6. ड्राफ्ट रिपोर्ट में आसपास के दस किमी क्षेत्र के लोगों का जीवन हर तरह से बदल जाने और उनके सुखी हो जाने का भरोसा दिया गया है. स्थानीय निवासी यह भरोसा तभी कर पाएंगे जब उनको आसपास के क्षेत्र में पूर्व में स्थापित परियोजनाओं का अवलोकन करवाया जाता. जैसे मूंडवा, गोटन, खारिया आदि. आप उनको उन क्षेत्रों में ले जाकर रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा के फायदे दिखाते तो तसल्ली हो जाती.

7. रिपोर्ट में यह तो कहा गया है कि इस व्यापक खनन और क्रेशर से धूल भारी मात्रा में उड़ेगी और जहरीली गैसें भी वातावरण में फैलाव करेंगी. लेकिन उनके कारण कौन कौनसी बीमारियां आसपास के दस किमी क्षेत्र में संभावित हैं, इनकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है. यह कहा गया है कि स्वास्थ्य की जांच और ईलाज में सहयोग करेंगे पर नए और भारी प्रदूषण से कौनसी नई बीमारियां होंगी, यह नहीं बताया जा रहा. केवल इस क्षेत्र में अभी होने वाली बीमारियों के नाम लिखे हैं.

8. इस रिपोर्ट में जीव जंतुओं (fauna) का जिक्र किया है, जो प्रभावित होंगे. लेकिन इनमें पालतू पशुओं यानी गौवंश, भैंस, बकरी या भेड़ों का जिक्र नहीं है. पशुपालन यहाँ के आसपास के दस किमी क्षेत्र के निवासियों का एक प्रमुख आजीविका आधार है. ऐसे में इन पर मौन से संदेह होता है. इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय पक्षी मोर का भी जिक्र नहीं है, जो इस क्षेत्र में बहुतायत में हैं और जिसका जीवन इस परियोजना से खतरे में पड़ना ही है. राज्य पशु चिंकारा (हिरण) का जिक्र जरूर इस रिपोर्ट में है. आपको मालूम हो कि यह इतना संवेदनशील प्राणी है कि हलकी सी आहट से भी भाग जाता है. ऐसे में परियोजना के धमाकों से इस पर क्या असर होगा, यह नहीं बताया गया.

9. परियोजना के कोर क्षेत्र में अभी लगभग 123 हेक्टेयर गोचर भूमि का जिक्र है. यहाँ पर हमारा पशुधन अभी चरता है. आगे हम पशुओं को कहाँ चरायेंगे, इसका अभी पता नहीं है. खासकर भेड़ और बकरी पालन करने वाले गरीब परिवारों के लिए विकट समस्या होने वाली है. अगर यह गोचर यहाँ से बहुत दूर उपलब्ध करवाई जाती है तो हम पालतू पशुओं को चराने कब जायेंगे और कब वापिस घर आयेंगे.

10. रिपोर्ट में परियोजना के कोर और बफर जोन में पेड़ों (flora) की प्रजातियों की संख्या बताई गई है, लेकिन उनके नाम अंग्रेजी या हिंदी भाषा में नहीं लिखे गए हैं. यहाँ बहुतायत में खेतों में और बाहर राज्य वृक्ष खेजड़ी पाई जाती है. इसे भारत और राजस्थान की संस्कृति में अत्यंत पवित्र पौधा माना जाता है और जो ग्रामीण जीवन के लिए कई तरह से उपयोगी है. जानवरों के लिए चारे के साथ इससे सांगरी नाम का बहुत महंगा फल मिलता है, जो पौष्टिक सब्जी में काम आता है. रिपोर्ट में नहीं बताया गया है कि इस परियोजना के लिए खेजड़ी के कितने पेड़ काटे जायेंगे. साथ ही क्षेत्र में केर, बेर, नीम, पीपल और बरगद जैसे पेड़ भी भारी संख्या में हैं. इनकी संख्या का जिक्र भी इस रिपोर्ट में नहीं है.

11. वन विभाग की लगभग 105 हेक्टेयर जमीन को भी परियोजना के लिए बलिदान किया जा रहा है. इन वनों को सरकार के साथ समाज ने सदियों से संजोया है. इसके बारे में क्या व्यवस्था होगी, यह भी स्पष्ट नहीं है. वन भूमि बढाने की बजाय घटाने का आत्मघाती काम क्यों किया जा रहा है ?

12. रिपोर्ट में क्षेत्र की नाडियों के बारे में एकदम गलत और भ्रामक जानकारी दी गई है. कहा गया है कि कुछ तालाब दस किमी के क्षेत्र में हैं पर वे इस परियोजना से कई किमी दूर हैं. यह बताया गया है कि परियोजना क्षेत्र में मौजूद नाडियाँ किसी काम की नहीं हैं और अधिकतर सूखी पड़ी रहती है. जबकि सैकड़ों सालों से हम ग्रामीण और जानवर इन्हीं नाडियों का पानी पीते आए हैं. रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस क्षेत्र में लगभग 50 सेमी वार्षिक बारिश होती है. समूचे राजस्थान का यही औसत है और ऐसे में जब राजस्थान के सभी तालाब भरे रहते हैं तो ये नाडियाँ ही सूखी क्यों रहती हैं. वैसे भी जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले दो तीन दशक से राजस्थान के इस भाग में बारिश ज्यादा होने लगी है और यह क्रम आगे भी जारी रहेगा. अभी वर्तमान में भी ये नाडियाँ छलकी हुई हैं. इनमें पानी की आवक प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र से ही होती है. जब परियोजना स्थापित होगी तो ये नाडियाँ भी स्वतः समाप्त हो जायेंगी. मनुष्यों के साथ जीव जंतुओं के पानी पीने का आधार छिन जाएगा.

13. रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि परियोजना क्षेत्र से से पानी का बहाव किस तरफ होगा. क्या यह पानी आसपास के क्षेत्र में आएगा या परियोजना क्षेत्र के भीतर ही होगा ? क्या परियोजना क्षेत्र के पानी के आसपास के खेतों में बहाव से उनकी मिट्टी खराब नहीं होगी ? क्या नाडियों में पीने का पानी खराब नहीं होगा ?

14. रिपोर्ट कहती है कि आसपास के लोग ट्यूबवेल से पानी पीते हैं. क्या हर परिवार के पास अपना खुद का ट्यूबवेल है ? साथ ही पीने के पानी में पालतू, बेसहारा और जंगली जीव जंतुओं जानवरों के पीने के पानी का जिक्र नहीं है. क्या यह जानकारी भ्रामक नहीं है ?

15. रिपोर्ट में यह माना गया है कि खनन परियोजना से उड़ती धूल से आसपास के कई गाँवों की उपजाऊ मिट्टी की बर्बादी होना तय है. रिपोर्ट यह भी कहती है कि इस क्षेत्र की जमीन बहुत उपजाऊ है. लेकिन इन धूल कणों के उस मिट्टी पर जमा होने से वह मिट्टी बंजर होना शुरू हो जाएगी. क्या उन गाँवों के किसानों को यह बात पता है ? रिपोर्ट कहती है कि हम बर्बाद मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने के उपाय कर देंगे ! यानी मिट्टी को पहले बर्बाद करेंगे और फिर उसे ठीक करेंगे. क्या इस तरह का खेल खेलना किसी भी रूप में न्यायोचित है ?

16. रिपोर्ट में ध्वनि प्रदूषण की बात को गोल गोल घुमाया गया है. यह माना गया है कि ब्लास्ट, ड्रिलिंग, क्रेशर, परिवहन आदि से उपजे शोर से ध्वनि प्रदूषण तो होगा. यह भी कहा गया है कि यह सब दिन में होगा. चतुराई से यह भी लिखा है कि यह प्रदूषण 'सामान्य व्यक्ति' की सहन करने की क्षमता तक ही होगा. लेकिन नवजात बच्चों, बुजुर्गों, गंभीर बीमारों, गर्भवती महिलाओं, गर्भवती पालतू पशुओं पर इसका क्या असर होगा, इस पर रिपोर्ट में मौन है. आसपास की स्कूलों में पढ़ाई में इससे क्या व्यवधान होगा, इस पर भी रिपोर्ट मौन है.

17. पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नष्ट होने का हल्ला है. ऐसे में राजस्थान के अधिकतर भागों में बड़ी खनिज परियोजनाएं जीवन की कीमत पर संचालित होने लगीं तो जलवायु का क्या होगा ? राजस्थान की धरती के नीचे और खासकर पश्चिमी राजस्थान तो हर जगह कुछ न कुछ खनिज है. ऐसे में क्या यहाँ के मानव, जंतुओं और पेड़ों को हमेशा के लिए बेदखल कर दिया जाएगा ? क्या यह आत्मघाती लालच का खेल नहीं है ?

18. हमारी एक मूल आपत्ति यह भी है कि एक देश में दो क़ानून क्यों हैं. एक किसान के लिए और दूसरा पूंजीपतियों के लिए. हम अपने खेत से चूना पत्थर नहीं निकाल सकते, इसकी इजाजत नहीं मिलती है और अगर हम ऐसा करते हैं तो यह काम कानून के खिलाफ यानी अवैध माना जाता है. लेकिन यही खेत किसी पूंजीपति ने खरीद लिए तो वह आराम से इसमें से चूना पत्थर निकाल सकता है. यह कब तक चलेगा ?

19. हमारा यह क्षेत्र पारंपरिक रूप से चूने के भट्टों के लिए जाना जाता है. देश विदेश में हमारे चूने और कली का नाम मशहूर है. लम्बे समय से छोटे उद्योग का यह कारोबार चलता है

और इसमें स्थानीय लोगों की पूरी भागीदारी रहती है. सरकार एक बड़ी कंपनी को अगर चूना पत्थर निकालने का अवसर देती है तो ऐसा चूना भट्टों के लिए भी किया जा सकता था. रिपोर्ट में कंपनी की तरफ से बताया गया है कि इस पत्थर को चूना भट्टों को भी सप्लाई किया जाएगा. तो फिर यह काम खुद भट्टा संचालक ही कर लेंगे, कोई मध्यस्थ क्यों चाहिए ? साथ ही क्षेत्र के बेरोजगार युवा भी सरकारी योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा भट्टे बनाकर खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं. लेकिन इस विकास में हजारों परिवारों को शामिल न कर केवल एक परिवार को फायदा पहुंचाना भी संविधान के अनुच्छेद 39 का उल्लंघन है. इस अनुच्छेद में लिखा है कि देश के संसाधनों को कुछ हाथों में इकठ्ठा होने से रोका जाएगा.

20. हमारी एक आपत्ति यह भी है कि इस क्षेत्र के केमिकल और चूने के ग्रेड के पत्थर को सीमेंट बनाने के काम में क्यों लिया जा रहा है. यह सर्वविदित है कि पूरे भारत में नागौर-जोधपुर का चूना पत्थर ही चूने, कली और कई केमिकल बनाने में श्रेष्ठ है. ऐसे में इस धरोहर को नष्ट करके भविष्य में विदेशों से आयात करने का रास्ता क्यों आपनाया जा रहा है ? सरकार ने गत समय में इस क्षेत्र में केवल सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर घोषित करके भी छोटे उद्योगों के रास्ते बंद कर दिए है. लेकिन कमाल यह कि कंपनी की रिपोर्ट में इस पत्थर को चूना भट्टों और रसायन क्षेत्र को सप्लाई करने की बात कही गई है. सरकार फिर इस पत्थर को 'चूना पत्थर' की जगह 'सीमेंट पत्थर' के रूप में क्यों परिभाषित नहीं कर देती ?

महोदय, हमारी इन आपत्तियों को देखते हुए इस क्षेत्र में स्थापित होने वाले जे के लक्ष्मी सीमेंट की परियोजना को रोका जाये. हम आगे की कानूनी कार्रवाई से पहले इस मंच का विधिवत उपयोग कर रहे हैं. **Exhausting the all available pre legal opportunities** के सूत्र के तहत.

दिनांक – 27 अगस्त 2024

सादर,

सभी ग्राम वासी

सुरेश तंवर

माधाराम

सवाई मेघवाल

हनुमान राम

मनोहर

ओमप्रकाश

श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी,

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल,

नागौर

विषय – 27 अगस्त को टाडावास गांव में एक सीमेंट कंपनी, जे के लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड को चूना पत्थर ब्लाक 4G-I-A से खनन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति देने बाबत लोक सुनवाई.

1 में................. निवासी ताडावास मेरे पास भेड़ बकरी गाय भैंस जिस से मेरे वे मेरे परिवार की आय का मुखिए सरोत है

जिसे से मेरे वे मेरे परिवार का जीवन यापन होता है जो हम गांव ताडावास कि अंगोर गवचर पड़त में चरा के अपना जीवन यापन करते है सुबह ले जाते और साम को चरा कर वापिस गांव आते है और दिन मे 2 बार नाडी तालाब में पानी पिलाते है खेजड़ी (तुलसी) का हरा चारा खिलाते है जिसे का खात होता है और जमीन को उपजाव बेनाते है और खेती करते हैं

2

हमने सुना है कि कम्पनी हमारे गांव से गवचर 40 किलोमीटर दूर आवंटन करने के लिऐ बोल रही है तो हमारे भेड़ बकरी गाय भैंस को चराने के लिऐ हम केसे से जायेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तेहैत समान जनक और सेवेसथ जीवन जीने का और अपने परिवार को पालने के लिए आविजीवका का मूल अधिकार हे

अगर ये जमीन कम्पनी वाले ले लेंगे तो हम कहा जाएंगे और पर्यावरण प्रदूषण होगा नाडी तालाब खतम हो जाएंगे जमीन बंजर हो जाएगी हमारे जीवम यापन मुश्किल हो जायगा

अत: श्रीमान जी से निवेदन है j k Laxmi सीमेंट कमनी को पर्यावरण सवीकृति नहीं देने की कृपा करें

समस्त ग्राम वासी ताडावास

ताराराम
नरपतराम
बाबुलाल
रामरतन
बाबुलाल
हरदीनराम
महेन्द्र
जयपाल
कंवरराम
रामकिशोर
रामनिवास
जमपत
किशोर सैन
यशपाल
महेन्द्र ताडा
जवराम
बाबुमो०
सीयाराम
मनकुल
मलकापुरी
ओमप्रकाश
Sahiram Tada
गणपतराम
तेजाराम
कोजाराम
गंगाराम
हिरपाल
प्रहलाद
भोलाराम

श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी,

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल,

नागौर

विषय – 27 अगस्त को ताडावास गांव में एक सीमेंट कंपनी, जे के लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड को चूना पत्थर ब्लाक 4G-I-A से खनन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति देने बावत लोक सुनवाई.

1 हमारे ग्राम तड़वास में 10000 खेड़ी के वृक्ष है जिसको हम तुलसी के रूप में पूछते हैं यह हमारा राज्य वृक्ष है इसको लेकर कंपनी का कोई खुलासा नहीं है यह सब हटाएंगे तो पर्यावरण को नुकसान होगा हमारे यहां पिपल बर्गर नीम टाली केर इसके कम से कम 10 हजार इनके वर्क्स है नीम हमारी आयुर्वेदिक औषधि है केयर आयुर्वेदिक औषधि है खेती हमारी आयुर्वेदिक औषधि है केडी के सांगरी होती है जो ₹2000 पर केजी बिकती है करे 2000 पर केजी बिकते हैं नीम मे आयुर्वदिक एंटीबॉयक्टिक है इसे किसानों की आय होती है साल मे इनकी फसल 2 बार आती है कम्पनी खनखन केरगी इसको हट्यांगे जिससे पर्यावर्ण दूषित हो जाएंगे इनको हटाने से किसानों की आय बंद हो जाएगी जिससे किसान अपने परिवार का पालन पोषण केसे केरगा

2 अब्दुल रहमान पर्कर्न के जो हाईकोर्ट का जजमेंट है समत 2006 वे 2020 मे जो जमीन जिस किस्म में थी आंगोर गवचर पायतान केजमेंट एरिया नदी नाले इनको कोई भी चेंज नही कर सकता लेकिन आप कम्पनी को दे रहे हो जिससे लोगो कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है कम्पनी ने इनका नीराकरण कुछ नही बताया

3 हमारे गांव को बसे हुए 1126 साल हुए है जिसे हमारे पूर्वजों ने महन्त करके तालाब नाडी आबादी भूमि देव स्थान पेसु पालन के लिए गवचर जमीन को उपजाव बनाने के लिए जमीन के उपर अगौर चोडे ये हमारे आजीविका के मुखिया सत्रोत है जिस से हमे हमारे परिवार को पालने वे हमे जीने का अधिकार है जो हम से कम्पनी छीन रही है

4 हमारे गांव में 5000 पशुधन जैसे भेड़ बकरी गाय भैंस इसके आलावा 5000 वनिये जीव है नीलगाय हिरण मोर ऊंट लोमरी गाडुरा इसके आलावा पक्षी जैसे तोता कबूतर गोडावन अन्य इनका कोई अनुमान नहीं है अगर ये जमीन कम्पनी को देगें तो कम्पनी खनखन केरेगी जिस से इनका जीवन खत्म हो जायगा और पर्यावरण प्रदूषण होगा

अत: श्रीमान जी से निवेदन है j k Laxmi सीमेंट कमनी को पर्यावरण सवीकृति नहीं देने की कृपा करें

समस्त ग्राम वासी ताडावास

हरदेव
महिपाल
शफु मोहम्मद
पूर्णाराम
ओमप्रकाश
नरपतराम
सीताराम
अजयपाल
बाबुलाल
रामनिवास
नरपतराम
प्रतापराम
भंवरलाल
ओमप्रकाश
सुखराम
ओमाराम
महादेव
मोहनराम
भैराराम
जगदीश
महिपाल
खेमदास
रामरतन
तेजाराम
मालापुरी
जयपाल
कंवराराम
अजयपाल
धन्नाराम
महेन्द्र
लालाराम

(9)

कार्यालय ग्राम पंचायत, बैरावास

पंचायत समिति-खींवसर, जिला-नागौर (राज.)

मूलाराम बाबल
सरपंच
ग्राम पंचायत-बैरावास, खींवसर

मो. 8852985612, 6350281485

क्रमांक : (1) दिनांक ....

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल नागौर

विषय:- मैं. हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड निकट ताऊवास, बेरावास, भावण्डा एवं खोड़वा तहसील खींवसर जिला नागौर के पर्यावरणीय स्वीकृति में आपत्ति दर्ज करवाने बाबत

मान्यवर

उपर्युक्त विषयानुसार निवेदन है कि दिनांक 18-5-2023 को उक्त कम्पनी की प्रस्तावित लाइम स्टोन माइनिंग परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु रा.उ.मा. विद्यालय बेरावास के खेल मैदान में लोक जनसुनवाई कार्यक्रम में ग्राम पंचायत बेरावास को सुनवाई सुझाव व आपत्ति पूर्ण से है जबकी इतने बड़े स्तर के कारखाना द्वारा उत्पन्न अवांछित उत्पाद यथा ठोस उत्पाद धुआं एवं अपशिष्ट पदार्थ प्रदुषित जल विषैली गैसें तथा वायु प्रदूषण के मुख्य कारक है इस माइनिंग परियोजना से स्वभाविक तौर से ग्रा० पं० बेरावास की सैकड़ो हेक्टेयर मे

P.T.O

(2)

किसानों की ट्यूबवैल व फसल पूर्ण रूप से नष्ट होगी तथा ऑक्सीजन कारक व वायु का प्रदूषण से सभी पेड़ पौधे नष्ट हो जाएगें जो कि इस क्षेत्र में पहले से ही प्रर्याप्त पेड़ पौधे नही है, वन्यजीव व किसानों के आयस्त्रोत व जीवनयापन का सहारा पशुपालन पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। क्षैत्र की आम जनता के पानी पीने के एक मात्र स्त्रोत तालाब अंगो लगभग (500) है प्रदूषण से पीने योग्य पानी नही रहेगा। इस तरह के प्रदूषण से क्षैत्र की आम जनता का पलायन करना या इसके मजबूर कर देना ही अंतिम उपाय होगा जो मूल अधिकारों का हनन है। व इंसानियत को शर्मसार करने वाला कृत्य प्रतीत होता है. कृपया करके निवेदन है कि उक्त कारखाने को पर्यावरणीय स्वीकृति नही दी जा

(गूलाराम)
सरपंच
ग्राम पंचायत वैरावास
पं.स.खींवसर (नागौर)

(VD)

रजि. क्र. 58/Nagaur/2009 पंजीयन क्र. 993/Jaipur/09

शिव महादेव गौशाला सेवा समिति

मु.पो. - बैरावास, तह. - खींवसर, 341025, जिला - नागौर (राज.)

Mob. 7627075400 Email - shivmahadevgoshala@gmail.com

कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार); गोशालाऐ, राजस्थान, जयपुर

श्री शिव महादेव गौशाला सेवा समिति - बैरावास पंस खींवसर (नागौर)
ग्राम - बैरावास, पोस्ट - तपरस त. खीवसर जिला - नागौर (राज.)

अध्यक्ष:- श्री पदमाराम करणिया

श्री शिव महादेव गौशाला सेवा समिति - बैरावास में गौशाला में कुल 300 गौ वंश गऊशाला के अन्दर है तथा आवारा गौवंश जो कि बैरावास व लाडावास में 300, 300 कुल 600 गौवंश आवारा है, जो गोचर भूमि घूम रही है वह सभी गौ वंश उधर उधर घूम में रही है वे अपना पेट का भरण पोषण कर रही है जो कि गोचर भूमि व पड़त या सरकारी भूमि पल रही है। इससे कम्पनी में जाने पर गौ वंश पर संकट आ जायेगा। आपसे निवेदन है कि इस भूमि गोचर भूमि को यथावत रखावें। नहीं तो गौवंश संकट में आ जायेगा।

सरकारी जमीन व गोचर भूमि को कम्पनी अधिग्रहण करने से रोका जाए।

धन्यवाद।

पदमाराम
अध्यक्ष
महादेव गौशाला सेवा समिति
बैरावास (नागौर)

किशनाराम
सचिव
शिव महादेव गौशाला सेवा समिति
बैरावास (नागौर)

कमलकिशोर
कोषा.
शिव महादेव गौशाला सेवा समिति
बैरावास (नागौर)

राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 58/नागौर/2009-2010

प्रमाणित किया जाता है कि शिव भरोसा गौ शाला सेवा समिति बेरावास .... जिला ....नागौर .... का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक ....०९...... माह ....जुलाई.... सन् दो हजार ....नौ..... को ....नागौर.......... में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएं
नागौर

ऑफसेट, मौलासर फोनः 01580-240177

कार्यालय ग्राम पंचायत लालाप

गुड्डी देवी
सरपंच

मोबाईल नम्बर
6375630340, 9772393104

ग्राम पंचायत
लालाप, पं.स.खींवसर
जिला - नागौर (राज.)

क्रमांक　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक....../....../20......

श्री क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

विषय :- मैं. हंसडीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड निकट ताडावास, बैरावास, भोजासर एवं लालाप खींवसर तह. खींवसर (नागौर) के पर्यावरण स्वीकृति में आपत्ति दर्ज करवाने बाबत् के।

मान्यवर,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दि. 18.5.2023 को उक्त कंपनी की प्रस्तावित लाइम स्टोन माइनिंग परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु रा. उ. मा. विद्यालय बैरावास के खेल मैदान के लोक जन-सुनवाई कार्यक्रम में ग्रा.प. लालाप को सुनवाई सूचना व आपत्ति हेतु आमंत्रित नहीं किया गया जबकि इतने बड़े स्तर के कारखानों द्वारा उत्पन्न अवांछित उत्पाद तथा ठोस उत्पाद धुआं एवं अपशिष्ट पदार्थ प्रदूषित जल, बिजली जैसे धूल राख धुआं इत्यादि कारखाने के सीमावर्ती क्षेत्र के जलथल व वायु प्रदूषण के मुख्य कारण है। इस माइनिंग परियोजना से स्वाभाविक तौर से ग्रा.पं. लालाप की सैकड़ों हैक्टर भूमि के किसानों की ट्यूबवेल व फसलें पूर्ण रूप से नष्ट होगी तथा ऑक्सीजन कारक व वायु के प्रदूषण से सभी पेड़ पौधे नष्ट हो जायेंगे जो कि इस क्षेत्र के पहले से पर्याप्त पेड़ नहीं है। और वन्यजीव व किसानों के आयस्रोत व जीवनयापन का सहारा पशुपालन पूर्ण रूप से नष्ट हो जायेगा। क्षेत्र की आम जनता के पानी पीने का एकमात्र स्रोत तालाब कंजोर (लगभग 400 हैक्टर है।) प्रदूषण से पीने योग्य पानी नहीं रहेगा। इस तरह के प्रदूषण से क्षेत्र की आम जनता को पलायन करने पर मजबूर कर देगा जो कि अनैतिक व्यापार होगा जो मूल अधिकारों का हनन है। व इंसानियत को शर्मसार करने वाला कृत्य प्रतीत होता है। कृपा करके निवेदन है कि उक्त कारखाने को पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दि जावे।

गुड्डी
सरपंच
ग्राम पंचायत लालाप
पं०स०खींवसर

[illegible] [illegible]

कार्यालय ग्राम पंचायत लालाप

गुड्डी देवी
सरपंच

मोबाईल नम्बर
6375630340, 9772393104

ग्राम पंचायत
लालाप, पं.स.खींवसर
जिला - नागौर (राज.)

दिनांक......./......../20........

क्रमांक

श्री क्षेत्रीय अधिकारी
राज० राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल.

मान्यवर जी,

मैं हैंसडीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड निकट, ताडावास, कैंगावास, मांवडा एवं खेजड़ला, लालाप की आपके विभाग से चाही गई पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए - सुनवाई सुझाव व आपत्ति के लिए लोक जनसुनवाई रखी गई। जिसके अनुरूप ग्राम पं. लालाप इस परियोजना की सीमावर्ती ग्राम पं. की जल-थल, व वायु एवं कृषि को प्रभावित कर कामधन व पशुपालन के आंकड़े इस प्रकार हैं -

(1). सैकड़ों हैक्टर की सिंचित कृषि भूमि बंजर हो जायेगी।

(2) किसान के जीवनयापन व आय स्रोत पशुपालन में लगभग - 12000 (बारह हजार) की संख्या में भेड़ बकरी, गाय, भैंस इत्यादि दुधारू पशुओं जो कि गोचर ओरण में उनकी घास नष्ट हो जायेगी।

(3) हजारों की संख्या में खेजड़ी कैर जैसे पेड़ पौधे वनस्पति नष्ट होंगे,

(4) वन्यजीवों व मानव को अंतिम रूप से पलायन करना होगा।

(5) कारखानों से निकलते जहरीली धुंआ, धूल गैस अपशिष्ट पदार्थों से मानव व जीव जन्तु के पीने का पानी एक मात्र स्रोत तालाब पूर्ण रूप से नष्ट हो जायेंगे। और इन जहरीली प्रदूषण पदार्थों से तरह-2 की असाध्य बिमारियों से ग्रसित होंगे। अतः इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन है कि उक्त कंपनी की उक्त परियोजना को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाये।

गुड्डी
सरपंच
ग्राम पंचायत लालाप

कार्यालय - ग्राम पंचायत भावण्डा

पंचायत समिति, खींवसर (नागौर) राज.

क्रमांक : दिनांक..........

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल नागौर

विषय :- मैसर्स इंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनि लिमिटेड निकट ताडावास, कैरावास, भावण्डा एवं खीडरा तह. खींवसर जिला नागौर के पर्यावरणीय स्वीकृति में आपति दर्ज करवाने बाबत ।

महोदय :-

उपर्युक्त विषयानुसार निवेदन है कि दिनांक 18.08.2 को उक्त कम्पनि की प्रस्तावित लाईम स्टोन माइनिंग परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैरावास के खेल मैदान में लोक जनसुनवाई कार्यक्रम में ग्राम पंचायत भावण्डा को सुनवाई सुरक्षा व आपति हेतु हमें पूर्ण रूप से आपति है, इसमें बड़े स्तर के कारखाने द्वारा उत्पन्न अवांछित उत्पाद तथा ठोस उत्पाद धुआँ एवं अपशिष्ट पदार्थ प्रदूषित जल विषैली गैस धूल रसायन धुआ इत्यादि कारखाने के सीमावर्ती क्षेत्र में जलवायु तथा वायु प्रदूषण मुख्य कारण है इस माइनिंग परियोजना से स्वाभाविक तौर से ग्राम पंचायत भावण्डा की सैकड़ो

सरपंच
ग्राम पंचायत भावण्डा
पंचायत समिति खींवसर

कार्यालय - ग्राम पंचायत भावण्डा

पंचायत समिति, खींवसर (नागौर) राज.

क्रमांक : दिनांक..........................

मैं किसानों की ट्यूबवेल व फसल पूर्ण रूप से नष्ट होगी तथा ऑक्सीजन कारण व वायु का प्रदूषण से सभी पेड़ पौधे नष्ट हो जायगी और कि इस क्षेत्र मे पहले से ही पर्याप्त पेड़ पौधा नष्ट हो जायगी वन्य जीव व किसानों के आय स्त्रोत व जीवनयापन का सहारा पशुपालन पूर्ण रूप से नष्ट हो जायगी क्षेत्र की आम जनता के पानी पीने के ए. मात्र स्त्रोत तालाब अगोर (लगभग 500 बिघा) है।

कमली
सरपंच
ग्राम पंचायत भावण्डा
पंचायत समिति खींवसर

13

राजस्थान सरकार पंचायती राज विभाग

कार्यालय ग्राम पंचायत, डेहरू

पंचायत समिति : खींवसर, जिला : नागौर (राज.)

उगाराम धोलिया

सरपंच

ग्राम पंचायत : डेहरू, (खींवसर) नागौर

Mob. : 97844304

क्रमांक

दिनांक ....

श्रीमान क्षैत्रीय अधिकारी महोदय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल नागौर

मान्यवर,

मैं: हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड निकट ता। बेरावास, भावण्डा एवं खोड़वा की आपके विभाग से चाही गई पर्याव. स्वीकृति के लिए सुनवाई सुझाव व आपत्ति के लिए लोक जनसु. रखी गई। जिसके अनुरूप ग्राम पंचायत डेहरू इस परियोजना के -वर्ती ग्राम पंचायत की जल, थल व वायु, कृषि को प्रभावित कर जन व पशुपालन के आके इस प्रकार है।

(1) सैकड़ो हैक्यटेर की सिंचित कृषि भूमि बंजर हो जाएगी।

(2) किसान के जीवनयापन व आय स्त्रोत पशुपालन में लगभग (बारह हजार) की संख्या में भेड़ बकरी, गाय भैंस इत्यादि दुधारू जो कि गोचर अंगोर भूमि है उनकी घास नष्ट हो जाएगी।

(3) हजारों की संख्या में खेजड़ी जैसे पेड़ पौधे नष्ट होगे।

(4) वन्य जीव व मानव को अन्तिम रूप से पलायन करना होगा।

(5) कारखानों से निकलती विषैली धुआं व धूल और अपशिष्ट से मानव के पानी पीने का एकमात्र स्त्रोत तालाब पूर्ण रूप से जाऐगे।

इस प्रदूषण से तरहतरह की असंख्य बीमारीयों से ग्रसित होगे इन सभी को ध्यान में रखकर आपसे निवेदन है कि उक्त को अर्थात परियोजना को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाऐ।

उगाराम

सरपंच

ग्राम पंचायत, डेहरू

पं.स. खींवसर (नागौर)

राजस्थान सरकार पंचायती राज विभाग

कार्यालय ग्राम पंचायत, डेहरू

पंचायत समिति : खींवसर, जिला : नागौर (राज.)

उगराराम धोलिया

सरपंच

ग्राम पंचायत : डेहरू, (खींवसर) नागौर

Mob. : 97844

क्रमांक .... दिनांक ....

श्री क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (नागौर)

विषय :- मै. हरदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड निकट ताडावा गावण्डा एवं खोड़वा तह. खींवसर (नागौर) के पर्यावरणीय स्वीकृति में दर्ज करवाने बाबत-

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 18.5.2023 को उक्त प्रस्तावित लाईम स्टोन माइनिंग परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विद्यालय बेरावास के खेल मैदान में लोक जनसुनवाई कार्यक्रम में ग्रा.प. की सुनवाई, सुझाव व आपति हेतु आमंत्रित नहीं किया गया जबकि इनके कारखानों द्वारा उत्पन्न अवांछित उत्पाद यथा ठोस उत्पाद, धुँआ, पदार्थ, प्रदुषित जल, विषैली गैसे, धूल, राख धुँआ इत्यादि कारखाने के सीमा जल, थल तथा वायु प्रदुषण के मुख्य कारक है। इस माइनिंग परियोजना से पूर्ण तौर से ग्रा.प. डेहरू की सैकड़ों हैक्टर में किसानो की ट्यूबवेल व फसल नष्ट होगी तथा ऑक्सीजन कारक व वायु का प्रदुषण से सभी पेड़ पौधे नष्ट हो जायेगी। जो कि इस क्षेत्र में पहले से पर्याप्त पेड़ नहीं है। वन्य जीव व किसान आय स्त्रोत व जीवनयापन का सहारा पशुपालन पूर्ण रूप से नष्ट हो जायेगा। जनता के पानी पिने के एक मात्र स्त्रोत तालाब, ओरण (लगभग 800 है.) पीने योग्य पानी नही रहेगा। इस तरह के प्रदुषण से क्षेत्र की आम जनता पलायन करना मजबूर हो जायेगा। पलायन करना ही अंतिम उपाय होगा। जो मूल अधिकार हमारी ग्राम पंचायत के आम नागरिक का हो जायेगा। व इन्सानियत को कष्ट तथ्य प्रतित होता है। हमारे ग्राम पंचायत के प्रत्येक खेत व ट्यूबवेल व आवासीय क्षेत्र पर इसके धूल व अपशिष्ट पदार्थो के दोहन से प्रकरण को प्रदूषित करके निवेदन है कि उक्त कारखाने की आवास पलायन में लगने ~~कि स्वीकृति~~ की कृपा करावे।

[illegible]

(15)

राजस्थान सरकार

पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ।।

।। श्री गणेशाय नमः।।

।।ॐ दाता तू ही ।।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।।

राजस्थान सरकार पंचायती राज विभाग

कार्यालय ग्राम पंचायत, खींवसर

पंचायत समिति : खींवसर, जिला : नागौर (राज.)

प्रेषक :

श्रीमती राजू देवड़ा

सरपंच

Mob. : 9414864247, 9784223965

प्रेषित :-

श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी,

राज. राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल नागौर)

क्रमांक - SPL-02/2023 दिनांक ____________

विषय :- मै. हंसदीप इण्डस्ट्रीज एवं ट्रेडिंग कं. लिमिटेड निकट ग्राम बैरावास, तेवाबास, गांवड़ा एवं जोड़वा तह. खींवसर (नागौर) के पर्यावरणीय स्वीकृति में आपत्ति दर्ज करवाने बाबत।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि दिनांक 18-05-2023 को उक्त कंपनी द्वारा प्रस्तावित लाइम स्टोन माइनिंग परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ग्राम बैरावास के रा.उ.मा.वि. में लोक जनसुनवाई कार्यक्रम रखा गया। जिसमें ग्रा.प. खींवसर को सुनवाई में सुझाव देने एवं आपत्ति हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। जबकि ग्रा.प. खींवसर के आस-पास में बड़े स्तर पर कारखानों द्वारा उत्पन्न अवांछित उत्पाद यथा राख, धुआं एवं अपशिष्ट पदार्थ पदार्थ, प्रदुषित जल, विषैली गैसे आदि से सीमावर्ती क्षेत्र यथा खींवसर व आस पास के क्षेत्र में जल, थल व वायु प्रदुषण के मुख्य कारक है। साथ ही ग्रा० प. खींवसर का आबादी क्षेत्र उपरोक्त माइनिंग क्षेत्र के पास ही अवस्थित है जिसमें ग्राम पंचायत की आबादी लगभग 20,000 है जिसमें दो महाविद्यालय, 10 बड़े विद्यालय, मंदिर, 10 बड़े तालाब गोचर भूमि, वन क्षेत्र जिसमें पेड़ पौधे लगे हुवे है इत्यादि अवस्थित हैं इसके अलावा पास में कृषि भूमि स्थित है फैक्ट्री लगने से कृषि भूमि बंजर होने व आस पास के किसानों का जीवनयापन खतरे में पड़ जायेगा तथा साथ ही करीब 5000 के आस पास भेड़ बकरी है फैक्ट्री लगने से पशुपालकों का जीवनयापन दुर्लभ हो जावेगा।

राजू

(श्रीमती राजू)
सरपंच
ग्राम पंचायत खींवसर
प.स. खींवसर (नागौर)

राजस्थान सरकार

पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ।।

।। श्री गणेशाय नमः ।।
।।ॐ दाता तु ही ।।
राजस्थान सरकार पंचायती राज विभाग

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।।

कार्यालय ग्राम पंचायत, खींवसर

पंचायत समिति : खींवसर, जिला : नागौर (राज.)

प्रेषक :

श्रीमती राजू देवड़ा

सरपंच

Mob. : 9414864247, 9784223965

प्रेषित :-

श्रीमान् ______________________

____

____

क्रमांक

दिनांक ______________

फैक्ट्री लगने से आस पास के क्षेत्रों में पेड़ पौधे नष्ट हो जायेंगे तथा पहले से ही इस क्षेत्र में वन क्षेत्र व पेड़ पौधे बहुत कम है। जिससे पर्यावरण प्रदुषण बढ जायेगा। तथा पानी के स्त्रोत तालाब आदि में फैक्ट्री से जल प्रदुषण भी बढेगा। इस तरह से प्रदुषण बढने से खींवसर के आस पास के लोगों को मजबुरन पलायन करना ही अंतिम उपाय होगा जो कि मानव के मुल अधिकारो का हनन होगा। साथ ही क्षेत्र में फैक्ट्री लगने से मानवीय मुल्यों को शर्मशार करने वाला कृत्य प्रतीत हो रहा है

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त क्षेत्र में उपरोक्त कंपनी को पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दी जावे।

राजू

(श्रीमती राजू)
सरपंच
ग्राम पंचायत खींवसर
प.स. खींवसर (नागौर)

(16)

कार्यालय ग्राम पंचायत, लालावास

पंचायत समिति, खींवसर, जिला-नागौर (राज.)

मन्जू
सरपंच, लालावास

9461022462
9929737676
9636515754

क्रमांक : ...

दिनांक : ....

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय
राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल नागौर

मान्यवर,

मैं हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड निकट ताडावास कैराबास, भाकण्डा एवं खोड़वा की आपके विभाग से चाही गई पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए सुनवाई सुझाव व आपत्ति के लिए लोक जनसुनवाई रखी गई। जिसके अनुरूप ग्राम पंचायत लालावास इस परियोजना की सीमवर्ती ग्राम पंचायत की जल, थल व वायु, कृषि को प्रभावित कर आम-जन व पशुपालन के आंकडे इस प्रकार है।

(1) सैकडो हैक्टेयर की सिंचित कृषि भूमि बंजर हो जाएगी
(2) किसान के जीवनयापन व आय स्रोत पशुपालन मे लगभग 10000 (दश हजार) की संख्या मे भेड, गाय भैस इत्यादि दुधारू पशुओ जो कि गोचर अंगोर भूमि है उनकी घास नष्ट हो जाएगी।
(3) हजारों की संख्या में खेजडी जैसे पेड पौधे नष्ट होगे।
(4) वन्य जीव व मानव को अन्तिम रूप से पलायन करना होगा।
(5) कारखानों से निकलती विषैली धुंआ व धूल और अपशिष्ट पदार्थो से मानव के पानी पीने का एकमात्र स्रोत तालाब पूर्ण रूप से नष्ट हो जायगा।

इस प्रदूषण से तरह-2 की असंख्य बीमारीयों से ग्रसित होगे।
इन सभी को ध्यान मे रखकर आपसे निवेदन है कि उक्त कम्पनी को अधिकाव परियोजना को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नही किया जाना उचित है।

मंजू
- सरपच
ग्राम पंचायत लालावास
पं.स. खींवसर (नागौर)

कार्यालय ग्राम पंचायत, लालावास

पंचायत समिति, खींवसर, जिला-नागौर (राज.)

मन्जू
सरपंच, लालावास

9461022462
9929737676
9636515754

क्रमांक : ...   दिनांक ....

श्री क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल, (नागौर)

विषय - मै. हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड निकट लाडनास, बेरावास, भावंडा एवं खोड़वा तह. खींवसर (नागौर) के पर्यावरणीय स्वीकृति मे आपत्ति दर्ज करवाने बाबत्

मान्यवर,

उपर्युक्त विषयान्तुर्गत निवेदन है कि दि. 18-5-2023 को उक्त कम्पनी की प्रस्तावित लाइम स्टोन माइनींग परियोजना मे पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु रा.उ.मा. विद्यालय बेरावास के खेल मैदान मे लोक जन सुनवाई कार्यक्रम मे ग्रा.प. लालावास को सुनवाई, सुझाव व आपत्ति हेतु आंमत्रित नही किया गया जबकी इतनी बडे स्तर के कारखाने द्वारा उत्पन्न अवांछित उत्पाद यथा ठोस उत्पाद, धुआ एवं अपशिष्ट पदार्थ, प्रदुषित जल, विषैली गैसे, धूल, राख धुंआ इत्यादि कारखाने के सीमावर्ती क्षेत्र मे जल, थल तथा वायु प्रदुषण के मुख्य कारक है इस माइनिंग परियोजना से स्वभाविक तौर से ग्राम प. लालावास की सैकडो हेक्टर मे किसानो की ट्युबवेल व फसल पुर्ण रूप से नष्ट होगी तथा आवश्यकता कारक व वायु का प्रदुषण से सभी पेड पौधे नष्ट हो जाएगी क्यो कि इस क्षेत्र मे पहले से ही पर्याप्त पेड नही है वन्य जीव व किसानो के आय स्रोत व जीवनयापन का सहारा पशुपालन पुर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा क्षेत्र की आम जनता के पानी पिने के एक मात्र स्रोत तलाब, आंगोर (लगभग 300 हे.) प्रदुषण से पीने योग्य पानी नही रहेगा। इस तरह के प्रदुषण से क्षेत्र की आम जनता का पलायन करना यानि मजबुर कर देना ही अंतिम उपाय होगा जो मुल अधिकारो का हनन है व संविधान को शर्मसार करने वाला रूप प्रतित होता है। कृपया करके निवेदन है कि उक्त कारखाने को पर्यावरणीय स्वीकृति नही दी जानी उचित है।

मंजू
सरपंच
ग्राम पंचायत लालावास
पं.स. खींवसर (नागौर)

(18)

कार्यालय ग्राम पंचायत, माणकपुर

पंचायत समिति : मुण्डवा, जिला : नागौर (राज.)

त्रिभुवन सिंह
सरपंच

E-mail : tribhuvansingh1811@gmail.com
Mob. : 8094220121

क्रमांक

दिनांक ....

श्री क्षैत्रीय अधिकारी
रा० राज्य प्रदुषण नियत्रंण मंडल, नागौर

मान्यवर,

"मै. हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड निकट ताडावास, बेरावास, भावडा एवं खाजवा की आपके ~~चाह~~ विभाग से चाही गई पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए सुनवाई, सुझाव व आपत्ति के लिए लोक जनसुनवाई रखी गई। जिसके अनुरूप ग्रा. प. माणकपुर इस परियोजना की सीमावर्ती ग्रा. प. की जल, थल व वायु, कृषि को प्रभावित कर आमजन व पशुपालन के आंकडे इस प्रकार है-

1) सैकडो हैक्टर की सिंचीत कृषि भूमि बंजर हो जाएगी।
2) किसान के जीवनयापन व आय स्त्रोत पशुपालन मे लगभग 10000 (दस हजार) की संख्या मे भेड बकरी, गाय भैंस, इत्यादि दुधारू पशुओ जोकि गोचर अंगोर इनको घास नष्ट हो जाएगी।
3) हजारो की संख्या मे खेजडी जैसे पौधे नष्ट होगे
4) वन्य जीव व मानव को अंतिम रूप से पलायन करना होगा।
5) कारखानो से निकलती विषैली धुआं, धुल और अपशिष्ट पदार्थो से मानव के पानी पीने का एकमात्र स्त्रोत तालाब पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगे।

इस प्रदुषण से ~~हजारो~~ तरह-2 की असंख्य बिमारियो से ग्रसित होगें।

इन तथ्यो को ध्यान मे रखकर आपसे निवेदन है कि उक्त कम्पनी को अर्थात परियोजना को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नही किया जाए।

(हस्ताक्षर)
सरपंच
ग्राम पंचायत, माणकपुर
पं.स. मुण्डवा (नागौर)

19

कार्यालय ग्राम पंचायत, माणकपुर

पंचायत समिति : मुण्डवा, जिला : नागौर (राज.)

त्रिभुवन सिंह
सरपंच

E-mail : tribhuvansingh1811@gmail.com
Mob. : 8094220121

क्रमांक SPL — दिनांक ....

श्री क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मंडल, (नागौर)

विषय- मैं. हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रैडिंग कम्पनी लिमिटेड निकट ताडावास, बेरावास, भावंडा एवं खोड़वा तह- खींवसंर (नागौर) के पर्यावरणीय स्वीकृति मे आपति दर्ज करवाने बाबत.

मान्यवर,

उपर्युक्त विषयानुर्न्गत निवेदन है कि दि. 18-5-2023 को उक्त कम्पनी की प्रस्तावित लाइम स्टोन माइनींग परियोजना मे पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु रा. उ. मा. विधालय बैरावास के खेल मैदान मे लोक जनसुनवाई कार्यक्रम में ग्रा.प. माणकपुर को सुनवाई, सुझाव व आपति हेतु आंमत्रित नही किया गया जबकी इतनी बडे. स्तर के कारखानो द्वारा उत्पन्न अवांछित उत्पाद यथा ठोस उत्पाद, धुआं एवं अपशिष्ट पदार्थ, प्रदुषित जल, विषैली गैस, धूल, राख धुआं इत्यादि कारखाने के सीमावर्ती क्षैत्र मे जल, थल तथा वायु प्रदुषण के मुख्य कारक है। इस माईनिंग परियोजना से स्वभाविक तौर से ग्रा.प. माणकपुर की सैकडो हैक्टर मे किसानो की ट्युबवेल व फसल पूर्ण रूप से नष्ट होगी तथा ऑक्सीजन कारक व वायु का प्रदुषण से सभी पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे जो कि इस क्षेत्र मे पहले से ही पर्याप्त पेड़ नहीं है वन्यजीव व किसानो के आयस्त्रोत व जीवनयापन का सहारा पशुपालन पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। क्षेत्र की आम जनता के पानी पिने के एक मात्र स्त्रोत तालाब, अंगोर (लगभग 500 है.) प्रदुषण से पीने योग्य पानी नही रहेगा। इस तरह के प्रदुषण से क्षेत्र की आम जनता का पलायन करना मजबुर कर देना ही अंतिम उपाय होगा जो मुल अधिकारो का हनन है व इसानियत को शर्मसार करने वाला कृत्य प्रतित होता है। कृपया करके निवेदन है कि उक्त कारखाने को पर्यावर्णीय स्वीकृति नही दी जावे।

(हस्ताक्षर) सरपंच
ग्राम पंचायत, माणकपुर
मुण्डवा (नागौर)

संलग्न अनु. आंकडे. ....

(20)

श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी,

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल,

नागौर

विषय – 27 अगस्त को ताडावास गांव में एक सीमेंट कंपनी, जे के लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड को चूना पत्थर ब्लाक 4G-I-A से खनन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति देने बाबत लोक सुनवाई.

जिस मैं आपति दर्ज करवाने के बाबत

महोदय,

इस खनन परियोजना को लेकर हमारी ये आपत्तियां हैं, जिनके पर्याप्त निराकरण के बिना पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दिए जाने का निवेदन है.....

1. इस लोक सुनवाई से पहले सरल हिंदी भाषा में इस परियोजना के दस किमी के दायरे में आने वाले ग्रामीणों को मूल जानकारी नहीं दी गई. यह जानकारी लिखित में घर घर पहुंचाई जानी चाहिए थी ताकि सभी परिवार अपने भविष्य का उचित फैसला कर सकें. जब उनके पास जानकारी ही नहीं है, तो वे इस सुनवाई में अपना पक्ष कैसे रख पाएंगे ? हमने इस बारे में आपको एक हफ्ते पहले पत्र भी दिया था पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की. (पत्र संलग्न). खनन और पर्यावरण विषयों की तकनीकी भाषा और अंग्रेजी को हम गांव के लोग नहीं समझ पाते हैं. यह इस सुनवाई व्यवस्था की पहली और घोर त्रुटि है. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है, जिसमें बोलने की आजादी के लिए सम्बंधित पक्षों को पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करवाने का उल्लेख है. किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था में किसी सुनवाई से पहले विभिन्न पक्षों को समुचित जानकारी देना एक शाश्वत नियम है.

2. हमारे संविधान में भारत के सभी नागरिकों को अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक और स्वस्थ जीवन जीने का और अपने परिवार को पालने के लिए आजीविका का मूल अधिकार है. इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में स्थानीय लोगों से उनकी जमीन लेने के बाद उनके जीवन और परिवारों के लिए आजीविका के विकल्प अविश्वसनीय और असपष्ट हैं. केवल 81 लोगों को रोजगार देने की बात कंपनी ने कही है. ये भी शत प्रतिशत स्थानीय होंगे, यह नहीं कहा गया है. ऐसे में प्रत्यक्ष या सीधा रोजगार लगभग नगण्य होगा. बाकी के हजारों लोग और खासकर युवा कहाँ जायेंगे, क्या करेंगे ? नया व्यवसायिक जीवन शुरू करने के लिए केवल मुआवजा पर्याप्त नहीं है. इसके लिए जमीन, प्रशिक्षण, बाजार की जानकारी आदि जरूरी हैं. जो लोग पीढ़ियों से खेती और पशुपालन करते हैं, वे नए व्यवसाय में अचानक कैसे ढल पायेंगे ? एक तरह से संविधान के भाग 4 यानी नीति निदेशक तत्वों के कई प्रावधानों का भी इस परियोजना से उल्लंघन होगा.

3. जमीन की कीमत के बारे में नियमानुसार स्थानीय समुदाय से पर्याप्त सलाह नहीं ली गई है. जबकि ड्राफ्ट रिपोर्ट में यह लिखा था कि भूमि के मालिकों से समय समय पर कीमत के बारे में चर्चा की जायेगी. ड्राफ्ट रिपोर्ट के पेज 163 पर लिखा है....discussions with the landowners from time to time to offer the applicable rates........लेकिन यहाँ तो सब गुपचुप तरीके से चल रहा है. ग्रामीणों की मजबूरियों का फायदा उठाकर मामूली दरों पर जमीन खरीदना भी शुरू कर दिया गया है. रिपोर्ट में लिखे अनुसार नियम से कभी गाँव के लोगों को इकठ्ठा

Guddi भोगी

Radha

मुली देवी

Nirmal

बिठाकर कोई बात ही नहीं हुई. साथ ही DLC दरों का फार्मूला तो किसी रेल या रोड की सरकारी परियोजना में चल सकता है. लेकिन यहाँ तो पूर्ण रूप से और शुद्ध रूप से व्यवसाय का मामला है. सामान्यतया जमीन खरीदने वाले को रजिस्ट्री का खर्च देना होता है. ऐसे में जमीन के भीतर मौजूद संसाधन के अनुसार बाजार मूल्य तय होना चाहिए. भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का उसकी मूल भावना से पालन किया जाना चाहिए.

4. इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में किसान, सरकार और कंपनी को इस परियोजना से कितना लाभ होगा, यह स्पष्ट नहीं है. किसान को क्या कीमत मिलेगी, सरकार कितना कमाएगी और कंपनी कितना मुनाफा ले जायेगी, यह स्पष्ट होना चाहिए. ऐसे में आसपास के दस किमी क्षेत्र के स्थानीय निवासी अपने देश और परिवार के हित में तुलनात्मक ढंग से नहीं सोच पा रहे हैं. देश के व्यापक हित में कोई परिवार बड़े से बड़ा बलिदान भी कर देता है पर उसे वह हित स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए.

5. ड्राफ्ट रिपोर्ट में जिस 610 हेक्टेयर जमीन का जिक्र है, उस पर कितने समय तक कंपनी का मालिकाना हक़ होगा और क्या यह जमीन वापिस मूल मालिकों को दी जायेगी, इस पर भी स्पष्टता नहीं है. जैसे सोलर कंपनियां किसानों से जमीन लीज पर लेती हैं, वैसे ही यह प्रावधान है या उससे अलग है ? यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या वांछित चूना पत्थर के लिए इतनी अधिक जमीन लेने की आवश्यकता है. एक हेक्टेयर में कितन चूना पत्थर निकलने का अनुमान है, यह भी नहीं बताया गया है.

6. ड्राफ्ट रिपोर्ट में आसपास के दस किमी क्षेत्र के लोगों का जीवन हर तरह से बदल जाने और उनके सुखी हो जाने का भरोसा दिया गया है. स्थानीय निवासी यह भरोसा तभी कर पाएंगे जब उनको आसपास के क्षेत्र में पूर्व में स्थापित परियोजनाओं का अवलोकन करवाया जाता. जैसे मूंडवा, गोटन, खारिया आदि. आप उनको उन क्षेत्रों में ले जाकर रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा के फायदे दिखाते तो तसल्ली हो जाती.

पूनाराम

7. रिपोर्ट में यह तो कहा गया है कि इस व्यापक खनन और क्रेशर से धूल भारी मात्रा में उड़ेगी और जहरीली गैसें भी वातावरण में फैलाव करेंगी. लेकिन उनके कारण कौन कौनसी बीमारियां आसपास के दस किमी क्षेत्र में संभावित हैं, इनकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है. यह कहा गया है कि स्वास्थ्य की जांच और ईलाज में सहयोग करेंगे पर नए और भारी प्रदूषण से कौनसी नई बीमारियां होंगी, यह नहीं बताया जा रहा. केवल इस क्षेत्र में अभी होने वाली बीमारियों के नाम लिखे हैं.

पूनमदास जी

बालाराम

8. इस रिपोर्ट में जीव जंतुओं (fauna) का जिक्र किया है, जो प्रभावित होंगे. लेकिन इनमें पालतू पशुओं यानी गौवंश, भैंस, बकरी या भेड़ों का जिक्र नहीं है. पशुपालन यहाँ के आसपास के दस किमी क्षेत्र के निवासियों का एक प्रमुख आजीविका आधार है. ऐसे में इन पर मौन से संदेह होता है. इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय पक्षी मोर का भी जिक्र नहीं है, जो इस क्षेत्र में बहुतायत में हैं और जिसका जीवन इस परियोजना से खतरे में पड़ना ही है. राज्य पशु चिंकारा (हिरण) का जिक्र जरूर इस रिपोर्ट में है. आपको मालूम हो कि यह इतना संवेदनशील प्राणी है कि हलकी सी आहट से भी भाग जाता है. ऐसे में परियोजना के धमाकों से इस पर क्या असर होगा, यह नहीं बताया गया.

कोजाराम
सुरेन्द्र
रामनिवास
खेमदास
कोजाराम
प्रतापराम
मोतीराम बाबुलाल
बाबुलाल
जीवणराम
बद्रीराम
भंवरलाल
जयपाल
महेन्द्र
महिपाल
महादेव
मोहनराम
नरेन्द्र
सुखराम

9. परियोजना के कोर क्षेत्र में अभी लगभग 123 हेक्टेयर गोचर भूमि का जिक्र है. यहाँ पर हमारा पशुधन अभी चरता है. आगे हम पशुओं को कहाँ चरायेंगे, इसका अभी पता नहीं है. खासकर भेड़ और बकरी पालन करने वाले गरीब परिवारों के लिए विकट समस्या होने वाली है. अगर यह गोचर यहाँ से बहुत दूर उपलब्ध करवाई जाती है तो हम पालतू पशुओं को चराने कब जायेंगे और कब वापिस घर आयेंगे.

10. रिपोर्ट में परियोजना के कोर और बफर जोन में पेड़ों (flora) की प्रजातियों की संख्या बताई गई है, लेकिन उनके नाम अंग्रेजी या हिंदी भाषा में नहीं लिखे गए हैं. यहाँ बहुतायत में खेतों में और बाहर राज्य वृक्ष खेजड़ी पाई जाती है. इसे भारत और राजस्थान की संस्कृति में अत्यंत पवित्र पौधा माना जाता है और जो ग्रामीण जीवन के लिए कई तरह से उपयोगी है. जानवरों के लिए चारे के साथ इससे सांगरी नाम का बहुत महंगा फल मिलता है, जो पौष्टिक सब्जी में काम आता है. रिपोर्ट में नहीं बताया गया है कि इस परियोजना के लिए खेजड़ी के कितने पेड़ काटे जायेंगे. साथ ही क्षेत्र में केर, बेर, नीम, पीपल और बरगद जैसे पेड़ भी भारी संख्या में हैं. इनकी संख्या का जिक्र भी इस रिपोर्ट में नहीं है.

11. वन विभाग की लगभग 105 हेक्टेयर जमीन को भी परियोजना के लिए बलिदान किया जा रहा है. इन वनों को सरकार के साथ समाज ने सदियों से संजोया है. इसके बारे में क्या व्यवस्था होगी, यह भी स्पष्ट नहीं है. वन भूमि बढाने की बजाय घटाने का आत्मघाती काम क्यों किया जा रहा है ?

12. रिपोर्ट में क्षेत्र की नाडियों के बारे में एकदम गलत और भ्रामक जानकारी दी गई है. कहा गया है कि कुछ तालाब दस किमी के क्षेत्र में हैं पर वे इस परियोजना से कई किमी दूर हैं. यह बताया गया है कि परियोजना क्षेत्र में मौजूद नाडियाँ किसी काम की नहीं हैं और अधिकतर सूखी पड़ी रहती है. जबकि सैकड़ों सालों से हम ग्रामीण और जानवर इन्हीं नाडियों का पानी पीते आए हैं. रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस क्षेत्र में लगभग 50 सेमी वार्षिक बारिश होती है. समूचे राजस्थान का यही औसत है और ऐसे में जब राजस्थान के सभी तालाब भरे रहते हैं तो ये नाडियाँ ही सूखी क्यों रहती हैं. वैसे भी जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले दो तीन दशक से राजस्थान के इस भाग में बारिश ज्यादा होने लगी है और यह क्रम आगे भी जारी रहेगा. अभी वर्तमान में भी ये नाडियाँ छलकी हुई हैं. इनमें पानी की आवक प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र से ही होती है. जब परियोजना स्थापित होगी तो ये नाडियाँ भी स्वतः समाप्त हो जायेंगी. मनुष्यों के साथ जीव जंतुओं के पानी पीने का आधार छिन जाएगा.

13. रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि परियोजना क्षेत्र से से पानी का बहाव किस तरफ होगा. क्या यह पानी आसपास के क्षेत्र में आएगा या परियोजना क्षेत्र के भीतर ही होगा ? क्या परियोजना क्षेत्र के पानी के आसपास के खेतों में बहाव से उनकी मिट्टी खराब नहीं होगी ? क्या नाडियों में पीने का पानी खराब नहीं होगा ?

14. रिपोर्ट कहती है कि आसपास के लोग ट्यूबवेल से पानी पीते हैं. क्या हर परिवार के पास अपना खुद का ट्यूबवेल है ? साथ ही पीने के पानी में पालतू, बेसहारा और जंगली जीव जंतुओं जानवरों के पीने के पानी का जिक्र नहीं है. क्या यह जानकारी भ्रामक नहीं है ?

15. रिपोर्ट में यह माना गया है कि खनन परियोजना से उड़ती धूल से आसपास के कई गाँवों की उपजाऊ मिट्टी की बर्बादी होना तय है. रिपोर्ट यह भी कहती है कि इस क्षेत्र की जमीन बहुत उपजाऊ है. लेकिन इन धूल कणों के उस मिट्टी पर जमा होने से वह मिट्टी बंजर होना शुरू हो जाएगी. क्या उन गाँवों के किसानों को यह बात पता है ? रिपोर्ट कहती है कि हम बर्बाद मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने के उपाय कर देंगे। यानी मिट्टी को पहले बर्बाद करेंगे और फिर उसे ठीक करेंगे. क्या इस तरह का खेल खेलना किसी भी रूप में न्यायोचित है ?

16. रिपोर्ट में ध्वनि प्रदूषण की बात को गोल गोल घुमाया गया है. यह माना गया है कि ब्लास्ट, ड्रिलिंग, क्रेशर, परिवहन आदि से उपजे शोर से ध्वनि प्रदूषण तो होगा. यह भी कहा गया है कि यह सब दिन में होगा. चतुराई से यह भी लिखा है कि यह प्रदूषण 'सामान्य व्यक्ति' की सहन करने की क्षमता तक ही होगा. लेकिन नवजात बच्चों, बुजुर्गों, गंभीर बीमारों, गर्भवती महिलाओं, गर्भवती पालतू पशुओं पर इसका क्या असर होगा, इस पर रिपोर्ट में मौन है. आसपास की स्कूलों में पढ़ाई में इससे क्या व्यवधान होगा, इस पर भी रिपोर्ट मौन है.

17. पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नष्ट होने का हल्ला है. ऐसे में राजस्थान के अधिकतर भागों में बड़ी खनिज परियोजनाएं जीवन की कीमत पर संचालित होने लगीं तो जलवायु का क्या होगा ? राजस्थान की धरती के नीचे और खासकर पश्चिमी राजस्थान तो हर जगह कुछ न कुछ खनिज है. ऐसे में क्या यहाँ के मानव, जंतुओं और पेड़ों को हमेशा के लिए बेदखल कर दिया जाएगा ? क्या यह आत्मघाती लालच का खेल नहीं है ?

18. हमारी एक मूल आपत्ति यह भी है कि एक देश में दो क़ानून क्यों हैं. एक किसान के लिए और दूसरा पूंजीपतियों के लिए. हम अपने खेत से चूना पत्थर नहीं निकाल सकते, इसकी इजाजत नहीं मिलती है और अगर हम ऐसा करते हैं तो यह काम कानून के खिलाफ यानी अवैध माना जाता है. लेकिन यही खेत किसी पूंजीपति ने खरीद लिए तो वह आराम से इसमें से चूना पत्थर निकाल सकता है. यह कब तक चलेगा ?

19. हमारा यह क्षेत्र पारंपरिक रूप से चूने के भट्टों के लिए जाना जाता है. देश विदेश में हमारे चूने और कली का नाम मशहूर है. लम्बे समय से छोटे उद्योग का यह कारोबार चलता है और इसमें स्थानीय लोगों की पूरी भागीदारी रहती है. सरकार एक बड़ी कंपनी को अगर चूना पत्थर निकालने का अवसर देती है तो ऐसा चूना भट्टों के लिए भी किया जा सकता था. रिपोर्ट में कंपनी की तरफ से बताया गया है कि इस पत्थर को चूना भट्टों को भी सप्लाई किया जाएगा. तो फिर यह काम खुद भट्टा संचालक ही कर लेंगे, कोई मध्यस्थ क्यों चाहिए ? साथ ही क्षेत्र के बेरोजगार युवा भी सरकारी योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा भट्टे बनाकर खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं. लेकिन इस विकास में हजारों परिवारों को शामिल न कर केवल एक परिवार को फायदा पहुंचाना भी संविधान के अनुच्छेद 39 का उल्लंघन है. इस अनुच्छेद में लिखा है कि देश के संसाधनों को कुछ हाथों में इकठ्ठा होने से रोका जाएगा.

20. हमारी एक आपत्ति यह भी है कि इस क्षेत्र के केमिकल और चूने के ग्रेड के पत्थर को सीमेंट बनाने के काम में क्यों लिया जा रहा है. यह सर्वविदित है कि पूरे भारत में नागौर-जोधपुर का चूना पत्थर ही चूने, कली और कई केमिकल बनाने में श्रेष्ठ है. ऐसे में इस धरोहर को नष्ट करके भविष्य में विदेशों से आयात करने का रास्ता क्यों आपनाया जा रहा है ? सरकार ने गत समय में इस क्षेत्र में केवल सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर घोषित करके भी छोटे

उद्योगों के रास्ते बंद कर दिए है. लेकिन कमाल यह कि कंपनी की रिपोर्ट में इस पत्थर को चूना भट्टों और रसायन क्षेत्र को सप्लाई करने की बात कही गई है. सरकार फिर इस पत्थर को 'चूना पत्थर' की जगह 'सीमेंट पत्थर' के रूप में क्यों परिभाषित नहीं कर देती ?

महोदय, हमारी इन आपत्तियों को देखते हुए इस क्षेत्र में स्थापित होने वाले जे के लक्ष्मी सीमेंट की परियोजना को रोका जाये. हम आगे की कानूनी कार्रवाई से पहले इस मंच का विधिवत उपयोग कर रहे हैं. Exhausting the all available pre legal opportunities के सूत्र के तहत.

दिनांक – 27 अगस्त 2024

सादर,

सभी ग्राम वासी, ताडावास

ग्लैमर

'देवा' की रिलीज डेट में हुआ बदलाव, अब अगले साल आएगी यह फिल्म

विजय, राइमा और सलीम की 'आलिया बसु गायब है' का फर्स्ट लुक आउट

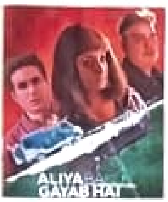

वेब सीरीज 'ड्यून:प्रोफेसी' के दूसरे टीजर में दिखा तब्बू का नया अवतार

छह साल बाद फिर साथ काम करेंगे जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर

समस्या • नावां तहसील कार्यालय तक सड़क किनारे अतिक्रमण व दुकानों के सामने पक्के निर्माण पर पालिका नहीं दे रही ध्यान

मुख्य मार्ग के अतिक्रमण को पालिका कर रही अनदेखा

गलियों में जाकर कर रहे कार्रवाई, जाम के हालात से भी बढ़ी समस्याएं

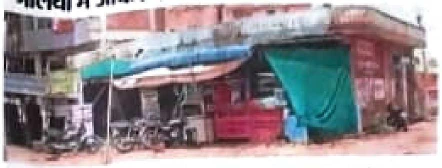

ट्रांसफार्मर हटाया पास के अतिक्रमण को छोड़ा

पौधरोपण • जिले में प्रत्येक विद्यार्थी घर पर 5 पौधे लगाने का लक्ष्य, बचाने की शपथ ली

विद्यालय परिसर में बच्चों ने किया पौधरोपण

एनएमएमएस उत्तीर्ण छात्र को नहीं मिली स्कॉलरशिप

42वां वर्षायोग मंगल कलश स्थापना आज

नाड़िया राजकीय विद्यालय में बच्चों ने 56 पौधे लगाए

एसीबीईओ ने लाडनूं के स्कूलों में किया पौधरोपण

संखवास गांव में अमृत तालाब में पौधरोपण किया

नगर परिषद से प्रोसिडिंग कॉपी दिलवाने की मांग

खड़कली विद्यालय में भामाशाह ने विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री के साथ पौधे वितरित किए

आचार्य बने अभिभावक संघ राजस्थान के सेक्रेटरी

अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

श्रमदान • बीआर मिर्धा महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत आयोजन

स्वयंसेवकों ने हटाई कंटीली झाड़ियां

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने, नागौर- 341001 (राज.),
ई-मेल-rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांकः- राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-26/1424 दिनांकः 15.07.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्तावित चूना पत्थर ब्लॉक 4जी-एक-ए (नीलामी ब्लॉक) ग्राम ताडावास, बैरावास और खींवसर, तहसील- खींवसर और जिला- नागौर परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 'प्रस्तावित चूना पत्थर ब्लॉक 4जी एक-ए (नीलामी ब्लॉक) (क्षेत्रफल- 610.863574 हेक्टेयर) चूना पत्थर उत्पादन क्षमता 5.0 मिलियन टन प्रति वर्ष, के साथ 1000 टन प्रति घण्टा के क्रैशर की स्थापना ग्राम- ताड़ावास, बैरावास और खींवसर, तहसीलः खींवसर, जिला नागौर (राज.) आवेदक मैसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड' से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक प्रस्तावित चूना पत्थर परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध हैः

1. जिला कलेक्टर, नागौर
2. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
3. CEO जिला परिषद्, नागौर
4. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
5. पर्यावरणीय विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर
6. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर
7. उपखण्ड अधिकारी, खींवसर
8. तहसीलदार, खींवसर
9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर
10. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर
11. ग्राम पंचायत, ताडावास
12. ग्राम पंचायत, बैरावास
13. ग्राम पंचायत, खींवसर
14. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ताड़ावास, तहसील खींवसर, जिला-नागौर
15. बी.डी.ओ. खींवसर

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक/न्याय/प्रदूषण/ज.सु. 2024/4648 दिनांक 11.07.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित चूना पत्थर परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 27.08.2024 को प्रातः 10:30 बजे, स्थान-राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ताड़ावास का परिसर, तहसील- खींवसर, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है।

भवदीय

(सचिन कुमार)

क्षेत्रीय अधिकारी

TIMES CITY

ACTIVISTS DEMAND PROTEST SPOTS NEAR ASSEMBLY AND SECRETARIAT | 3

POLICE DEMOLISH HOUSE OF CYBER CRIMINAL IN DEEG VILLAGE | 4

Sariska un'bear'able! Sloth bear programme falters in tiger reserve

Male Bear Has Moved 240Km Away

Ajay Singh Jaipur [illegible]

Three sloth bears were relocated to Sariska Tiger Reserve (file pic)

Jaipur: A sloth bear relocated to Sariska Tiger Reserve under the state's first sloth bear reintroduction programme is not adjusting well to the new landscape.

According to the forest department, the male bear, SB 2, has travelled nearly 240 km and reached Mandrayal in Karauli district. The sloth bear (Melursus ursinus), a key species of the hills and mountains of the semi-arid region of western India and listed in the 'Vulnerable' category by the International Union for Conservation of Nature (IUCN), was relocated under this programme. However, experiments to reintroduce these omnivores last year after they became extinct from the landscape nearly [illegible] years ago are proving to be futile.

A senior official said, "The last location of the sloth bear SB 2 was recorded near Mandrayal in Karauli district on Wednesday. A total of three sloth bears (SB1, SB2, SB3) were reintroduced to the STR after being collared last year. Since reintroduction, none have stayed inside the park."

Earlier, the forest department was forced to relocate SB 2 because the animal, since its reintroduction to STR, never stayed inside the park. It frequently ventured close to human settlements in nearby places, including Kharthal, Kushalgarh, Bandikui, and Dausa, causing man-animal conflicts.

According to experts, the reintroduction of sloth bears at STR failed due to the selection of animals from the wrong region.

Founder of Sariska Tiger Foundation, Dinesh Durani, said, "Areas from where the three sloth bears were brought to STR — Sirohi and Jalore districts, including Mount Abu and Sunda Mata areas — have these animals accustomed to living near human settlements as they easily find food and water. The forest department should have identified animals from regions like Karauli and Ranthambore."

Adding to the forest department's concerns, the sloth bears have not reproduced since their reintroduction to STR. "It has been more than a year and a half, and no births have been reported. There was [illegible], but SB 2 also travelled to a different area, leaving the female behind. The department claimed the reintroduction of sloth bears was to maintain the ecosystem, but the experiment has entirely failed," said a wildlife watcher.

'No project around Sariska sans NOC'

Times News Network

Jaipur: To protect the ecological area around Sariska Tiger Reserve, forest department has issued an order reminding revenue department to restrict any changes in land use within one kilometre radius of Sariska's core and buffer zones without a No Objection Certificate (NOC).

This directive, issued by additional chief secretary for forest and environment, Aparna Arora, mandates obtaining an NOC prior to approving any project in these areas. This requirement also extends to all revenue lands within the specified radius.

Currently, 84,835 [illegible] hectares of Sariska land have not yet been transferred to the forest department. The National Green Tribunal (NGT) recently addressed this issue, with the Bhopal Bench ordering the Rajasthan government to expedite the land transfer.

An official said, "The order is part of a broader effort to curb the construction of hotels and other non-forestry activities near forested regions. It already applies to national parks, wildlife sanctuaries, protected forest areas (protected areas), and eco-sensitive zones. Compliance is required from all district collectors, encompassing the revenue, mines, autonomous governance, and urban development departments, following court and National Green Tribunal (NGT) mandates related to forest areas, including Sariska."

In the past, despite existing orders, unauthorised non-forestry activities have persisted, prompting this reinforced directive. "The Supreme Court has ruled out mining and prohibited commercial and industrial activities within a 10-kilometre radius of national parks, tiger reserves, sanctuaries, and protected forest areas, unless explicitly notified otherwise. The ministry of environment and forests stipulates that any project within these protected areas must secure permissions under the Wildlife Protection Act," reads the order.

Gangster wanted for Theth murder arrested in Italy

Times News Network

Amarjeet Singh Vishnoi (left); ADG AGTF Dinesh MN addresses a presser on Thursday in Jaipur to share details of Vishnoi's arrest

Jaipur: Anti-Gangster Task Force (AGTF) of Rajasthan police on Thursday said that Italian authorities had arrested gangster Amarjeet Singh Vishnoi on July [illegible]. Vishnoi is wanted for his involvement in the Raju Theth murder case and in several other murder, attempt to murder and extortion cases.

ADG (AGTF) Dinesh MN in a press conference said Vishnoi, an aide of gangster Rohit Godara, had been coordinating extortion threats through VPN calls from overseas. "He has multiple criminal cases registered against him in various police stations in Rajasthan, including serious charges like murder, attempted murder, robbery, Arms Act violations, and extortion threats," Dinesh said.

He added that Vishnoi is wanted also in the murder case of Sachin Godha in Kurukshetra, Haryana.

"After confirming information about the accused residing in Sicily in Italy, a letter was issued to Interpol through central agencies for verification. Based on this information, he (Vishnoi) was arrested from the town of Trapani in Sicily by local police on July [illegible]. Correspondence is under way by AGTF to initiate extradition proceedings to bring the criminal to India," Dinesh said.

A few months before Raju Theth's murder in 2022, Vishnoi had already planned his escape. He went to Dubai and from there to Cyprus and then to Italy. Since 2022 he had been living in Italy. Police had announced a reward of Rs 50,000 for information leading to his arrest.

At pre-heist party, gang member dies of overdose

Times News Network

The accused in police custody

Jaipur: A gang of criminals in Jaipur organised a party after planning a heist they believed would yield a treasure trove, only for the gathering to end in tragedy when one of their aides died from a drug overdose.

SHO (Sanganer Sadar) Poonam Choudhary told TOI that police arrested Mangal Singh (32), Narendra Singh alias Londi (32), Deepak alias Deepu Singh (24) and Nirmal Khatik alias Bhalu (28) on Wednesday on charges of killing their aide, Vijay Sen, by giving the drug to him and for disposing of his body.

"We had received information on Saturday about a man's body found in a dilapidated room. The team dispatched there saw Sen's body with foam and blood coming out of his mouth and blood oozing from his ears and nose," the SHO said.

Choudhary said Sen worked in a salon in Bangalore. On July 10 he came to Jaipur to stay with friends, and on Saturday he joined them in the party. The gang had gone to Sikar district to scout a potential target for a heist they believed would bring them a significant windfall. "They organised a party where they ordered food and drank heavily," Choudhary said.

During the celebration, the gang members offered Sen a mixture of smack and an anti-allergy drug, daring him to try it as they had all consumed it in the past. This was Sen's first time trying the dangerous combination. He suffered a fatal overdose.

"He was writhing in pain, but the accused did not take him to hospital because they feared getting caught," Choudhary said.

Digital arrest: Crooks swindle ₹4.9L from man under guise of ED officials

Times News Network

Jaipur: A man in Jaipur was duped of Rs 4.9 lakh after being placed under a fraudulent digital arrest by cyber crooks posing as Enforcement Directorate (ED) officers. The scam, which took place on Wednesday, has [illegible] about the growing cases of digital arrests in the city.

DCP (south) Digant Anand said an FIR was registered at the Ashok Nagar police station after the victim reported the incident. The victim received a call from a person claiming to be from the ED's Mumbai unit. The caller told the victim that the agency had detected [illegible] had opened a bank account in his name in Mumbai which was being used for money laundering. To add credibility to their claim, the accused sent the victim forged identification documents and other case papers purportedly from the ED. These documents were designed to look authentic and [illegible] the victim into compliance.

"The accused threatened the victim by asserting that he was under investigation for serious financial crimes. They claimed that unless he paid the demanded amount, he would face immediate arrest and legal action," DCP Anand said.

Fearing legal repercussions, the victim transferred Rs 4.9 lakh to bank accounts provided by the scammers.

Man killed at eatery in city, market shut

Jaipur: A 36-year-old man, a helper at an eatery, was beaten to death by unknown persons in [illegible] Khanda on Thursday in Jaipur. Enraged by the incident, local residents shut down the market and blocked the state highway in protest.

Police said the victim was identified as Ramkhiladi Meena (36), a resident of Ramjipura. He was sleeping at Balaji Hotel on Turaja Road when around 3am the accused attacked him with weapons.

Police detained five people and are interrogating them. "Meena's friend was sleeping on a bed next to him when the assailants hit the man with sticks and rods," said DCP (south) Digant Anand, adding that Meena was rushed to hospital where he was pronounced dead by doctors. TNN

Cops arrest Hry man who 'bought' minor girl 2 yrs ago

Times News Network

Jaipur: Jaipur police on Thursday arrested Sandeep Yadav (30), a native of Haryana, on charges of "buying" a 14-year-old girl from Jaipur two years ago. The girl, who was allegedly sold to Yadav by her aunt, has since given birth to two children. She lodged a police complaint against Yadav in Jaipur on Tuesday.

Jaipur police arrested Yadav from a cement factory in Ambala and his father Satveer from their village in Haryana. Speaking to TOI, DCP (West) Amit Kumar said the girl came to a police station in Jaipur along with her two-month-old daughter. In her FIR she said that her aunt had sold her to Sandeep Yadav, a resident of Charkhi Dadri in Haryana. She gave birth to a boy at the age of 12 and now had a two-month-old baby girl as well, she said.

"Her age had been forged as 24 years in her Aadhaar card by the accused. We registered a case under Pocso Act. Two teams were formed to search for the accused," Kumar said.

SOBHASARIA GROUP OF INSTITUTIONS

Since 1999

NH-52, Gokulpura, Sikar-332021 | info@secs.ac.in

Educational Venture of RUPA

www.secs.ac.in

Admissions Open 2024-25

COURSES OFFERED

25 YEARS

B.Tech

CSE | EE | ME | Civil Engineering

- Data Science
- Cyber Security
- AI & Machine Learning

MBA

Marketing | Finance | HR
Entrepreneurship & Small Business

- Digital Marketing
- Business Analytics
- Agri Business Management
- Health Care & Hospital Management

Excellent Placement Records

English Medium | Excellent Placement Support | Skill Development Support

Competition Classes | Strong Alumni Network | Special Classes for GD/PI Training

Experienced Ph.D. & M.Tech Faculty | Separate Hostel Facility for Girls & Boys

CCTV Secured, Lush Green WiFi Campus | Activity Based Interactive Learning

Our Alumni Work at

Tel: 01572-222650 to 53 (4 lines) | Helpline No: 8003595093

UNIMONI FINANCIAL SERVICES LIMITED

Regd. Office: [illegible], Bangalore - 560 042

PUBLIC NOTICE

This is to inform the Public that Auction of pledged Gold Ornaments will be conducted by UNIMONI FINANCIAL SERVICES LIMITED on 23.07.2024 at 10:00 am [illegible]

Auction Centre Address & Loan Nos: JAIPUR (CRU) - 4, Shalimar Complex, [illegible] Church Rd, Jaipur - 302001. [illegible]

नगर निगम ग्रेटर जयपुर

ई-निविदा सूचना क्रमांक - 19/2024-25

[illegible]

PSPCL Punjab State Power Corporation Limited

(Regd. Office: PSEB Head Office, The Mall, Patiala - 147001)

Tender Enquiry No. [illegible]

E Tender Enquiry No. [illegible] dated 17-07-2024

[illegible] Cleaning of tubes of Turbine condenser of 210 MW (KMU) Unit-II and 250 MW Unit-III of GHTP Lehra Mohabbat with Hydro jet and water pressure bullet cleaners.

For detailed NIT & tender specification please refer to https://eproc.punjab.gov.in from 17-07-2024 [illegible]

Note: Corrigendum and addendum, if any will be published online at https://eproc.punjab.gov.in

PSPCL Punjab State Power Corporation Limited

(Regd. Office: PSEB Head Office, The Mall, Patiala - 147001)

Tender Enquiry No. [illegible] Dated 15/07/2024

[illegible]

Note: Corrigendum and addendum, if any will be published online at https://eproc.punjab.gov.in

ओएनजीसी ONGC

MEHSANA ASSET - EXPRESSION OF INTEREST

ONGC intends to exploring feasibility of setting up 'shopping complex' with integrated – all services under one roof by professional agency at Mehsana Asset, Gujarat. The service shall include setting up of 'Shopping Complex Building' inside Residential Housing Colony campus for the benefits of the residents of the company. The intention is to provide facilities such as General-Provision Stores, Stationeries, Super-market, foot wears, garments, gift house, Fruits & Vegetables, milk-cool drinks parlor, tea-snacks stall, ice Cream, branded packed snacks, sweets, tailor, laundry, barber, photocopy etc. i.e. all services under one roof. Expression of interest (EOI) is sought from prospective reputed service providers – agencies / organizations meeting the specific Pre-Qualification Criteria as given in detailed EOI enquiry published in ONGC e-tender portal. Interested bidders shall submit their response on or before 15.08.2024 in a sealed envelope to the following office: GM-Head HR/ER, ONGC Mehsana Asset, HR/ER Wing, Ground Floor, KDM Bhavan, ONGC Mehsana Campus, Palavasana, Mehsana, Gujarat - 384003. They may also respond to this EOI in electronic format (pdf files only) via email at [illegible]@ongc.co.in. For more details, please visit www.tenders.ongc.co.in

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

[illegible]

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahakari Bhumi Vikas Bank, College Road,
Opposit Police Line, District-Nagaur-341001
Email : rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक : राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-26/1424

दिनांक : 15.07.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्तावित चूना पत्थर ब्लॉक-4जी-एक-ए (नीलामी ब्लॉक) ग्राम-ताडावास, बैरावास और खींवसर, तहसील-खींवसर और जिला-नागौर परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि "प्रस्तावित चूना पत्थर ब्लॉक-4जी-एक-ए (नीलामी ब्लॉक) (क्षेत्रफल-610.863574 हेक्टेयर) चूना पत्थर उत्पादन क्षमता-5.0 मिलियन टन प्रति वर्ष, के साथ 1000 टन प्रति घण्टा के क्रेशर की स्थापना ग्राम-ताडावास, बैरावास और खींवसर, तहसील-खींवसर, जिला-नागौर (राज.) आवेदक-मैसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड" से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक प्रस्तावित चूना पत्थर परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-
   1. जिला कलेक्टर, नागौर
   2. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
   3. CEO जिला परिषद, नागौर
   4. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
   5. पर्यावरणीय विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर
   6. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर
   7. उपखण्ड अधिकारी, खींवसर
   8. तहसीलदार, खींवसर
   9. क्षेत्रीय प्रबंधक, रिको, नागौर
   10. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर
   11. ग्राम पंचायत, ताड़ावास
   12. ग्राम पंचायत, बैरावास
   13. ग्राम पंचायत, खींवसर
   14. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ताड़ावास, तहसील-खींवसर, जिला-नागौर
   15. बी.डी.ओ. खींवसर

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक/न्याय/प्रदूषण/ज.सु. 2024/4648 दिनांक 11.07.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित चूना पत्थर परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 27.08.2024 को प्रातः 10:30 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ताड़ावास का परिसर, तहसील-खींवसर, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है।

(सचिन कुमार) क्षैत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

द्वारा आयोजित

मैसर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड

की

प्रस्तावित चूनापत्थर ब्लॉक-4-G-I-A

(ऑक्शन ब्लॉक)(क्षेत्र: 610.863574 हैक्टेयर)

चूनापत्थर उत्पादन क्षमता 5.00 मिलियन टन प्रतिवर्ष,

1000 टन प्रतिघंटा के क्रशर की स्थापना साथ

निकट

गाँव-ताडावास, बैरावास, और खींमसर,

तहसील - खींमसर, जिला-नागौर, राज्य-राजस्थान

पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना 2006 और अब तक के संशोधनों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।

दिनांक : 27.08.2024

समय : प्रात: 10:30 बजे

स्थान : सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय, ताडावास,
तहसील-खींवसर, जिला-नागौर

आयोजक :-

क्षेत्रीय अधिकारी,

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

नागौर, (राजस्थान)

RK STUDIO NAGAUR

पर्यावरणीय

Rajasthan Sta.e Pollution Control Board
WELCOMES
TO THE PUBLIC HEA..ING FOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE
of EIA Notification 2006, as Amended thereof.)
Limestone Block-4G-I-A
5.00 Million TPA
of 1000 TPH capacity of Crusher
State: Rajasthan
CEMENT LIMITED
27.06.2024
10.30 AM

Rajasthan State Pollution Con
WELCOMES
TO THE PUBLIC HEARING FOR ENVIRONME
(As Per The Provision of EIA Notification 2006, as
OF
Proposed

WELCOMES
LAKSHMI CEMENT

Limestone Block-4G-I-A

Rajasthan State Pollution Con
WELCOMES
TO THE PUBLIC HEARING FOR ENVIRONME
provision of EIA Notification 2006, as
OF
Proposed Limestone Block-4
(Auctioned Block)
Limestone Production Capacity: 5.00
with Installation of
TPH capacity

Rajasthan State Pollution Con
WELCOMES
TO THE PUBLIC HEARING FOR ENVIRONME
(As Per The Provision of EIA Notification 2006, as
OF
Limestone Block-

माँ सरस्वती

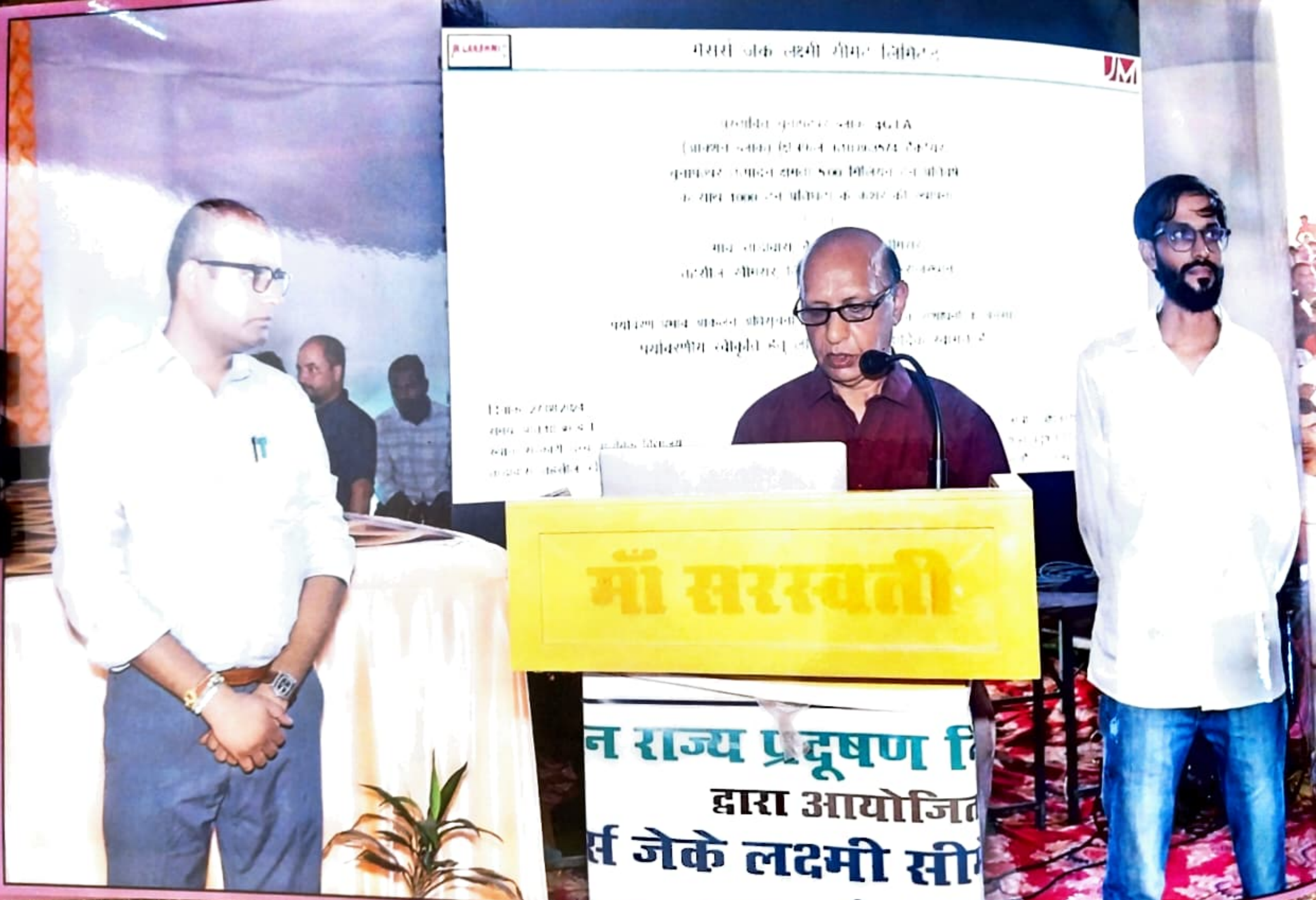
माँ सरस्वती
राज्य प्रदूषण
द्वारा आयोजित
जेके लक्ष्मी

Pollution Control Board
WELCOMES
FOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE
राजस्थान राज्य
नियंत्रण
लिमिटेड

State Pollution Control Board
WELCOMES
FOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE
Limestone Block-4G-I-A
LAKSHMI
द्वारा आयोजित
चूनापत्थर ब्लॉक
हेतु लोकसुनवाई में

USPA

Rajasthan State Pollution
WELCOMES

USPA

मुनादी

(12.13. व 25.26अगस्त 2024)

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

द्वारा आयोजित

मैसर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड

की

प्रस्तावित चूनापत्थर ब्लॉक-4-G-I-A

(ऑक्शन ब्लॉक) (क्षेत्र: 610.863574 हैक्टेयर)

चूनापत्थर उत्पादन क्षमता 5.00 मिलियन टन प्रतिवर्ष,

1000 टन प्रतिघंटा के क्रशर की स्थापना साथ

निकट

गाँव-ताडावास, बैरावास, और खींमसर,

तहसील - खींमसर, जिला-नागौर, राज्य-राजस्थान

पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना 2006 और अब तक के संशोधनों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।

दिनांक : 27.08.2024

समय : प्रात: 10:30 बजे

स्थान : सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय, ताडावास, तहसील-खींवसर, जिला-नागौर

आयोजक :-

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर, (राजस्थान)

RK STUDIO NAGAUR

12-08-2024
GPS Map Came
RJ21GD2828
Khimsar, Rajasthan, India
XC85+WQP, Khimsar, Lalawas, Rajasthan 341025, India
Lat 26.965931°
Long 73.409417°
12/08/24 02:13 PM GMT +05:30
Google

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
BOLERO
COOL-DRIVE
GPS Map Camera
Lalawas, Rajasthan, India
WCM4+PXG, Lalawas, Dharnawas, Rajasthan 341025, India
Lat 26.934879°
Long 73.407382°
12/08/24 02:15 PM GMT +05:30
Google

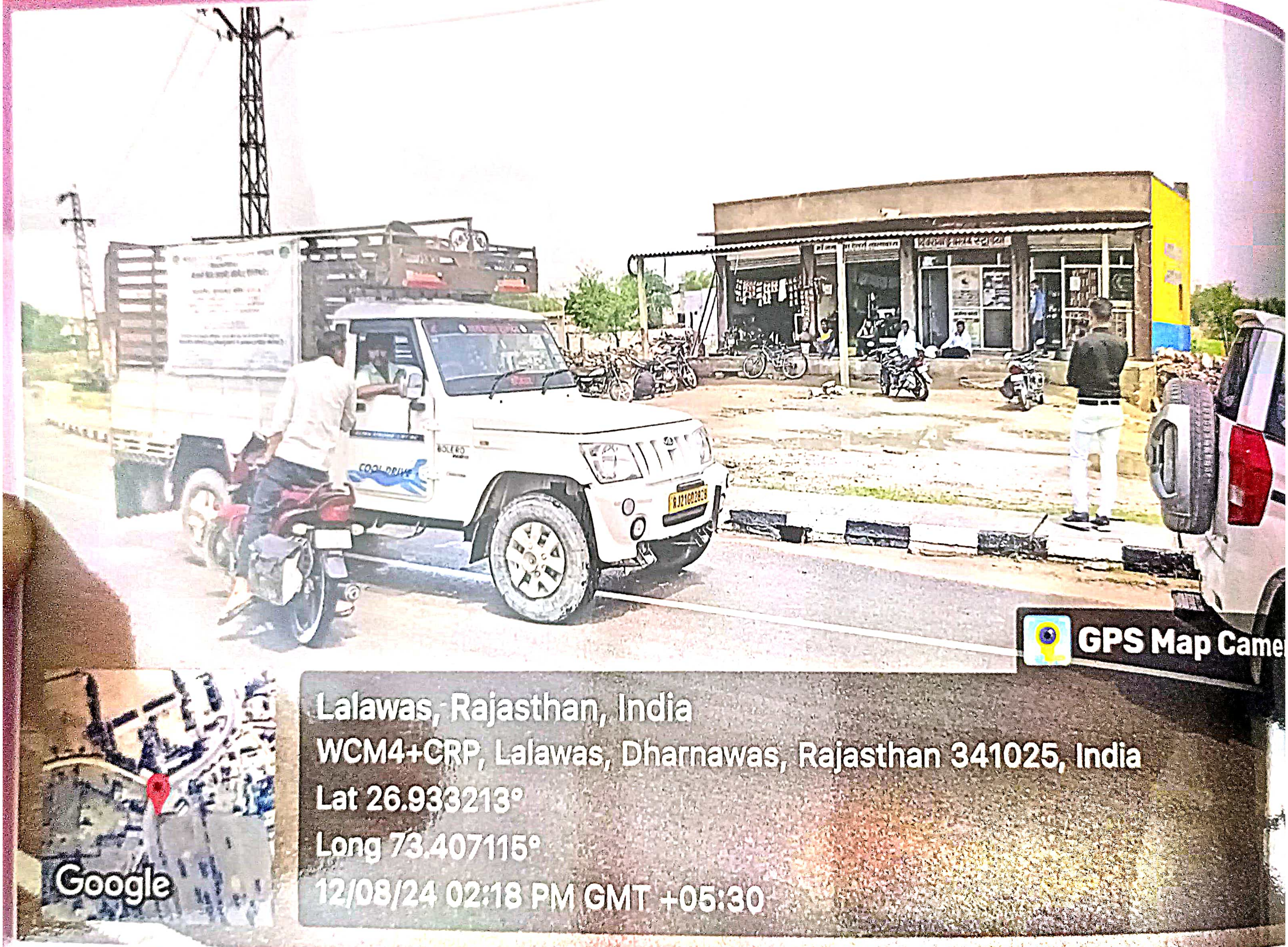
GPS Map Camera
Lalawas, Rajasthan, India
WCM4+CRP, Lalawas, Dharnawas, Rajasthan 341025, India
Lat 26.933213°
Long 73.407115°
12/08/24 02:18 PM GMT +05:30
Google

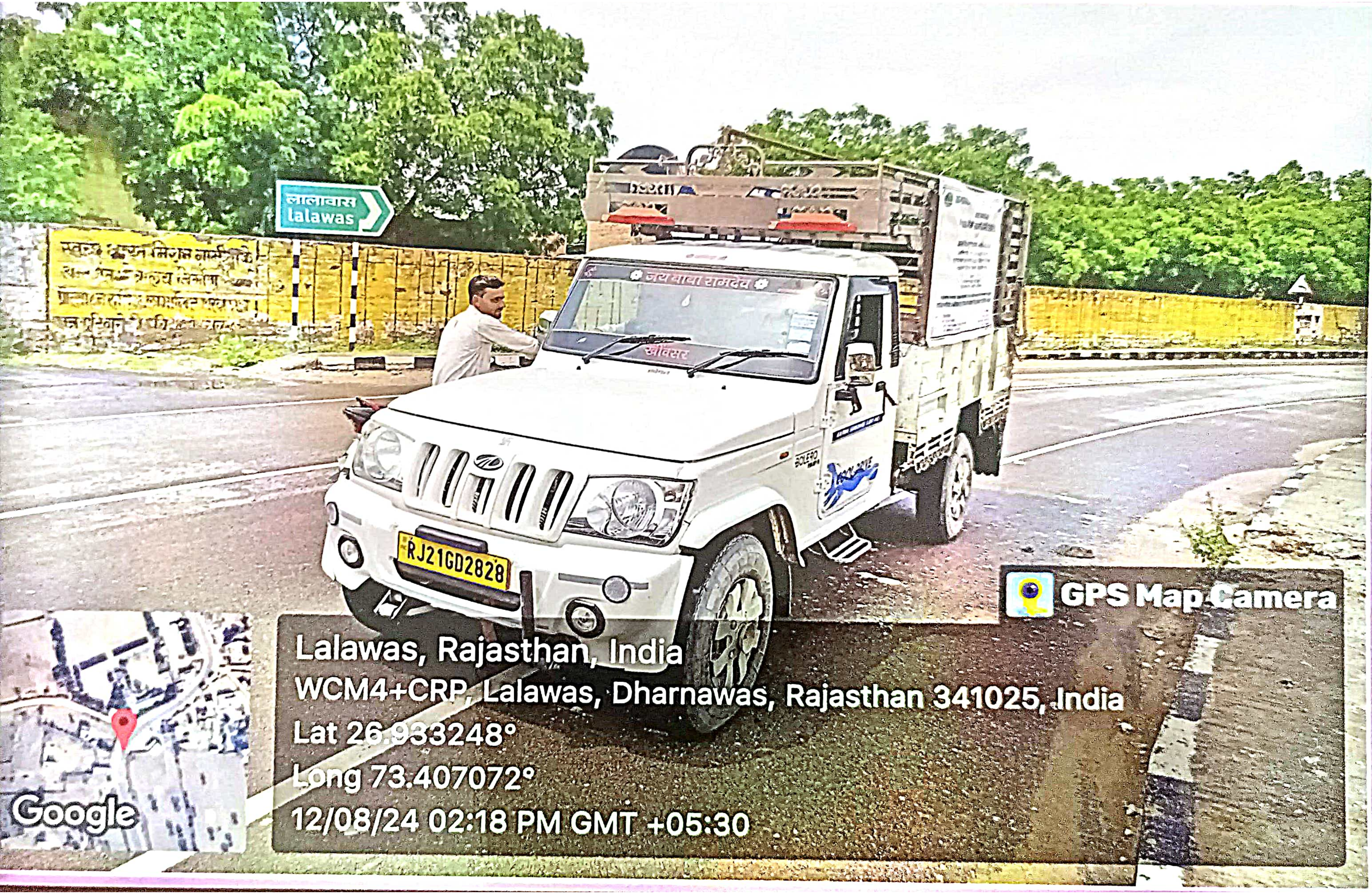
लालावास
lalawas
जय बाबा रामदेव
RJ21GD2828
GPS Map Camera
Lalawas, Rajasthan, India
WCM4+CRP, Lalawas, Dharnawas, Rajasthan 341025, India
Lat 26.933248°
Long 73.407072°
12/08/24 02:18 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camer
Dharnawas, Rajasthan, India
WCG5+XC, Dharnawas, Rajasthan 341025, India
Lat 26.925781°
Long 73.408585°
12/08/24 02:25 PM GMT +05:30
Google

लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड
की
प्रस्तावित चूनापत्थर
(ऑक्शन ब्लॉक) (क्षेत्र: 610.863574 हैक्टेयर,
चूनापत्थर उत्पादन क्षमता 5.00 मिलियन टन प्रतिवर्ष,
1000 टन प्रतिघंटा के क्रशर की स्थापना साथ
(पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना 2006 और अब तक के संशोधनों के अनुसार)
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई मे आपका हार्दिक स्वागत है।
27.08.2024
COOL DRIVE
BOLERO
GPS Map Camera
Chindari, Rajasthan, India
Unnamed Road, Chindari, Rajasthan 341028, India
Lat 26.910557°
Long 73.422609°
12/08/24 02:40 PM GMT +05:30
Google

द्वारा आयोजित
मेसर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
GPS Map Camera
Chindari, Rajasthan, India
Unnamed Road, Chindari, Rajasthan 341028, India
Lat 26.910557°
Long 73.422609°
12/08/24 02:40 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Charda, Rajasthan, India
WF62+F4M, Charda, Bairawas, Rajasthan 341028, India
Lat 26.911424°
Long 73.449992°
12/08/24 02:41 PM GMT +05:30
Google

GPS Map C
Tadawas, Rajasthan, India
WCVV+27P, Tadawas, Rajasthan 341028, India
Lat 26.94371°
Long 73.444723°
12/08/24 02:53 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Tadawas, Rajasthan, India
WCRV+X39, Tadawas, Rajasthan 341028, India
Lat 26.942225°
Long 73.442673°
12/08/24 02:57 PM GMT +05:30
Google

MANSVI
GPS Map Camera
Tadawas, Rajasthan, India
WCRV+V59, Tadawas, Rajasthan 341025, India
Lat 26.941997°
Long 73.44270
12/08/24 02:57 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Tadawas, Rajasthan, India
WCRV+V59, Tadawas, Rajasthan 341025, India
Lat 26.941997°
Long 73.442707°
12/08/24 02:57 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Came
Google
Tadawas, Rajasthan, India
WCRV+V59, Tadawas, Rajasthan 341025, India
Lat 26.941988°
Long 73.442669°
12/08/24 02:58 PM GMT +05:30

GPS Map Camera
Tadawas, Rajasthan, India
WCWQ+2W8, Tadawas, Rajasthan 341028, India
Lat 26.945841°
Long 73.439197°
12/08/24 03:10 PM GMT +05:30

GPS Map Came
Narwa, Rajasthan, India
Khimsar - Bhavanda - Kankrai Rd, Narwa, Tadawas, Rajasthan 341028, India
Lat 26.94091°
Long 73.446766°
12/08/24 03:12 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Narwa, Rajasthan, India
Khimsar - Bhavanda - Kankrai Rd, Narwa, Tadawas, Rajasthan 341028, India
Lat 26.940925°
Long 73.44678°
12/08/24 03:12 PM GMT +05:30
Google

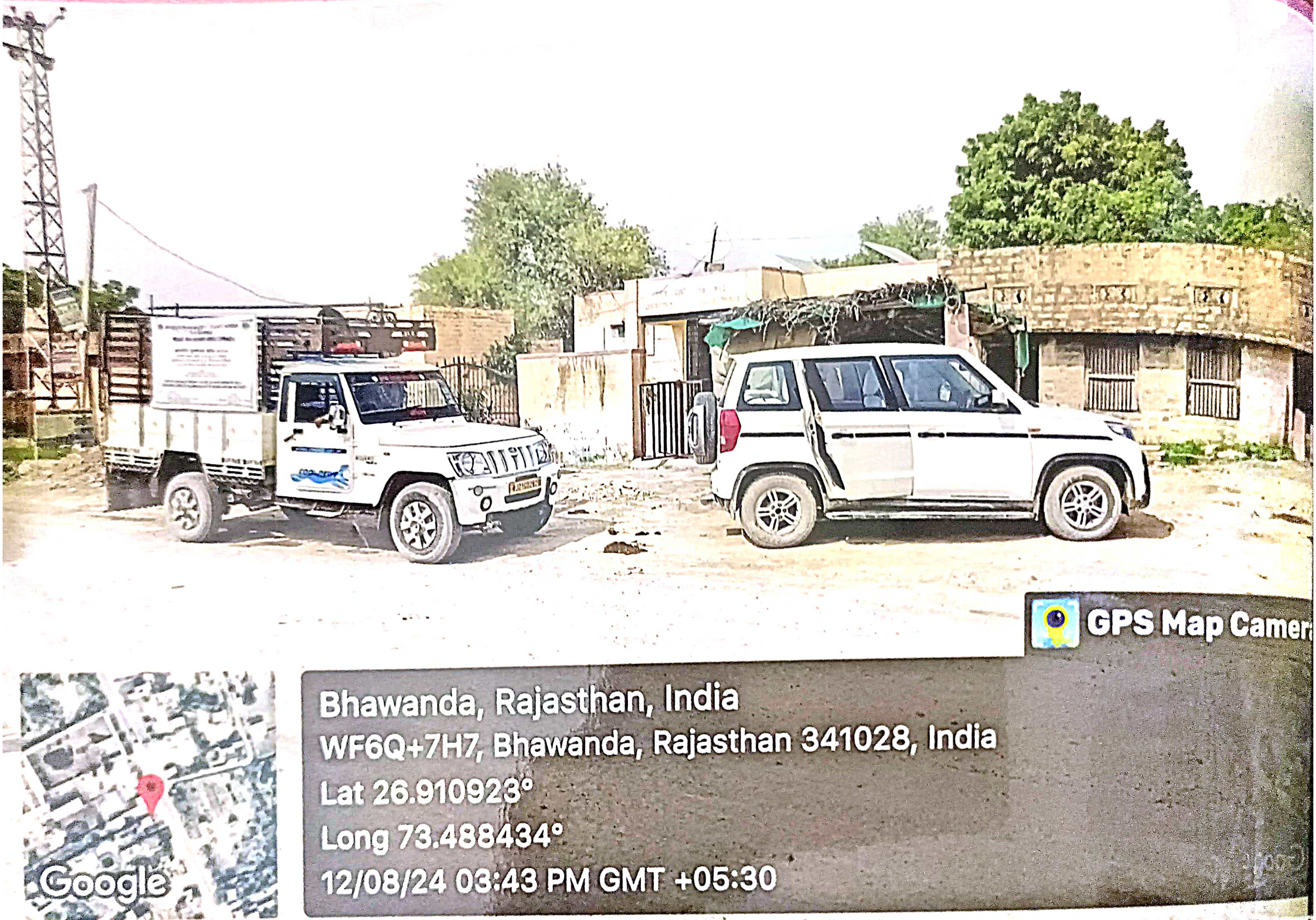
GPS Map Camera
Bhawanda, Rajasthan, India
WF6Q+7H7, Bhawanda, Rajasthan 341028, India
Lat 26.910923°
Long 73.488434°
12/08/24 03:43 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bhawanda, Rajasthan, India
WF5Q+XP4, Bhawanda, Rajasthan 341028, India
Lat 26.909748°
Long 73.48913°
12/08/24 03:44 PM GMT +05:30
Google

BOLERO
COOL DRIVE
RJ21GD2828
GPS Map
Bhawanda, Rajasthan, India
WF5Q+XP4, Bhawanda, Rajasthan 341028, India
Lat 26.909781°
Long 73.489132°
12/08/24 03:45 PM GMT +05:30
Google

BOLERO
COOL DRIVE
GPS Map Camera
Bhawanda, Rajasthan, India
WF5Q+XP4, Bhawanda, Rajasthan 341028, India
Lat 26.909773°
Long 73.489148°
12/08/24 04:12 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Google
खोदवा, राजस्थान, India
XG23+8RX, Road, Bhawanda, खोदवा, राजस्थान 341028, India
Lat 26.950077°
Long 73.505213°
12/08/24 04:12 PM GMT +05:30

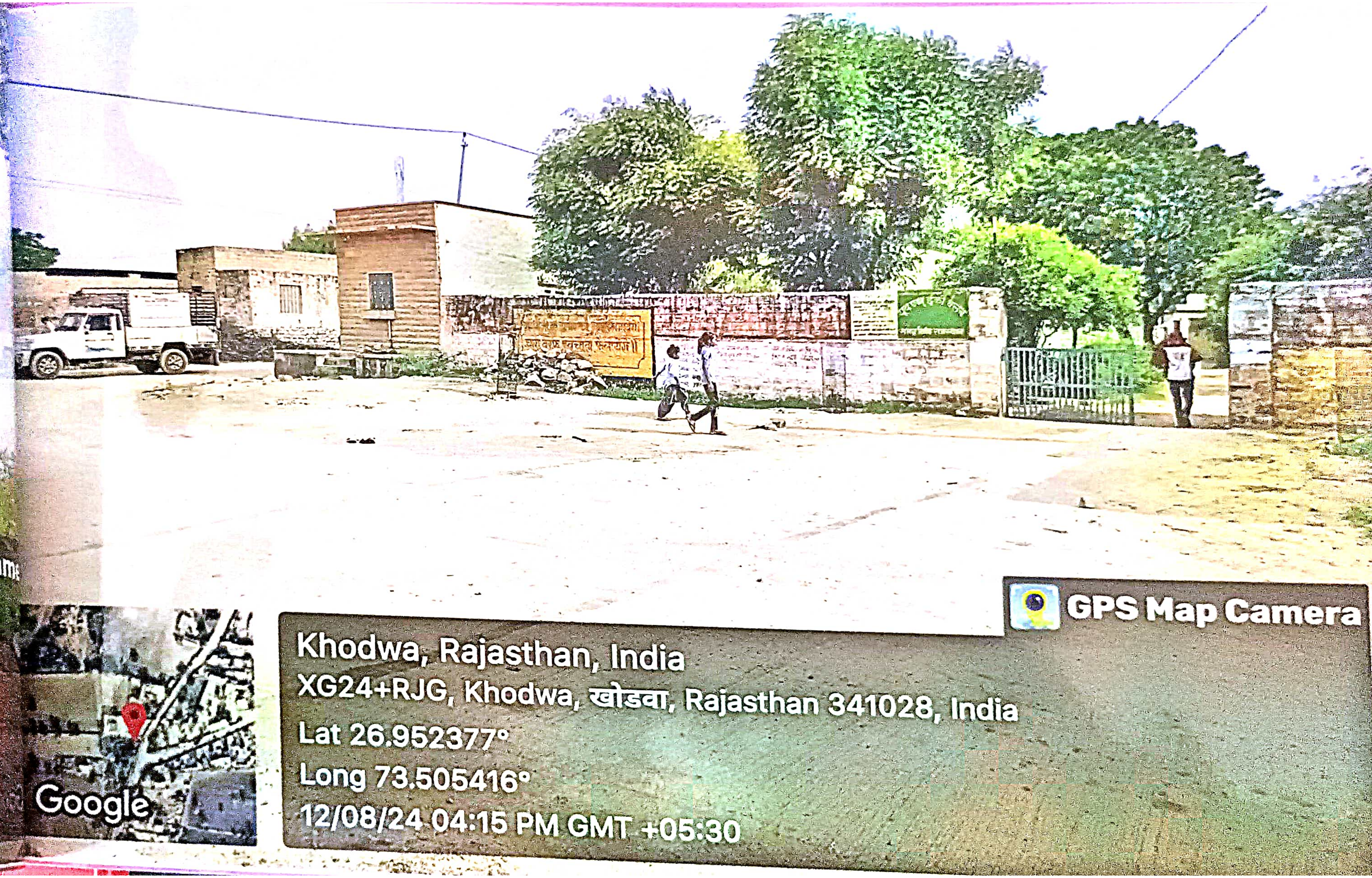
GPS Map Camera
Khodwa, Rajasthan, India
XG24+RJG, Khodwa, खोडवा, Rajasthan 341028, India
Lat 26.952377°
Long 73.505416°
12/08/24 04:15 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Khodwa, Rajasthan, India
XG34+8F6, MDR37B, Khodwa, खोडवा, Rajasthan 341028, India
Lat 26.953658°
Long 73.50626°
12/08/24 04:16 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Khodwa, Rajasthan, India
XG34+8F6, MDR37B, Khodwa, खोडवा, Rajasthan 341028, India
Lat 26.953704°
Long 73.506488°
12/08/24 04:23 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Came
Lalap, Rajasthan, India
XG2W+42J, Lalap, Rajasthan 341028, India
Lat 26.950157°
Long 73.545158°
12/08/24 04:24 PM GMT +05:30
Google

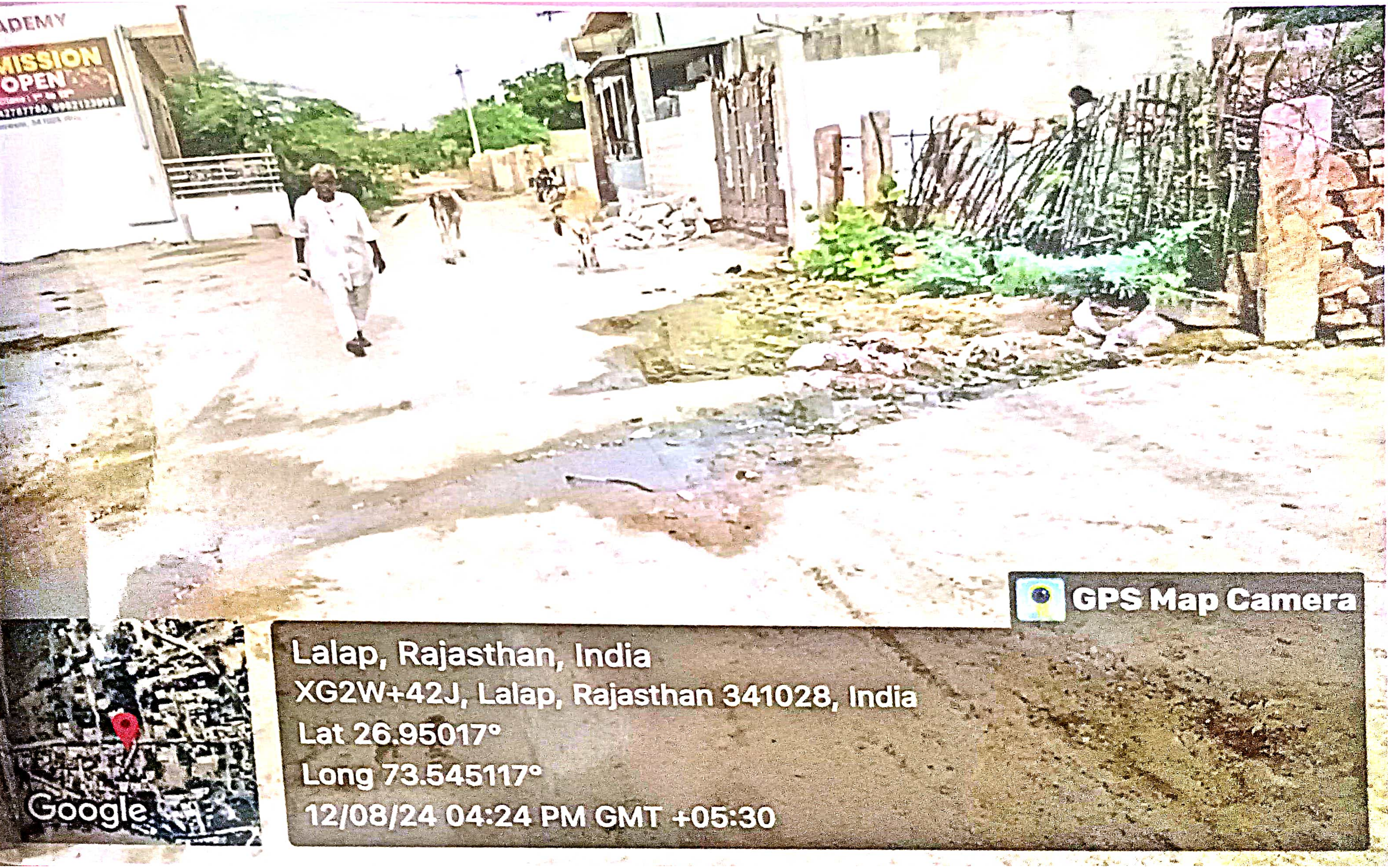
ADEMY
MISSION
OPEN
GPS Map Camera
Lalap, Rajasthan, India
XG2W+42J, Lalap, Rajasthan 341028, India
Lat 26.95017°
Long 73.545117°
12/08/24 04:24 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camer
Google
Lalap, Rajasthan, India
XG2W+42J, Lalap, Rajasthan 341028, India
Lat 26.950184°
Long 73.545091°
12/08/24 04:26 PM GMT +05:30

GPS Map Camera
Lalap, Rajasthan, India
XG2W+4H7, Lalap, Rajasthan 341028, India
Lat 26.950437°
Long 73.546214°
12/08/24 04:26 PM GMT +05:30
Google

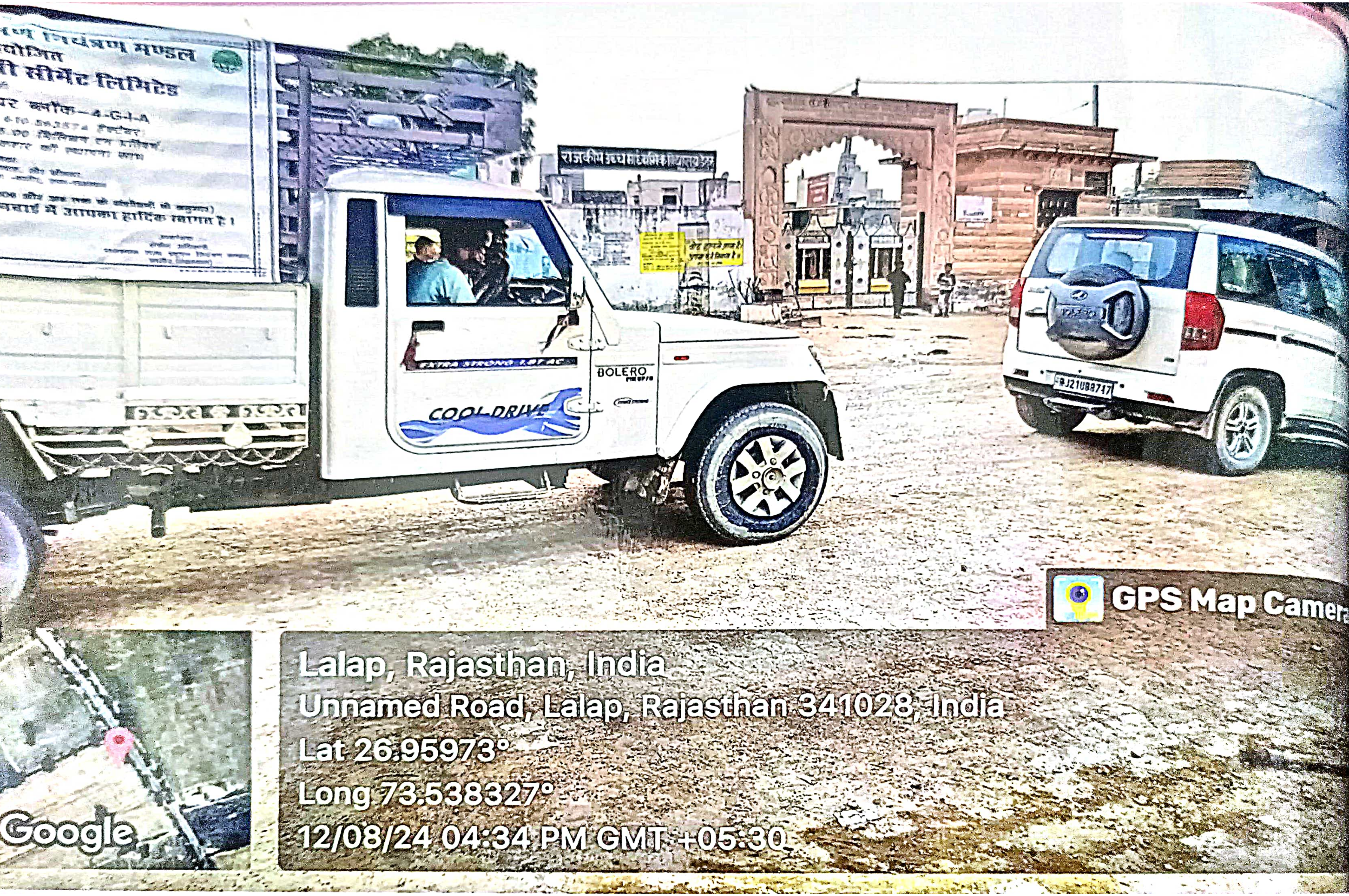
BOLERO
COOL DRIVE
GPS Map Camera
Lalap, Rajasthan, India
Unnamed Road, Lalap, Rajasthan 341028, India
Lat 26.95973°
Long 73.538327°
12/08/24 04:34 PM GMT +05:30
Google

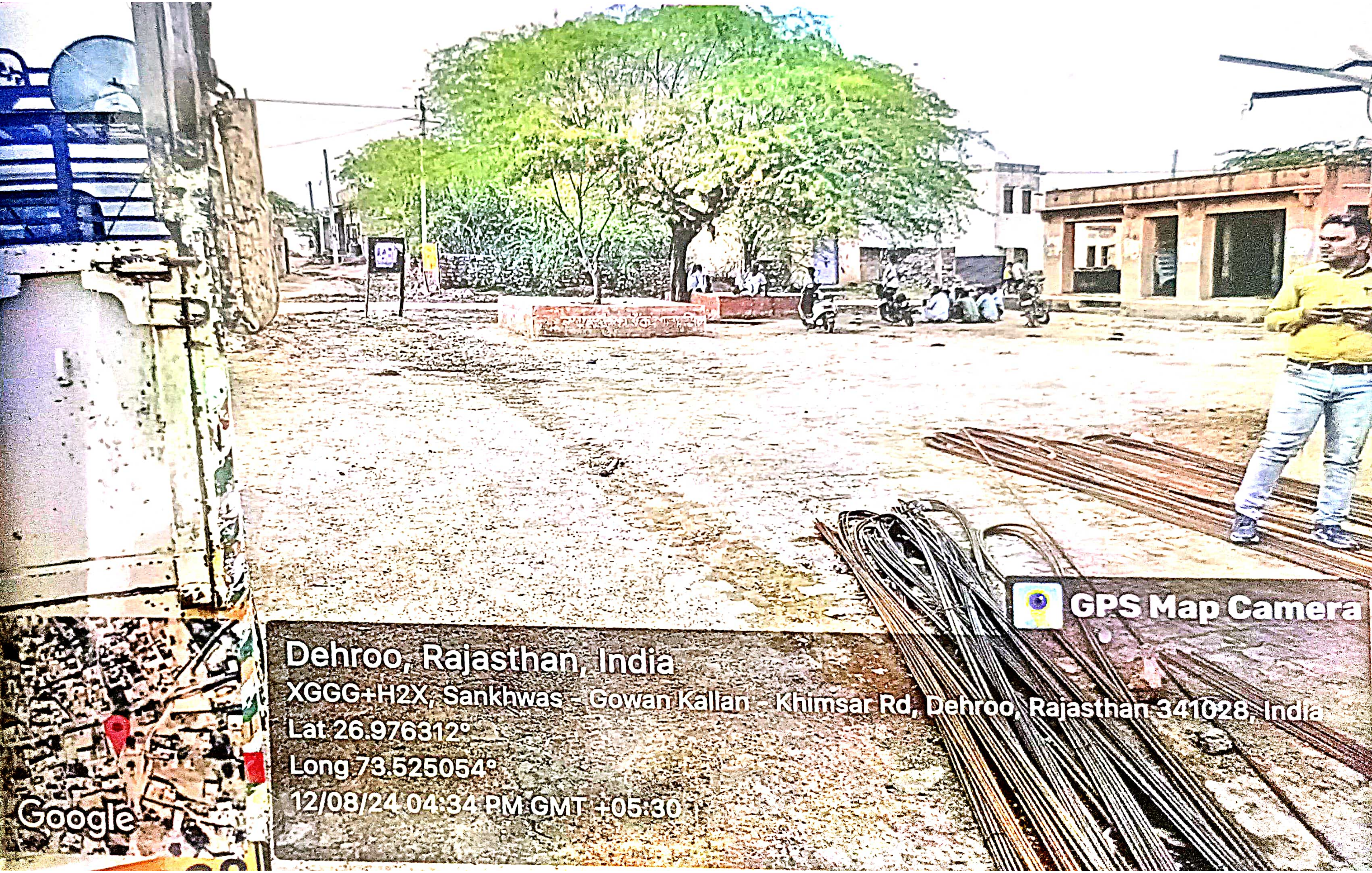
GPS Map Camera
Dehroo, Rajasthan, India
XGGG+H2X, Sankhwas - Gowan Kallan - Khimsar Rd, Dehroo, Rajasthan 341028, India
Lat 26.976312°
Long 73.525054°
12/08/24 04:34 PM GMT +05:30
Google

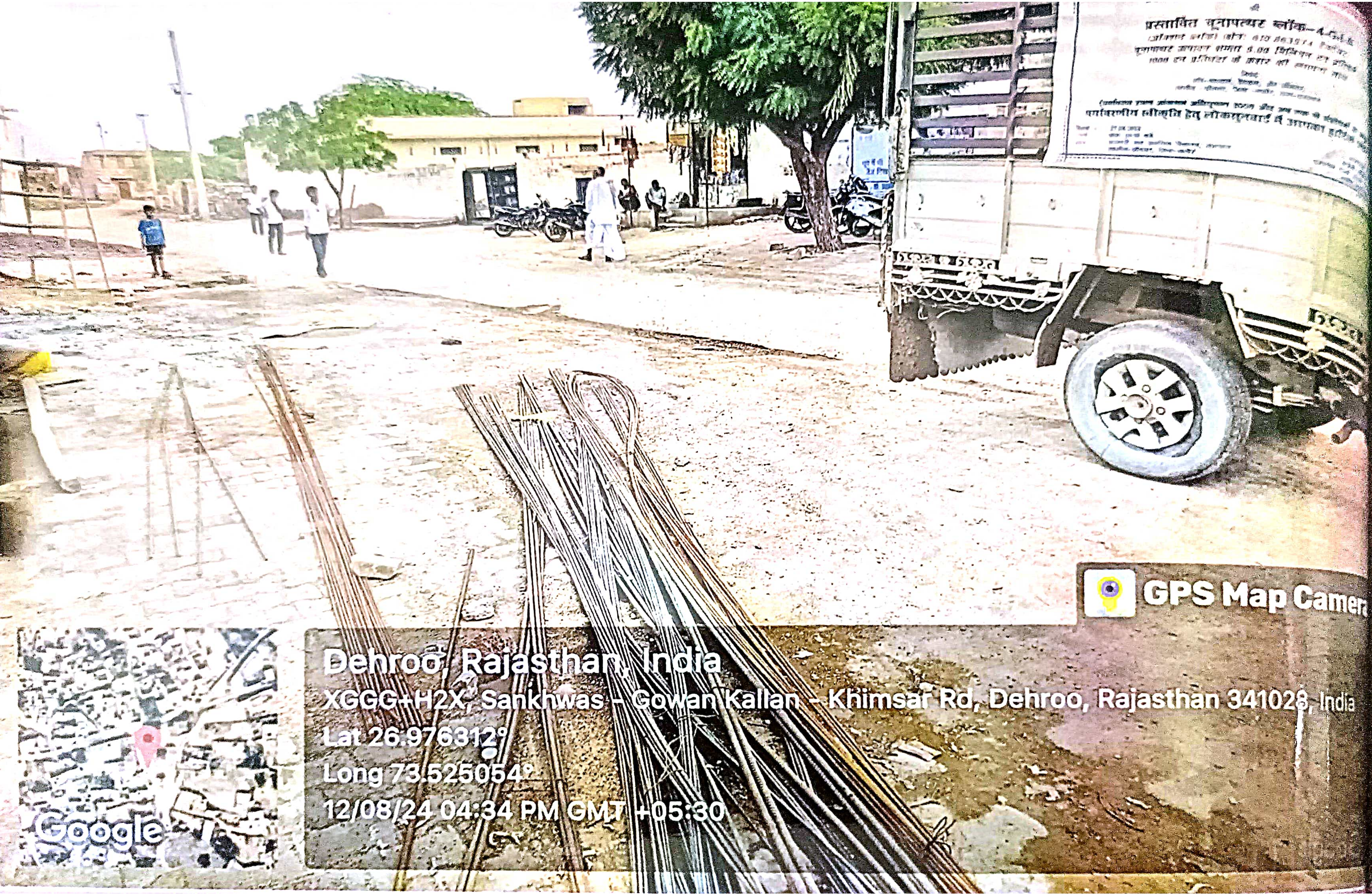
GPS Map Camera
Dehroo, Rajasthan, India
XGGG+H2X, Sankhwas - Gowan Kallan - Khimsar Rd, Dehroo, Rajasthan 341028, India
Lat 26.976312°
Long 73.525054°
12/08/24 04:34 PM GMT +05:30
Google

COOL DRIVE
GPS Map Camera
Dehroo, Rajasthan, India
XGGG+H2X, Sankhwas - Gowan Kallan - Khimsar Rd, Dehroo, Rajasthan 341028, India
Lat 26.976317°
Long 73.524935°
12/08/24 04:35 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Dehroo, Rajasthan, India
XGGG+H2X, Sankhwas - Gowan Kallan - Khimsar Rd, Dehroo, Rajasthan 341028, India
Lat 26.976317°
Long 73.524935°
12/08/24 04:36 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Dehroo, Rajasthan, India
XGGG+H2X, Sankhwas - Gowan Kallan - Khimsar Rd, Dehroo, Rajasthan 341028, India
Lat 26.976317°
Long 73.524935°
12/08/24 04:36 PM GMT +05:30
Google

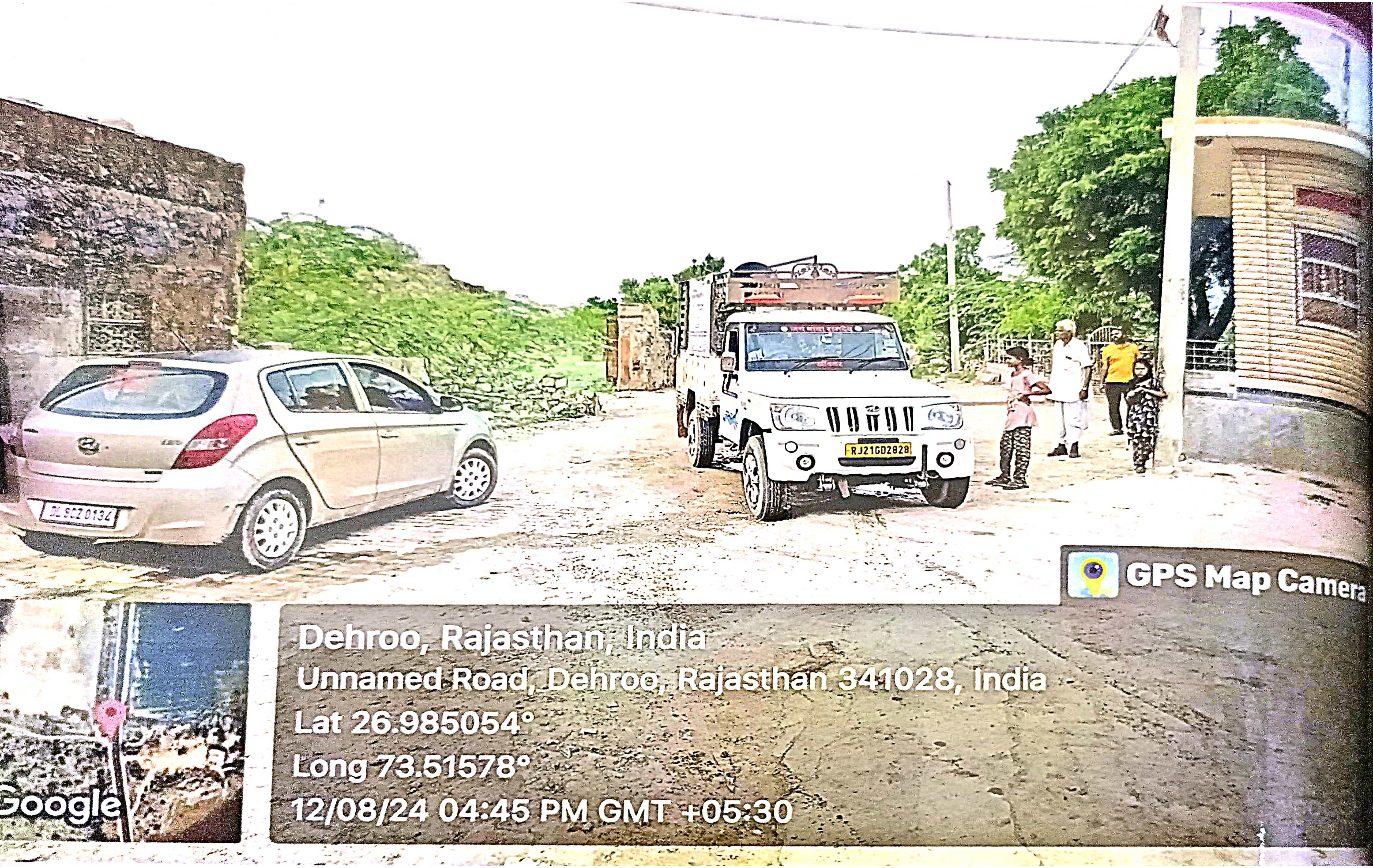
GPS Map Camera
Dehroo, Rajasthan, India
Unnamed Road, Dehroo, Rajasthan 341028, India
Lat 26.985054°
Long 73.51578°
12/08/24 04:45 PM GMT +05:30
Google

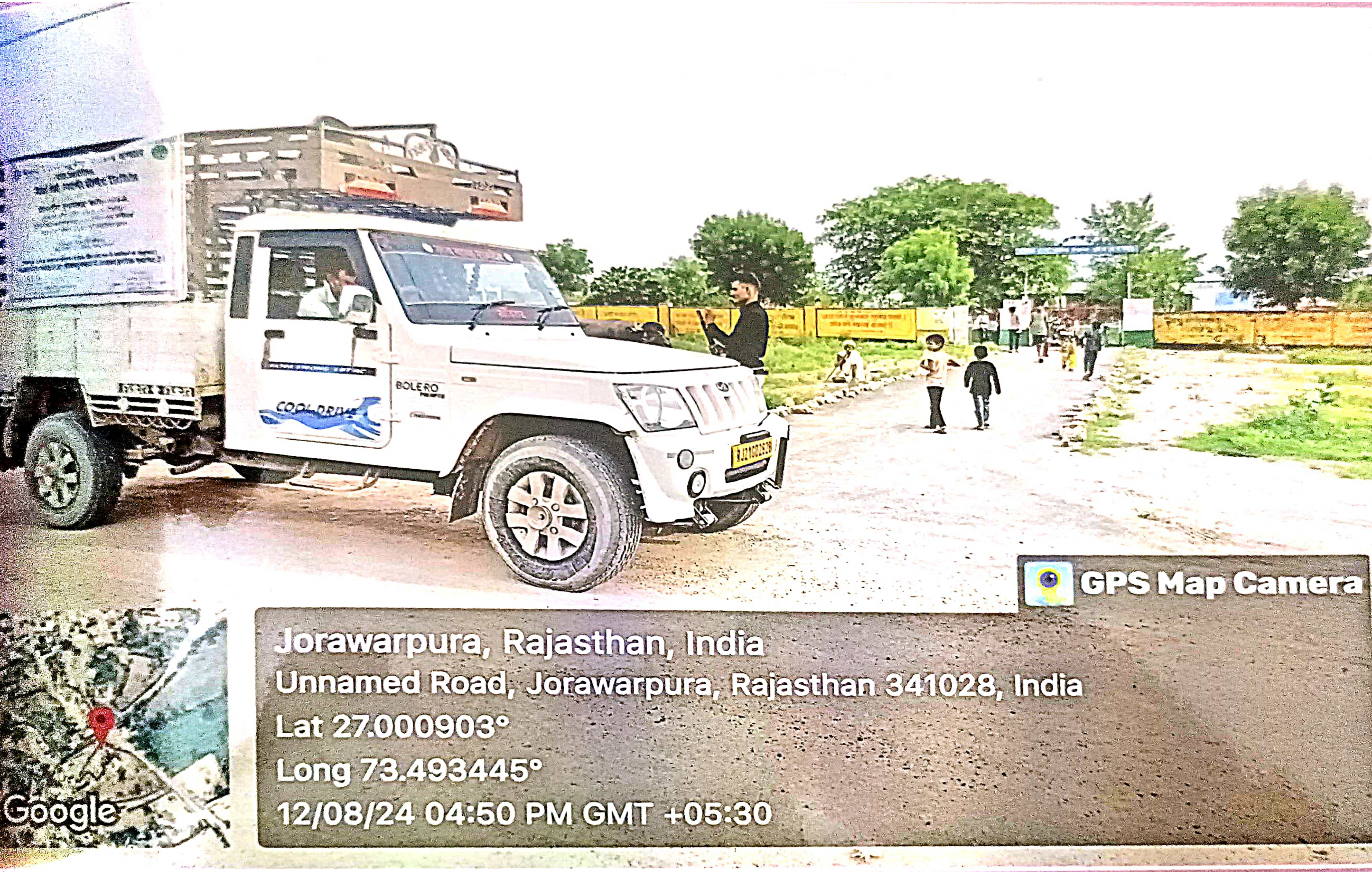
GPS Map Camera
Jorawarpura, Rajasthan, India
Unnamed Road, Jorawarpura, Rajasthan 341028, India
Lat 27.000903°
Long 73.493445°
12/08/24 04:50 PM GMT +05:30
Google
BOLERO
COOL DRIVE

हेल्पलाइन
नम्बर

13-08-2024
GPS Map Camera
Khimsar, Rajasthan, India
XCF8+FPR, Khimsar, Tadawas, Rajasthan 341025, India
Lat 26.973503°
Long 73.417095°
13/08/24 10:15 AM GMT +05:30
Google

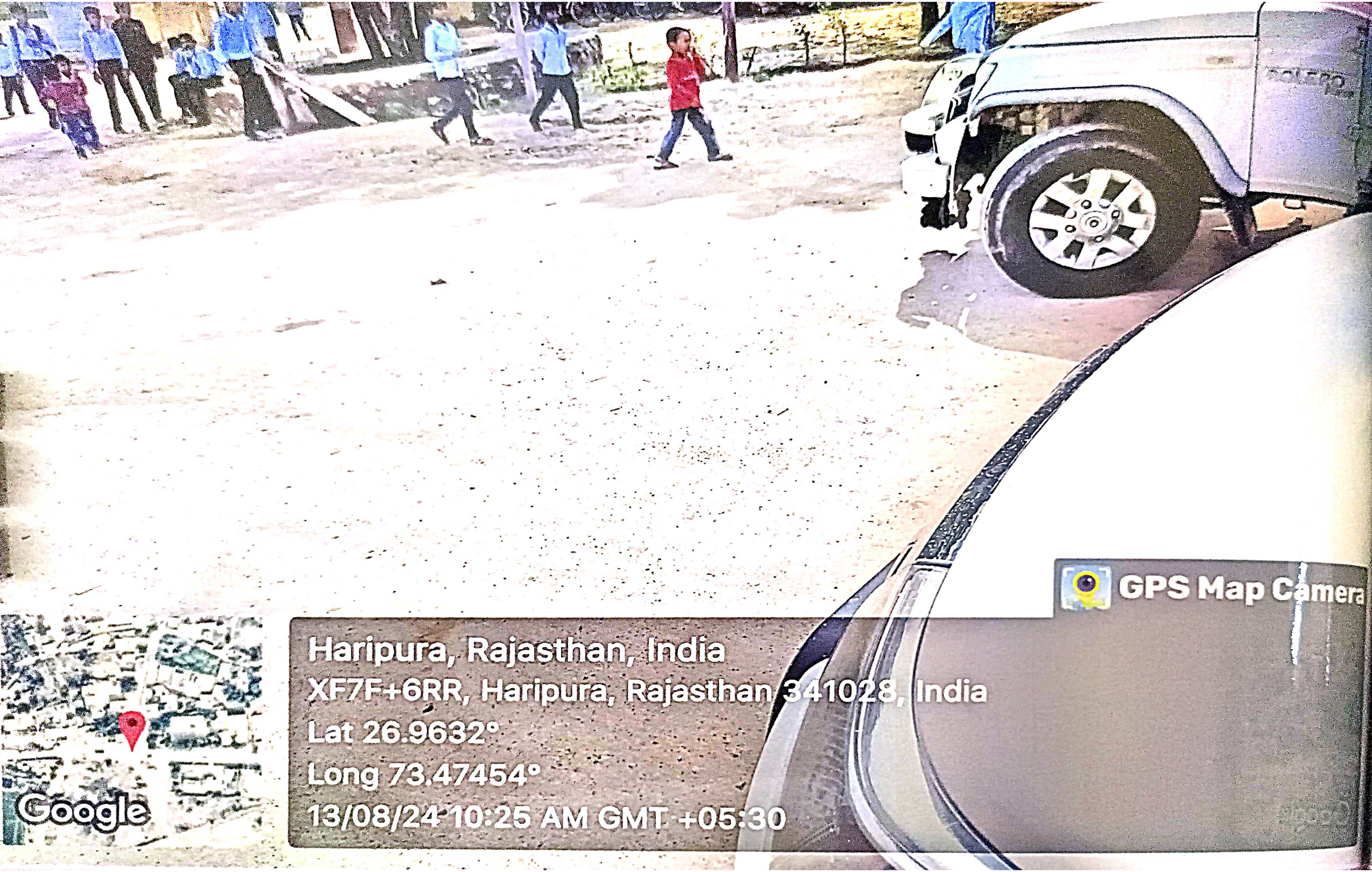
GPS Map Camera
Haripura, Rajasthan, India
XF7F+6RR, Haripura, Rajasthan 341028, India
Lat 26.9632°
Long 73.47454°
13/08/24 10:25 AM GMT +05:30
Google

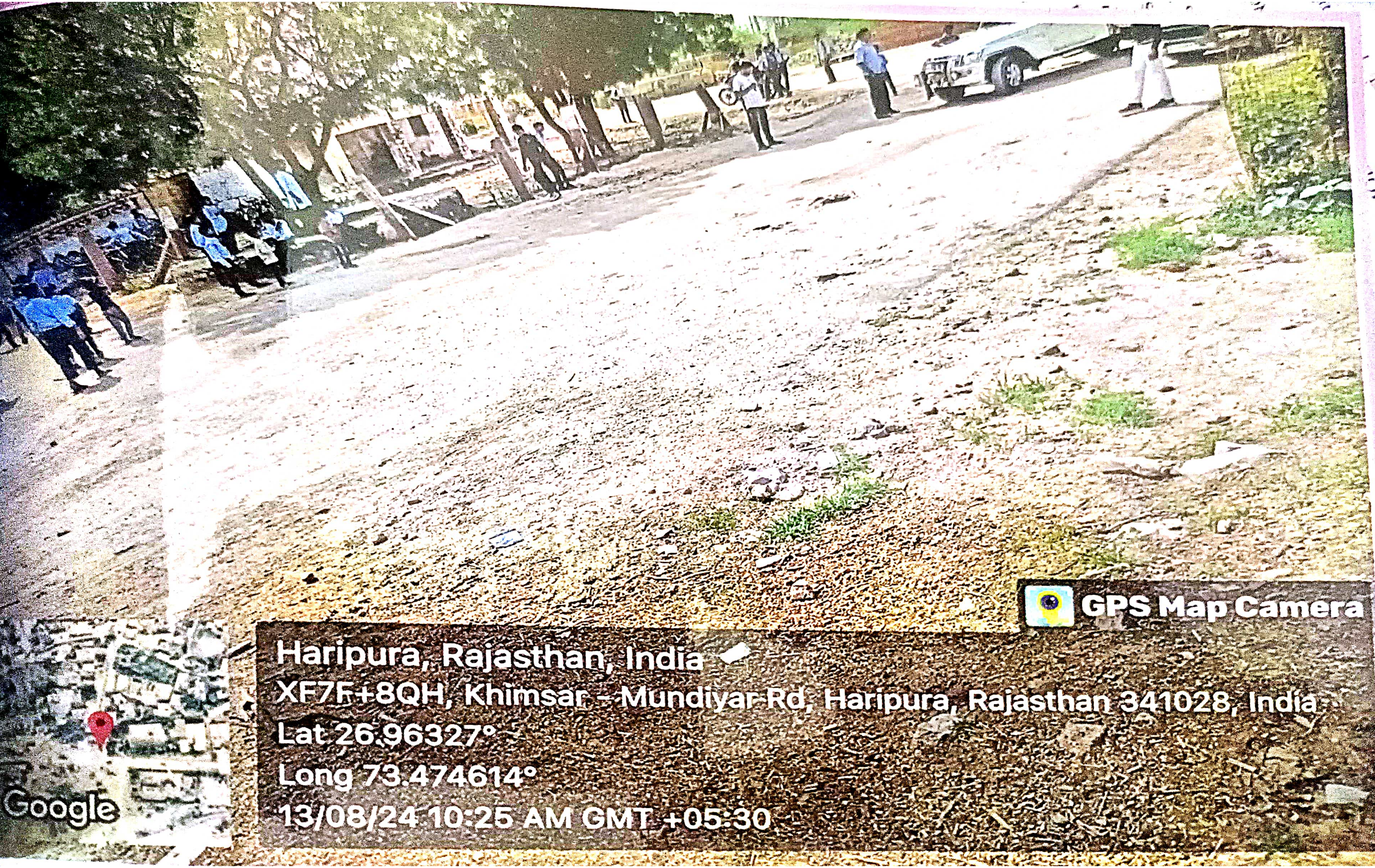
GPS Map Camera
Haripura, Rajasthan, India
XF7F+8QH, Khimsar - Mundiyar Rd, Haripura, Rajasthan 341028, India
Lat 26.96327°
Long 73.474614°
13/08/24 10:25 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Kheenvsar, Rajasthan, India
गली संख्या 6 ब्लॉक B,बैरावास श्री सिद्धेश्वर बालाजी मंदिर बैरावास बैरावास, Kheenvsar, Haripura, Rajasthan
341025, India
Lat 26.964617°
Long 73.474897°
13/08/24 10:29 AM GMT +05:30
Google

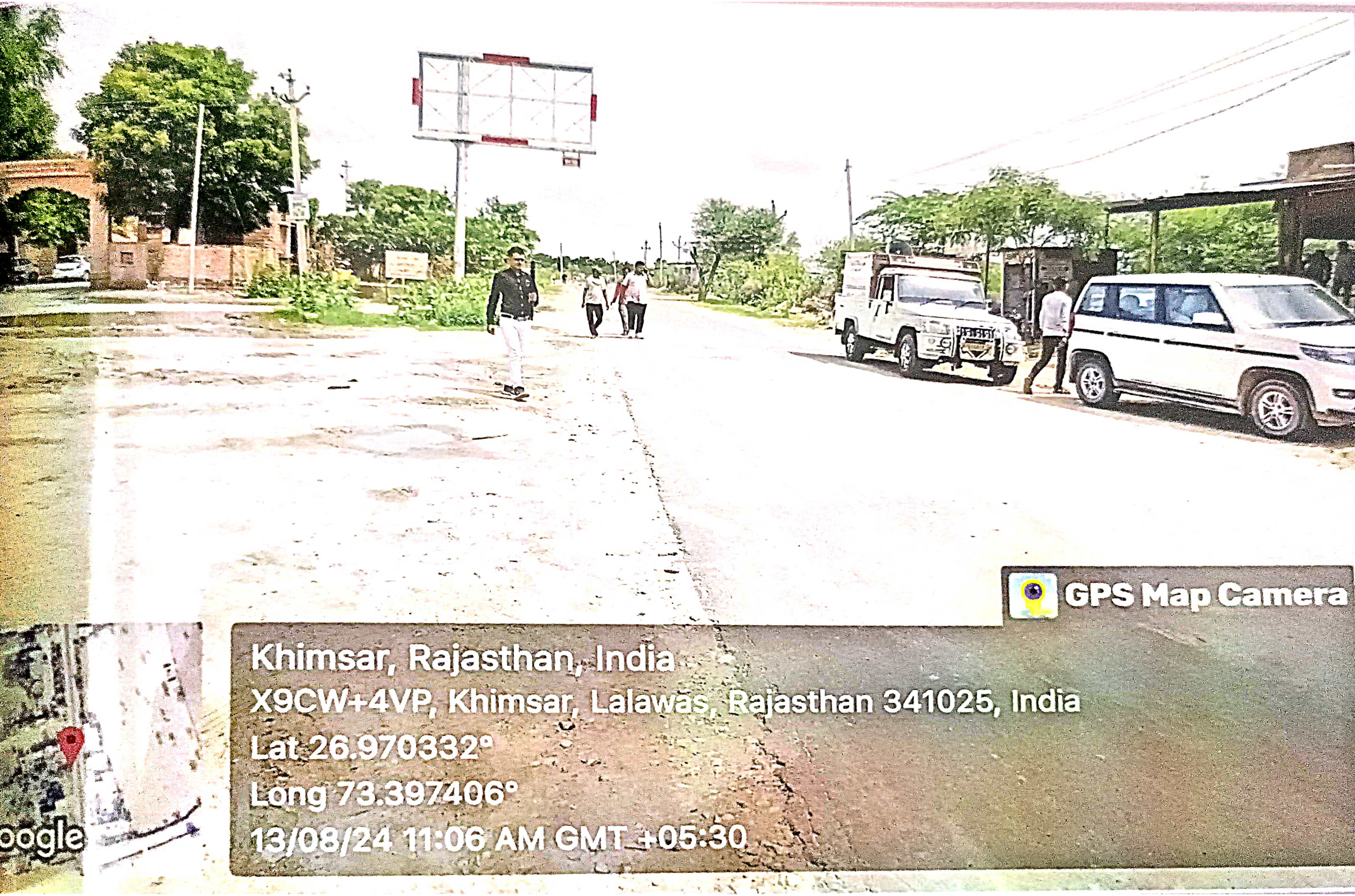
GPS Map Camera
Khimsar, Rajasthan, India
X9CW+4VP, Khimsar, Lalawas, Rajasthan 341025, India
Lat 26.970332°
Long 73.397406°
13/08/24 11:06 AM GMT +05:30

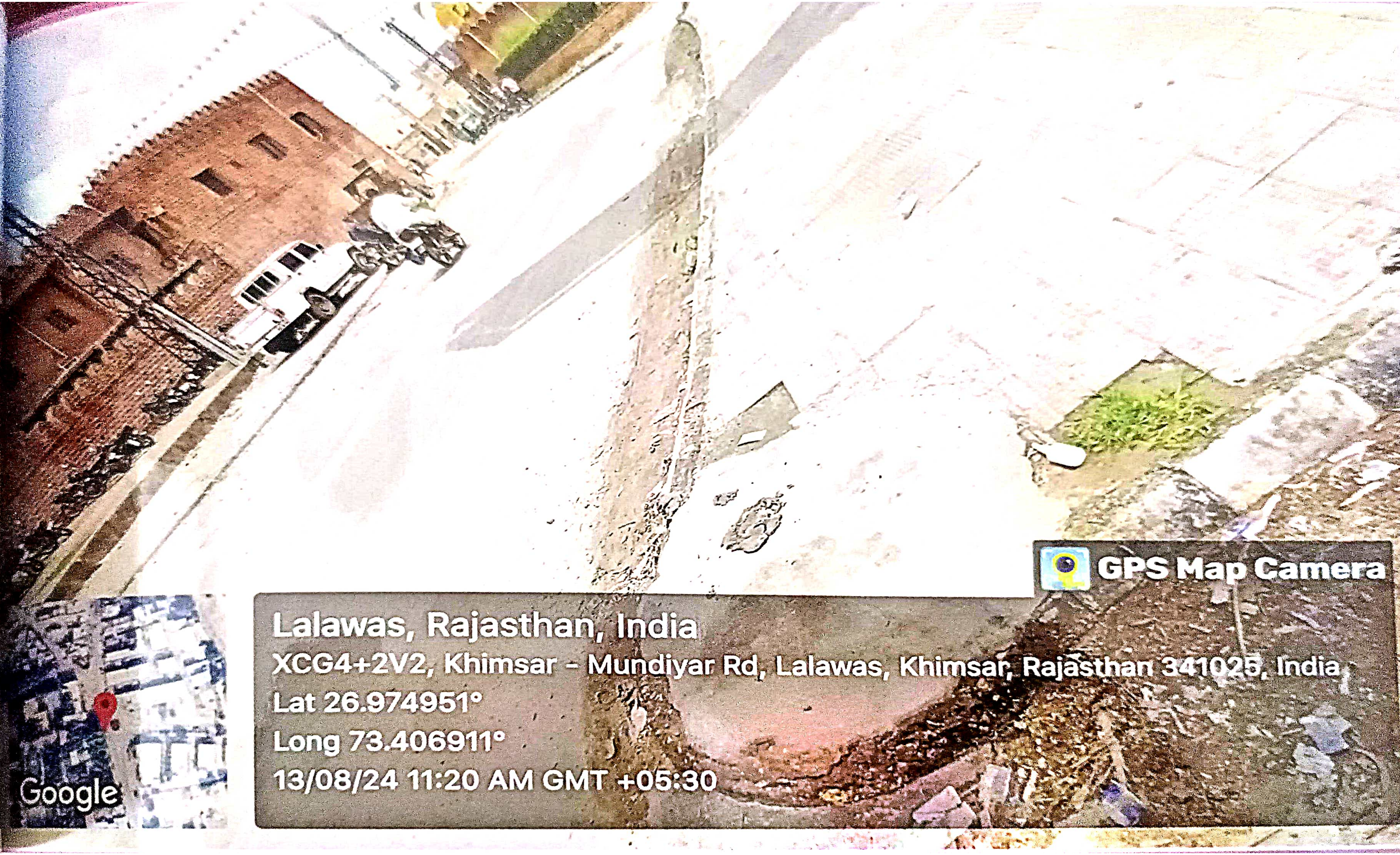
GPS Map Camera
Lalawas, Rajasthan, India
XCG4+2V2, Khimsar - Mundiyar Rd, Lalawas, Khimsar, Rajasthan 341025, India
Lat 26.974951°
Long 73.406911°
13/08/24 11:20 AM GMT +05:30
Google

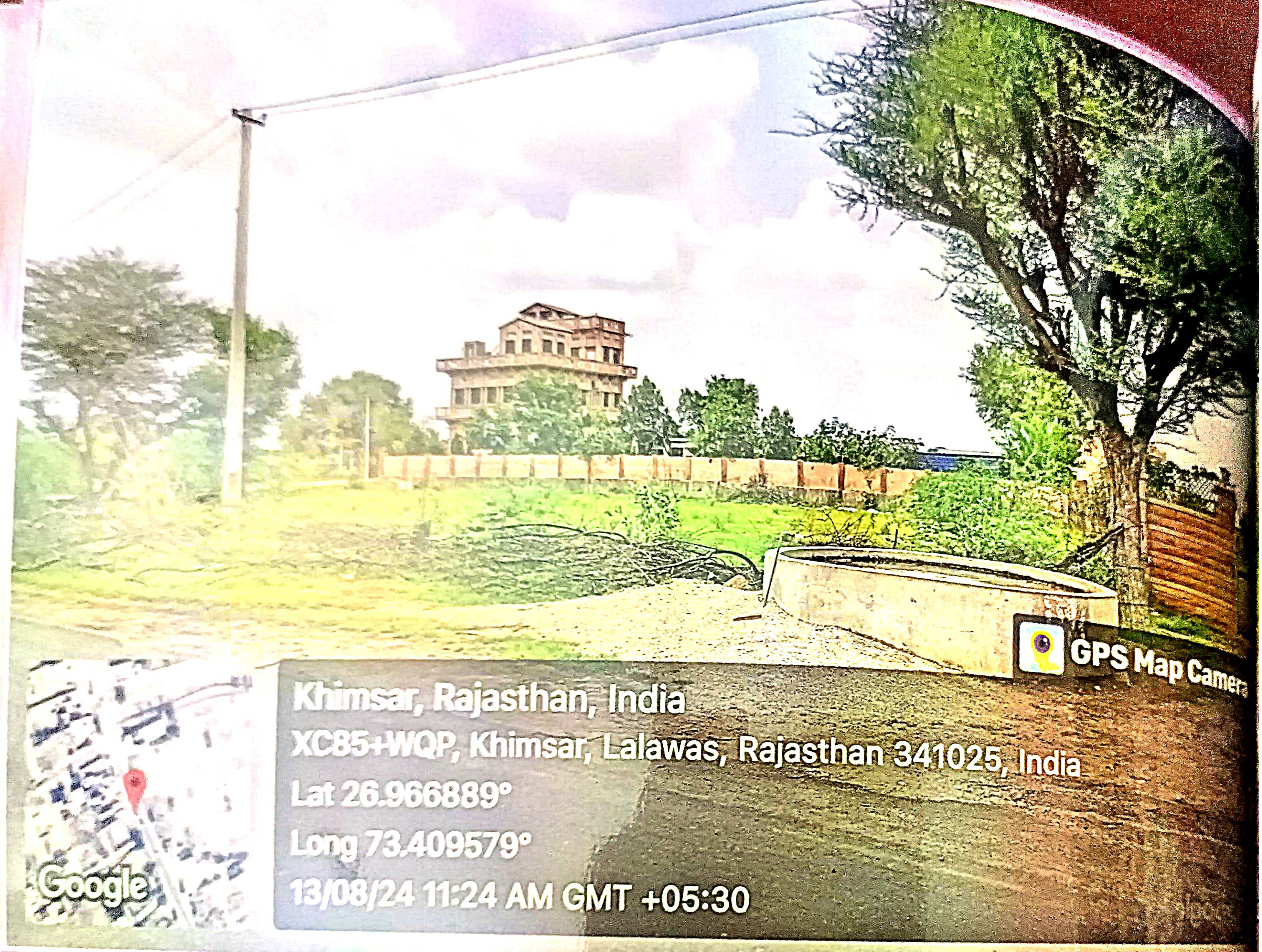
GPS Map Camera
Khimsar, Rajasthan, India
XC85+WQP, Khimsar, Lalawas, Rajasthan 341025, India
Lat 26.966889°
Long 73.409579°
13/08/24 11:24 AM GMT +05:30
Google

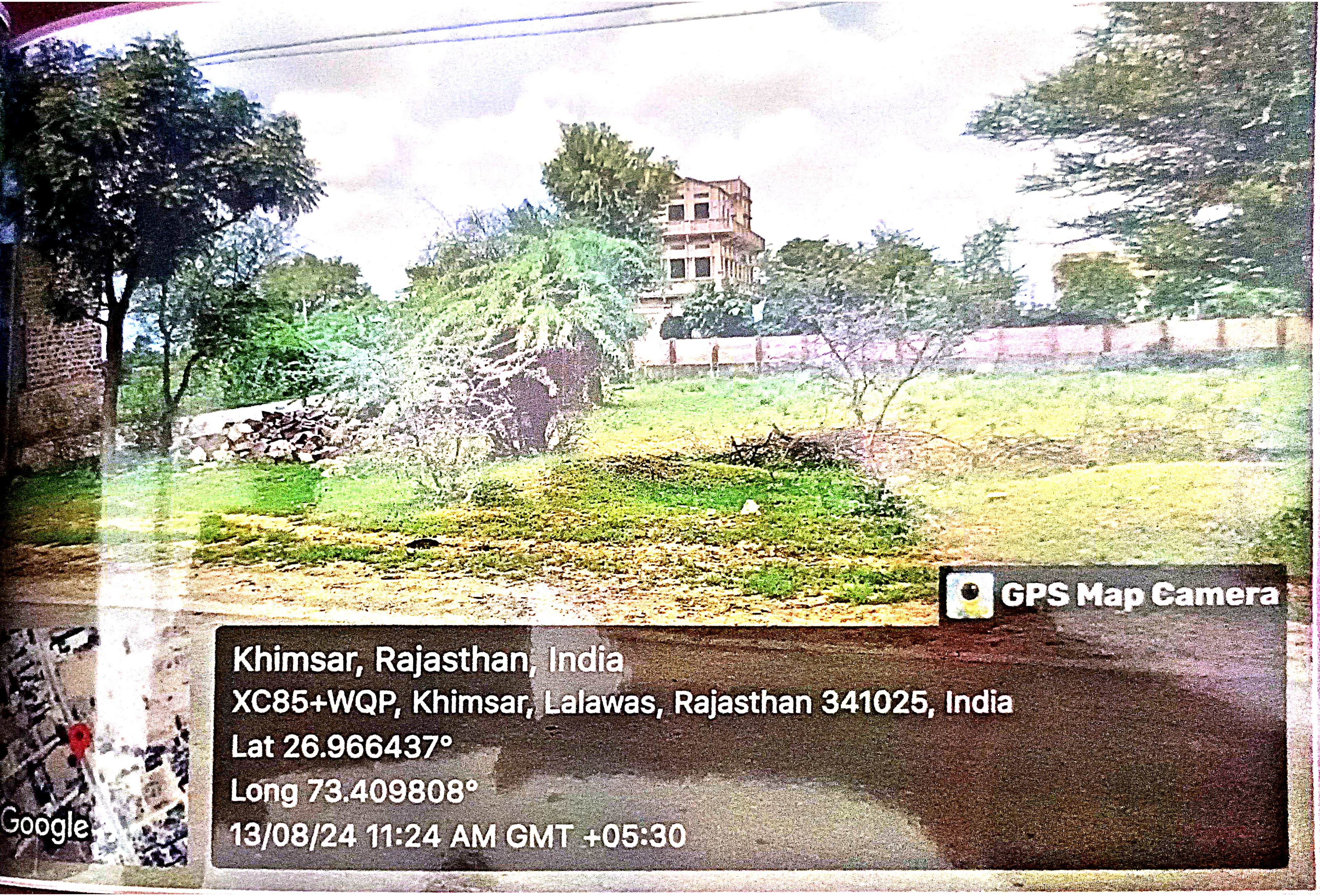
GPS Map Camera
Khimsar, Rajasthan, India
XC85+WQP, Khimsar, Lalawas, Rajasthan 341025, India
Lat 26.966437°
Long 73.409808°
13/08/24 11:24 AM GMT +05:30
Google

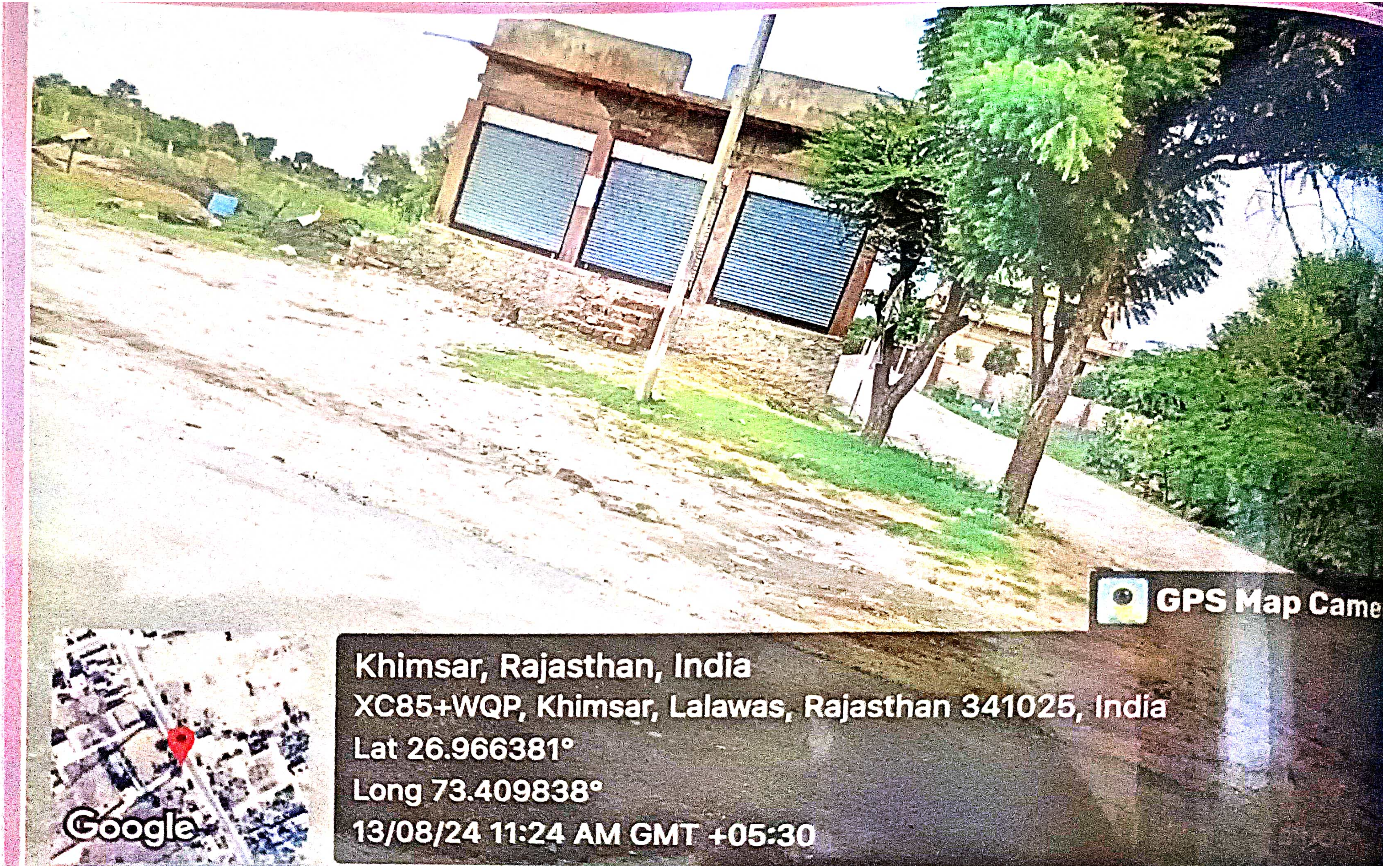
GPS Map Came
Google
Khimsar, Rajasthan, India
XC85+WQP, Khimsar, Lalawas, Rajasthan 341025, India
Lat 26.966381°
Long 73.409838°
13/08/24 11:24 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Nagri, Rajasthan, India
W97M+8JP, Sarano Ki Dhaniya, Nagri, Rajasthan 341025, India
Lat 26.912721°
Long 73.383769°
13/08/24 11:34 AM GMT +05:30
Google

जय बाबा रामदेव
खींवसर
Mahindra
GPS Map Camera
Mangeriya, Rajasthan, India
VC9G+XH4, MODI Road, Mangeriya, Rajasthan 342901, India
Lat 26.869757°
Long 73.426418°
13/08/24 11:50 AM GMT +05:30
Google

BOLERO
GPS Map Camera
Mangeriya, Rajasthan, India
VC9G+XH4, MODI Road, Mangeriya, Rajasthan 342901, India
Lat 26.869714°
Long 73.426392°
13/08/24 11:51 AM GMT +05:30
Google

#जय बाबा रामदेव#
खींवसर
GPS Map Camera
Mangeriya, Rajasthan, India
VC9G+XH4, MODI Road, Mangeriya, Rajasthan 342901, India
Lat 26.869684°
Long 73.426348°
13/08/24 11:51 AM GMT +05:30
Google

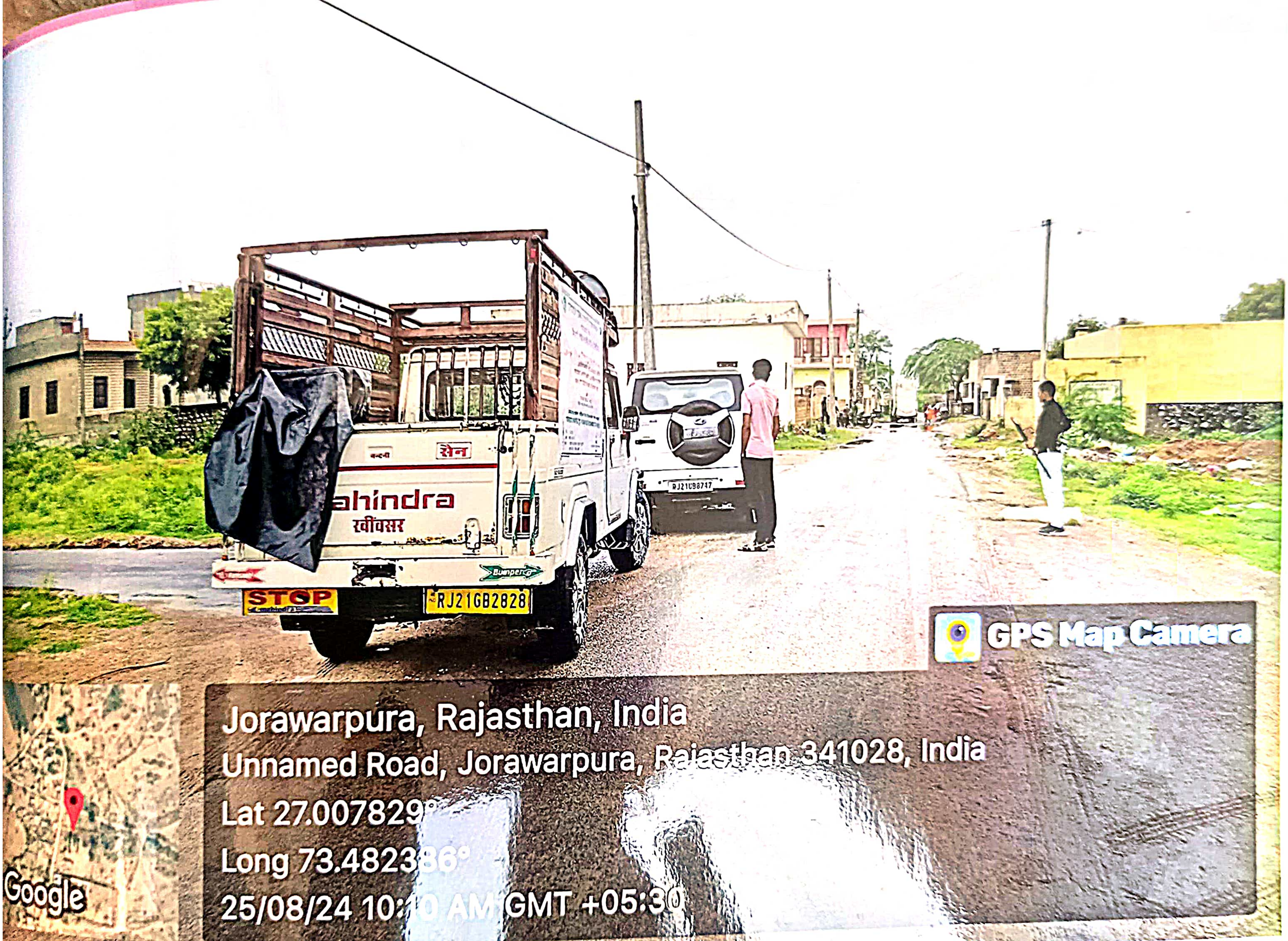
STOP
RJ21GB2828
खींवसर
GPS Map Camera
Jorawarpura, Rajasthan, India
Unnamed Road, Jorawarpura, Rajasthan 341028, India
Lat 27.007829
Long 73.482386°
GMT +05:30
Google

RJ21UB8717
GPS Map Camera
Jorawarpura, Rajasthan, India
2F3R+GHH, Jorawarpura, Rajasthan 341028, India
Lat 27.003542°
Long 73.490762°
25/08/24 10:15 AM GMT +05:30
Google

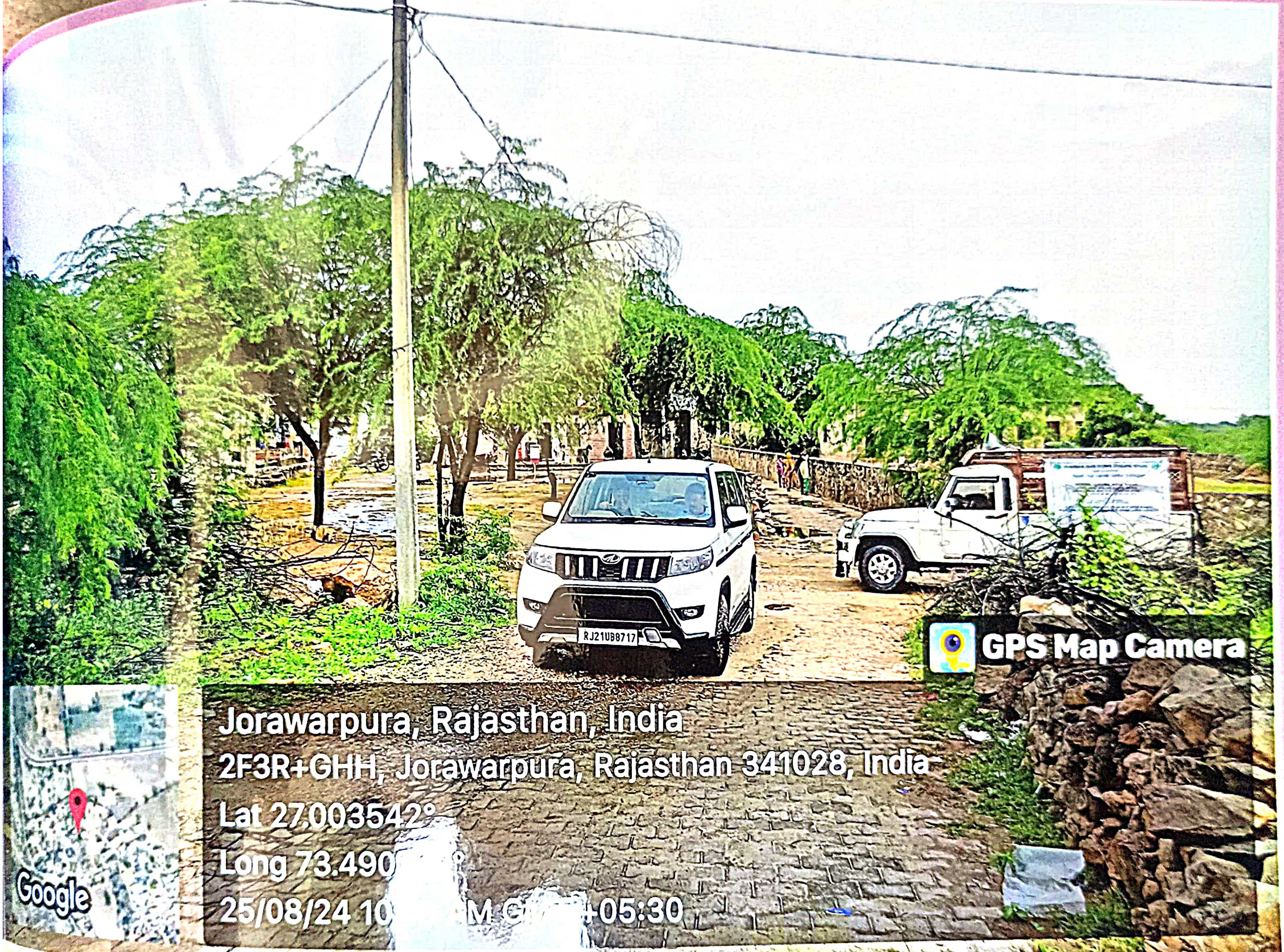
RJ21UB8717
GPS Map Camera
Jorawarpura, Rajasthan, India
2F3R+GHH, Jorawarpura, Rajasthan 341028, India
Lat 27.003542°
Long 73.490
25/08/24 10
+05:30
Google

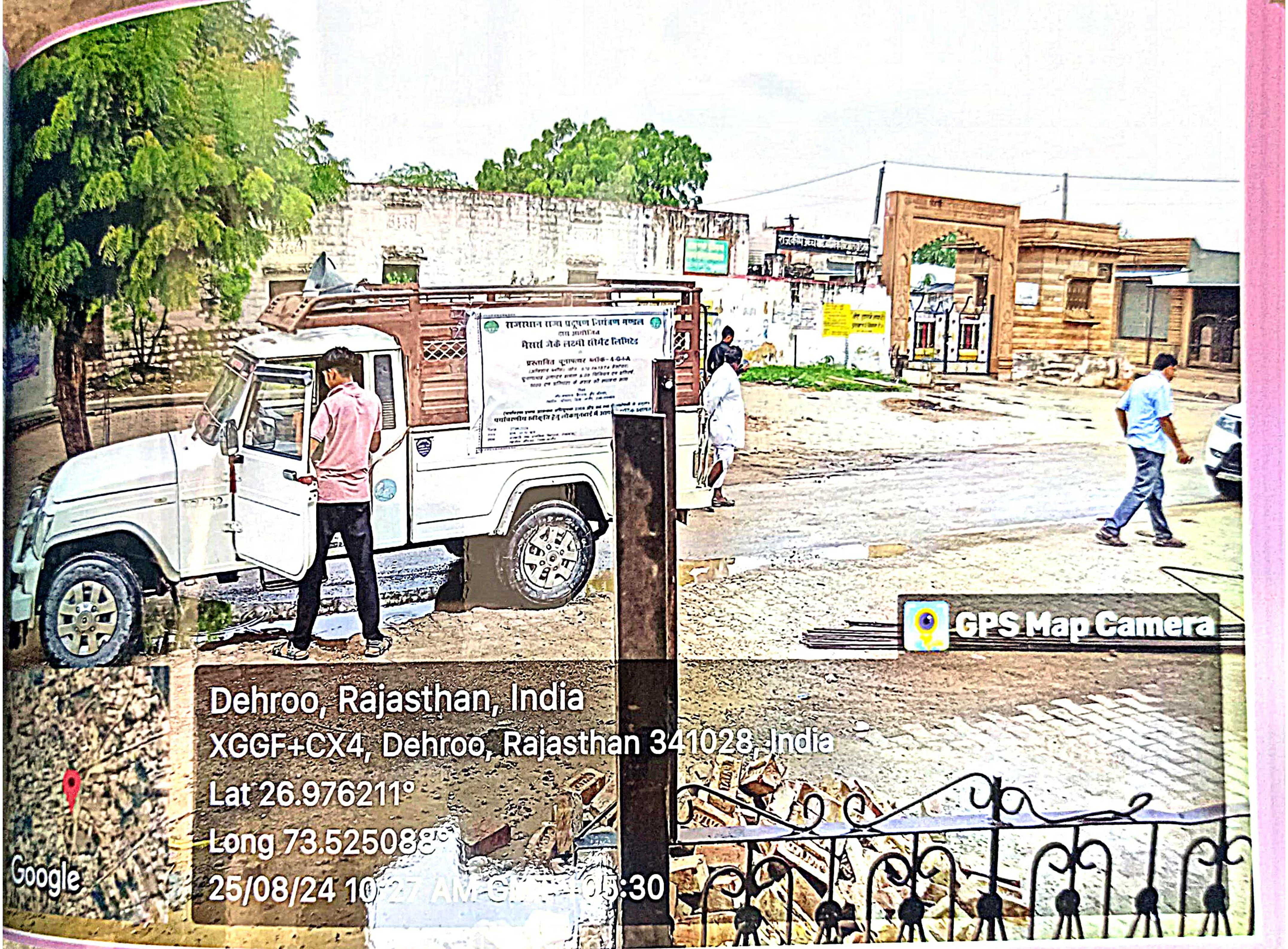
GPS Map Camera
Dehroo, Rajasthan, India
XGGF+CX4, Dehroo, Rajasthan 341028, India
Lat 26.976211°
Long 73.525088°
Google

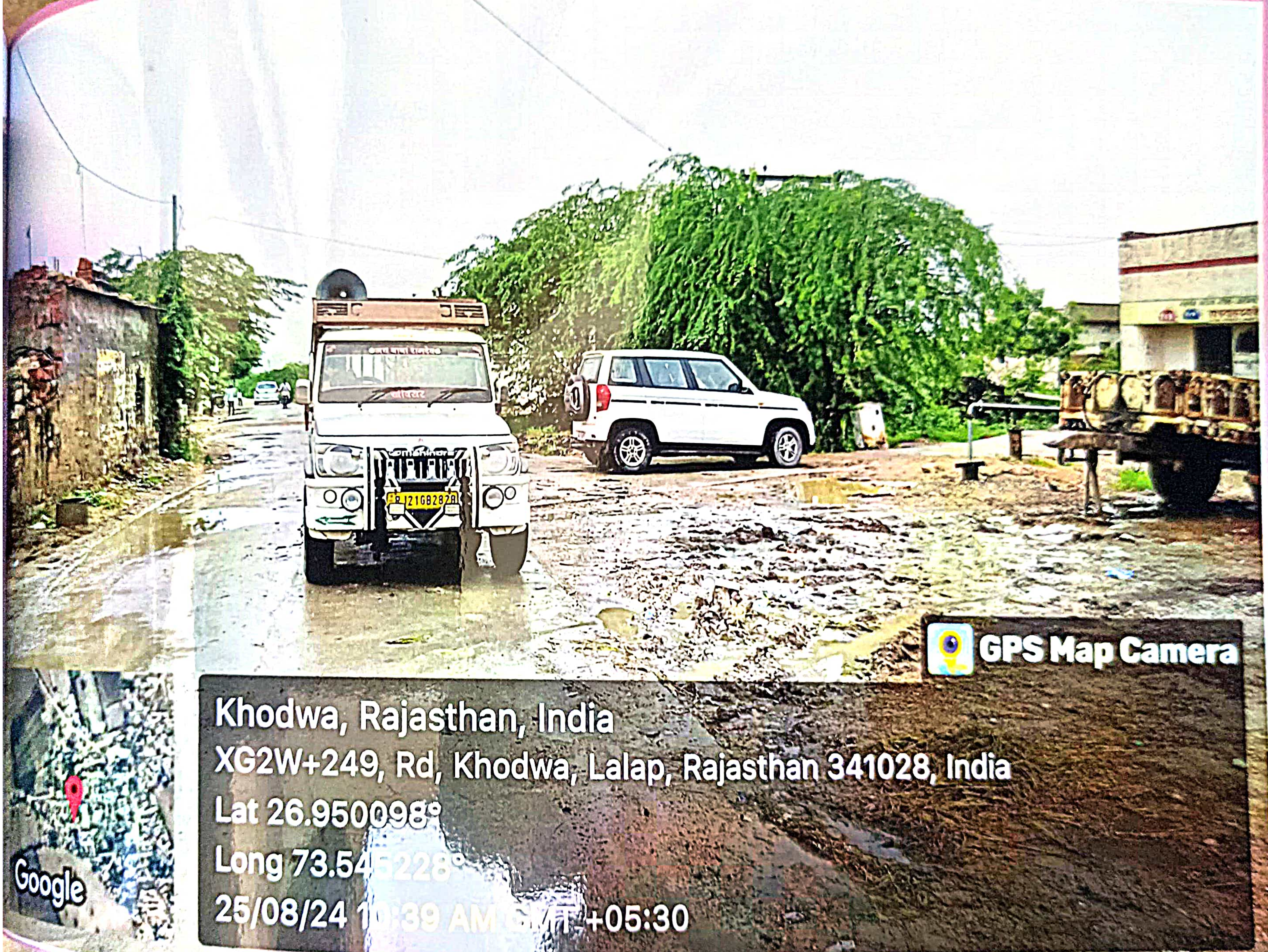
GPS Map Camera
Khodwa, Rajasthan, India
XG2W+249, Rd, Khodwa, Lalap, Rajasthan 341028, India
Lat 26.950098°
Long 73.545228°
25/08/24 10:39 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Khodwa, Rajasthan, India
XG34+8F6, MDR37B, Khodwa, खोडवा, Rajasthan 341028, India
Lat 26.953585°
Long 73.50634°
25/08/24 10:47 AM GMT +05:30

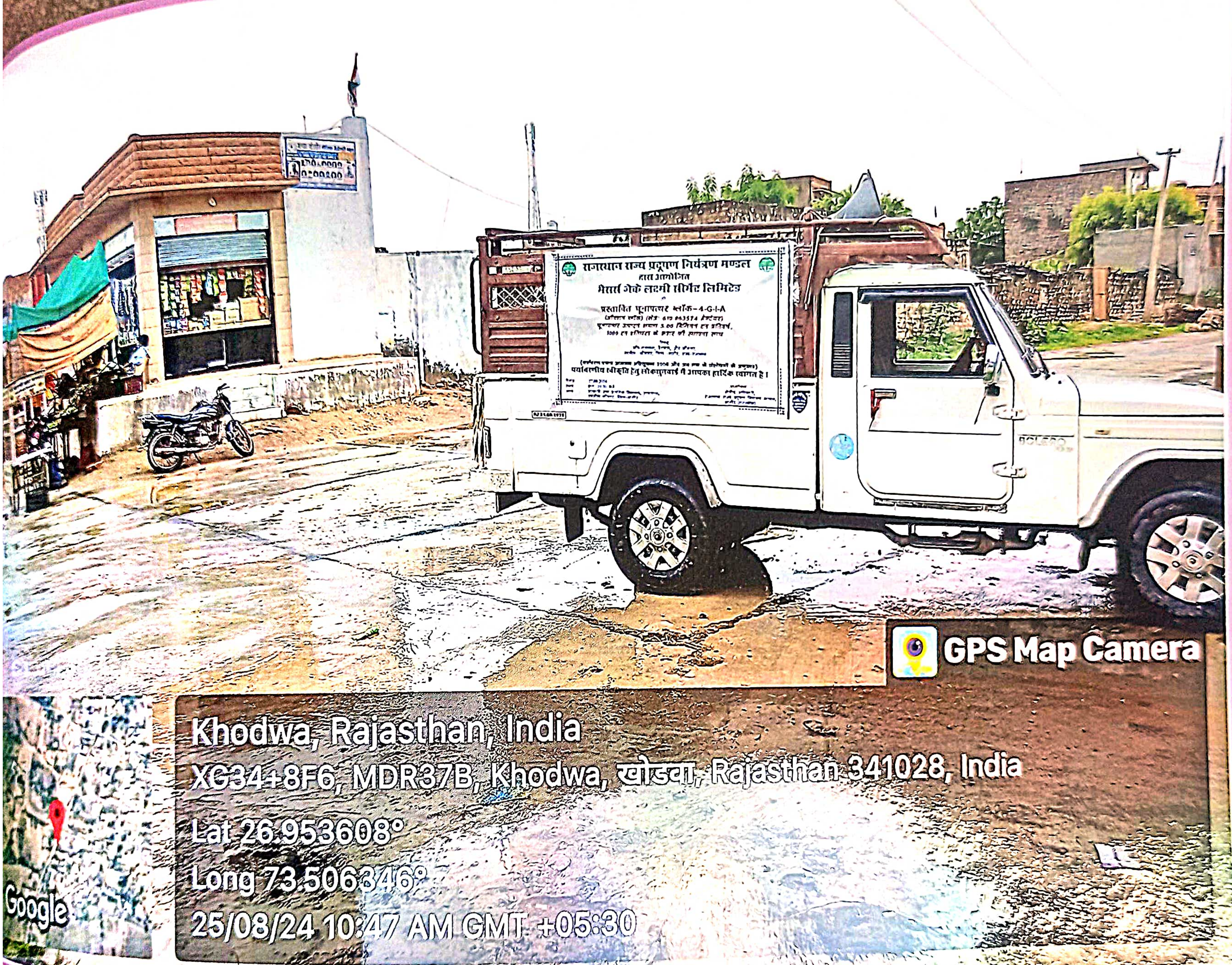
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
द्वारा आयोजित
मैसर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड
प्रस्तावित चूनापत्थर ब्लॉक-4-G-I-A
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
GPS Map Camera
Khodwa, Rajasthan, India
XG34+8F6, MDR37B, Khodwa, खोड्वा, Rajasthan 341028, India
Lat 26.953608°
Long 73.506346°
25/08/24 10:47 AM GMT +05:30
Google

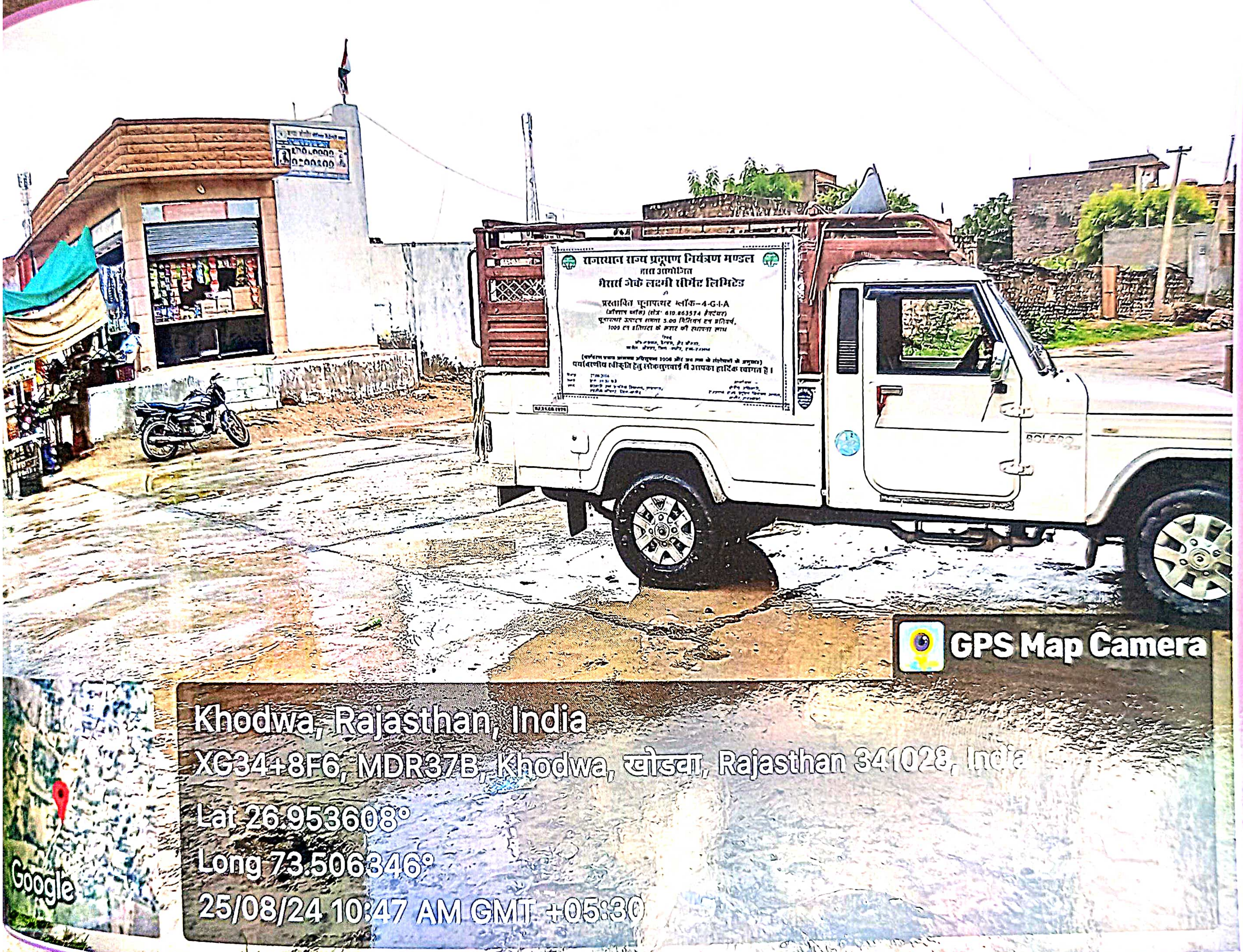
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्रस्तावित चूनापत्थर ब्लॉक-4-G-I-A
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
GPS Map Camera
Khodwa, Rajasthan, India
XG34+8F6, MDR37B, Khodwa, खोडवा, Rajasthan 341028, India
Lat 26.953608°
Long 73.506346°
25/08/24 10:47 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Berawas, Rajasthan, India
XF7F+7Q3, Berawas, Haripura, Rajasthan 341028, India
Lat 26.963044°
Long 73.474386°
25/08/24 10:55 AM GMT +05:30
Google

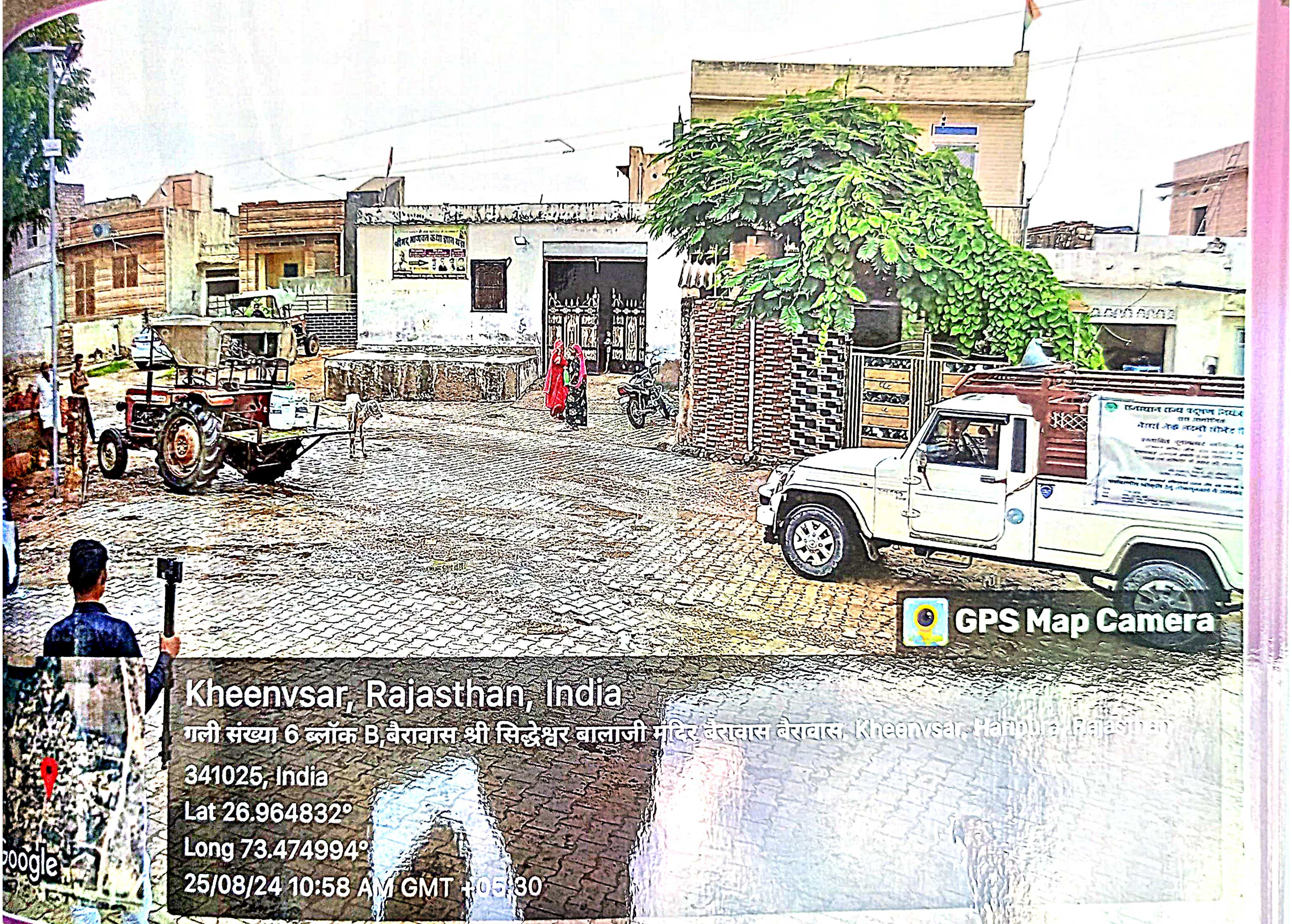
GPS Map Camera
Kheenvsar, Rajasthan, India
गली संख्या 6 ब्लॉक B,बैरावास श्री सिद्धेश्वर बालाजी मंदिर बैरावास बैरावास, Kheenvsar, Hanpura, Rajasthan
341025, India
Lat 26.964832°
Long 73.474994°
25/08/24 10:58 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Narwa, Rajasthan, India
Khimsar - Bhavanda - Kankrai Rd, Narwa, Tadawas, Rajasthan 341028, India
Lat 26.940757°
Long 73.446934°
25/08/24 11:11 AM GMT +05:30
Google

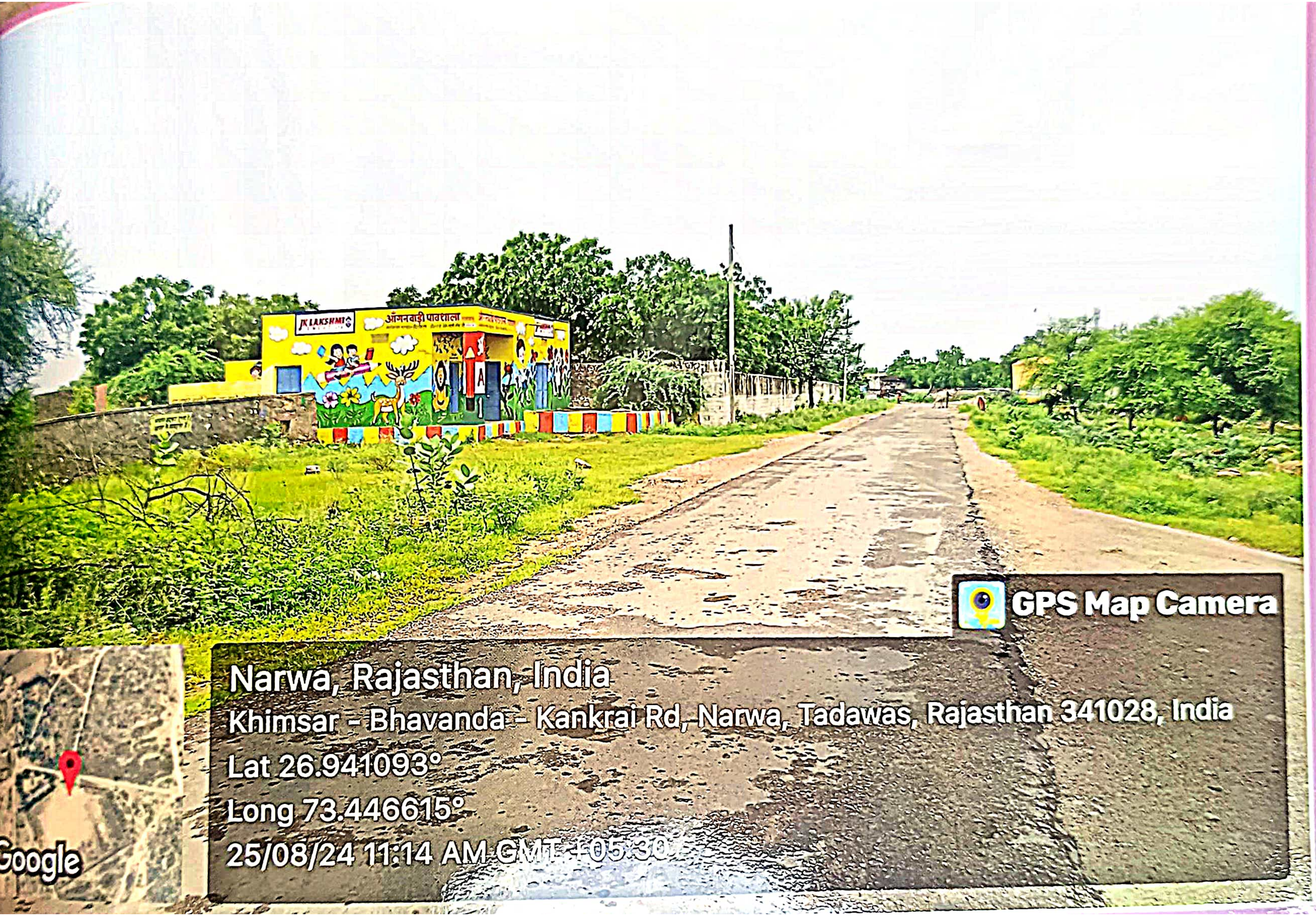

आँगनवाड़ी पाठशाला
GPS Map Camera
Narwa, Rajasthan, India
Khimsar - Bhavanda - Kankrai Rd, Narwa, Tadawas, Rajasthan 341028, India
Lat 26.941093°
Long 73.446615°
25/08/24 11:14 AM GMT +05:30
Google

सेवा केन्द्र
LAKSHMI CEMENT
अब सोच करो बुलंद.
GPS Map Camera
Tadawas, Rajasthan, India
Lat 26.942124°
Long 73.442347°
25/08/24 11:19 AM GMT +05:30
Google

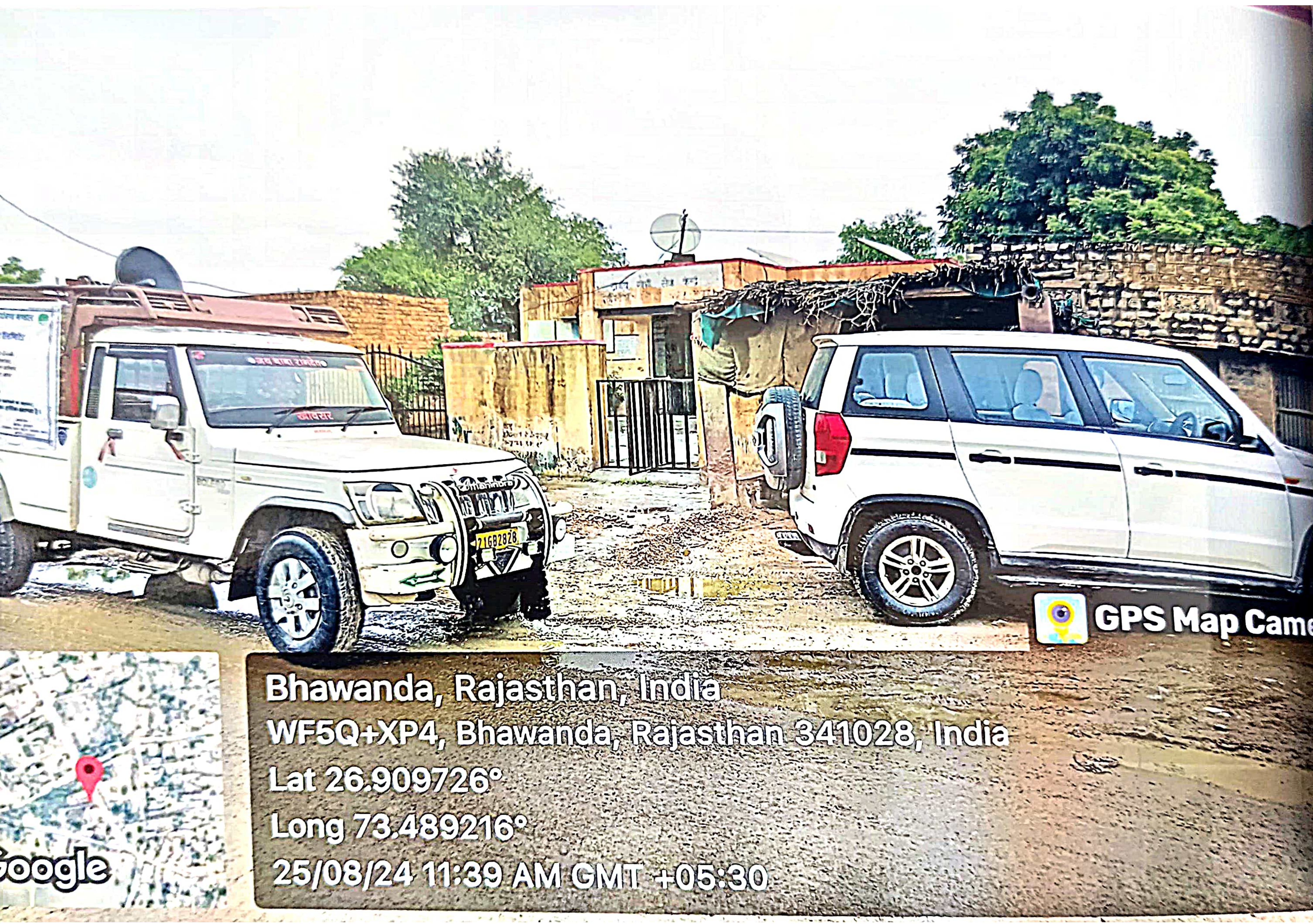

GPS Map Came
Bhawanda, Rajasthan, India
WF5Q+XP4, Bhawanda, Rajasthan 341028, India
Lat 26.909726°
Long 73.489216°
25/08/24 11:39 AM GMT +05:30
Google

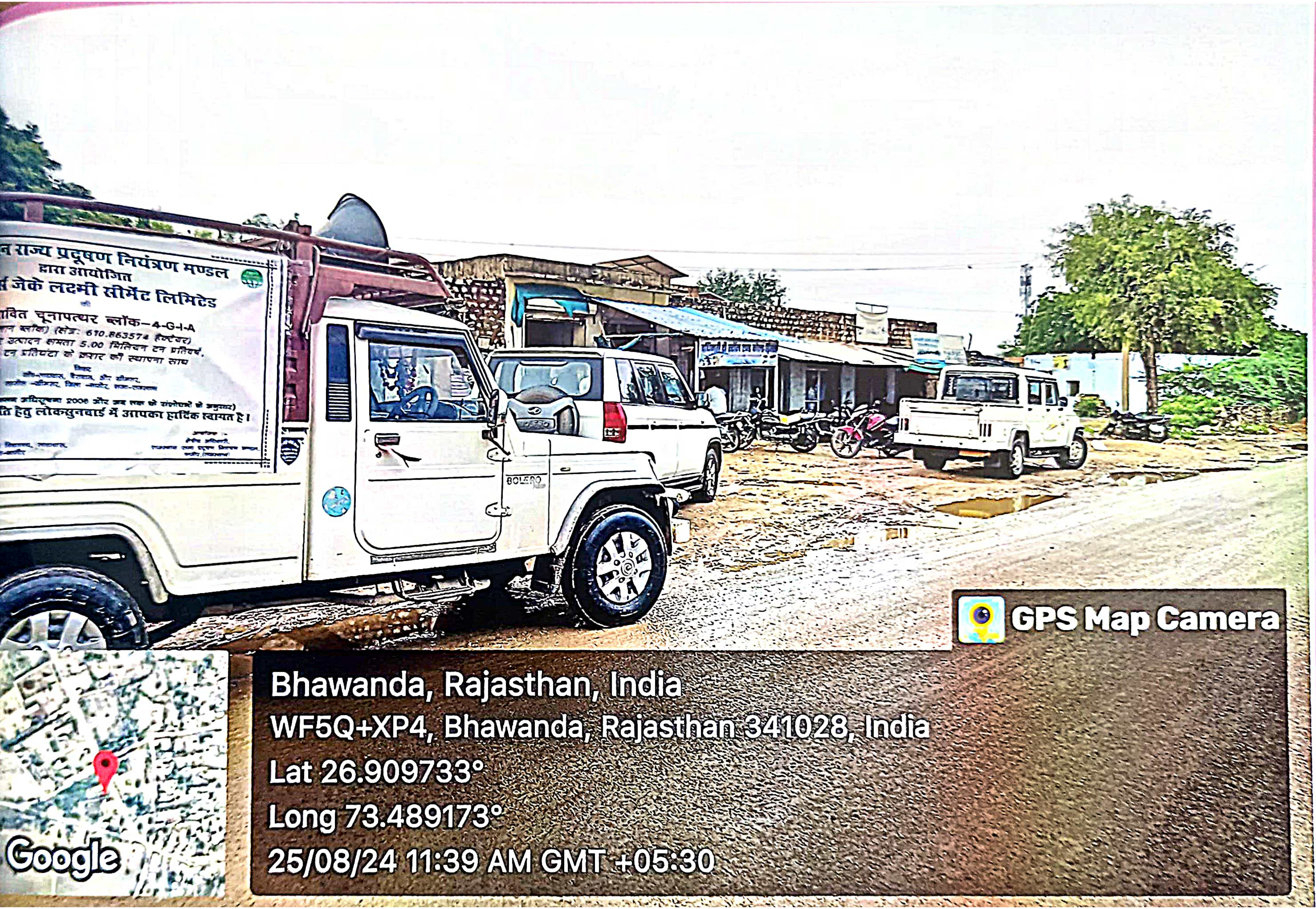
न राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
द्वारा आयोजित
जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड
चूनापत्थर ब्लॉक-4-G-I-A
(क्षेत्र: 610.863574 हेक्टेयर)
उत्पादन क्षमता 5.00 मिलियन टन प्रतिवर्ष,
टन प्रतिघंटा के प्रसार की स्थापना साथ
ति हेतु लोकसुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
BOLERO
GPS Map Camera
Bhawanda, Rajasthan, India
WF5Q+XP4, Bhawanda, Rajasthan 341028, India
Lat 26.909733°
Long 73.489173°
25/08/24 11:39 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bairawas, Rajasthan, India
WC6X+JG2, Bairawas, Rajasthan 341028, India
Lat 26.911387°
Long 73.449194°
25/08/24 11:55 AM GMT +05:30
RJ21GB2828

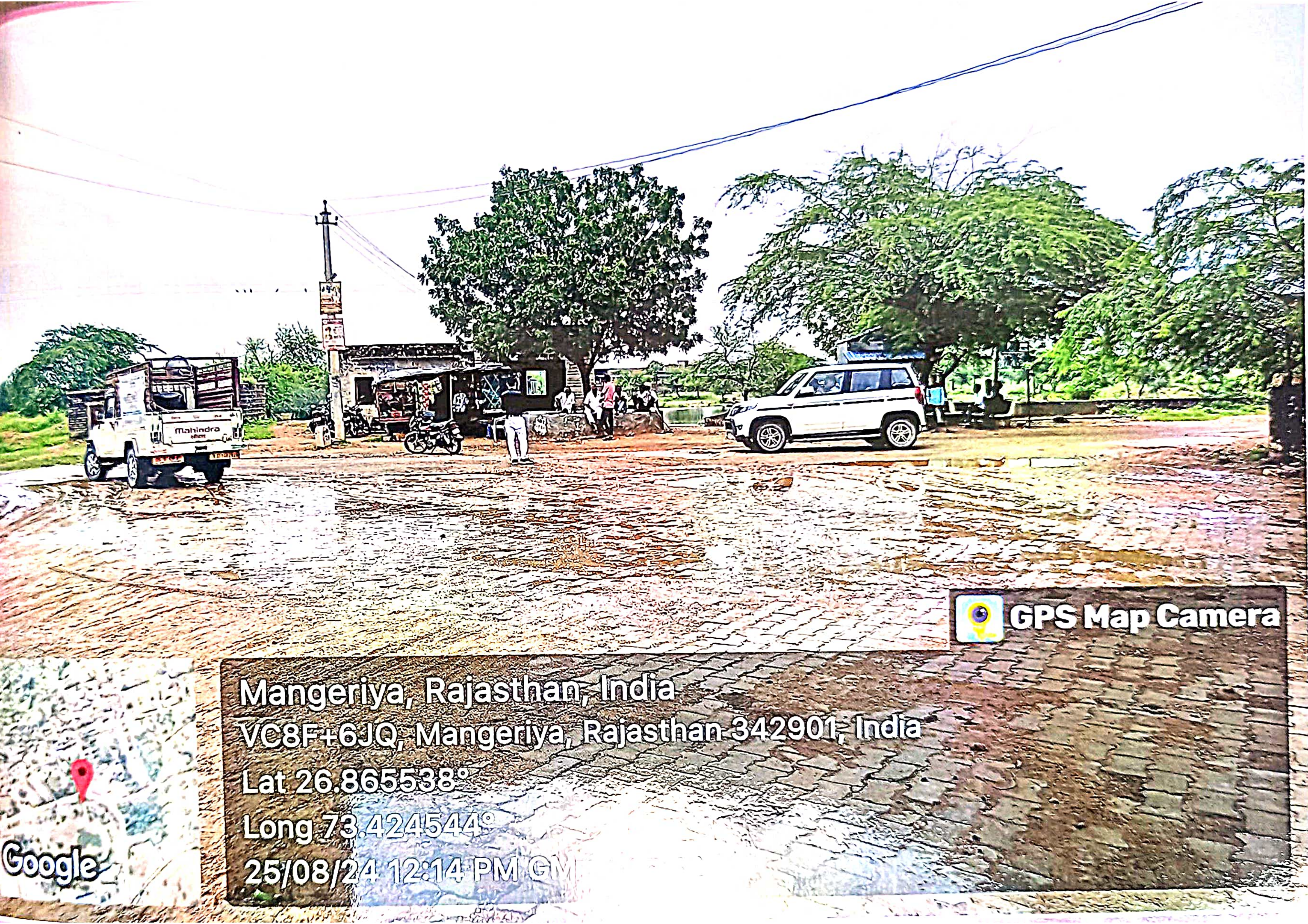
Mahindra
GPS Map Camera
Mangeriya, Rajasthan, India
VC8F+6JQ, Mangeriya, Rajasthan 342901, India
Lat 26.865538°
Long 73.424544°
25/08/24 12:14 PM
Google

GPS Map Camera
Mangeriya, Rajasthan, India
VC8F+6JQ, Mangeriya, Rajasthan 342901, India
Lat 26.865406°
Long 73.424478°
25/08/24 12:16 PM GMT +05:30

GPS Map Camera
Mangeriya, Rajasthan, India
VC9F+6C6, Mangeriya, Rajasthan 342901, India
Lat 26.867829°
Long 73.423056°
25/08/24 12:15 PM GMT +05:30
Google

धारणावास
राजस्थान
मैसर्स
पर्यावरणीय स्वीकृति
राज्य प्रदूषण
GPS Map Camera
Chindari, Rajasthan, India
WC69+56G, Chindari, Rajasthan 341028, India
Lat 26.91024°
Long 73.417942°
25/08/24 12:25 PM GMT +05:30
Google

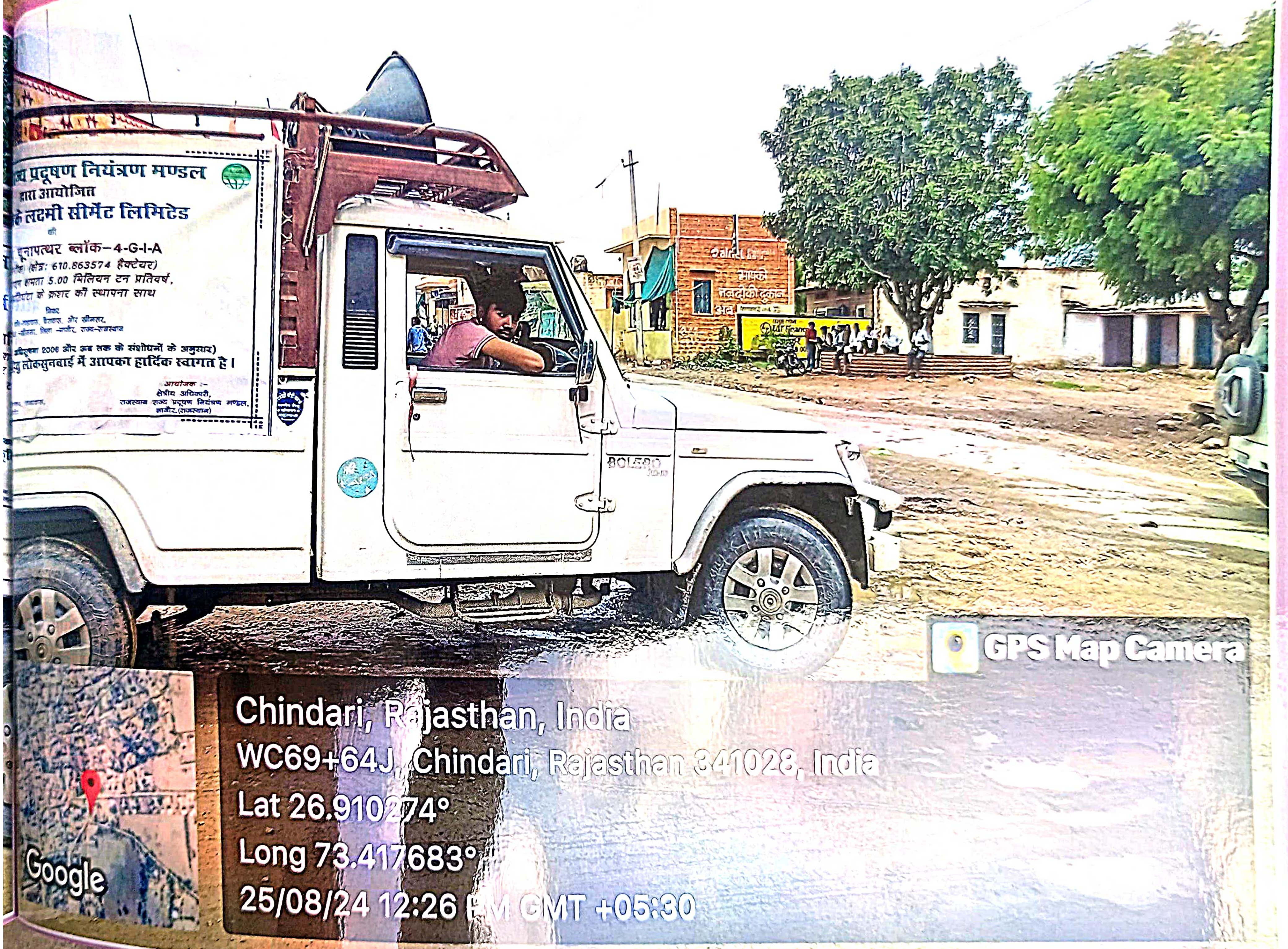

प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड
चूनापत्थर ब्लॉक-4-G-I-A
(क्षेत्र: 610.863574 हैक्टेयर)
क्षमता 5.00 मिलियन टन प्रतिवर्ष,
लोकसुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
GPS Map Camera
Chindari, Rajasthan, India
WC69+64J, Chindari, Rajasthan 341028, India
Lat 26.910274°
Long 73.417683°
25/08/24 12:26 PM GMT +05:30
Google

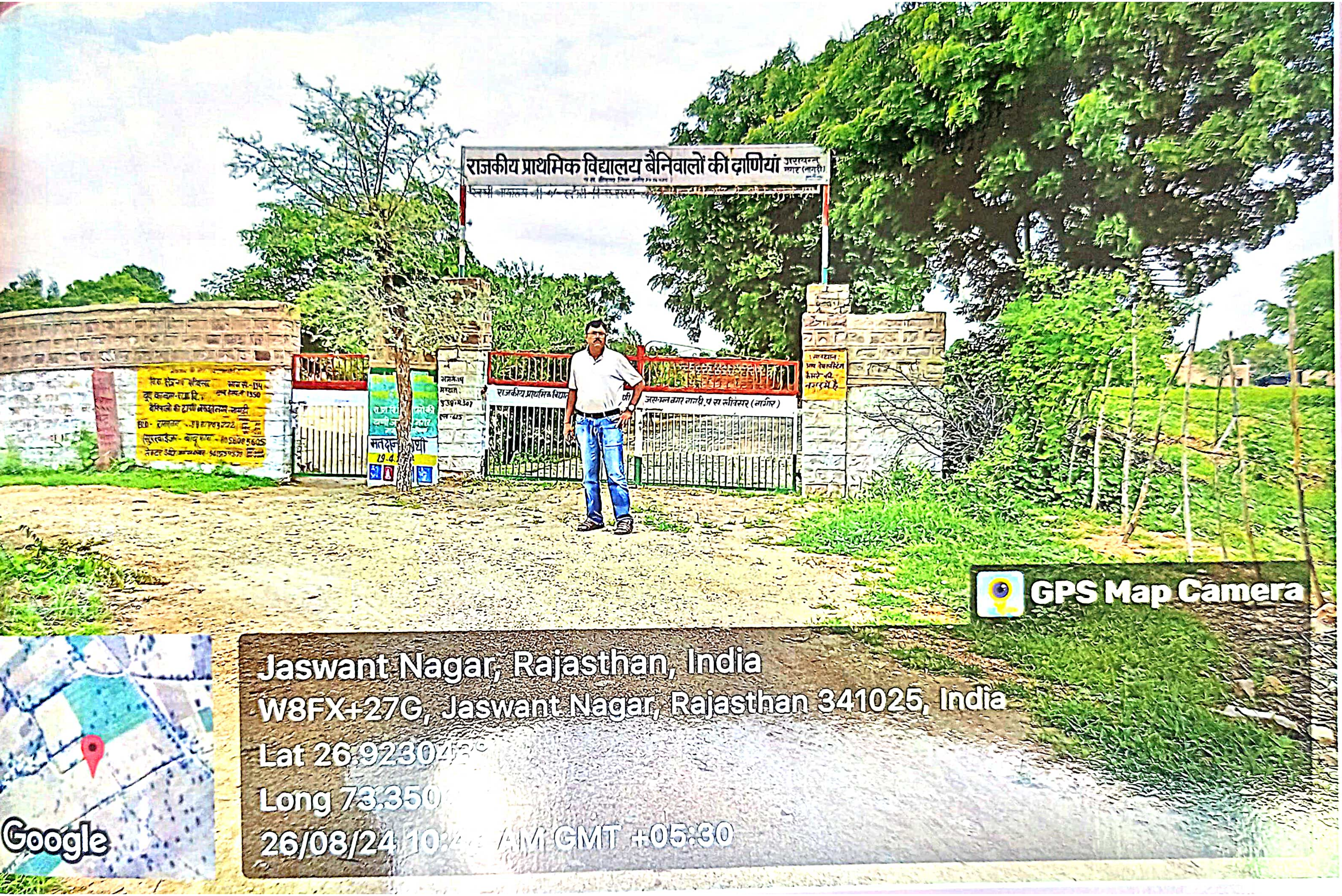
राजकीय प्राथमिक विद्यालय बैनिवालों की ढाणियां
GPS Map Camera
Jaswant Nagar, Rajasthan, India
W8FX+27G, Jaswant Nagar, Rajasthan 341025, India
Lat 26.92304
Long 73.350
26/08/24 10:4 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Jaswant Nagar, Rajasthan, India
W8FX+27G, Jaswant Nagar, Rajasthan 341025, India
Lat 26.923082°
Long 73.350252°
26/08/24 10:49 AM GMT +05:30
Google

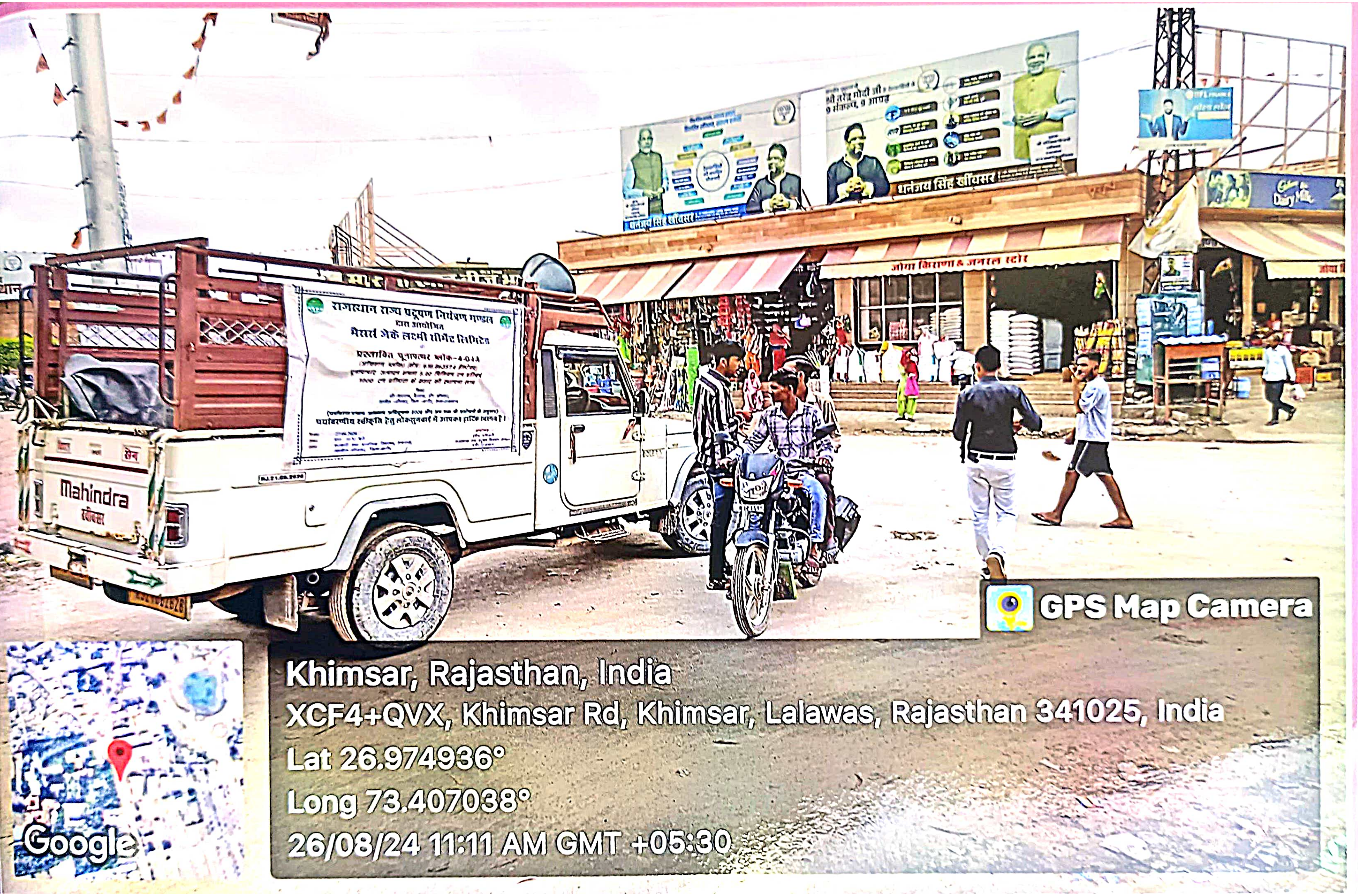
Mahindra
Dairy Milk
GPS Map Camera
Khimsar, Rajasthan, India
XCF4+QVX, Khimsar Rd, Khimsar, Lalawas, Rajasthan 341025, India
Lat 26.974936°
Long 73.407038°
26/08/24 11:11 AM GMT +05:30
Google

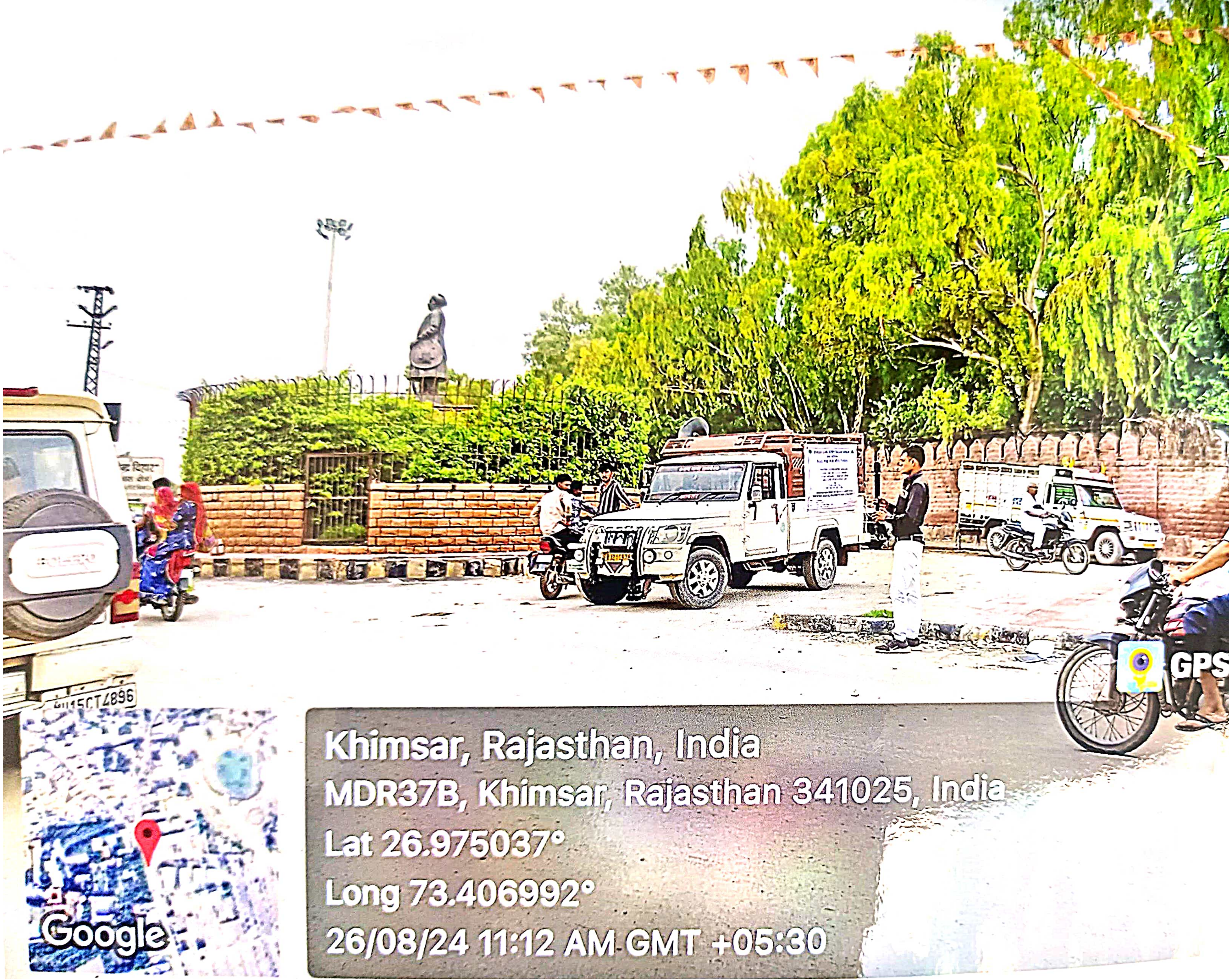
Khimsar, Rajasthan, India
MDR37B, Khimsar, Rajasthan 341025, India
Lat 26.975037°
Long 73.406992°
26/08/24 11:12 AM GMT +05:30
Google
GPS

Mahindra
GPS Map Camera
Khimsar, Rajasthan, India
XCG4+GVM, Khimsar, Rajasthan 341025, India
Lat 26.976408°
Long 73.40705°
26/08/24 11:15 AM GMT +05:30
Google

JK SUPER CEMENT
JK SUPER PROTECT
SBI
विशाल
Mahindra
खींवसर
STOP
RJ21GB2828
GPS Map Camera
Khimsar, Rajasthan, India
XCG4+GVM, Khimsar, Rajasthan 341025, India
Lat 26.976382°
Long 73.407042°
26/08/24 11:15 AM GMT +05:30
Google

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, आकला नं.2
खींवसर
Google
Khimsar, Rajasthan, India
XCJ4+QQR, Khimsar - Mundiyar Rd, Akla, Khimsar, Rajasthan 341025, India
Lat 26.982062°
Long 73.407155°
26/08/24 11:29 AM GMT +05:30

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
द्वारा आयोजित
मैसर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड
प्रस्तावित चूनापत्थर ब्लॉक-4-G-I-A
(ऑक्शन ब्लॉक) (क्षेत्र 610.863574 हैक्टेयर)
चूनापत्थर उत्पादन क्षमता 5.00 मिलियन टन प्रतिवर्ष,
1000 टन प्रतिघंटा के क्रशर की स्थापना साथ
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
27.08.2024
प्रातः 10.30 बजे
RJ21.CB.2820
इस्तेमाल कीजिए
फर्क नज़र आएगा
GPS Map Camera
Akla, Rajasthan, India
2C89+X3Q, Akla, Rajasthan 341028, India
Lat 27.017575°
Long 73.417447°
26/08/24 11:29
GMT +05:30
Google

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
द्वारा आयोजित
मैसर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड
प्रस्तावित चूनापत्थर ब्लॉक-4-G-I-A
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
GPS Map Camera
Akla, Rajasthan, India
2CC8+2V5, Akla, Rajasthan 341028, India
Lat 27.019786°
Long 73.417113°
26/08/24 11:32 AM GMT +05:30
Google

जय बाबा रामदेव
खींवसर
RJ21GB282
GPS Map Camera
Kheenvsar, Rajasthan, India
New Teshil Khinwsar Road, Kheenvsar, Khimsar, Rajasthan 341025, India
26/08/24 AM GMT +05:30
Google

GPS
Kheenvsar, Rajasthan, India
X9CX+532, New, Teshil Khinwsar Road, Kheenvsar, Khimsar, Rajasthan 34102
Lat 26.97049°
Long 73.397375°
26/08/24 11:48 AM GMT +05:30
Google